वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2012—2013

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट
लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड

राँची — 834 031

दिनांक 27.04.2012 को माननीय कोयला मंत्री का सीएमपीडीआई का निरीक्षण

दिनांक 15.03.2013 को अध्यक्ष का सीएमपीडीआई का निरीक्षण

दिनांक 11.10.2012 को मेडिकल कैम्प का उद्घाटन

विषय – सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	2012–2013 के दौरान प्रबन्धन	3
2.	वर्तमान प्रबन्धन	5
3.	बैंकर्स एवं अंकेक्षक	6
4.	सूचना	7
5.	अध्यक्ष का कथन (वक्तव्य)	8
6.	उपलब्धि : एक नजर में	14
7.	वित्तीय सांख्यिकी	15
8.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट	21
9.	धारा 217 (1) (ई) तथा 217 (2ए) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट	97
10.	निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र और सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र	105
11.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का उत्तर	106
12.	धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन के उत्तर	111
13.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	132
14.	लेखे पर टिप्पणियाँ	137
15.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा लेखे पर टिप्पणी	167

एटलस कॉपको सीटी–14 हाइड्रोस्टेटिक डिल कार्यरत

वर्ष 2012–2013 के दौरान प्रबंधन

श्री अशोक कुमार सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक (31.07.2012 तक)
श्री नगेन्द्र कुमार	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (01.08.2012 से 31.10.2012 तक)
श्री गोपाल सिंह	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक(अतिरिक्त प्रभार) (1.11.12 से 18. 2.13 तक)
श्री अमल कुमार देवनाथ	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (19.02.2013 से)

कार्यकारी निदेशक

श्री अमल कुमार देवनाथ	:	निदेशक (तकनीकी) (1.8.2007 से 18.02.2013 तक)
श्री बैद्यनाथ बसु	:	निदेशक (तकनीकी) (25.8.2011 से)
श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी) (13.10.2011 से)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी) (13.01.2012 से)

अंशकालिक सरकारी निदेशक :

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय (27.1.2010 से)
श्री नगेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड (29.02.2012 से)

स्वतंत्र निदेशक :

प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री	:	निदेशक (24.12.2010 से)
श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	:	निदेशक (24.12.2010 से)
डा0 मुकेश खरे	:	निदशक (24.12.2010 से)
प्रो0 पी0के0 जे0 महापात्रा	:	निदेशक (24.12.2010 से)

स्थायी आमंत्रित सदस्य :

श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव : श्री पी लाजर (01.04.2011 से)

निदेशक मंडल

श्री ए.के. देवनाथ

श्री बी.एन. बासु

श्री डी.के. घोष

श्री आर.के. चोपड़ा

श्री एन.कुमार

श्री डी.एन.प्रसाद

प्रो0 वी.आर.शास्त्री

प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा

डा0 मुकेश खरे

श्री प्रमोद कुमार मिश्र

1.5.2013 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक :

श्री अमल कुमार देवनाथ	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक
श्री बैद्यनाथ बसु	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक :

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक :

प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री	:	निदेशक
श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	:	निदेशक
डा0 मुकेश खरे	:	निदेशक
प्रो0 पी0के0 जे0 महापात्रा	:	निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य :

श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव : श्री पी लाजर

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय

बैंकर्स	:	स्टेट बैंक आफ इंडिया यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया केनरा बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया यू.को. बैंक सिंडिकेट बैंक
अंकेक्षक	:	मेसर्स तोदी तुलस्यान एण्ड कम्पनी (ईआर 0043) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स 602, लव कुश टावर एक्ज़िविशन रोड, पटना–800001(बिहार)
निबंधित कार्यालय	:	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 031, झारखण्ड, भारत
वेबसाइट	:	www.compdi.co.in

38 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए

सूचना

संदर्भ सं. : सीएस/एजीएम–38/2013/ **दिनांक : 15.05.2013**

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी शेयर धारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कम्पनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के निबंधित कार्यालय, गोन्दवाना प्लेस, कॉके रोड, रॉची में 22 मई, 2013 दिन बुधवार को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2013 के अनुसार अंकेक्षित तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे के साथ–साथ उसके साथ संलग्न अनुसूची तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. वर्ष 2012–13 के लिए निदेशक–मंडल की रिपोर्ट प्राप्त करना एवं स्वीकार करना
    1. श्री एन.कुमार, सरकारी अंशकालिक निदेशक के बदले में एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के खण्ड (भाग) 34 (1) ई (।।।) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।
    2. डा0 डी.एन. प्रसाद सरकारी अंशकालिक निदेशक के बदले में एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति करना जो कम्पनी की विधि नियमावली के अनुच्छेदों के (खण्ड) भाग 34 (1) ई (।।।) की शर्तों से सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
वास्ते सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

ह०
(पी.लाजर)
मुख्य प्रबंधक (वित्त) / कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन
इन्स्टीच्यूट लि., गोंदवाना प्लेस, कॉंके रोड,
रॉंची, 834 031, झारखंड, भारत

नोट :
1. वैसा सदस्य जो बैठक में शामिल होने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को बैठक में शामिल होने तथा मत डालने के लिए एवजी नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।
2. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम– 1956 की धारा 17(2)(i) के प्रावधान के अनुसार अल्प सूचना पर बैठक करने की सहमति दी जाए।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8) के अनुसार कंपनी के सदस्यों ने 26 सितम्बर, 2002 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक–मंडल को कंपनी अधिनियम की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया है।

प्रति : कम्पनी के सभी शेयरधारक और अंकेक्षकों तथा अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष

अध्यक्ष का कथन

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआई की अड़तीसवीं (38वीं) वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 का कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्श हो रहा है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप–रेखा :

आपकी कंपनी कोयले की गवेषणा, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, क्षेत्र सेवाएँ इत्यादि के क्षेत्रों में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों को घरेलू परामर्शी सेवा प्रदान करती रही है। सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के अलावे धात्विक खनन (मेटल माइनिंग) क्षेत्रों के ग्राहकों को भी इस तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय को गैर सीआईएल ब्लॉक, सीबीएम एवं शेल गैस इत्यादि से संबंधित सेवाएँ भी दे रही है।

सीएमपीडीआई के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे अग्रणी कोयला खान वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए सीएमपीडीआई के गठन के बाद के वर्षों में इसके योजनाकारों एवं अभियंताओं के विशेषता के स्तर को बढ़ाया गया। इसके कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा स्थापित कर आधारभूत सुविधा में काफी वृद्धि की गई है। इन सब उपायों ने सीएमपीडीआई को खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान कराने वाला अद्वितीय कंपनी बना दिया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1909 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए हैं एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल (दक्ष) श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी। कुल मिलाकर, बदलते व्यावसायिक परिदृश्य तथा इसके परिणामस्वरूप देश के अंदर तथा विदेश में खनन क्षेत्र में हुए बदलाव के कारण मुख्यतः 2000 के बाद विशेषज्ञों के निगर्मन में और वृद्धि हो गई। तथापि, आईएसओ के समावेश तथा कुछ हद तक कम्प्यूटराइजेशन के साथ–साथ खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग तथा खास कर, कोयला गुण निर्धारण तथा पर्यावरण सुविधा से संबंधित उपकरणों में की गई वृद्धि के बावजूद कंपनी कुछ स्तर तक अपनी सेवाओं तथा सुविधाओं के संपूर्ण उन्नयन में कुछ पीछे रह गई।

सीएमपीडीआई के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जो आगामी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में सक्षम है, ने लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) था तथा टर्न ओवर लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) था। विशेषज्ञता, तकनीकी सुविधाओं तथा सहायता सुविधाओं का विकास तथा कोयला उद्योग को कंपनी द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में ऊँचाई तक पहुँचने में प्रगति न होने के कारण तथा निकट भविष्य में कोयला उद्योग के हित के लिए कंपनी की विशिष्टता को संपूर्णरूप से सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि कोयला क्षेत्र में अंगीकृत प्रौद्योगिकी नव परिवर्तन तथा रणनीति में सीएमपीडीआई अग्रदूत रहा है।

यह परिकल्पना की गई कि सीएमपीडीआई को न केवल अपने श्रमशक्ति की कुशलता तथा आधारभूत सुविधाओं में बेहतरी करने की आवश्यकता है, बल्कि गवेषण एजेंसी, सलाहकार तथा तकनीकी सेवा प्रदाता और अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में अपनी भूमिका में विस्तार करने की जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त उपाए थे गवेषण क्षमता में वृद्धि

करना, वर्तमान सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति के उपयोग को युक्तिसंगत बनाना, अधिकारी श्रमशक्ति का समावेशन, कोयला से इतर खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण क्षेत्रों के नवीन क्षेत्रों में विविधिकरण, मूल्य के हिसाब से बाहरी कार्य (गैर–सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के जरिए इन्वेन्टरी कन्ट्रोल और ड्रिलिंग सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मानिटरिंग प्रणाली की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का विकास आदि।

2. वित्तीय उपलब्धि :

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी ने गत वर्ष के 524 करोड़ रू0 के टर्न ओवर रूपये की तुलना में 77 करोड़ रू. की वृद्धि दर्ज करते हुए 29.77 करोड़ रू. कर के पहले लाभ के साथ–साथ 601 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। कंपनी का निबल मूल्य (नेटवर्थ) 31.3.12 के 111 करोड़ रू. से बढ़कर 31.3.2013 को 135 करोड़ रू. हो गया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति शेयर अर्निंग 1030 रू. से बढ़कर 1316 रू. हो गया। बाहरी परामर्शी सेवा से प्राप्ति भी 33.26 करोड़ रू. से बढ़कर 35.08 करोड़ रू. हो गई।

3. ड्रिलिंग उपलब्धि :

आपकी कंपनी में विभागीय संसाधन तथा आउटसोर्सिंग के जरिए गत वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए xi वीं योजना के अंतिम वर्ष यानि 2011–12 के दौरान 4.98 लाख मीटर ड्रिलिंग की तुलना में xiiवीं योजना के प्रथम वर्ष में 5.63 लाख मीटर ड्रिलिंग की। 12वीं योजना अवधि के लिए ड्रिलिंग लक्ष्य लगभग 57 लाख मीटर पर विचार करते हुए वर्ष 2013–14 के लिए ड्रिलिंग लक्ष्य में पर्याप्त वृद्धि कर इसे 9.0 लाख मीटर कर दिया गया है, जिसे 2015–16 तक और बढ़ाकर प्रतिवर्ष 15 लाख मीटर (विभागीय गवेषण क्षमता 4 लाख मीटर तक बढ़ाए जाने) के स्तर तक करने की आवश्यकता है। इसके कारण ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक के आउट सोर्सिंग पर बल देना आवश्यक हो गया है। सीएमपीडीआई ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष एक लाख मीटर गवेषणात्मक ड्रिलिंग की पेशकश 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। वर्ष 2012–13 से वार्षिक सीमा 1.5 मीटर पुनः बढ़ा दिया गया है। सीएमपीडीआई ने वर्ष 2008 से विभिन्न राष्ट्रीय दर एवं वैश्विक निविदा के जरिए प्राइवेट एजेंसियों से 26 कोल ब्लाक आउटसोर्स किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान विस्तृत गवेषण के लिए कोल ब्लॉकों की आउटसोर्सिंग के लिए ''ई'' टेंडरिंग में भाग लिया है तथा ई टेंडरिंग के जरिए 10 ब्लाकों का कार्य सफलतापूर्वक दिया गया है तथा 5 ब्लाकों में ड्रिलिंग कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

12वीं योजना में लगभग 57 लाख मीटर ड्रिलिंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआई को और अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता की जांच करने की ईच्छा जाहिर की है, जिसके लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति (अधिकारी तथा कर्मचारी दोनों) संयंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरण प्राप्त करने के लिए कोष की आवश्यकता का उल्लेख वाला एक प्रस्ताव कोल इंडिया लिमिटेड के पास विचाराधीन है तथा मोडालिटी क्रियान्वित की जा रही है।

4. आईसीआरआईएस :

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित '' समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली (आसीआरआईएस)'' नामक परियोजना के भाग के रूप में सभी कोलफील्ड्स में डाटा बेस बनाने के लिए देश के कोयला संसाधन डाटा को डिजिटल रूप में स्टोर किया गया है। ''समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआरआईएस)'' की अंतिम रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को सौंप दी गई। भू–वैज्ञानिक मॉडेल तथा डाटा के अद्यतन करने का कार्य जारी रहा। वर्ष 2012–13 के दौरान क्षेत्रों (जोनों) के 40 मॉडेल पूरे किए गए। आईसीआरआईएस वेबसाइट, विभिन्न कोलफील्डों के डाटा बेस तथा जीआईएस को पूरा कर लिया गया तथा इसका उद्घाटन भारत सरकार के कोयला सचिव द्वारा किया गया।

विभिन्न स्टेकहोल्डर कोलफील्डों की सूचना इकट्ठा करने के लिए इस साइट का इस्तेमाल कर सकते है।

5. परियोजना रिपोर्ट :

12वीं योजना के लिए 126 परियोजनाओं की पहचान की गई, परिणामस्वरूप लगभग 438 एमटी क्षमता में वृद्धि हुई जिसके मुकाबले 333 एम टी अतिरिक्त क्षमता वाली 100 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 75 एमटी की अतिरिक्त क्षमता वाली 29 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। लगभग 105 एमटी अतिरिक्त क्षमता वाली शेष 26 परियोजना रिपोर्ट 12वीं योजना के बाद के वर्षों में तैयार की जाएगी।

6. प्रयोगशालाओं का उन्नयन :

आपकी कंपनी में इस वर्ष भी प्रयोगशालाओं के उन्नयन का कार्य जारी रहा। क्षेत्रीय संस्थान–1 तथा क्षेत्रीय संस्थान– 6 में एटोमिक अबजार्पशन स्पेक्ट्रोमीटर (एसएस) प्राप्त कर लिया गया है और इसे संस्थापित किया जा रहा है। पहले से ही विद्यमान आधुनिकतम (स्टेट–आफ–दि–आर्ट) सीबीएम प्रयोगशाला को शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने हेतु टीओसी (होटल ऑर्गेनिक कार्बन) एनालाइजर से जोड़ा जा रहा है। यद्धपि प्रयोगशाला में की गई क्षमता वृद्धि निकट भविष्य में परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त लगता है, तथापि दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में कोयला उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे और विस्तार का प्रयास आवश्यक हो जाएगा।

7. श्रमशक्ति की भर्ती :

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के बढ़े हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर श्रमशक्ति की आवश्यकता पर विचार किया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न विधाओं (डिसिप्लिन) के 134 प्रबंधन प्रशिक्षु (एमटी) की कुल आवश्यकता में से 143 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सीएमपीडीआई में पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार, कर्मचारियों को कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों से मँगाने के साथ–साथ बाहरी भर्ती की गयी है। तथापि, संख्या की दृष्टि से विशेषज्ञों के स्तर कायम रखने के लिए यह सतत प्रक्रिया है।

8. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तथा भू–उपयोग/ वनस्पति आच्छादन :

वर्ष 2008 से प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (समेकित) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह निगरानी प्रणाली की शुरूआत की गई है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर से कम उत्पादन क्षमता वाली कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान हाई रिज्योल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 90 खुली खान परियोजनाओं (5 मिलियन घन मीटर प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाली 50 खुली खान सहित) की भूमि पुनरूद्धार मानिटनिंग की गई। ऐसी सभी खानों की भूमि पुनरूद्धार स्थिति का परिणाम पब्लिक डोमेन में कोल इंडिया लिमिटेड, सीएमपीडीआई तथा संबंधित कोयला कंपनियों की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उपग्रह आँकड़े पर आधारित 6 (छः) कोयला क्षेत्रों जैसे कर्णपूरा, वेस्ट बोकारों, ईस्ट बोकारो, बांदेर, सिंगरौली तथा कोरबा का भू–उपयोग/ वनस्पति आच्छादन का कार्य पूरा कर लिया गया।

9. कोयला वाशरी स्थापित करने के लिए सहायता :

आपकी कंपनी कोयला वाशरियों की स्थापना, खासकर रन ऑफ माइन (रोम) कोयला, प्लानिंग, वाशरियों के निर्माण एवं इसकी स्थापना, बोली प्रक्रिया की योजना (प्लानिंग) जैसे कार्यों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को सहायता देती आ रही है। यह उम्मीद की जाती है कि देश में कोयले की धुलाई की बड़े पैमाने पर आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा दी जा रही सेवाओं में तेजी लानी होगी। इसको ध्यान में रखकर क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित (ख्याति प्राप्त) संस्थानों से अभियंताओं की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, धोवन क्षमता परीक्षण आदि करने की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए उपकरण लगाकर कोयला परिष्करण प्रयोगशाला को उन्नत किया जा रहा है। धमन भट्ठी हेतु अल्प वाष्पशील हाई रेक इंडियन कोकिंग कोल के प्रभावी उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना पूरी की जा चुकी है।

10. पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2012–13 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को दी जा रही पर्यावरणिक सेवा में 30 फार्म–1 की तैयारी तथा 29 ड्राफ्ट ईएमपी का निर्माण शामिल है। आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयन्त, तालचर तथा राँची स्थित 8 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 289 परियोजनाओं/संस्थानों की पर्यावरणिक मानिटरिंग (वायु, हवा एवं ध्वनि) की गई। सीएमपीडीआई द्वारा जून, 2009 में तैयार किए गए तथा कोयला मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2009 में प्रकाशित माइन क्लोजर हेतु दिशा–निर्देश के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान 132 माइन क्लोजर प्लान तैयार किए गए। तथापि, भावी पर्यावरणिक सेवाओं की आवश्यकता तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से और अधिक कड़े शर्तों की संभावना पर विचार करते हुए हमारे द्वारा दी जा रही पर्यावरणिक सेवाओं के लिए सतत आधार पर क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

11. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत :

कुछ हद तक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), कोयला तरलीकरण (द्रवीकरण) आदि जैसी कोयला आधारित नन रिनिवेबुल ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत पर बल दिया गया है। सीबीएम संसाधन डाटा संवर्धन के लिए सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय के उन्नायक (क्षेत्रीय) गवेषण (पीआरई) के तहत सीबीएम के बारे में डाटा तैयार कर रहा है। आपकी कंपनी के लिए शेल गैस का विकास भी एक उदीयमान क्षेत्र बन कर उभरा है। पहली बार 10 करोड़ रूपए वाली डीजीएच द्वारा दिए गए कार्य के आलोक में शेल गैस ब्लॉक तथा सीबीएम राउण्ड–5 ब्लॉक पर डाटा डोजियर सौंपे गए। दोनों कार्य काफी चुनौती भरे थे तथा पहली बार किए गए थे। आपकी कंपनी के लिए कोयला आधारित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास भी कार्य के प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है। कोल माइन मिथेन के विकास को सरल बनाने के लिए कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में कोयला मंत्रालय के अनुरोध पर नवम्बर 2008 में सीएमपीडीआई, राँची में सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई। यह क्लियरिंग हाउस देश के सीबीएम/सीएमएम से संबंधित जानकारी को एकत्र करने तथा आदान–प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है तथा पब्लिक/प्राइवेट भागेदारी द्वारा भारत में सीएमएम के व्यावसायिक विकास में सहायता देता है और वित्तीय निवेश का अवसर लाता है। भारतीय सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस के सत्र को और 3 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है, जिससे ग्रीन हाउस गैस के प्रशमन तथा सीएमएम के विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयास की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता का पता चलता है।

भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नोडल एजेंसी चिह्नित किया गया है तथा कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में सीएमएम के व्यावसायिक विकास के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सीएमपीडीआई सीएमएम के परिचालन से संबंधित मुद्दे पर ध्यान रख रहा है और सीएमपीडीआई के नियमित अनुसरण में अगस्त, 2012 में दोनों मंत्रालयों के बीच इस मामले का समाधान निकाल लिया गया तथा सीएमएम के व्यावसायिक विकास शुरू करने मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस मामले में औपचारिक आदेश प्राप्त करने के बाद सीएमपीडीआई आगे की कार्रवाई करेगा जिसके लिए अपेक्षित द्वि पक्षीय क्रिया–कलाप पहले ही शुरू किया जा चुका है।

''कोयला खानों तथा गैर–खनन योग्य कोल बेड मिथेन से ग्रीन हाउस गैस की प्राप्ति तथा ऊर्जा में परिवर्तन (जीएचजी 2 ई)'' नामक बहु राष्ट्रीय बहु सांगठनिक (5 देश 12 सदस्य) के एक सहयोगात्मक सदस्य के रूप में भारत से एक मात्र चिह्नित कंपनी सीएमपीडीआई के साथ–साथ आईआईटी खड़गपुर है। जुलाई, 2012 के दौरान इम्पेरियल कॉलेज लन्दन में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में सीएमपीडीआई द्वारा दिए गए योगदान की भूरि–भूरि प्रसंशा की गई।

सीएमपीडीआई कोयला आधारित स्वच्छ ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य हेतु आइआईटी, खड़गपुर, आईएसएम, एनजीआरआई, सीआईएमएफआर इत्यादि के साथ पहले से ही लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, कई अग्रणी संगठनों जैसे ओआईएल, जीईएमआरआई, गुजरात, आरएसपीसीएल, राजस्थान तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे आईआईटी, मद्रास, आईआईटी बम्बई, राजीव गांधी इन्स्टीच्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी (आरजीआईपीटी, रायबरेली, यूपी) के साथ–साथ कई अन्य संस्थानों जैसे एनआईटी, राउरकेला, यूनिवर्सिटी आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी, देहरादून ने

क्लीन कोल टेक्नोलॉजी तथा गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधन (सीबीएम,सीएमएम,यूसीजी तथा शेल गैस) के विकास के क्षेत्र में सीएमपीडीआई के साथ मिलकर काम करने में रूचि दिखलायी है।

12. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी नॉडल एजेंसी है। विगत 38 वर्षों से सीएमपीडीआई ने तकनीकी एवं इनोवेशन के जरिए खनन उद्योग की बेहतरी के लिए कार्य किया है तथा नियमित आधार पर अनुसंधान उपलब्धियों को व्यावसायिक सफलता में बदलने के लिए कंपनियों की मदद करने के लिए उनके साथ–साथ काम किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान 9 अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना पूरी की गई। पूरी की गई परियोजनाओं में कोल माइन मिथेन (सीएमएम)/परित्यक्त माइन मिथेन (एएमएम), कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों में जीपीएस आधारित प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम, शेल/कोयले के भौतिक–यांत्रिक गुणों का कोयला क्षेत्रवार डाटा बेस का सृजन/विश्लेषण, संस्तर नियंत्रण समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिनिधिक न्यूमेरिकल मॉडल का सृजन/विश्लेषण, कार्बन डायक्सायड सिक्वेन्स्ट्रेशन के लिए कोल बेड रिकवरी प्रक्रिया का विकास एवं अनुकूलन, खानों में प्रयुक्त विस्फोटकों तथा सहायक सामग्रियों के रैंडम सेम्पलिंग तथा परीक्षण हेतु स्वदेशी औजार का विकास, कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदानों में सुरक्षित ड्रैगलाइन डम्प प्रोफाइल के लिए दिशा–निर्देश का विकास आदि शामिल है। रेडियो मेट्रिक तकनीकी का प्रयोग कर कोयला परिष्करण प्रणाली के प्रदर्शन, खुली खानों केलिए इन्टीग्रेटेड डम्पर कोलिजन एंड एवाइड सिस्टम का स्वदेशी विकास, गोंदवाना बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन, भूमिगत खानों में डिपिलरिंग कार्य के लिए सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ एज सपोर्ट का विकास ट्रेप्ड भूमिगत खान को पता लगाने तथा संसूचित करने के लिए समेकित सूचना प्रणाली आदि से संबंधित कुछ परियोजनाएँ चल रही हैं। कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास आधार को और अधिक विस्तारित करने हेतु सीएमपीडीआई पर्याप्त संसाधनों वाले–निजी संगठनों सहित अधिकाधिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को संलग्न करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। सीएमपीडीआई 13 चयनित विषयों जैसे भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम भंडार का आकलन, सीटी प्रणाली का प्रयोग का ऑन लाइन धोवन क्षमता विश्लेषण, भूमिगत खानों में रूफ फॉल तथा भूमिगत खानों में हाइवॉल विफलता के पूर्वानुमान के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम आदि के लिए रूचि के प्रदर्शन (ईओआई) आमंत्रित किया है। इसका प्रत्युत्तर उत्साहवर्धक रहा तथा इन विषयों पर अनेक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किए जा चुके हैं।

13. निगमित सामाजिक दायित्व :

आपकी कंपनी ने लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी लाने के लिए सुस्पष्ट सोच वाले सीएसआर के जरिए अपने आस–पास में रहने वाले समुदायों तथा विस्तृत समाज के साथ दृढ़ सहभागिता स्थापित की है। सीएमपीडीआई द्वारा सीएसआर के तहत सतत् विकास पर बल दिया गया है। सीएसआर के लिए प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार गत वर्ष पूर्व वर्ष के प्रतिधारित (रिटेंड) लाभ का 3.5 प्रतिशत राशि आवंटित की गई तथा जो कार्य किए गए उनमें विद्यालयों में पाठ्य सामग्री, स्कूल ड्रेस, खेल सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों, तथा समीपस्थ गाँवों में नियमित चिकित्सीय जाँच कैम्प लगाकर जरूरत मन्द व्यक्तिओं को निःशुल्क दवाएँ वितरित की गई।

14. गुणता आश्वासन के क्षेत्र में परामर्शी सेवा :

वर्ष 2012–13 के दौरान 43 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के अतिरिक्त, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली(आईएसओ 27000) तथा इसे सीएमपीडीआई के वर्तमान आईएसओ 9001 गुणता नियमावली के साथ समाकलन, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, एसए 8000 तथा आईएसओ 50001 के अनुरूप महानदी कोल फील्ड्स के लिए कंपनी स्तरीय समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) से संबंधित परामर्शी सेवाएँ दी गई। आपकी कंपनी ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के लिए आईएसओ 9001 तथा गांधी नगर केंद्रीय अस्पताल, सीसीएल के लिए एनएबीएच प्रमाणन परामर्श का कार्य शुरू किया है।

15. कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के संस्थानों को परामर्शी सेवा :

विगत के वर्षों से आपकी कंपनी ने सिर्फ कोयला एवं लिग्नाइट में बल्कि अन्य खनिजों में भी कोल इंडिया से

बाहर के ग्राहकों को परामर्शी सेवा मुहैया करा रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के एमओयू में 33.60 करोड़ रूपए का परामर्श कार्य प्राप्त करने के विरूद्ध सीएमपीडीआई ने 35.08 करोड़ रूपए का कार्यादेश प्राप्त किया है। इसमें ''तालचर एवं ईब वैली कोयला क्षेत्र के लिए व्यापक मास्टर प्लान'' तैयार करने के लिए मेसर्स ओडिसा इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (आईडीसीओ) से प्राप्त 7.62 करोड़ रूपए मूल्य का गौरवशाली परामर्श कार्य शामिल है। कोयला मंत्रालय के लिए ''वशवर्ती (केप्टिव) बिडिंग हेतु 6 (छः) गवेषित कोयला ब्लॉकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दो माह के भीतर रिकार्ड अवधि में तैयार की गयी। वर्ष 2012–13 के दौरान, 28 कार्यों के लिए 20 संगठनों (संस्थानों) को परामर्शी सेवाएँ दी गई। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थान है : हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, मैगनिज (ओर) इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. महागुज कोलियरीज लिमिटेड, मोन्नेट इस्पात एंड इनर्जी लिमिटेड, जिन्दली स्टील एंड पावर लिमिटेड आदि।

16. मान्यता एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआई के योगदान एवं महत्व को पहचाना है तथा मई, 2009 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के प्रावधान के अनुरूप इसे मिनी रत्न कंपनी (कैटगरी–2) से नवाजा है। लोक उद्यम विभाग के निर्देश में लोक उपक्रमों को अधिक प्रभावी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए नीतिगत उद्‌देश्य के रूप में लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (लोक उपक्रमों) को अधिक स्वायतता तथा शक्ति (अधिकार) स्वीकृत करने हेतु प्रावधान किया गया है। 2007–08 से 2009–10 तक ''एक्सेलेंट एमओयू कम्सीस्टेन्शली रेटिंग'' प्राप्त करने में सीएमपीडीआई की उपलब्धि (कार्यनिष्पादन) प्रतिबिम्बित हुई तथा एमओयू रेटिंग के अनुसार वर्ष 2008–09 के लिए इसे ''कोल इंडिया लिमिटेड की सर्वोत्कष्ट कार्य निष्पादक कंपनी माना (निर्णय दिया) गया। सीएमपीडीआई ने 2011–12 के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त किया है तथा इसे वर्ष 2012–13 में भी उत्कृष्ट एमओयू प्राप्त करने की उम्मीद है। आपकी कंपनी ने 24 अप्रैल, 2012 को अम्स्टेर्डम, नीदरलैंड में कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से कोयला खानों की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग जिओस्पाशियल टेक्नोलॉजी के उत्कृष्ट उपयोग के लिए ''जिओस्पाशियल वर्ल्ड एक्सेलेंस अवार्ड 2012'' प्राप्त किया है। उपर्युक्त पुरस्कार के लिए 149 नामांकन प्राप्त हुए थे जिसमें से इस ख्याति प्राप्त पुरस्कार के लिए अग्रणी (प्रबुद्ध) अन्तराष्ट्रीय पंचाट के पैनेल द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया।

17. निगमित शासन :

पब्लिक इन्टर प्राइजेज विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक इन्टर प्राइजेज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देशों में यथा अनुबद्ध कॉर्पोरेट की शर्तों का अनुपालन सीएमपीडीआई द्वारा किया जा रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक पृथक सेक्शन निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए जोड़ा गया है तथा कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकों से प्राप्त कॉर्पोरेट गवनेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आभारोक्ति :

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों तथा आफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों के हार्दिक सहयोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भविष्य में कार्य के प्रति समर्पण के दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेंगे तथा शेयर होल्डरों के विगत में सभी स्तरों पर इनके समर्पित प्रतिबद्धता एवं कार्य निष्पादन से चुनौतियों एवं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालय तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों तथा विक्रेताओं (बेन्डर) को उनके हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

ह०
ए.के. देवनाथ
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : राँची
दिनांक : 22.05.2013

उपलब्धि : एक नजर में

	विवरण	यूनिट	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	₹ करोड़ में	453.53	429.09	524.03	601.05
2	कर के पूर्व लाभ	₹ करोड़ में	19.61	23.69	30.79	29.77
3	कर के बाद लाभ	₹ करोड़ में	11.46	15.32	19.61	25.05
4	प्रतिधारित (रिटेंड) लाभ	₹ करोड़ में	11.46	15.32	19.61	25.05
5	निबल ब्लॉक	₹ करोड़ में	67.56	71.95	78.06	75.18
6	निबल मूल्य	₹ करोड़ में	73.78	87.92	110.92	134.89
7	चालू परिसंपत्तियाँ	₹ करोड़ में	417.88	409.67	466.93	580.21
8	चालू देयताएँ	₹ करोड़ में	317.26	319.66	347.72	455.15
9	कार्यशील पूँजी ख (7)–(8) ,	₹ करोड़ में	100.62	90.01	119.21	125.06
10	नियोजित पूँजी	₹ करोड़ में	168.18	161.96	197.27	200.24
11	सकल मार्जिन	₹ करोड़ में	27.30	26.51	36.68	42.61
12	संवर्धित मूल्य	₹ करोड़ में	10.48	10.31	16.95	22.59
13	कर्मचारियों की संख्या	नम्बर	3156	3102	3129	3142
14	प्रति कर्मचारी संवर्धित मूल्य	₹ हजार में	33.21	33.24	54.17	71.90
15	रिर्टन नियोजित मूल्य	₹ करोड़ में	11.66	14.63	15.61	14.87
16	प्रति शेयर फेस वैल्यू	रूपया	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
17	प्रति शेयर उपार्जन	रूपया	602.00	805.00	1030.00	1316.00

नोट :

1. निबल मूल्य (वर्थ = प्रदत्त पूँजी + आरक्षित एवं अधिशेष–संचित हानि (घाटा) एवं आस्थगित राजस्व व्यय
2. नियोजित पूँजी = निबल ब्लाक+कार्यशील पूँजी
3. नियोजित पूँजी = निबल ब्लाक+कार्यशील पूँजी
4. संवर्धित मूल्य = सकल भार्जिन–नियोजित पूँजी का 10 प्रतिशत

वित्तीय सांख्यिकी

₹ करोड़ में

	31.03.13 के अनुसार		31.03.13 के अनुसार		31.03.13 के अनुसार		31.03.13 के अनुसार	
निधि के स्रोत								
इक्विटी एवं देयता								
शेयर होल्डर का कोष								
अ) शेयर पूंजी	19.04		19.04		19.04		19.04	
ब) आरक्षित एवं अधिशेष	115.85		91.88		68.88		54.74	
		134.89		110.92		87.92		73.78
गैर चालू देयता								
अ) दीर्घकालीन उधारी	-		-		-		-	
ब) आस्थगित कर देयता(निबल)	-		-		-		-	
स) अन्य दीघकालीन देयता	-		-		-		-	
द) दीर्घकालीन प्रावधान	173.02		170.40		141.71		154.83	
		173.02		170.40		141.71		154.83
चालू देयताएँ								
अ) अल्पकाली उधारी	-		-		-		-	
ब) ट्रेड देय	32.43		33.45		22.95		39.87	
स) अन्य चालू देयताएँ	226.90		161.43		125.39		166.17	
द) दीर्घकालीन प्रावधान	195.82		152.84		171.32		111.22	
		455.15		347.72		319.66		317.26
कुल		**763.06**		**629.04**		**549.29**		**545.87**
निधि के उपयोग								
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ								
(अ) अचल परिसम्पत्तियाँ								
1. टैन्जीबुल परिसम्पत्तियाँ–सकल ब्लॉक	181.85		177.77		165.93		155.31	
घटाकर : मूल्य ह्रास, क्षति एवं प्रावधान	106.67		99.71		93.98		87.75	
नेट कैरिंग वैल्यू		75.18		78.06		71.95		67.56
2) इन टेन्जीबुल परिसम्पत्तियाँ –सकल ब्लॉक	5.61		5.20		4.05		2.23	
घटाकर : मूल्य ह्रास, क्षति एवं प्रावधान	5.61		5.20		4.05		2.23	
नेट कैरिंग वैल्यू		-		-		-		-
3) पूँजीगत चालू कार्य		11.37		11.52		5.64		2.58
4) विकाशसील इन्टेजीबुल परिसम्पत्तियाँ		-		-		-		
(अ) गैर चालू निवेश		-		-		-		
(ब)आस्थगित परिसम्पत्तियाँ(नेट)		95.54		71.67		59.91		54.51
(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम		0.74		0.84		2.10		3.32
(द) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ		0.02		0.02		0.02		0.02
चालू परिसम्पत्तियाँ								
(क) चालू निवेश	.		.		-		-	
(ख) वस्तु सूची	6.04		6.77		6.77		6.29	
(ग) प्राप्य ट्रेड	323.80		246.92		190.46		275.87	
(घ) नकद एवं नकद समतुल्य	117.89		61.21		61.04		69.24	
(ड.) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	132.43		151.98		151.35		66.43	
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	0.05		0.05		0.05		0.05	
		580.21		466.93		409.67		417.88
कुल		**763.06**		**629.04**		**549.29**		**545.87**

वित्तीय सांख्यिकी

करोड़ रू. में

	31.03.13 को समाप्त हुए वर्ष के आँकड़े	31.03.12 को समाप्त हुए वर्ष के आँकड़े	31.03.11 को समाप्त हुए वर्ष के आँकड़े	31.03.10 को समाप्त हुए वर्ष के आँकड़े
आय				
कोयले की बिक्री				
घटाकर : सीमा शुल्क				
अन्य लेवी				
परिचालन से प्राप्त राजस्व	601.05	524.03	429.09	453.53
अन्य आय	4.16	4.69	4.46	3.72
कुल राजस्व	**605.21**	**528.72**	**433.55**	**457.25**
व्यय				
उपभोग की गई सामग्रियों का मूल्य	15.28	16.67	15.77	12.37
चालू परिष्कृत सामग्रियों की वस्तु–सूची में परिवर्त्तन तथा स्टाक इन ट्रेड	-	-	-	-
कर्मचारी लाभ / खर्च	367.72	340.08	269.75	290.92
बिजली एवं ईंधन	2.10	2.24	2.07	2.30
कल्याण खर्च	19.37	3.48	10.79	8.84
मरम्मत	13.58	9.61	11.11	13.53
संविदात्मक व्यय	114.13	93.00	76.55	77.16
वित्तीय लागत	0.09	0.00	0.03	0.26
मुल्य ह्रास / एमोर्टाइजेशन / इम्पेयरमन्ट	7.56	6.74	5.48	4.84
प्रावधान	0.39	(0.52)	(3.21)	0.21
बट्टे खाते डाला गया	-	0.08	0.43	-
ओवर बर्डेन रिमूवल समायोजन	-			
अन्य खर्च	30.03	27.40	23.78	24.62
कुल खर्च	**570.25**	**498.78**	**412.55**	**435.05**
आपवादिक एवं असाधारण मद एवं कर के पहले लाभ / हानि	**34.96**	**29.94**	**21.00**	**22.20**
पूर्व अवधि समायोजन {प्रभार / (आय)}	5.19	(0.85)	(2.69)	2.59
आपवादिक मद				
असाधारण मद एवं कर के पहले लाभ / (हानि)	**29.77**	**30.79**	**23.69**	**19.61**
असाधारण मद {प्रभार / (आय)}	-	-	-	-
कर के पहले लाभ / (हानि)	**29.77**	**30.79**	**23.69**	**19.61**
घटाकर : कर व्यय				
–चालू वर्ष	28.58	22.97	13.22	21.04
–आस्थगित कर	(23.86)	(11.76)	(5.40)	(10.93)
–पूर्व के वर्ष	-	(0.03)	0.55	(1.96)
अवधि के लिए लाभ / (हानि)	**25.05**	**19.61**	**15.32**	**11.46**
प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन(में)				
प्रति शेयर एक हजार रूपये का फेस वैल्यू				
(1) मूल (₹.में)	**1316.00**	**1030.00**	**805.00**	**602.00**
(2) डाइलूटेड(₹.में)	**1316.00**	**1030.00**	**805.00**	**602.00**

सीएमपीडीआई का वित्तीय विश्लेषण

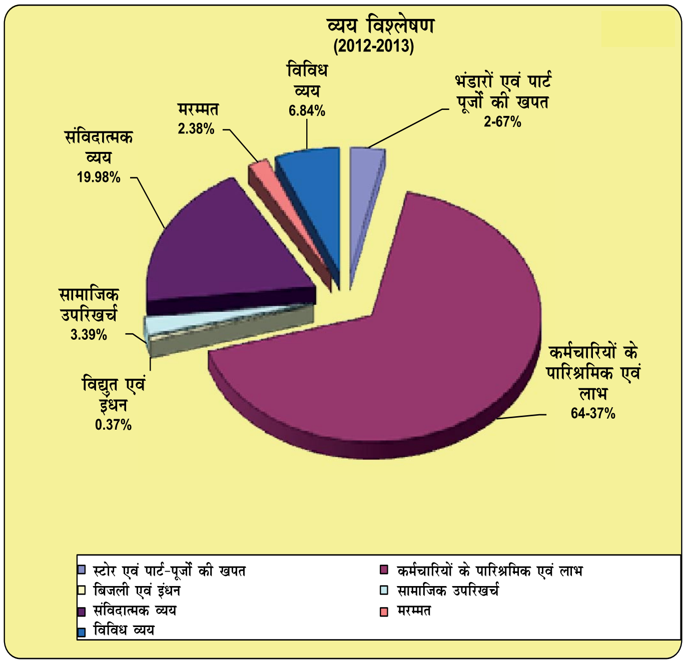

व्यय	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)
भंडार एवं पूर्जों की खपत	15.28
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभ	367.72
विद्युत एवं इंधन	2.10
सामाजिक उपरिखर्च	19.37
संविदात्मक व्यय	114.13
मरम्मत	13.58
विविध व्यय	39.10
कुल खर्च	**571.28**

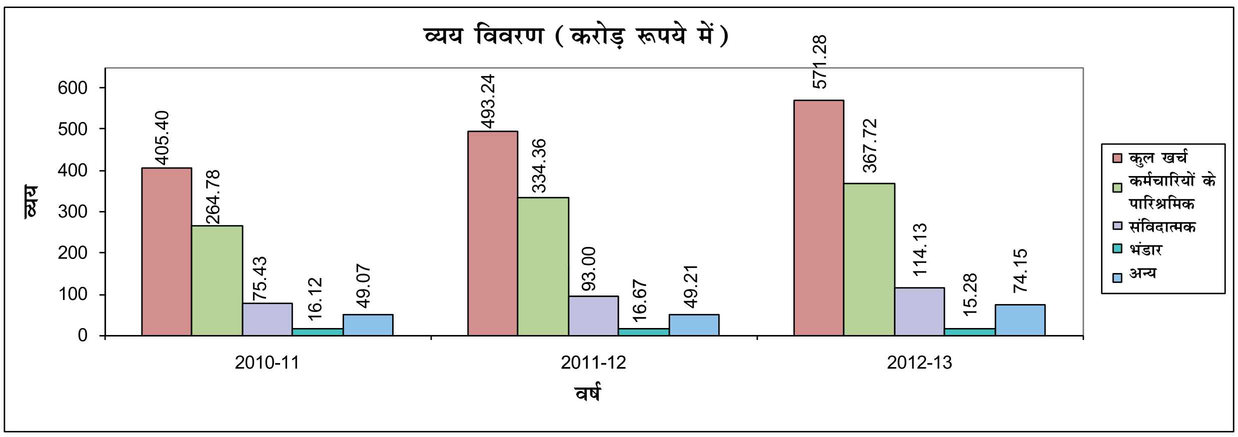

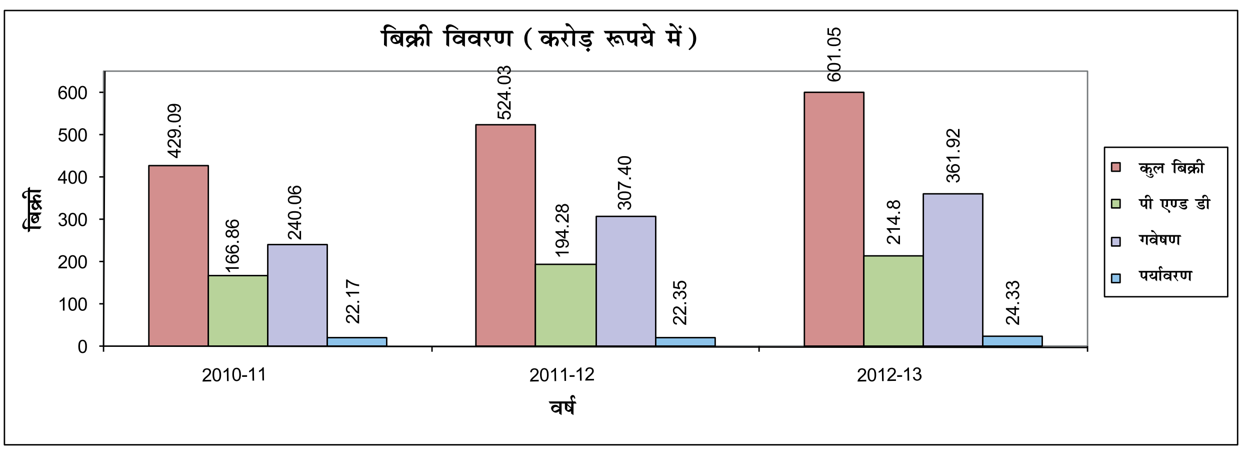

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवेक्षण

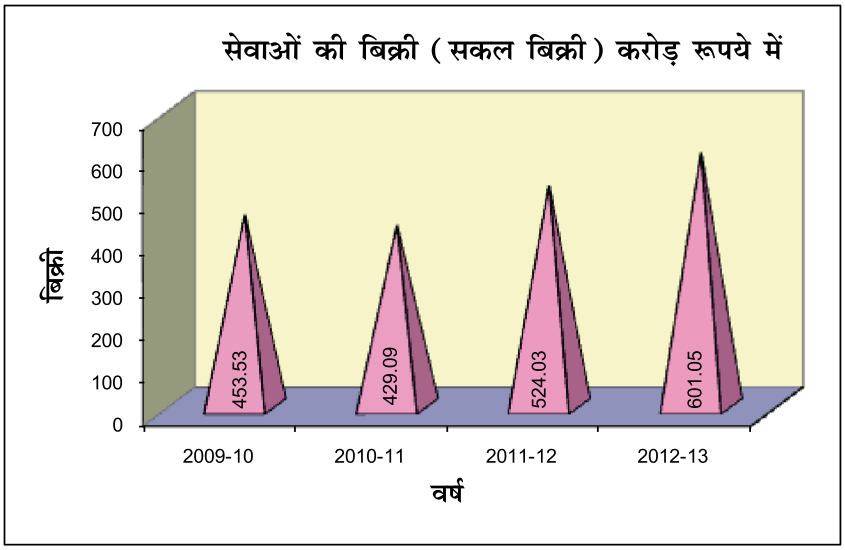

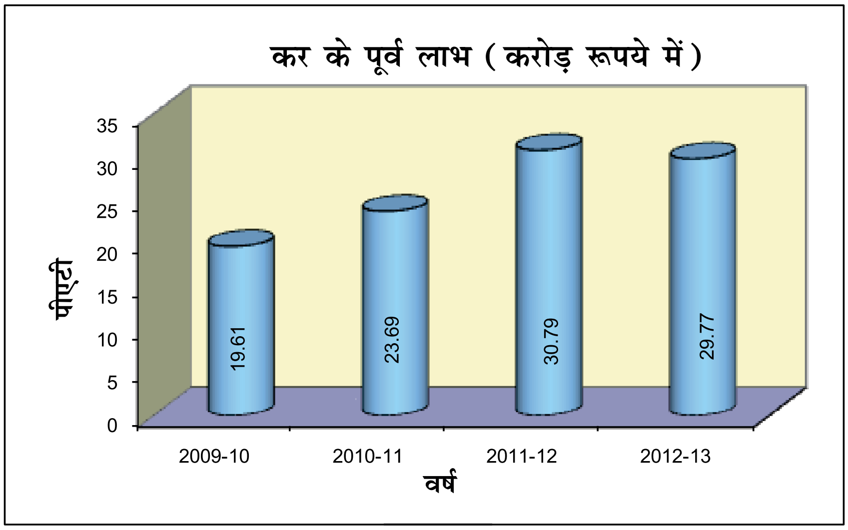

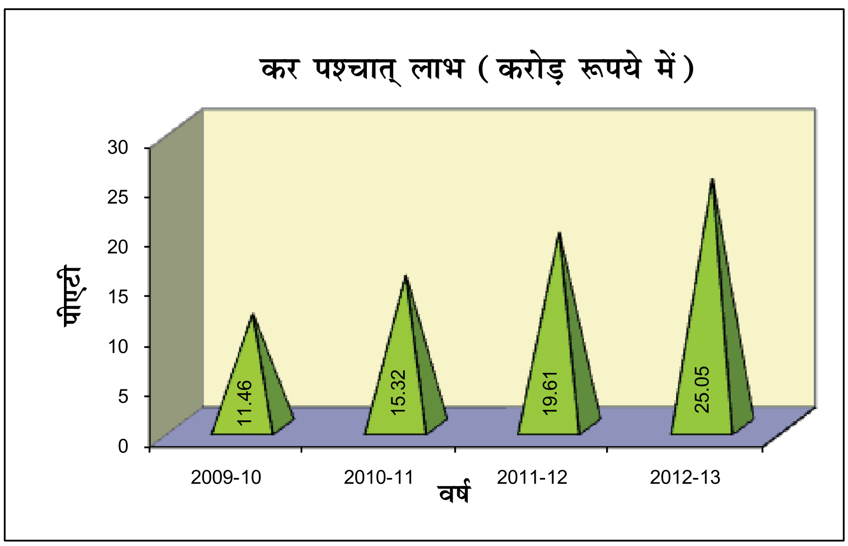

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवेक्षण

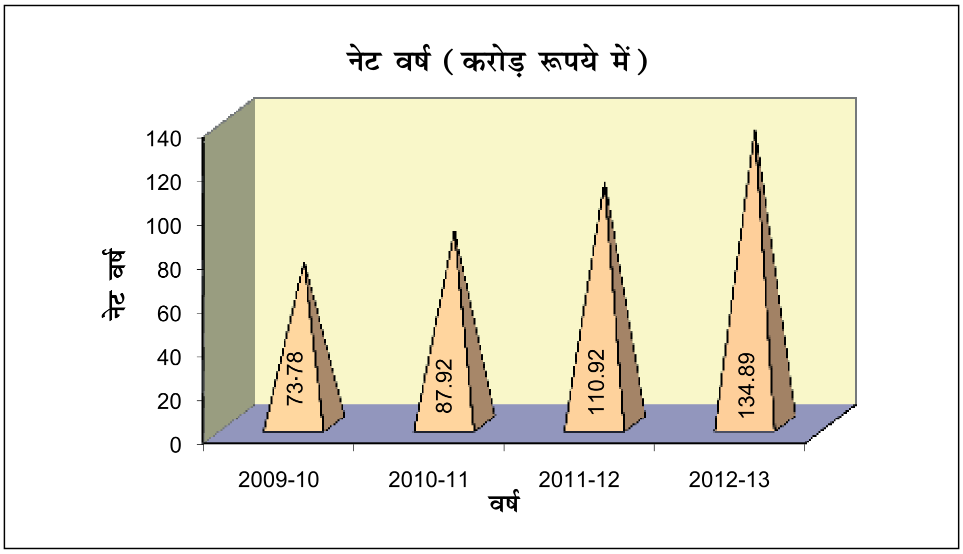

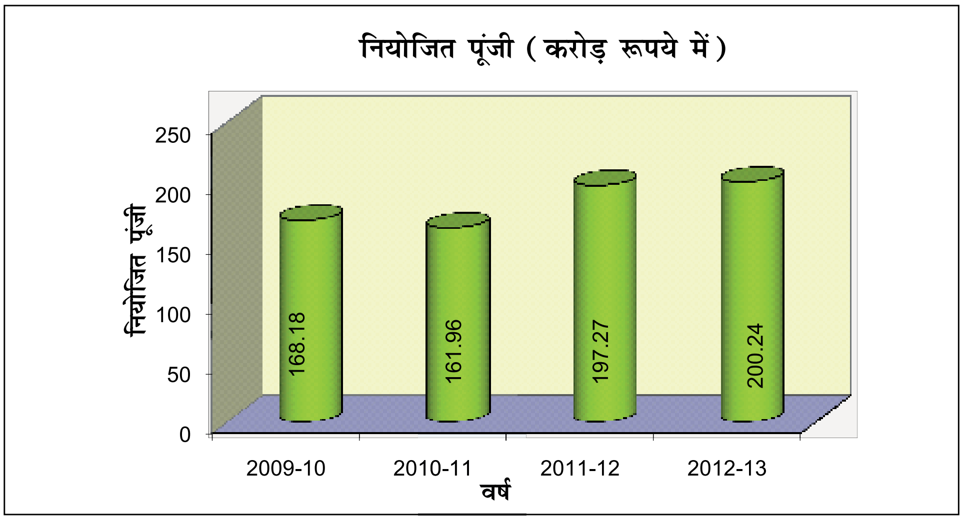

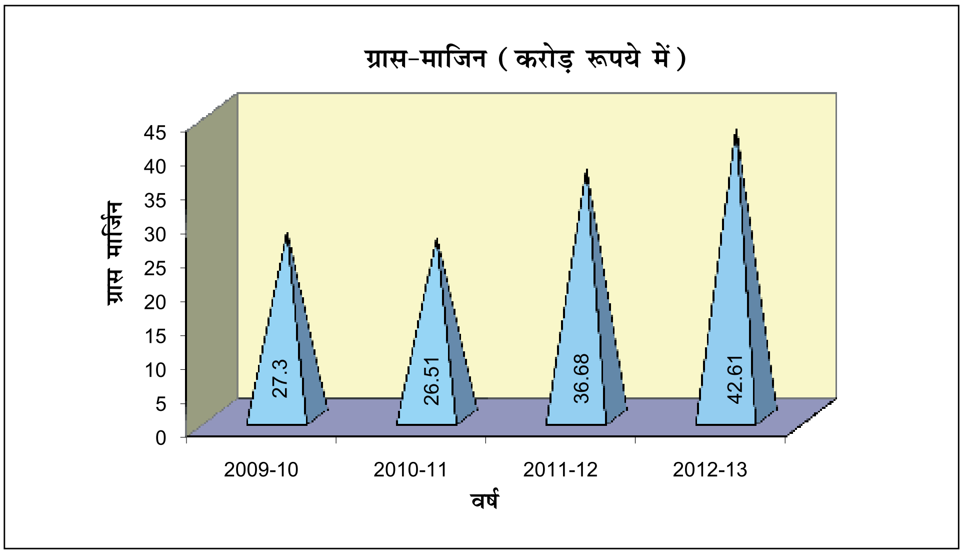

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवेक्षण

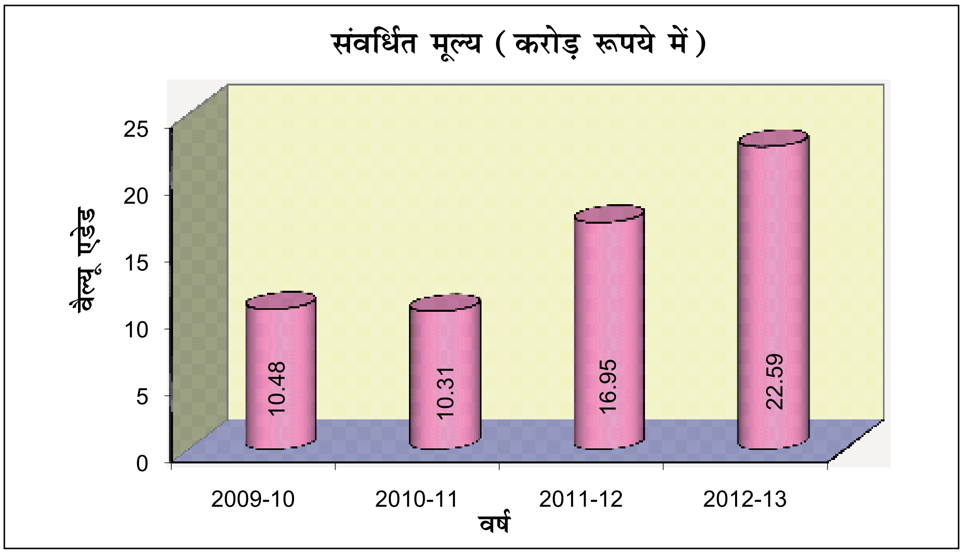

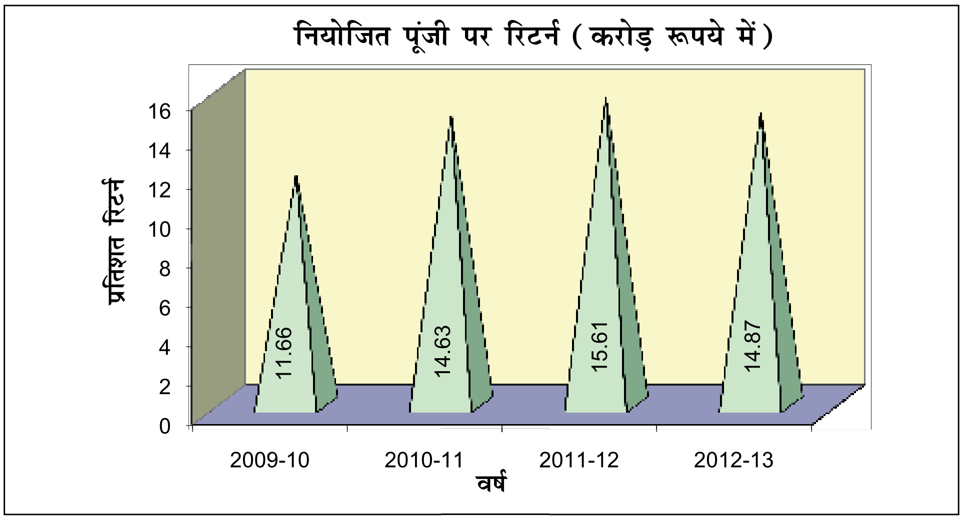

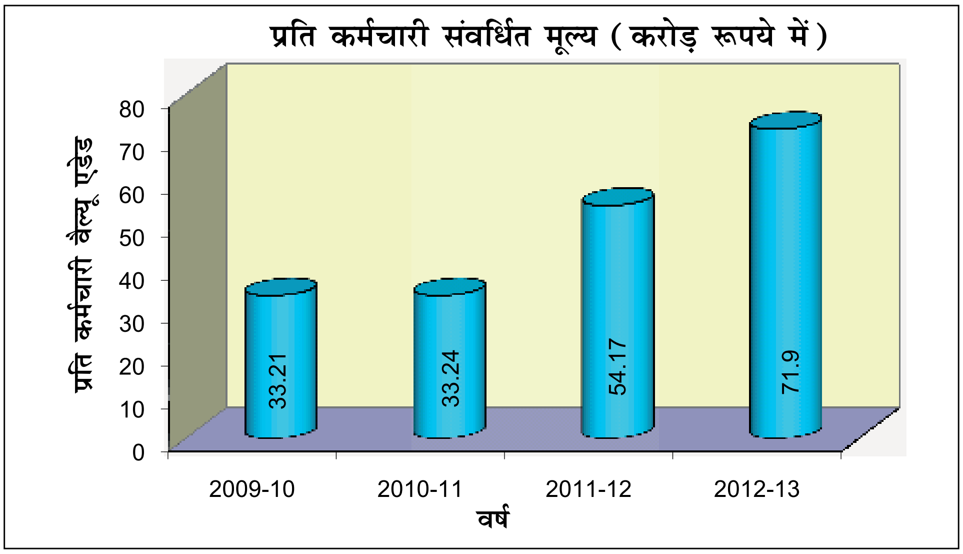

निदेशक – मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,
अंशधारक,
सज्जनों,

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया–कलापों पर आधारित 38 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग–क

1.0 निगमित पर्यवलोकन :

आपकी मिनी रत्न कंपनी गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातो क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.–1) बीसीसीएल (क्षे.सं.2), सीसीएल (क्षे.सं.3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4) एसईसीएल (क्षे. सं.5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल, भुवनेश्वर, (क्षेत्रीय संस्थान–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देते रहे। कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय) एनईसी तथा सीआईएल से बाहर के ग्राहकों जैसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, मैगनिज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसीटी ऑथोरिटी, स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महागुज कोलियरी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, लिमिटेड नियवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, ओडिसा माइनिंग कारपोरेशन, बैतरनी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, ओडिसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, महान कोल लिमिटेड आदि को परामर्शी सेवाएँ दी गई।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ :

- **भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :**
  विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक एवं भू–अभियांत्रिकी डाटा तैयार करने तथा खनन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वस्थाने (इन–सिटु) कोयला भंडार का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर (रिजनली) गवेषित ब्लॉकों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोब जिओफिजिकल लॉगिंग के जरिए भू–भौतिक सर्वेक्षण, हाई रिज्योल्यूशन सिसमिक सर्वेक्षण, जल–भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधन की पहचान।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**
  भूमिगत एवं खुली खदानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राईंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोयला एवं खनिज परिष्करण तथा उपयोग संयंत्र, कोल हैंडलिंग प्लांट, कर्मशाला तथा अन्य आनुशंगिक इकाइयों तथा निवेश निर्णय के लिए विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत संरचनाओं की तैयारी।

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**
  खानों, परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, कर्मशालाओं एवं अन्य इकाइयों, वास्तुशिल्पीय (आर्किटेक्चरल) प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए प्रणाली एवं उप–प्रणाली का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**
  कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं तथा कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत सभी अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए नॉडल एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करना। खनन, परिष्करण, उपयोग पर्यावरण, गवेषण आदि के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का कार्य भी सीएमपीडीआई खुद करता है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ :**
  पूर्णतः सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला द्वारा खान की गैसे, कोयला कोर नमूने, एनडीटी, वायु, जल, कोयले की धोवन क्षमता गुण, संस्तर की भौतिक एवं यांत्रिक क्षमता, पेट्रोग्राफी आदि का गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है।

- **पर्यावरणिक सेवाएँ :**
  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग और सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू प्रयोगशाला में वायु, जल एवं ध्वनि का विश्लेषण, पूरे कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के लिए भू–उपयोग मानिटरिंग हेतु सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़े का उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ**
  - ✓ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ✓ खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण
  - ✓ नियंत्रित विस्फोटन
  - ✓ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ✓ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ✓ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ✓ खान थम्हाल का डिजाइन, रॉक मास रेटिंग(आरएमआर)
  - ✓ अनााक परीक्षण(एनडीटी)
  - ✓ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ✓ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 25.05 करोड़ रूपए (आस्थगित कर के बाद) निबल लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया जा रहा है :

बिक्री		करोड रू. में
घटाकरः कुल निबल व्यय		601.05
पीपी समायोजन एवं कर के पहले लाभ		566.09
घटाकरः पूर्व अवधि (पीपी) समायोजन		34.96
[डेबिट (+)/क्रेडिट(–)]		5.19
कराधान के पहले लाभ		
आयकर के लिए प्रावधान		29.77
घटाकरः चालू अवधि के लिए जोड़करः आस्थगित कर के लिए पूर्व के वर्ष के लिए	28.58 (–) 23.86	
		4.72
कर के बाद निबल लाभ		25.05

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट का प्रबंधन कंपनी के कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण को शामिल कर अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

1.3.1 कंपनी का विजन :

विस्तृत होती हुई भू सम्पदा क्षेत्र तथा सम्बद्ध व्यावसायिक क्रिया–कलाप में वैश्विक मार्केट लीडर बनना।

1.3.2 सीएमपीडीआई का मिशन :

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्र में संपूर्ण परामर्शी सेवा देना।

1.3.3 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य की ओर अग्रसर होना (स्थापित करना)।

सीएमपीडीआई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. कोयला एवं खनिज गवेषण के साथ–साथ भू–वैज्ञानिक भू–भौतिक, जल–भू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक डाटा तैयार करने में संपूर्ण सहायता देना।
2. अनुकूलतम खनन योजना (माइन प्लानिंग) के लिए उच्चतर विश्वसनीयता स्तर प्रदान करने के लिए गवेषण की गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादकता में सुधार लाकर अपव्यय/बर्बादी (अपशिष्ट) को रोककर तथा पर्याप्त आंतरिक संसाधन लगाकर गवेषण की गुणवत्ता में सुधार लाना।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों आदि के लिए परियोजना आयोजना (प्लानिंग) एवं डिजाइन।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. सूचना नेटवर्क के जरिए प्रौद्योगिकी संबंधित जानकारी (सूचना) आत्मसात करना तथा प्रसारित करना।
7. कोयला खनन तथा संबद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा माइन क्लोजर प्लान बनाना।

8. भूमि पुनरूद्धार मॉनिटरिंग, पर्यावरणिक आँकड़ों का सृजन, भू–आच्छादन मानचित्रण, कोल माइन फायर मैपिंग, कोयला क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर स्थलाकृतिक मानचित्रण आधारभूत संरचनात्मक योजना सहित टीपीएस तथा वाशरी की जगह का चयन।
9. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
10. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त से इतर के संगठनों का परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.4 सीएमपीडीआई के क्रिया–कलापों का संक्षिप्त विवरण

- सीएमपीडीआई के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

  (क) भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा–स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का कोर फंक्शन रहा है, जो खनिज भंडारों के लिए निम्नलिखित सेवा देता है :
- प्लानिंग तथा गवेषण का क्रियान्वयन
- निवेश तथा गवेषण निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

  (ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ– स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का दूसरा प्रमुख कार्य होने के नाते यह खनन, परिष्करण, उपयोग तथा अन्य आधारभूत सुविधा तथा अभियंत्रण परियोजनओं के निर्माण एवं संचालन के लिए निम्नलिखित सेवाएँ देता है :
- अवधारणात्मक (कंसेप्चुअल)/पूर्व संभाव्यता/संभाव्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट तथा मूलभूत और विस्तृत अभियंत्रण डिजाइन निर्माण और/या मूल्यांकन।
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

  (ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ– 1992 से अब तक प्रस्ताव के तहत, इसमें आयोजना (प्लानिंग) एवं परिचालन के दौरान माइन क्लोजर प्लानिंग, प्रयोगशाला एवं परीक्षण सहायता सहित पर्यावरण प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को संपूर्ण सहायता देना शामिल है।
- कोल इंडिया लिमिटेड की सभी बड़ी खुली खदानों की उपग्रह निगरानी के जरिए वार्षिक आधार पर भू–उपयोग मानिटरिंग की जा रही है।

  (घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ : 1997 से प्रस्ताव के तहत इसमे मानक प्रबंधन प्रणाली के सृजन, कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए संपूर्ण परामर्शी तथा सहायता सेवा शामिल है। इस प्रबंधन प्रणाली में आईएसओ 9001 गुणता प्रबंधन प्रणाली तथा इसका उद्योग के आधार पर रूपान्तरण, आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन तथा एसए 8000 सामाजिक दायित्व प्रबंधन आदि शामिल है।

  (ड.) मानव संसाधन विकासः 1976 से इस प्रस्ताव के तहत बाजार के ग्राहकों, खासकर खनिज एवं खनन क्षेत्र के ग्राहकों को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी, प्रबंधकीय तथा प्रबंधन प्रणाली शामिल है।

  (च) विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँः सुदूर संवेदन, खानों में गैस एवं संवातन, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, कोयला एवं ओबीआर आदि की मॉंप

1.3.5 प्रचलित कोयला उद्योग पर्यावरण के लिए सीएमपीडीआई की भूमिका :

विश्व की बिजली आवश्यकता का लगभग 40 प्रतिशत कोयला द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तेल के बाद कोयला प्राथमिक ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत है। 21वीं सदी के आरंभ से ही कोयला वैश्विक ऊर्जा का सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला स्रोत है। विश्व में तेल के बाद यह प्राथमिक ऊर्जा का दूसरा स्रोत है तथा बिजली उत्पादन का पहला स्रोत है। वैश्विक कोयला खपत में वृद्धि मुख्यतः विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत एवं चीन द्वारा किया जा रहा है।

भारत में आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास पुष्ट रहना जारी रहेगा। मिश्रित ऊर्जा में कोयला मुख्य ईंधन है तथा चूंकि आर्थिक वृद्धि तथा ऊर्जा के उपयोग में अत्यधिक संह–सम्बद्ध है, इसलिए निकट भविष्य में कोयले की माँग की संभावना बढ़ेगी। कोयला मंत्रालय की (मार्च, 2012) के 12वीं योजना (2012–17) दस्तावेज से यह पता चलता है कि 12वीं योजना के अंतिम वर्ष यानि 2016–17 में 0.79 के सीएजीआर की दर पर कोयले की माँग 980. 50 हो जाएगा। 2016–17 में पूरे भारत में घरेलू कोयला उत्पादन 795 मिलियन टन (कोल इंडिया लिमिटेड के लिए 615 एमटी) होने की संभावना है। इस प्रकार 2016–17 तक माँग एवं घरेलू आपूर्ति में अंतर 185.5 मि.ट. होने की संभावना है। 12वीं योजना अवधि के बाद भी लम्बे परिप्रेक्ष्य में डिमांड रिस्ट्रिक्शन के कारण निकट भविष्य में कोयला उत्पादन अधिक होने की संभावना नहीं है।

दूसरी ओर कोयले की भारी माँग से कोयला उत्पादन में वृद्धि करना संभव हो जाएगा। 80 के दशक में 70 एमटी से 2012–13 तक लगभग 452 एमटी कोयला उत्पादन में हुई वृद्धि में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अदा की गई भूमिका तथा बाधाओं जैसे अविकसित आधारभूत सुविधा सहित रेलवे द्वारा खराब इवैक्यूएशन लाजिस्टिक, जिससे पर्याप्त पीट हेड भंडार के बावजूद देश में फैले विभिन्न विद्युत संयंत्र तक कोयले की ढुलाई में समस्या उत्पन्न होती रही है, समय पर वन क्लियरेंस नहीं मिलने, आरएंडआर तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या पर ध्यान दिए बिना प्रायः विद्युत क्षेत्रों में कोयले की कमी के लिए देश में 81 प्रतिशत कोयला उत्पादन करने वाला कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिका समीक्षा के दायरे में आ जाता है। यहाँ तक कि विगत के वर्षों में जिन वशवर्ती (केप्टिव) कोयला उत्पादकों को पर्याप्त कोयला भंडार आवंटित किया गया है उनके अपर्याप्त एवं सही ढंग से कार्य निष्पादन नहीं होने के लिए भी कोल इंडिया लिमिटेड आलोचना के दायरे में आ जाता है। वर्तमान में भारत स्टीम कोयले के आयात के लिए मुख्यतः इंडोनेसिया तथा साउथ अफ्रिका तथा कोकिंग कोल के लिए आस्ट्रेलिया, अमेरिका, तथा साउथ अफ्रिका पर निर्भर है। तथापि, आस्ट्रेलिया तथा इंडोनेसिया में नया नियामक परिदृश्य कोयले के मूल्य वृद्धि पर प्रतिबिम्बित होता है इसके कारण आपूर्ति के लिए मोजांबिक एवं अन्य जैसे नए मार्ग की पहचान करने में गहन प्रयास की जरूरत है। इंडोनेसिया, दक्षिणी अफ्रिका तथा आस्ट्रेलिया के इतर (बाहर) के कोयला आयात के वैकल्पिक स्रोत की पहचान कर ली गई है, तथापि इन देशों (मोजाम्बिक, कोलंबिया आदि जैसे) ने देश से बाहर कोयला निर्यात के लिए आधारभूत सुविधा का अभाव, राजनीति तथा वित्तीय स्थिति में स्थायित्व की चिंता कुशल श्रमशक्ति की अनुपलब्धता आदि जैसे अनेक चुनौतियाँ है। कोयला परिसम्पति हासिल करने के अलावा मोजांम्बिक कोलंम्बिया से दीर्घकालीन सतत कोयला आयात सुनिश्चित करने के लिए आसपास की आधारभूत सुविधाओं के विकास में भारी निवेश तथा स्थिर वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सहायता आवश्यक हो गया है।

वर्ष 2013–14 के लिए विस्तृत ड्रिलिंग के लक्ष्य में पर्याप्त वृद्धि की गई है तथा वर्ष 2012–13 के दौर में 5.63 लाख मीटर की उपलब्धि स्तर से बढ़ाकर 9.0 लाख मीटर का स्तर निर्धारित किया गया है, जो 12वीं योजना अवधि के लिए लगभग 57 लाख मीटर ड्रिलिंग लक्ष्य पर विचार करते हुए 2015–16 तक प्रति वर्ष 15 लाख मीटर (4 लाख मीटर विभागीय क्षमता सहित) स्तर तक बढ़ाए जाने पर बल देने की जरूरत है। ड्रिलिंग क्षमता निर्माण करने के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति (अधिकारी तथा कर्मचारी दोनों), संयंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरण हासिल करने के लिए कोष की सहायता से सीएमपीडीआई को सशक्त किया जा रहा है। तथापि, सीएमपीडीआई तथा इसके पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाली संविदात्मक एजेंसियों द्वारा कोयलाधारक क्षेत्र में आज की तिथि तक 69 लाख मीटर विस्तृत ड्रिलिंग किया जाना बाकी है। फिर भी, जीएमआई, एमईसीएल आदि द्वारा किए जा रहे क्षेत्रीय ड्रिलिंग के जरिए विस्तृत ड्रिलिंग की इस संपूर्ण आवश्यकता में वार्षिक वृद्धि दर 15 लाख मीटर प्रतिवर्ष की अपेक्षित ड्रिलिंग दर से काफी कम है, इसी तरह विभिन्न एजेंसियों की क्षेत्रीय ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि भी आवश्यक है।

विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी होने के नाते सीएमपीडीआई को त्वरित विस्तारण के लिए गवेषण, प्लानिंग एंड डिजाइन तथा सम्बद्ध सेवाएँ देने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों में सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं की माँग है। घरेलू आपूर्ति से कोयले की माँग को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियाँ खासकर कोल इंडिया लिमिटेड के कदम से सीएमपीडीआई की सेवाओं में तेजी आएगी। यूएचवी प्रणाली में कमी का पता लगने से इस तथ्य को मान लिया गया कि गुणवत्ता में सुधार तथा उस पर प्रगति की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा यूएचवी से जीसीवी करने के कारण कोयला मूल्य निर्धारण प्रभावित हुआ। कोल प्राइसिंग से शिफ्ट प्रमाणित हुआ जो उपभोक्ताओं तक आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वागत योग्य कदम है। तथापि, इसके कारण क्रसिंग, साइजिंग, वाशिंग तथा सेंपलिंग के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करना आवश्यक हो गया है। अंततः इससे सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

इससे अतिरिक्त, संभावित सीमा तक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला आधारित गैर–नवीकृत ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत जैसे कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) तथा कोयला तरलीकरण आदि अपनाये जाने पर बल दिया जा रहा है। सीबीएम संसाधन आधार बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय के उन्नायक क्षेत्रीय गवेषण (पीआरई) के तहत आँकड़ा तैयार कर रहा है। शेल गैस का विकास भी सीएमपीडीआई के कार्य क्षेत्र के लिए उदीयमान क्षेत्र है। ब्लाकों की रूपरेखा निर्धारण, डाटा डोजियर्स के तैयारी आदि के तहत सीबीएम से सम्बद्ध डाटा तैयार करने में सीएमपीडीआई की सेवा की माँग की जा रही है। डीजीएच द्वारा दिए गए कार्य के अनुसरण में शेल गैस ब्लॉक पर डाटा डोजियर्स सीएमपीडीआई द्वारा सौंप दी गई। इसके अलावा, सीएमपीडीआई के लिए कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एक उभरता हुआ क्षेत्र है तथा आने वाले वर्षों में इसे और बढ़ने की संभावना है।

1.3.6 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन पाने के लिए अपनाई गई रणनीति, ज्ञान की गहराई तथा बजार में स्थान होने के कारण सीएमपीडीआई खनिज, खनन तथा सम्बद्ध क्षेत्र में बना हुआ है। यह अपने निगमित उद्देश्य तथा विजन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपना रहा है :

1. श्रमशक्ति, संयंत्र एवं मशीनरीको बढ़ाकर गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।
2. कोयला के अतिरिक्त अन्य खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण के नए क्षेत्र में फैलाव (विविधिकरण)।
3. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर में वृद्धि करना।
4. देश के भीतर एवं बाहर दोनों जगह रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंध।
5. उपलब्ध सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
6. परिचालन दक्षता तथा कार्यगुणवत्ता में वृद्धि।
7. निगमित संस्कृति तथा आंतरिक प्रणाली में सुधार।
8. कोयला उद्योग को प्लानिंग एवं विशेषज्ञ सहायता जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा श्रमशक्ति की भर्ती।
9. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा
10. कोयला आधारित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तथा शेल गैस का विकास

1.3.7 सीएमपीडीआई की तैयारी

सीएमपीडीआई का गवेषण कार्य 11वीं योजना अवधि तथा 12वीं योजना के पहले वर्ष में काफी तेजी से बढ़ा है। आऊटसोर्सिंग तथा विभागीय ड्रिलों के जरिए, सीएमपीडीआई 10वीं योजना अवधि (2002–07) के दौरान किए गए लगभग 10 लाख मीटर की तुलना में 11वीं योजना अवधि (2007–12) में 19.41 लाख मीटर ड्रिलिंग किया।

11वीं योजना यानि 2007–08 के प्रारंभ में किए गए 2.09 लाख की तुलना में विभागीय तथा आऊटसोर्सिंग के जरिए 2011–12 में 4.98 लाख मीटर तथा 2012–13 में 5.63 लाख मीटर ड्रिलिंग

किया गया। सीएमपीडीआई की ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि का मुख्य कारण विभागीय ड्रिलों का आधुनिकीकरण, नए यांत्रिक एवं हाइड्रोलिक ड्रिलों की प्राप्ति तथा इसकी तैनाती, मड पम्प तथा ट्रक सहित ड्रिलिंग सामग्रियों की कारगर व्यवस्था रही।

वर्ष 2013–14 के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 9.0 लाख मीटर कर दिया गया जिसे 2015–16 तक प्रति वर्ष 15 लाख मीटर तक ले जाने की आवश्यकता है (विभागीय गवेषण क्षमता बढ़ाकर 4 लाख तक किया जाना होगा)। इसके लिए ड्रिलिंग हेतु पर्याप्तसंख्या में कोयला ब्लॉक के आउटसोर्सिंग पर बल देने की आवश्यकता है। विभिन्न कोयला ब्लॉकों में एमईसीएल को प्रति वर्ष 1 लाख मीटर तक गवेषणात्मक ड्रिलिंग करने के लिए सीएमपीडीआई ने 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है।

वर्ष 2012–13 से वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 1.5 मीटर कर दिया गया है। सीएमपीडीआई ने कई दौर के राष्ट्रीय एवं वैश्विक निविदा के जरिए 2008 से निजी एजेंसियों को 26 कोल ब्लॉकों को आउससोर्स किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान विस्तृत गवेषण के लिए कोयला ब्लॉकों के आउटसोर्सिंग हेतु पुनः ई–टेण्डरिंग की गई है तथा ई–टेण्डरिंग के जरिए 10 ब्लॉकों के लिए सफलतापूर्वक कार्य प्रदान कर दिया गया है और 5 ब्लॉकों में ड्रिलिंग शुरू किया जा चुका है।

12वीं योजना के लिए कुल 126 परियोजनाओं की पहचान की गई जिसके परिणामस्वरूप लगभग 438 मि.ट. क्षमता वृद्धि हुई, जिसके विरूद्ध लगभग 333 मि.ट. क्षमता वृद्धि वाली 100 परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। विवेच्य अवधि के दौरान लगभग 75 मि.ट. क्षमता वृद्धि वाली 29 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। लगभग 105 मि.ट. अतिरिक्त क्षमता वाली शेष 26 परियोजना रिपोर्ट 12वीं योजना के बाद वाले वर्षों में तैयार की जाएगी।

सीएमपीडीआई की अधिकांश प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। आयातित उपकरणों को शामिल कर रासायनिक तथा पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को उन्नत कर इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थान स्थित प्रयोगशाला को उन्नत किया गया है तथा क्षेत्रीय संस्थान–5 में प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जबकि क्षेत्रीय संस्थान–1 तथा क्षेत्रीय संस्थान–6 की पर्यावरण प्रयोगशाला को उन्नत किया जा रहा है। क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर तथा क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद में नई पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गयाहै। रेसिन तथा सीमेंट कैपसूल परीक्षण करने के लिए खनन प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला को सक्षम बना दिया गया है। भौतिक–यांत्रिक गुण निर्धारित करने के लिए 2000 के एन क्षमता की एक हेवी ड्यूटी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम) प्राप्त कर ली गई है।

सीएमपीडीआई ने अडजार्पशन आइसोथर्म परीक्षण के लिए सुविधा स्थापित की है, जो 20 एमपीए दबाव (लगभग 2000 मीटर की गहराई का दबाव) तक की कोयला सीमों की एडजार्पशन क्षमता के परीक्षण में सक्षम है। संभवतः भारत में ऐसी क्षमता का इस तरह का पहला उपकरण है।

गवेषण, प्लानिंग एवं डिजाइन के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण के लिए अपेक्षित श्रमशक्ति का पता लगा लिया गया है। 2012–13 में विभिन्न विधाओं (डिसिप्लिन) के भर्ती किए गए कुल 134 प्रबंधन प्रशिक्षुओं में से 131 एमटी को बहाल कर सीएमपीडीआई में पदस्थापित कर दिया गया है। शेष बचे प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार, अन्य अनुषंगी कंपनियों से कर्मचारियों को मँगाया गया है तथा अतिरिक्त श्रमशक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। सीएमपीडीआई के लिए कोयला आधारित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास इसके कार्यों का प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है। बीसीसीएल की मुनिडीह परियोजना में सीएमपीडीआई द्वारा कोल माइन मिथेन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सीएमएम के परिचालन से संबंधित मुद्दों का निकट से ध्यान दिया है तथा सीएमपीडीआई के नियत निरीक्षण अगस्त, 2012 में दोनों मंत्रालयों के बीच मामले को निपटा लिया गया तथा सीएमएम के व्यावसायिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संबंध में

औपचारिक आदेश प्राप्त करने के बाद सीएमपीडीआई आगे की कार्रवाई करेगा जिसके लिए अपेक्षित द्वि पक्षीय क्रिया–कलाप शुरू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्र के 2 ब्लॉकों कैथा (सीसीएल) तथा थेसेगोरा–सी (डब्ल्यूसीएल) में यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए कदम उठाए गए तथा कोल इंडिया लिमिटेड के स्तर पर निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शेल गैस के विकास के क्षेत्र में प्रयास का प्रभाव पड़ा है तथा दामोदर घाटी एवं सोहागपुर बेसीन में संभावित शेल गैस ब्लॉक पर डाटा डोजियर्स डीजीएच को सौंप दी गई है। कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के क्षेत्रों में भी शेल गैस के विकास की संभावना का पता लगाने का कार्य सीएमपीडीआई को दिए जाने की संभावना है।

वर्ष 2008 से सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए उपग्रह निगरानी का कार्य किया जा रहा है। 5 मिलियन घन मीटर (समिश्रित) तथा इससे अधिक उत्पादन करने वाली 50 खुली खान परियोजनाओं/खानों तथा 5 मिलियन टन या इससे कम उत्पादन करने वाली (समिश्रित) 113 खुली खानों/परियोजनाओं की क्रमशः वार्षिक तथा तीन वर्षों के अंतराल पर मानिटरिंग की जा रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान, हाई रिज्योल्यूशन सैटेलाइट आँकड़े पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 90 खुली खनन परियोजनओं की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग की गई। इसके अतिरिक्त, उपग्रह आँकड़े पर आधारित 6 कोलफील्डों जैसे कर्णपूरा, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, बंदेर, सिंगरौली तथा कोरबा का भू–उपयोग/वनस्पति आच्छादन पूरा किया जा चुका है।

कोल इंडिया लिमिटेड तथा बाहरी एजेंसियों की विभिन्न कोयला खानों के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्र के प्लानिंग एवं डिजाइन के बारे में सीएमपीडीआई के पास परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए रोम कोल प्राप्ति, क्रसिंग, स्टोरिंग, रेलवे वैगन में तेजी से लदाई सुविधा से युक्त सीएचपी के मौलिक ले–आउट की तैयारी सहित सीएचपी में प्रयुक्त विभिन्न पीएएंडएम के विस्तृत विनिर्देशन तथा व्यावसायिक नियम एवं शर्त की तैयारी, निविदा प्रक्रिया, टर्न की आधार पर सीएचपी के लिए निविदा मूल्यांकन तथा एल–1 बिडरों का निर्धारण, डिजाइन/ड्राईंग, संवीक्षा तथा लेखकों के पर्यवेक्षण आदि के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है। सीएमपीडीआई 2012–13 में कृष्णशीला सीएचपी (4 एमटीवाई) के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जबकि ब्लॉक–बी सीएचपी (35 एमटीवाई) तथा जयंत इन्क्रीमेंटल सीएचपी (5 एमटीवाई) के लिए ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया जारी है। निगाही सीएचपी (5 एमटीवाई) की ई–टेंडरिंग के लिए कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। सीएमपीडीआई ने खादिया इन्क्रीमेंटल सीएचपी (6 एमटीवाई) की टेंडरिंग के लिए भावी योजना बनाई है।

रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देश के अनुसार डीजल लोकोमोटिव को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा तथा इसके बदले विद्युत लोकोमोटिव लाया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने यह कार्य सीएमपीडीआई को सौंपा है। तद्नुसार सीएमपीडीआई में यह कार्य जारी है।

वर्ष 2012–13 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को पर्यावरणिक सेवाएँ दी गई। इनमें 59 पर्यावरण प्रबंधन (30 फार्म–1 सहित) तथा 180 पर्यावरण अंकेक्षण विवरण तैयार करने का कार्य शामिल है। आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, तालचर तथा राँची स्थित आठ पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 289 परियोजनाएँ की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग (वायु जल एवं ध्वनि) की गई। सीएमपीडीआई द्वारा जून, 2009 में तैयार किए गए तथा अगस्त, 2009 में कोयला मंत्रालय द्वारा प्रकाशित माइन क्लोजर प्लान के लिए दिशा–निर्देश के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 132 माइन क्लोजर प्लान तैयार किए गए।

ओपेन पीट माइनिंग के लिए माइन ''डेवलॉपर एंड आपरेटर'' के चयन के लिए सीएमपीडीआई द्वारा ''माइन डेवलॉपर तथा आपरेटर (एमडीओ) रूट के जरिए खुली खान डेवलॉपमेंट एंड ऑपरेशन हेतु मॉडेल ग्लोबल बिड दस्तावेज तैयार किया

गया है, जो वार्षिक योजना के अनुसार विहित अवधि के लिए कोयला उत्पादन तथा ओवर बर्डेन हटाव (रिमूवल) प्राप्त करने हेतु खान के लिए वित्त व्यवस्था प्राप्ति, निर्माण, परिचालन तथा रख–रखाव करेगा। संभावित बिडरों के साथ ड्राफ्ट आरएफक्यू के साथ–साथ ड्राफ्ट आरएफपी के मुख्य बिन्दुओं पर भी विचार–विमर्श किया गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 2012–13 के दौरान 43 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के अलावा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 27000) तथा सीएमपीडीआई की वर्तमान आईएसओ 9001 गुणता नियमावली के साथ समेकित करने, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, एसए 8000 तथा आईएसओ 50001 के अनुरूप महानदी कोलफील्ड्स के लिए कंपनी स्तरीय समेकित प्रबंधन प्रणाली से संबंधित परामर्शी कार्य किए गए। आपकी कंपनी ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के लिए आईएसओ 9001 तथा गांधी नगर केंद्रीय अस्पताल, सीसीएल के लिए एनएबीएच प्रमाणन परामर्श देने का कार्य शुरू किया है।

सीएमपीडीआई ने भूमिगत तथा खुली खान कोयला एवं धातुमय खान प्लानिंग तथा सम्बद्ध कार्यों के क्षेत्र में 15 जून, 2012 को जिप्रोशाक्त, रूस के साथ एमओयू किया है।

1.4.0 सीएमपीडीआई की वित्तीय समीक्षा

विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने 25.05 करोड़ रूपए (आस्थगित कर के बाद) का निबल लाभ कमाया है। विगत तीन वर्षों के दौरान कार्य परिणाम का सारांश इस प्रकार है :

योग्यता मानदंड		सीएमपीडीआई की स्थिति		
क्र. सं.		2010–11	2011–12	2012–13
1.	कर के पूर्व लाभ (करोड़ रूपए में)	23.69	30.79	29.77
2.	कर के पश्चात् लाभ (करोड़ रूपये में)	15.32	19.61	25.05
3.	निबल मूल्य (करोड़ रूपये में)	87.92	110.92	134.89
4.	निबल मूल्य पर निबल लाभ प्रतिशत	17.42	17.68	18.57
5.	टर्न ओवर (करोड़ रूपये में)	429.09	524.03	601.05
6.	टर्न ओवर का कर पूर्व लाभ प्रतिशत	5.52	5.88	4.95

1.5.0 निगमित शासन :

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके स्टेक होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंध का एक सेट है। यह सिद्धांतयुक्त प्रक्रिया तथा संरचना उपलब्ध कराता है, जिसके जरिए कंपनी का उद्देश्य प्राप्त करने का साधन तथा कार्यनिष्पादन की मानिटरिंग की पद्धति निर्धारित की जाती है।

1.5.1 कंपनी का दर्शन :

निगमित शासन के संबंध से कंपनी का दर्शन पारदर्शिता, स्पष्टता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता, नियंत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी, प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा रिपोर्टिंग जो पूर्णतः अधिनियम और दिशा–निर्देशों के अनुरूप (कंफर्म) हो, को सुनिश्चित करना है।

निगमित शासन प्रैक्टिस को प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यान्वयन के लिए कंपनी की अच्छी तरह से परिभाषित पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- निदेशकों और वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आचार संहिता
- व्हीसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.5.2 निदेशक–मंडल :

कंपनी के व्यवसाय का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, कंपनी के निदेशकों की संख्या समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर का होना जरूरी नहीं है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक पदेन निदेशक और गैर–कार्यकारी अंशकालिक पदेन निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनकी कंपनी अधिनियम की धारा 314 के प्रावधान के तहत निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।

(क) निदेशक–मंडल का आकार :

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम से कम तीन (3) निदेशक और अधिकतम पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक, कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी अंशकालिक निदेशक या गैर कार्यकारी अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

(ख) निदेशक–मंडल का कोटिवार गठन (कम्पोजिशन) :

31 मार्च, 2013 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में दस (10) निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित चार (4) पूर्णकालिक निदेशक, दो (2) अंशकालिक कार्यकारी निदेशक तथा चार (4) अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक हैं।

31 मार्च, 2013 के अनुसार निदेशक–मंडल का गठन निम्नानुसार है :

I. पूर्णकालिक निदेशक

(क) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

1. अमल कुमार देबनाथ

(ख) <u>कार्यकारी निदेशक</u>

1. श्री बी.एन.बसु
2. श्री डी.के.घोष
3. श्री आर.के.चोपड़ा

II. सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री नागेन्द्र कुमार
2. श्री देवुलापल्ली नरसिम्हा प्रसाद

III. गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. प्रोफेसर वेदाला रमा शास्त्री
2. श्री प्रमोद कुमार मिश्रा
3. डा. मुकेश खरे
4. प्रोफेसर पी.के.जे.महापात्रा

(ग) <u>निदेशक मंडल की संख्या और तिथि जिस समय बैठक हुई</u>

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के सम्पूर्ण कार्यो की देख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान छः (6) बैठकें आयोजित की गई थी।

क्र.सं.	दिनांक	दिन	स्थान
1.	12.05.2012	शनिवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
2.	28.07.2012	शनिवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
3.	20.08.2012	सोमवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
4.	6.11.2012	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
5.	22.12.2012	शनिवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
6.	08.02.2013	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल,राँची

(घ) <u>निदेशक–मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :</u>

क्र.सं.	निदेशक	कार्यावधि में हुई बोर्ड मीटिंग की संख्या	बोर्ड की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति	31.3.2013 को अन्य बोर्ड में डायरेक्टरशीप/चेयरमैनशीप की संख्या	31.3.2013 के बोर्ड समिति के चेयरमैनशीप/डायरेक्टरशीप (सीएमपीडीआई) की संख्या
			कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री ए.के.सिंह	2	2	हाँ	–	–
2.	श्री नागेन्द्र कुमार	1	1	नहीं	4	–

क्र.सं.	निदेशक	कार्यावधि में हुई बोर्ड मीटिंग की संख्या	बोर्ड की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति	31.3.2013 को अन्य बोर्ड में डायरेक्टरशीप/ चेयरमैनशीप की संख्या	31.3.2013 के बोर्ड समिति के चेयरमैनशीप/ डायरेक्टरशीप (सीएमपीडीआई) की संख्या
3.	श्री गोपाल सिंह	2	2	नहीं	1	–
4.	श्री अमल कुमार देबनाथ	6	5	नहीं	–	1
5.	श्री बी.एन.बासु	6	3	नहीं	–	–
6.	श्री डी.के.घोष	6	6	नहीं	–	–
7.	श्री आर.के.चोपड़ा	6	6	नहीं	–	–
अशंकालिक सरकारी निदेशक						
8.	श्री डी.एन.प्रसाद	6	3	नहीं	2	1
9.	श्री नागेन्द्र कुमार	6	5	नहीं	4	–
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक						
10	प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री	6	3	नहीं	1	1
11.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	6	6	हाँ	–	2
12.	श्री मुकेश खरे	6	4	नहीं	–	2
13.	प्रो0 पी.के.जे. महापात्रा	6	4	नहीं	1	1

टिप्पणी : श्री ए.के.सिंह की बोर्ड का सदस्यता दिनांक : 01.08.2012 से प्रभावी नहीं रही।

(ङ.) **बोर्ड की मीटिंग के समक्ष पहले रखी गई सूचना**

बोर्ड कंपनी के भीतर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से आने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल है :

- पूँजीगत एवं राजस्व बजटें।
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- कंपनी के कार्य निष्पादन आवर्ती संवीक्षा।
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की आवर्ती/आवधिक समीक्षा।
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवर्ती रिपोर्ट।
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट इत्यादि।
- अंकेक्षण समिति तथा सस्टेनेबुल डेवलपमेंट समिति का कार्यवृत।
- बड़ी संवीदा/अनुबंध (कॉंट्रेक्ट/एग्रीमेंट) देना।
- निदेशकों को अन्य कंपनियों में उनके द्वारा लिए गए डारेक्टरशिप और स्थिति का प्रकटीकरण।
- कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना।

(च) **निदेशकों का संक्षिप्त विवरण :**

होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) जो विश्व भर में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है, के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुषंगी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) के वर्तमान समय में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री ए.के. देबनाथ हैं।

श्री अमल कुमार देबनाथ : (57) ने भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद, भारत से माइनिंग इंजीनियरिंग (1976) में बीटेक किया है। उन्होंने डीजीएमएस से फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी का प्रमाण पत्र हासिल किया है। कोयला खनन क्षेत्रों में उनका साढ़े तीन दशकों से भी ज्यादा का कार्यानुभव है। जिसमें सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और सीएमपीडीआई में उत्पादन और आयोजन तथा प्रबंधन में अपनी विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, सीएमपीडीआई में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (एसईसीएल) को पूर्णरूपेण गवेषण और प्लानिंग सपोर्ट देते हुए अपनी सेवाएँ दी हैं।

श्री देबनाथ सीएमपीडीआई में अपनी क्षमता के अनुरूप निदेशक (तकनीकी/आयोजन एवं अभिकल्पन) के रूप में भी कार्यरत रहे हैं तथा पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों, भूमिगत खान प्लानिंग एवं डिजाइन, परियोजना मूल्यांकन विभाग, गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति एवं ओपेनकास्ट डिविजनों की देख–रेख करते रहे। वे कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया के खानों के लिए परियोजना रिपोर्टों, पर्यावरिणक प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पर्यावरिणक प्रबंधन योजना (ईएमपी), संचालन योजना और अन्य विशेषीकृत रिपोर्टों की तैयारी के लिए उत्तरदायी रहे हैं। उनकी देख–रेख में 50 मी. ट.प्र. कुल क्षमता के लिए कुसमुण्डा हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई जो अब तक की सबसे बड़ी खान योजना है। श्री देबनाथ कंटीन्यूअस माइनर, शार्टवाल लो कैपेसिटी कंटीन्यूअस माइनर आदि जैसे हाईवाल माइनिंग, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के लिए वैश्विक बिड (बोली) की तैयारी एवं स्थलों के चयन में सहायक रहे हैं। उन्होंने कोयला निपटान संयंत्रों एवं अन्य परियोजनाओं के अद्योपांत कार्य निष्पादन के लिए कार्य देने के साथ–साथ तकनीकी और व्यवसायिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न निविदा समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उनके नेतृत्व में मैंगनीज ओर (इंडिया) लि., हिन्दुस्तान कॉंपर लि. हुटटी गोल्ड इत्यादि के लिए मेटल माइनिंग सेक्टर में वृहद परामर्शी कार्य भी शुरू किया गया। वे माइनिंग, जियोलॉजिकल एंड मेटॉलर्जिकल इंस्टीच्यूट आफ इंडिया (एमजीएमआई) के सदस्य भी हैं।

श्री ए.के.देवनाथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस/सिम्पोजिया/सेमिनारों में बड़ी मात्रा में तकनीकी पेपर प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने यूएसए, चीन, जर्मनी, स्वीडेन, साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, पोलैंड, तुर्की आदि अनेक देशों की व्यापक यात्राएँ की हैं।

श्री वैद्यनाथ बासु, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) सीएमपीडीआई, 59 (30.05.1953), एक खनन अभियंता हैं और आईएसएम, धनबाद से वर्ष 1975 में माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और डीजीएमएस, धनबाद से 1979 में प्रथम श्रेणी का माइन मैनेजर सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उन्हें उत्पादन, संविधिक क्षमता (स्टेटयूटडी कैपेसिटी) में असिस्टेंट मैनेजर और सीसीएल में लगभग 1/2 वर्षों का तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स में सांविधिक क्षमता/(स्टेट्अरी कैपेसिटी) में अंडर मैनेजर के रूप में विभिन्न योजनाओं में (कैपेसिटीज) में और अनेक क्षेत्रों में व्यापक कार्यानुभव और विशेषज्ञता हासिल है। उन्हें सीएमपीडीआई में खान आयोजन एवं अभिकल्पन में 30 वर्षों से ज्याद का गहरा अनुभव है। उन्होंने गेवरा खुली खदान (25 मि.ट. प्र.व.), दिपका खुली खान (12 मि.ट.प्र.व.) आम्रपाली खुली खदान (12 मि.ट.प्र.व.) के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी सहित परियोजना की लागत के साथ 25 मि.ट.प्र.व. क्षमता तक के खुली खदान परियोजना की योजना बनाई है तथा प्रोजेक्ट लीडर के रूप में भूमिगत, खुली खदान, ईएमपी, संचालन योजना, माइन क्लोजर प्लान सहित अनेकों परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। श्री बासु ने तकनीकी एवं व्यावसायिक मूल्यांकन के लिए निविदा समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की है, साथ ही क्षेत्रीय निदेशक के रूप में क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल,सीएमपीडीआई में कार्यरत रहे। भूविज्ञानिकी रिपोर्ट सहित प्रशासन, परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, पर्यावरणिक मॉनीटरिंग और गवेषण गतिविधियों की समग्र रूप से देख–रेख किए हैं। इस अवधि के दौरान 1000 मी. प्रति माह ड्रिलिंग क्षमता वाले प्रत्येक दो हाइड्रेस्टैटिक ड्रिल को पहली बार क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल के क्षेत्राधिकार वाले रानीगंज कोयला क्षेत्र में लागू किया है। वर्तमान में श्री बासु निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआई में काम कर रहे हैं तथा कोल रिसोर्स डेवलपमेंट का कार्य देख रहे हैं।

श्री दिलीप कुमार घोष (57), माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और वर्त्तमान में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। सीएमपीडीआई में कार्यग्रहण (ज्वाइनिंग) से पूर्व वे कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विभिन्न योग्यताओं के साथ कार्यरत थे। श्री घोष ने अपने बल पर अनेक विशिष्ट उपलब्धियाँ पाई। उन्हें पाथरखेरा क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के पीके–।। ''माइन में

वर्ष 1993–94 में बेस्ट मैनेजर'' के रूप में पुरस्कृत किया गया। इनके कार्यावधि के दौरान वर्ष 2005–06 में नौ (2) भूमिगत खानों के साथ पाथरखेरा क्षेत्र को ''डब्ल्यूसीएल का सर्वोत्तम भूमिगत क्षेत्र घोषित किया गया जहाँ वर्ष 2006–07 के दौरान 33.11 लाख टन कोयला का उत्पादन अधिक हुआ, और क्षेत्र की एलएचडी उत्पादकता डब्ल्यूसीएल में सबसे ज्यादा अर्थात 189 टीपीडी थी। इसके बाद इन्होंने बैकुण्ठपुर क्षेत्र, एसईसीएल का पदभार सम्हाला जहाँ सिर्फ उसी तरह के यंत्रीकरण (मैकेनाइजेशन) वाली भूमिगत खदाने हैं। उनके कार्यकाल के दौरान यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष सभी क्षेत्र में उन्नति करता रहा। वर्ष 2009 में चुरचा ईस्ट तथा वेस्ट को मिला दिया गया एवं दो एमटीवाई की मेगा भूमिगत परियोजना में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्‌घाटन 2009 में माननीय कोयला मंत्री ने किया। इस परियोजना में दो सेट कंटीन्यूअस माइनर लगाया गया है। वर्ष 2008–09 के लिए इस क्षेत्र को अपने ग्रूप में सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया। वर्ष 2009–10 में छमाही आधार पर इस क्षेत्र को अपने ग्रूप में एक बार पुनः सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया। वर्ष 2009–10 के अंत तक 25 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता वाली एक मेगा खुली खान परियोजना दिपका क्षेत्र में 2 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज करते हुए 24 मिलियन टन उत्पादन किया। 45000 टन प्रतिदिन क्षमता वाला उपकरण भाड़े पर लेकर सर्फेस माइन टेक्नोलाजी लगाया गया। जून, 2010 में 42 घन मीटर शॉवेल तथा 240 टी डम्पर का बड़ा एचईएमएम पैकेज शामिल किया गया। दिपका क्षेत्र को वर्ष 2009–10 के लिए अधिकतम उत्पादकता हेतु पुरस्कृत किया गया। चिरिमिरी क्षेत्र में पदभार सम्हालने के बाद श्री घोष द्वारा फोमिंग एजेंट सहित नाइट्रोजन प्रक्षालन के लिए आग के कारण पूर्व में बंद किए गए दो खदानों को खोलने की कार्रवाई की गई।

श्री राजेश कुमार चोपड़ा : (58) (16.09.55) निदेशक तकनीकी/अनुसंधान विकास एवं प्रौद्योगिकी, सीएमपीडीआई ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के तकनीकी संस्थान से खनन अभियंत्रण (1977) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा डीजीएमएस, धनबाद से फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कम्पीटेंसी हासिल की। इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (1977–82) में अपने कैरियर की शुरूआत की तथा सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य किया। इसके बाद इन्होंने वर्ष 1982 में कोल इंडिया लिमिटेड/सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–3, राँची में अपना योगदान दिया। इसके बाद जर्मनी में अंडरग्राउण्ड लाँगवाल टेक्नोलॉजी तथा एडवांस कोल माइनिंग मेथड में एक वर्ष (1985–86) का प्रशिक्षण लिया। श्री चोपड़ा ने क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर के खुली खान के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया तथा कई खुली खान जैसे : केडी हेसलाग खुली खान, परेज खुली खान, कोनार खुली खान, आम्रपाली खुली खान, अशोका खुली खान, दिपका खुली खान (20 एमटीवाई), गेवरा ओसी (25 एमटीवाई), की योजना बनाई। इन्होंने कोयला मंत्रालय(खनन) में महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक(जीएम/सीजीएम) (खनन) के पद पर अपनी सेवा देते हुए तकनीकी एवं नीतिगत मामलों में सहयोग दिए। श्री चोपड़ा ने एनसीएल तथा सिंगरौली की गवेषण एवं आयोजन (प्लानिंग) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान–6 के क्षेत्रीय निदेशक का भी दायित्व सम्हाला तथा क्रमिक वर्षों में रिकार्ड ड्रिलिंग उपलब्धि दर्ज की। वर्तमान समय में 13.01.2012 से श्री चोपड़ा निदेशक(तकनीकी) के रूप में अनुसंधान विकास विस्फोटन, कोयला प्रौद्योगिकी, सीबीएम, यूसीजी तथा खनिज परिष्करण का काम देख रहे हैं।

श्री नागेन्द्र कुमार (55) ने वर्ष 1980 में भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद में माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक–माइनिंग) में ग्रेजुएशन किया। श्री नागेन्द्र कुमार ने कनीय कार्यकारी प्रशिक्षु (जुनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी) के रूप में वर्ष 1980 में सीसीएल में ज्वाइन किया। सीसीएल में कार्यरत रहते हुए प्रथम 20 वर्षों में उन्होंने 6 वर्ष मैनेजर तथा 7 वर्ष परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य किया इसके बाद 2001 में इनका स्थानांतरण इसी पद पर ईसीएल में कर दिया गया और वर्ष 2004 में महाप्रबंधक तथा 2007 में मुख्य महाप्रबंधक का पद सम्हाला। श्री कुमार ने अपने कैरियर का अधिकांश समय कठिन भूमिगत और खुली खदानों के पुनर्गठन

(रिभाइविंग) में बिताया। उन्होंने लांगवाल उपकरण के स्वदेशीकरण में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर कई पेपर प्रस्तुत किए। उनकी हाल ही की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्पादन और सुरक्षा विश्व स्तर के अनुरूप झरिया क्षेत्र में कंटीन्यूवस माइनर का सफलतापूर्वक संचालन है। श्री कुमार एमजीएमआई, आईएमएमए और इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरर्स के सदस्य हैं। उन्होंने साऊथ अफ्रीका और चीन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया है। श्री कुमार को क्रिकेट, पुस्तक, पुराने गाने और रवीन्द्र संगीत का शौक है। उन्होंने दिनांक 01.02.2012 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का प्रभार ग्रहण किया है। इसके अलावा दिनांक : 01.11.2012 से एसईसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का (अतिरिक्त प्रभार) प्रभार भी सम्हाले हुए हैं।

श्री डी.एन.प्रसाद : उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज आफ इंजीनियरिंग से पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम क्षेणी से पास किये हुए हैं, तथा वे फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स आफ कंपीटेंसी धारक भी हैं। साथ ही उन्होंने यूके से एमबीए किया है तथा भारत के कोयला एवं ऊर्जा सेक्टर में लगभग 32 वर्षों का अनुभव उनके पास है। उनको पब्लिक सेक्टर कोल कंपनियों, कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड का 11 वर्षों का अनुभव प्राप्त है, और लगभग 21 वर्षों का अनुभव प्लानिंग कमीशन एंड मिनिस्ट्री आफ कोल भारत सरकार के ऊर्जा डिवीजन में एनर्जी, फ्यूअल कोल एंड लिग्नाइट के लिए डेवलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग में है। वर्त्तमान में वे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें निवेश निणर्य, पूंजीगत बजट बनाने, कोयला और लिग्नाइट, सीबीएम, सीएमएम के गवेषण के लिए कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का तकनीकी आर्थिकी मूल्यांकन, कोयला खान परियोजनाओं के विकास का व्यापक अनुभव है, साथ ही उनके पास जलवायु परिवर्त्तन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन/निर्धारित करना, कोयला और लिग्नाइट के लिए संभावित योजनाओं का विकास, कोल वाशिंग सहित क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का विकास, कोयला गैसीकरण, यूसीजी, सीटीएल, कोयला निस्क्रमण के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि का भी अनुभव है। उन्होंने कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न कमिटियों में योजना आयोग एवं कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया है तथा आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, आदि देशों का दौरा व्यावसायिक कार्य के सिलसिले में किए हैं। श्री प्रसाद विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला से संबंधित क्षेत्र में पॉलिसी और मुद्दे पर पेपर प्रस्तुत किए हैं। वे इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइन्स मेटल एवं जियोलाजिकल इंस्टीच्यूट आफ इंडिया (एमएमजीआई) आदि जैसे व्यावसायिक निकायों के सदस्य भी हैं।

प्रो0 वेदाला रमा शास्त्री : (54) अभियंत्रण में पीएचडी करके अप्रैल, 1997 से नेशनल इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी, कर्नाटक, सुरातकल, मंगरौल में खनन अभियंत्रण के प्रध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने विभिन्न पदों जैसे विभागाध्यक्ष, खनन अभियंत्रण (1992–1995) तथा (1999–2004) डीन (विद्यार्थी के मामले) (2004–2009), विभागाध्यक्ष, प्रशिक्षण एवं नियोजन (2008 से 11) पर काम किया। ये इन्स्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के फेलो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव / इंजीनियर्स, रॉक मेकनिक एंड टेनेलिंग टेक्नोलाजी की आईएनटी सोसाइटी के आजीवन सदस्य, माइनिंग इंजीनियर्स ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य तथा इंडियन सोसाईटी ऑफ एजुकेशन के आजीवन सदस्य हैं। खान आयोजना, राक मेकेनिक्स तथा पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र के ये विशेषज्ञ हैं। इनकी रूचि खनन के अलावे पाइपलाइन परियोजना पोर्ट में ड्रेगिंग परियोजना तक है। 17 अनुसंधान परियोजनाओं, 105 से अधिक उद्योग प्रायोजित परामर्श परियोजनाओं, 130 से अधिक अनुसंधान प्रकाशनों का श्रेय श्री शास्त्री को जाता है। इन्होंने अनुसंधानात्मक विचार–विमर्श के लिए अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों की यात्राएँ की है। प्रो0 वी0आर0 शास्त्री, सेंट्रल प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट, राँची तथा के.आई.ओ.सी.एल. लि. (भारत सरकार), बंगलुरू के निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं।

डा0 मुकेश खरे: इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, दिल्ली, भारत में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्राध्यापक हैं। इन्होंने 1989 में न्यू कैसल अपॉन–तामने–अपॉन–तामने, यू0के0विश्वविद्यालय से फैकल्टी ऑफ इंजनियरिंग (वायु गुणवत्ता में विशेषज्ञता) में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने आज की तिथि तक रेफरीड प्रोफेशनल जनरल में 140 से अधिक रेफरीड आलेख, 04 पुस्तकें, मॉडेलिंग वेस्किुलर एक्जास्ट इमिशन, डब्ल्यू आई टी प्रेस, यूके वेहिकुलर पोल्यूशन मॉडेलिंग में आर्टिफिशयल न्यूट्रल नेटवर्क स्प्रीगर, यूएसए, अल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, पर्यावरणिक स्वास्थ्य तथा अभियंत्रण परिप्रेक्ष्य, लान रैंडल, जमाइका, वीआईटी प्रेस, यूके तथा एलेगिर, यूएसए द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, बुकलेट में 6 अध्यायों का योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसियों तथा निजी उद्योगों के लिए किये गए अनुसंधान/परामर्श सेवाओं पर 40 तकनीकी रिपोर्टे प्रकाशित की है। प्रो0 खरे कई सरकारी मंत्रालयों के अनुदान कार्यक्रम तथा राज्यों के अनुदान कार्यक्रम के अग्रणी समीक्षक तथा एनसीटी, दिल्ली सरकार तथा राज्यों के अनुदान कार्यक्रम के अग्रणी समीक्षक तथा एनसीटी, दिल्ली सरकार तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्शदाता/सलाहकार के रूप में अपना योगदान जारी रखे हुए है। श्री खरे ने हाल ही में इन्डस्ट्रियल कलस्टर ऑफ इंडिया के लिए विस्तृत पर्यावरणिक प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) का आकलन करने हेतु कार्यप्रणाली (मेथेडोलॉजी) बनाने में अपनी विशेषज्ञ सेवा दी है। यह परियोजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

डा0 खरे ने इस परियोजना में विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व किया है। प्रो0 खरे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ''गंगा नदी बेसिन प्रबंधन'' के साथ–साथ इसमें लगे अन्य प्रबंधन तथा गंगा नदी के तकनीकी पहलुओं में जारी अभिशातित योजना एवं विधि ग्रूप का समन्वयन कर रहे हैं। ये समालोचक के रूप में कई पत्रिकाओं तथा पब्लिसिंग हाउस में देश के बाहर भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं।

प्रो0 खरे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंट तथा वेस्ट मैनेजमेंट एवं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के संपादकीय बोर्ड में है, और इन्होंने शहरी वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन पर आईजेईब्ल्यूएम तथा विशिष्ट मुद्दों का सम्पादन किया है। प्रो0 खरे के अनुसंधान ने मुख्य रूप से अनिश्चित लो लिबिंग स्रोतों से उत्पन्न शहरी सड़कों/इन्टर सेक्शनों पर एपिसोड में लोकल स्केल शहरी एयर क्वालिटी मॉडलिंग को लक्ष्य करते हुए इन विषयों पर विशेष प्रकाश डाला है। चालू अनुसंधान क्षेत्रों में एयर क्वालिटी मॉडल तथा उनके संवातन का प्रतिपादन वातानुकूलित तथा प्राकृतिक रूप से संवातित भवनों में इनडोर एयर क्वालिटी मॉडलिंग तथा इनडोर उपभोक्ताओं पर संबंधित प्रदूषणों का अवस्थिति मूल्यांकन शामिल है। शहरों में कायम रखने योग्य विकास को प्रभावित करते हुए शहरी जिनोन की व्याख्या कर कोल माइनिंग की गतिविधियों तथा सस्टेनेबुल शहरोंके कारण परिवेशी पर्यावरण के विशिष्ट प्रदूषण से संबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने औद्योगिक (अपशिष्ट जल) के उपचार के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से विशेषकर, औद्योगिक जल एवं सीवरेज वाटर के उपचार के लिए आवर्ती जैविक के मेलक (कॅान्टेक्टर) प्रणाली के उपयोग पर काम किया है। प्रो0 खरे तथा इनके रिसर्च ग्रूप ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं दिल्ली के आस–पास से अनुकूल जल उपचार करने के लिए वायु प्रदूषण के साइट मूल्यांकन पर तथा पदनामित बहिस्त्राव उपचार पर कार्य किया है। प्रो0 खरे ने अपनी विशेष सेवा अटलांटिक एसएनजी चेयर प्रोफेसर के रूप में पर्यावरणिक अभियांत्रिकी में, वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय, सेंट अगस्टाइन कैम्पस, त्रिनिदाद तथा टोबेगो में एक वर्ष जुलाई, 2007 तक दी है। प्रो0 खरे ने हाल ही में डीएडी फेलो के रूप में कारस्तुहे इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी (कीट), जर्मनी में भी अपनी सेवा प्रदान की है। प्रो0 खरे प्रिसिंपल मेम्बर इन्टरनेशनल सस्टेनेबुल टेक्नोलाजिकल एसोसियेशन (आईएसटीए), एरीजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए मेम्बर, तकनीकी सलाहकार बोर्ड, ब्ले ब्लैकस्मिथ इंस्टीच्यूट, यूएसए, प्रिसिंपल समीक्षक अनुसंधान प्रबंधन ग्रूप यूएसए, भूतपूर्व सलाहकार बोर्ड (वायु प्रदूषण) दिल्ली प्रदूषण

नियंत्रण समिति, सदस्य (विशेषज्ञ), राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आथरिटी (एसईआईएए) गवर्नमेंट आफ एनसीआर, नई दिल्ली, फैलो वासेक्स इंस्टीच्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा फैलो इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत), मानद (आनेनरी) संरक्षक, प्लानेट बर्था इंस्टीच्यूट, लंदन, फाउण्डर मेम्बर, ग्लोबल साइनटिफिक समिति, विशेषज्ञ सदस्य, मेल डिकलियरेशन, द सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, फाउन्डर मेंबर काउन्सिल फार सस्टेनेबुल डेवलपमेंट, नई दिल्ली में भी रहे हैं। प्रो0 खरे ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता, भारत में 2007 से 2010 तक गैर–शासकीय निदेशक के रूप में अपनी सेवा प्रदान कीं हैं तथा वर्त्तमान में ये 2010 से गैर–सरकारी निदेशक के रूप में सीएमपीडीआई में अपनी सेवा प्रदान कर रहें हैं।

श्री प्रमोद कुमार मिश्रा : (54) प्रमोद कुमार मिश्रा का जन्म 25 सितम्बर, 1957 को उड़ीसा, कटक में हुआ। ये 26 वर्षों से अधिक समय तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भारत (सं 052699) चार्टर्ड एकाउटेंट इन्स्टीच्यूट के फोलो मेम्बर हैं। कानून के क्षेत्र में इन्होंने मई, 1980 में स्नातक की परीक्षा पास की है। इसके अतिरिक्त इनका विस्तृत अनुभव अंकेक्षण में सार्वजनिक उपक्रम तथा कई प्राइवेट सेक्टरों में ऑडिटिंग के क्षेत्र में हैं। ये कमीशनिंग एवं संचालन योजना तथा कार्यान्वयन, भूमि अधिग्रहण, परियोजना, वित्तीय प्रबंध, कंपनी कानून का अनुपालन, अंकेक्षण तैयारी तथा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, परियोजना एवं प्रक्रियाएँ, आयकर का अनुपालन वेट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर, पेशाकर, बजटिंग एवं कास्टिंग के क्षेत्र में भी निपुण हैं। वर्त्तमान में दिसम्बर, 2010 से ये सीएमपीडीआई में सेवा प्रदान कर रहे हैं।

डा0 प्रताप के. जे. महापात्रा : डा0 प्रताप जे. महापात्रा, अभियांत्रिकी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तथा ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च आईआईटी, खडगपुर में कार्यरत है। ये 40 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तथा इन्होंने अनुसंधान तथा परामर्शी कार्यों को सम्पादित किया है। प्रो0 महापात्रा दो वर्षों तक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज (आरईसी), राउरकेला में कार्यरत थे तथा तदुपरांत ये आईआईटी, खडगपुर में विभिन्न संकायों में अपनी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने औद्योगिक अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल की है तथा उनकी अभिरूचि का क्षेत्र उत्पादन तथा संचालन प्रबंधन सिस्टम इंजीनियरिंग, ई–बिजनेस, क्वांटिटैटिव मॉडलिंग है। प्रो0 महापात्रा ने 75 से अधिक सुविख्यात पत्रिकाओं को प्रकाशित किया है, तथा 2 पुस्तकों को प्राधिकृत किया है। इन्होंने 24 पीएचडी छात्रों को निर्देशन (गाइड) किया है, तथा टाटा स्टील, टाटा कैमिकल्स लि0 , टाटा बियरिंग, नेशनल जूट बोर्ड, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (उड़ीसा सरकार) तथा उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संगठनों के लिए 20 से अधिक परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध करवाई है। ये आईआईटी, खडगपुर के बोर्ड आफ गवर्नर्स के सदस्य रह चुके हैं, तथा वर्तमान में ब्रेटवेट एंड कंपनी लिमिटेड तथा सीएमपीडीआईएल में हैं।

1.5.3 अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेख तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति आंतरिक अंकेक्षकों के रिपोर्ट की समीक्षा करती है। संविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्यिों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेंस पर आधारित दिशा–निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलुओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
3. शासकीय अंकेक्षण तथा संविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक पारामीटरों की तुलना में संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का पुनरीक्षण।
8. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही पर्याय तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अँकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान हेतु बोर्ड को अनुशंसा करना।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
   (क) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्त्तन हो तो उसका कारण।
   (ख) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टी (इन्ट्री)।
   (ग) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   (घ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
   (ड.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
   (च) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल हेडिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना।
9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिमोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।
10. अंकेक्षण की प्रवृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामन सेंसस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।
11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।
12. सीएंडजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु मार्ग उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना।
15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी ऑडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाली की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।

16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाए तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना
5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।

गठन : अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है।

1.	अध्यक्ष	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
2.	सदस्य	डा0 वी0आर0सेट्टी	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
3.	सदस्य	प्रो0 पी0के0जे0महापात्रा	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
4.	सदस्य	श्री मुकेश खरे	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
5.	सदस्य	श्री डी.एन.प्रसाद	सरकार द्वारा मनोनित निदेशक
6.	सदस्य	श्री ए.के.देबनाथ	निदेशक (तकनीकी)

बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पाँच बैठकें आयोजित की गई। ये बैठके क्रमशः दिनांक : 11.05.2012, 28.07. 2012, 20.08.2012, 6.11.2012 तथा 18.2.2013 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	अंकेक्षण समिति के सदस्यगण	स्थिति	आयोजित बैठक	भाग ली गई बैठक
1.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	अध्यक्ष	5	5
2.	डा. बी.आर.सेट्टी	सदस्य	5	3
3.	प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा	सदस्य	5	3
4.	प्रो0 मुकेश खरे	सदस्य	5	4
5.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य	5	3
6.	श्री ए.के.देबनाथ	सदस्य	5	5

1.5.4 पारिश्रमिक समिति :

सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होने के कारण सीएमपीडीआई में नियुक्ति की सेवा–अवधि तथा निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

वार्षिक बोनस (लाभांश)/परिवर्तनशील पे–पूल तथा नीति के संदर्भ में पारिश्रमिक से संबंधित निर्णय विहित सीमा के अंतर्गत अधिकारियों से ऊपर तथा नन–यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के वितरण के लिए कोल इंडिया होल्डिंग कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने पारिश्रमिक समिति गठित की है।

कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनी होने के कारण अधिकारियों तथा नन–यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक होल्डिंग कंपनी तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार विनियमित किया जाता है।

इसलिए बोर्ड पारिश्रमिक का निर्णय नहीं लेता है तथा इसके लिए पारिश्रमिक समिति गठित नहीं है। तथापि यदि कोई ऐसी आवश्यकता होती है तो बोर्ड पारिश्रमिक ऐसे फंक्शन को अदा करेगा या पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा।

1.5.5 धारणीय विकास समिति (सस्टेनेबुल डेवलपमेंट कमिटी) :

प्रत्येक केंद्रीय सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों/उद्यमों के लिए यह आवश्यक है कि धारणीय विकासशील परियोजना एवं क्रिया–कलापों के परिचालन हेतु विशिष्ट सांस्थानिक संरचना बनाए तथा बोर्ड के स्तर को एक पदनामित समिति का गठन करें जिसका प्रमुख एक स्वतंत्र निदेशक हो और अध्यक्ष के रूप में कार्य करें एवं धारणीय विकास समिति को स्वीकृति प्रदान करने और भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सरकारी उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबल (धारणीय) विकास से संबंधित जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत निष्पादनों का निरीक्षण करे। धारणीय विकास एमओयू में 5 प्रतिशत भार वाले गैर वित्तीय पैरामीटरों के अंतर्गत आवश्यक अवयव के रूप में शामिल किया गया है।

इन दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड ने 13.01.2012 के अपने 164वीं बैठक में धारणीय विकास समिति (सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिटी) का गठन किया।

गठन : सस्टेनेबुल डेवलपमेंट कमिटी में निम्नलिखित सदस्य हैं, तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर–सरकारी अंशकालीक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं :

1.	अध्यक्ष	डा0 मुकेश खरे	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
2.	सदस्य	श्री ए.के.देबनाथ	निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी)
3.	सदस्य	श्री डी.के.घोष	निदेशक (तकनीकी/ईएस)

बैठक एवं उपस्थिति :

वर्ष 2012–13 के दौरान दिनांक : 12.05.2012 तथा 6.11.2012 को दो बैठक सम्पन्न हुई। सस्टेनेबुल डेवलपमेंट कमिटी की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	अंकेक्षक समिति के सदस्य	स्थिति	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	डा0 मुकेश खरे	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री ए.के.देबनाथ	सदस्य	2	1
3.	श्री डी.के.घोष	सदस्य	2	2

1.5.6 निदेशकों का पारिश्रमिक :

कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोल इंडिया लिमिटेड के ऐसोसियेशन के अनुच्छेद में तथा शर्त्तों पर पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्णय, शर्त्तों एवं अनुबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति (भारत सरकार) द्वारा लिया जाता है।

(क) **कार्यात्मक निदेशक** : कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:

नाम	पदनाम	छुट्टी नगदीकरण सहित कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	मकान किराया भत्ता (एचआरए)	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान कंट्रीब्यूसन	पीआरपी अग्रिम	कुल	एलटीसी चिकित्सा परामर्श
श्री ए.के.सिंह	अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक	667437	192040	–	79851	–	939328	150479
श्रीए.के.देबनाथ	निदेशक (तकनीकी)	1710738	406011	–	204733	–	2321482	19021
श्री बी.एन.बासु	निदेशक (तकनीकी)	1444808	401805	–	172824	344328	2363765	281166
श्री डी.के.घोष	निदेशक (तकनीकी)	1800725	421776	–	215532	–	2438033	27330
श्री आर.के. चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी)	1390000	385260	–	166247	329431	2270938	23447

(ख) अंशकालिक शासकीय निदेशकगण :

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक शासकीय निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्री डी.एन.प्रसाद, सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनित सदस्य तथा श्री एन.कुमार, निदेशक (तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता से मनोनित सदस्य हैं एवं उनका पारिश्रमिक का भुगतान क्रमशः भारत सरकार तथा कोल इंडिया लिमिटेड से किया जाता है।

(ग) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक :

कंपनी के गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सीटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया सीटिंग फीस			कुल रूपये
		बोर्ड की बैठक (रूपए)	समिति की बैठक (रूपये)	
1.	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	90,000.00	75,000.00	1,65,000.00
2.	डा0 वी.आर.शास्त्री	30.000.00	30.000.00	60,000.00
3.	प्रो0 पी.के.जे.महापात्रा	60,000.00	45,000.00	1,05000.00
4.	प्रो0 मुकेश खरे	60,000.00	90,000.00	1,50,000.00

1.5.7 वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–2011	वर्ष 2011–2012
तिथि	14.05.2010	26.05.2011	21.05.2011
समय	4.00 अपराह्न	10.30 पूर्वाह्न	10.30 पूर्वाह्न
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड
विशेष प्रस्ताव	शून्य	शून्य	शून्य

1.5.8 प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) :

- कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मिकों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से सार्थक (मेटेरियली सिग्नीफिकेंट) में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।
- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून के अनुपालन का विस्तृत विवरण :**
  यह कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की मानिटरिंग कर रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी आथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।
- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति की पहुँच**
  यह नीति–गैर–नीतिपरक व्यवहार वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाघड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट में परिर्वतन तथा अंकेक्षण समिति के लिए प्रबंधन के उदाहरण हेतु रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर

उपलब्ध कराती है। व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति की पहुँच किसी भी कर्मी तक नहीं हुई है तथा विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देशों का अनुपालनः**

  निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है, तथापि पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि जैसे दिशा–निर्देशों का अनुपालन के लिए विचार नहीं किया जाता है जो सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूरा समय प्रैक्टिस में कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ संलग्न है।

- **इन्टीग्रिटी पैक्ट :**

  कंपनी के पास अपने व्यापार ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्रबंधन में पादर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए संपूर्ण संविदा के कार्यान्वयन के लिए पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय भारत (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी उपलब्धि (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट गतिविधियों में संपूर्ण संविदा कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध हैं। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित को कर के स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया पर बल दिया है तथा सीवीसी को पूरा सर्पोट दिया है।

- **सीईओ/सीएओ प्रमाणीकरण :**

कंपनी के अध्यक्ष तथा वित्त प्रमुख द्वारा कंपनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर को सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण प्रदान कर दिया है जिसमें डाईरेक्टरों के रिपोर्ट से परिशिष्ट के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचरण (कोड आफ कंडक्ट) :**

  कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियेां के लिए आचरण संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचरण संहिता को प्रावधानों के साथ अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का ब्यौरा :**

  (बुक आफ एकाउन्ट) में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है तथा किसी भी वैसे व्यय को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक–मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) तथा शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है।

- **राष्ट्रपति का निर्देशः**

  वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्रेसेडेन्सियता निर्देश जारी नहीं किया गया है।

1.5.9 संचार के साधन :

कंपनी अपने शेयर होल्डर के वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक तथा अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण ऑफसियल पत्रिका ''सम्पदा'' एवं माइनटेक'' प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र तथा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से भी संचार की व्यवस्था करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी का तिमाही परिणाम एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में अपलोड की जाती है। कंपनी के संबंध में सूचना नवीनतम अद्यतन एवं घोषणाएं कंपनी की उपलब्धियों को आम जानकारी देने के लिए कंपनी के वेबसाइट तक पहुँचाया जा सकता है। प्रेस कांन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती है।

1.5.10 अंकेक्षक की योग्यता (आडिट क्वालीफिकैशन):

कंपनी का प्रयत्न हमेशा से अबाधित (अनक्वालिफाइड) वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की रही है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक अंकेक्षकों को निरीक्षण करने के लिए प्रबंधन का जबाव निदेशक की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4)

के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी भी इसके साथ संलग्न की गई है।

1.5.11 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को कंपनी के मुद्दे से संबंधित सभी विषयों एसोसियेट जोखिम तथा भविष्य की रणनीति इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है।

कार्यकारी निदेशक अपनी अपेक्षित सुविज्ञता के द्वारा संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र के अध्यक्ष होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस मॉडल तथा कंपनी बिजनेस प्रोफाइल रिस्क के बारे में सचेत रहते हैं। अंशकालिक निदेशक कंपनी के बिजनेस माडल के जानकार होते हैं।

स्वतंत्र निदेशक समय–समय पर कारपोरेट गर्वनेंस (अधिशासित) पर प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किये जाते हैं। सभी सरकारी निदेशक कंपनी को नीति के अनुसार भारत एवं विदेश दोनों जगहों में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित (स्पॉन्सर) किये जाते हैं। कंपनी के सभी नवनियुक्त निदेशक संविधान, विजन एवं मिशन स्टेटमेंट, कोर गतिविधियों, वोट की प्रक्रिया, नीति–निर्देश, बेहतर विस्तृत प्रस्तुतीकरण, विचार–विमर्श इत्यादि जैसे कंपनी के विभिन्न पहलुओं से परिचित हैं।

1.5.12 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार को बल देने तथा विभिन्न स्टॉक होल्डरों में रूचि को प्रोत्साहित करने के लिए विवेच्य वर्ष 2011–12 के दौरान सीएमपीडीआईएल के व्हिसिल ब्लोअर पालिसी से परिचित कराया गया तथा 8.11.11 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को सूचित किया गया।

यह नीति गैर–नैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाधड़ी, कंपनी की आचरण–संहिताओं का उल्लंघन के उद्धरण को प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है। लिस्टिंग एग्रीमेंट का 49वाँ खंड सूचीबद्ध कंपनियों तथा स्टॉक एक्सचेंज के बीच संशोधित कर दिया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2011 से प्रभावी है। अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी का 49वाँ खंड गैर आदेशात्मक (नन मेनडेटरी) के लिए मैकनिक्स को स्थापित करने हेतु सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए जिसे ''व्हिसिल ब्लोअर'' पालिसी कहा जाता है, उपलब्ध कराता है। यह प्रतिशोध अथवा अत्याचार से कर्मियों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच (सेफ गार्ड) उपलब्ध कराता है। तथापि, व्हिसिल ब्लोअर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, जो व्हिसिल ब्लोअर के द्वारा कदाचारिता अथवा पूअर जॉब परफॉर्मेंस के कारण प्राप्त होता है तथा जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा तैयार किसी भी डिस्क्लोजर के लिए स्वतन्त्र है, को इस पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित (प्रोटेक्ट) नहीं किया जायेगा।

1.5.13 जोखिम प्रबंधन योजना (रिस्क मैनेजमेंट प्लान):

स्ट्रेटेजिक बिजनेस पॉलिसी के पार्ट के रूप में संगठन के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र में जोखिम पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशमन (मिटीगेशन) एवं बाहय तत्वों के लिए अंतर्निहित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने के लिए नीतियों एवं प्रणालियों के माध्यम से आवश्यक प्रशमन (न्यूनीकरण) नियंत्रण के उपाय किये जाते हैं। दिनांक : 13.01.12 को आयोजित 164वीं बैठक में बोर्ड द्वारा सीएमपीडीआईएल 2011 का रिस्क मैनेजमेंट स्कीम अनुमोदित कर दिया गया तथा यह योजना सीएमपीडीआई में लागू है।

1.5.14 आंतरिक प्रक्रियाओं की संहिता तथा अंतरंगी (इनसाइडर ट्रेडिंग) :

कोल इंडिया लिमिटेड होल्डिंग कंपनी ने बिक्री अथवा और खरीद निवारण के उद्देश्य से कोल इंडिया से संबंधित सुरक्षा तथा इनसाइडर ट्रेडिंग के बचाव के लिए आचार–व्यवहार (कन्डक्ट) तथा आंतरिक कोड को अपनाया है। कोल इंडिया लिमिटेड होल्डिंग कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया के शेयरों की बिक्री अथवा/और खरीद के निवारण के उद्देश्य से कोल इंडिया की सुरक्षा से संबंधित तथा इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचरण तथा आंतरिक प्रक्रिया की संहिता को अपनाया है। यह संहिता सीएमपीडीआई द्वारा भी अपनाई गई है। इसके अर्न्तगत कोड इनसाइडर्स पदनामित कर्मी के रूप में नामित किये जाते हैं जो ट्रेडिंग बिंडो के क्लोजर के दौरान कोल

इंडिया के शेयरों को डील करने से रोकथाम करता है। विहित सीमा से बाहर सुरक्षा डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति अपेक्षित है। कोड में किये गए उल्लेख के अनुसार सभी पदनामित कर्मी से संबंधित सूचना को समय–समय पर स्पष्ट करने की भी अपेक्षा की जाती है।

1.5.15 निदेशकों का दायित्व :

डीपीई गाइड लाइन्स में विहित आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले सीएमपीडीआई के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में टारगेट सेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा यह निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निर्दिष्ट है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''कैरेटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाते हुए कार्य करता है, जो ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना में परिणाम देता है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड तथा अनुसमर्थन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (एमओसी) के माध्यम से डीपीई को भेजा जाता है।

समझौता संलेख (एमओयू), वित्तीय तथा गैर–वित्तीय (डायनेमिक), सेक्टर स्पेसिफिक तथा इन्टरप्राइसेस स्पेसिफिक पारा मीटर्स दो पारामीटर्स की वेरायटी को पर्याप्त रूप से कार्य–निष्पादित करने के योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया लॉंग रेजिंग आबजेक्टिब्स तथा समस्त ग्रोथ को पूरा करने में तत्काल सहायता प्रदान करती है। पूरी प्रक्रिया की स्टेक होल्डर्स के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है।

1.6.0 सीएमपीडीआई में विकास को बनाए रखने की पहल :

सस्टेनिबुल डेवलपमेंट, सार्वभौमिक रूप से व्याख्यायित एक ऐसा विकास है, जो अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए उत्पादन (जेनेरेशन) असफलता की तुलना किए बगैर वर्त्तमान की आवश्यकताओं को प्राप्त करता है, तथा जिसका कारपोरेट ड्राइवेन डेवलपमेंट तथा संपूर्ण के रूप में आर्थिक विकास के प्रति प्रस्तावित है। सस्टेनेबुल विकास आर्थिक विकास, सामाजिक विकास पर्यावरणिक सुरक्षा के प्रति भी अभिमुखी है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए गैरवित्तीय पारामीटर के रूप से 5 प्रतिशत महत्वपूर्ण वेटेज के साथ सीएमपीडीआई सहित सीपीएसईएल के समझौता संलेख में वस्तुतः सस्टेनेबुल डेवलपमेंट को शामिल कर लिया है।

15.0 सीएमपीडीआई के वर्ष 2012–13 के मेमोरेंडम आफ अडंरस्टैंडिंग के अंतर्गत बिना अंकेक्षण किये गए अवित्तीय/गैरवित्तीय पैरामीटरों के विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जा रहे हैं।

16.0 निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण :

16.1 वार्षिक लेखा तैयार करने में प्रयोज्य लेखा प्रक्रिया अपनाई गई है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विचलन के संदर्भ में समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

16.2 लेखा पॉलिसियों का चुनाव निदेशकों द्वारा किया गया है तथा उन्हें संगत रूप से अपनाया है एवं इसका उन्होंने युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय तथा आकलन किया है जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के लेखा–जोखा क्रिया–कलापों से संबंधित सही एवं निष्पक्ष जानकारी प्राप्त हो और वित्तीय वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही स्थिति प्राप्त हो सके।

16.3 निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्डो के रख–रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है, जिससे कंपनी की परिसम्पत्तियों का बचाव हो एवं छल/कपट तथा अनियमितता की क्रिया–कलापों की रोकथाम हो और उसका पता लगाया जा सके।

16.4 निदेशकों ने गतिशील चिंतन के आधार पर वार्षिक लेखा बनाया है।

भाग–ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यावलोकन :

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

1.01 सीएमपीडीआई ने वर्ष 2012–13 में भी मुख्यतः कोल इंडिया तथा गैर कोल इंडिया/कैप्टिव ब्लॉकों में अपने कोयला गवेषण क्रिया–कलाप जारी रखा। सीआईएल के ब्लॉकों में गवेषण कार्य इसकी अनुषंगी कंपनियों की परियोजना आयोजन/उत्पादन सहायता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया, जबकि गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में गवेषण कार्य कैप्टिव खनन के लिए संभावित उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन सुलभ करने के लिए किया गया।

1.02 सीएमपीडीआई ने xiवीं (ग्यारहवीं) तथा xii (बारहवीं) योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता विकसित की है। सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर ड्रिलिंग के मुकाबलें वर्ष 2011–12 में 4.92 लाख मीटर तथा वर्ष 2012–13 में 5.63 लाख मीटर ड्रिलिंग (वृद्धि–13 प्रतिशत) का कार्य पूरा कर लिया है। विभागीय ड्रिलों के आधुनिकीकरण के जरिए क्षमता बढ़ाने हेतु 31 नए मैकेनिकल ड्रिल तथा 4 हाई–टेक हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल प्राप्त किये गए जिनमें से 6 को अतिरिक्त ड्रिल के रूप में और 29 को पुराने ड्रिलों के लिए आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है। 5 और मैकेनिकल ड्रिलों के लिए आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है। सीएमपीडीआई विगत 4 वर्षें में 38 माह पम्प तथा 46 ट्रकों को बदला है। बढ़े हुए कार्य भार को कम करने के लिए वर्ष 2008–09 में कैम्पस साक्षात्कार/खुली परीक्षा के माध्यम से 147 भूवैज्ञानिक 14 भूभौतिविद् तथा 27 यांत्रिकी अभियंता की नियुक्ति की गई थी। गैर–अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कोल इंडिया की अन्य अनुषंगी कंपनियों से स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है तथा अन्य अनुषंगी कंपनियों से 246 कर्मचारियों को सीएमपीडीआई में कार्य हेतु शामिल किया गया।

1.03 वर्ष 2008–09 में आउटसोर्सिंग के अंतर्गत 36 ब्लॉकों सहित 13.66 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य निविदा के माध्यम से दिया गया। जिसमें से 15 ब्लॉकों में ड्रिलिंग की गई। वर्ष 2012–13 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 2.87 लाख मीटर (वृद्धि– 28 प्रतिशत) ड्रिलिंग की गई, जिसमें से वर्ष 2012–13 के दौरान निविदा के तहत 1.41 लाख मीटर ड्रिलिंग में 6 गैर–सीआईएल तथा 9 सीआईएल द्वारा ड्रिलिंग किया गया। एमईसीएल के साथ एक दीर्घकालीन (5 वर्ष) एमओयू भी किया गया है, जिसमें 1 लाख मीटर/प्रति वर्ष ड्रिलिंग शामिल है। एमओयू के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान सीआईएल ब्लॉकों में 6 तथा गैर–सीआईएल के 9 ब्लॉकों में कुल 1.39 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया है।

स्थानीय कारणों से (विधि एवं आदेश) 1 ब्लॉक में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया और 3 ब्लाकों में कार्य रोक दिया गया। 4 ब्लाकों में वन समाशोधन (फारेस्ट क्लियरेंस) पेंडिंग होने के कारण कार्य बंद है/पड़ा है।

1.04 ड्रिलिंग में बढ़ोत्तरी के कारण कोयला कोर विश्लेषण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई तथा सीआईएमएफआर प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआर के बीच (कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से) क्षमता में वृद्धि के लिए हस्ताक्षर किया गया है। कार्य प्रगति की ओर है।

1.1 वर्ष 2012–13 में ड्रिलिंग निष्पादन/उपलब्धि :

1.1.1 सीएमपीडीआई ने सीआईएल/गैर–सीआईएल प्रोमोशनल ब्लाक में गवेषण के लिए विभागीय ड्रिलों को लगाया, जबकि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने केवल सीआईएल ब्लॉकों/इसके अतिरिक्त पाँच (5) अन्य संविदात्मक एजेंसियों ने कोल इंडिया लिमिटेड/गैर–सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए संसाधन को लगाया। वर्ष 2012–13 में कुल 115 से 140 ड्रिल लगाए गए हैं, जिनमें 53 विभागीय ड्रिल है। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र (सीआईएल एवं एससीसीएल) के 11 ब्लाकों में एमईसीएल द्वारा लिए गए प्रोमोशनल गवेषण के कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण करना जारी रहा तथा जीएसआई में 10

ब्लाकों के लिए कोयला क्षेत्र में किये गए प्रोमोशनल गवेषण कार्यों को (सीआईएल क्षेत्र) एमओसी की ओर से सीएमपीडीआई ने अनुवीक्षण किया। वर्ष 2012–13 में सीएमपीडीआई तथा इसके संविदात्मक एजेंसियों ने 6 राज्यों में स्थित 22 कोयला क्षेत्र के 102 ब्लाकों/खानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग शुरू किया। ये कोयला क्षेत्र है :

1. रानीगंज (10ब्लाक/खान), ब्राह्मनी (1), झरिया (4 ब्लाक/खान), वेस्ट बोकारो (2), ईस्टबोकारो (1), रामगढ़ (2), साउथ कर्णपुरा (6), नार्थ कर्णपुरा (4), काम्पटी (7), नन्द बंदेर (3), वरदा वैली (5), काटोल बेसिन (1), सोहागपुर (7), जोहिला (1), मांद रायगढ़ (12), कोरबा (3), विश्रामपुर (4), सोनहाट (1), टाटापानी–रामकोला (3), सिंगरौली (7), तालचर (12), तथा ईब वैली (6)/102 ब्लाकों/खानों में से 35 गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लाकों तथा 67 सीआईएल ब्लाक/खदान हैं। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों द्वारा 63 ब्लाकों/खदानों में गवेषणात्मक वेधन किया गया। जबकि संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 39 ब्लाकों/खानों में वेधन का कार्य किया गया।

1.1.3 प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमईसीएल ने 11 कोयला क्षेत्र खनिखंडों (मांद रायगढ़–3, वरदा वैली–1, बांदेर–1, सिंगरौली–1, विश्रामपुर–1 एवं गोदावरी वैली–4), जीएसआई ने 10 ब्लाकों (रानीगंज सीएफ–1, तालचर सीएफ–2 ईब वैली–3, सोहागपुर–3 तथा टाटापानी रामकोला–1) एवं डीजीएम (नागालैंड) ने 1 ब्लाक (नार्दर्न खार–1) में प्रोमोशनल ड्रिलिंग की है।

1.1.4 वर्ष 20.12.2013 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की विस्तृत उपलब्धि निम्न प्रकार से है :

एजेंसी	वर्ष 2012–13 का लक्ष्य (मीटर)	वर्ष 2012–13 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की उपलब्धि			गत वर्ष 2011–12 में प्राप्त उपलब्धि (मीटर)	वृद्धि %
		उपलब्धि (मीटर)	उपलब्धि (प्रतिशत)	+/– (मीटर)		
(क) सीएमपीडीआई द्वारा किया गया विस्तृत वेधन कार्य (प्रोमोशनल ड्रिलिंग)						
(1)विभागीय	257000	276199	107%	19199	273018	1%
(2) आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	8000	7397	92%	-603	6815	9%
एमईसीएल(एमओयू)	89000	1387601	156%	49759	96207	44%
निविदा (सीआईएल ब्लॉक)	147000	90779	62%	-56221	17605	416%
निविदा (गैर–सीआईएल ब्लाक)	81000	49772	61%	-31228	104779	52%
कुल आउटसोर्सिंग	325000	286709	88%	-38291	225406	27%
कुल (क)	582000	562908*	97%	-19092	498424	13%
(ख) कोयला सेक्टर में एमईसीएल, जीएसआई तथा डीजीएम (नागालैंड) द्वारा किया गया प्रोमोशनल ड्रिलिंग कार्य।						
एमईसीएल	40250	30594	76%	-9656	25998	18%
जीएसआई	13750	14702	107%	952	17872	-18%
डीजीएम, नागालैंड	500	328	66%	-172	289	14%
डीजीएम, असाम	500	0	0%	-500	0	
सीएमपीडीआई	3000	0	0%	-3000	0	
कुल ख	58000	45624	79%	-12376	44158	3%
कुल क+ख	640000	608664	95%	-31336	542636	12%

* वर्ष 2012–13 में परामर्शी कार्यों के लिए सीआईएल ब्लॉकों में 3,35,200 मीटर तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 2,27, 708 मीटर ड्रिलिंग किया गया।

1.1.5 वर्ष 2012–13 में सीएमपीडीआई ने अपने विभागीय तथा संपूर्ण ड्रिलिंग लक्ष्य क्रमशः 107 प्रतिशत तथा 97 प्रतिशत हासिल की है। विभागीय ड्रिलिंग की उपलब्धि गत वर्ष की उपलब्धि से 1 प्रतिशत बेहतर रही तथा परिचालन ड्रिल उत्पादकता 434 मी./ड्रिल/माह दर्ज की गई। जंगल वाले क्षेत्रों में गवेषण की अनुमति नहीं मिलने के

कारण आउटसोर्सिंग ड्रिलिंग की उपलब्धि प्रभावित हुई। जंगल संबंधी समस्या के कारण एमईसीएल ने कोयला क्षेत्र में प्रोमोशनल ड्रिलिंग का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा सीएमपीडीआई विस्तृत ड्रिलिंग में प्राथमिकता के कारण प्रोमोशनल ड्रिलिंग को नहीं प्राप्त कर सका।

1.1.6 गैर–सीआईएल/कैप्टिव खनिखंडों में वेधन (ड्रिलिंग) :

बारहवी पंचवर्षीय योजना के संरक्षण हेतु कोयला एवं लिग्नाईट के वर्किंग ग्रूप द्वारा 976.69 करोड़ रूपये की आवश्यक निधि (विभागीय स्रोतों एवं आउटसोर्सिंग दोनों) के जरिए कोयला में 20.13 लाख मीटर (एनईआर सहित) की व्यौरेवार ड्रिलिंग (वेधन) करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2012–13 में गैर सीआईएल ब्लाकों में कुल 1,74,900 मीटर ड्रिलिंग (विभागीय 52,900 मीटर एवं आउटसोर्सिंग द्वारा 1,22,000 मीटर) करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस लक्ष्य को तुलना में सीएमपीडीआई की विभागीय ड्रिलों द्वारा 17 ब्लॉकों में 77,458 मीटर की गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 17 ब्लाकों में 1,50,249 मीटर की ड्रिलिंग उपलब्धि प्राप्त की गई।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावे सीएमपीडीआई ने आबंटन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय को विद्यमान कैप्टिव खनन ब्लॉकों की प्रारंभिक भू–वैज्ञानिकी सूचना उपलब्ध करवाई है। सीएमपीडीआई ने कैप्टिव खनिखंड के संभावित उद्यमियों को अपने अंतिम उपयोग के लिए उपयुक्त ब्लॉकों के चयन को सक्षम बनाने हेतु वर्तमान जीआर की प्रति उपलब्ध करवाई है। आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गवेषण के कुल मूल्य का भुगतान पर आवंटियों को मूल भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय प्रतिस्पर्धात्मक (बिडिंग) के जरिए ब्लॉकों के आवंटन के लिए दस्तावेज भी तैयार किया है।

1.2 जल भू–विज्ञान :

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन तथा ईएमपी क्लियरेंस के लिए 'भूगर्भ जल समाशोधन आवेदन तैयार करने हेतु कई खनन परियोजनाओं का जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल एवं एसईसीएल में 31 खनन परियोजना के लिए भू–वैज्ञानिक अध्ययन तथा बाहरी परामर्शी कार्य पूरा कर लिया गया है।

1.2.2 सीएमपीडीआई डब्ल्यूसीएल क्षेत्र में 70 पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं कि भू–जल प्रबोधन कर रहा है। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल तथा एमसीएल की अन्य क्षेत्रों में जल स्तर प्रबोधन का कार्य प्रगति पर है।

1.2.3 विवेच्य वर्ष के दौरान पीआर तथा जीआर भाग के रूप में 6 डब्ल्यूसीएल, 4 एमसीएल एवं 3 एसईसीएल परियोजनाओं की भूमिगत जल स्थिति पर जल भू–वैज्ञानिक नोट पूरा कर लिया गया।

1.2.4 खदानों, कॉलोनियों तथा गांवों में जल–आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए डब्ल्यूसीएल, एमसीएल, ईसीएल तथा एसईसीएल की 3 परियोजनाओं में खान जल अंतःप्रवाही आकलन भी पूरा कर लिया गया है।

1.2.5 एनएलसी हेतु परियोजना रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अग्रिम खान डिवाटरिंग के लिए देवागुडी लिग्नाईट ब्लाक के जल भू–वैज्ञानिकी अध्ययन पूरा कर लिया गया। एमएमटीसी में जमा करने के लिए गोमियां भूजल कोल ब्लॉक ईवीसीएफ हेतु योजना के लिए जल भूवैज्ञानिकी अध्ययन किया गया। जगन्नाथ ओसी माइन वाइड तथा साउथ बलांदा ओसी माइन वाइड में राख के निपटान के लिए जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन प्रगति पर है।

1.3 भू–वैज्ञानिकी रिपोर्ट :

1.3.1 वर्ष 2012–13 में विगत वर्षों में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर कुल 15 भूवैज्ञानिकी रिपोर्ट (पीआर के जीआर को छोड़कर) तैयार की गई। तैयार की गई भू–वैज्ञानिक रिपोर्टों से 3.3 बिलियन टन कोयला प्रमाणित कोटे में आया है।

1.3.2 प्रमोशनल गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत जीएसआई तथा एमईसीएल ने खासकर ''निर्विष्ट श्रेणी'' कोटि में विशेष मुटाई वाले 3.7 बिलिनय टन कोयला भंडार संसाधन आकलित कर कोल ब्लॉक पर 9 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी है।

1.4 भू–भौतिकी सर्वेक्षण :

1.4.1 भू–भौतिकीय लागिंग :

गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किये गए बोर होलो में मिले विभिन्न संस्तरों के स्वस्थानें (इनसीटू) जानकारी प्राप्त करने के लिए भू–भौतिक रूप से लॉग किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान इस उद्देश्य के लिए सीआईएल तथा गैर सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी पारामेट्रिक भू–भौतिकी लागिंग उपकरण की सहायता से कुल 2,17,409 गहराई मीटर भू–भौतिक लॉगिंग की जा चुकी है। इसमें से 78100 गहराई मीटर लागिंग 5 विभागीय भू–भौतिकी लॉगिंग इकाई द्वारा की गई तथा 1,39,309 मीटर लागिंग संविदात्मक एजेंसियों द्वारा की गई।

1.4.2 भू–तल, भू–भौतिकी सर्वेक्षण :

सीएमपीडीआई द्वारा कोयला सीमों के इनक्रप डाईफ की रूप–रेखा निर्धारण तथा भूमिगत जल का अन्वेषण के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विद्युत प्रतिरोधक तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2012–13 में कुल 245 लाइन किलो मीटर प्रतिरोधक प्रोफाइलिंग, 90 अनुलम्ब विद्युतीय (वर्टिकल इलेक्ट्रिीकल) विद्युतीय गुंजामान/ध्वनि (बीईएस) तथा 3571 नं. स्टेशन चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। एक 48 चैनेल सिग्नल वृद्धि सीममोग्राफ की सहायता से एक ईबवैली (एमसीएल) के प्राजापारा ब्लाक तथा कोरबा कोयला क्षेत्र (एसईसीएल) के साउथ में हरदी ब्लाक (प्रोमेशनल एरिया) में 30.31 लाइन किलो मीटर रिफ्लेक्शन (परावर्त्तन) सर्वेक्षण तथा 30.15 लाइन किलो मीटर रिफ्रेक्शन (आपवर्त्तन) सर्वेक्षण किया गया।

1.4.3 **रिपोर्ट**: वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 31 भू–भौतिकीय रिपोर्टें सुपुर्द की जा चुकी हैं। इसमें 20 रिपोर्टें भू–भौतिकीय लागिंग पर, 7 रिपोर्ट प्रतिरोधकता सर्वेक्षण पर, 1 रिपोर्ट चुम्बकीय सर्वेक्षण पर तथा एचआरएसएस सर्वेक्षण पर 3 रिपोर्ट शामिल है।

1.5 भू–प्रणाली :

1.5.1 वर्ष 2012–13 के दौरान तथा बारहवीं योजना के दौरान लिए गए डिजाइन तथा डाटा बेस समाकलित करने के लिए सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआर आईएस) जोनों के भूवैज्ञानिकी माडेलिंग 50 से अधिक इस प्रकार माडेलस जोनो को विभिन्न डाटा सेंटरों द्वारा पूरा कर दिया गया। उनके द्वारा सभी की जाँच करने के उपरांत डाटाबेस में अपलोड कर दिया गया। वर्ष 2012–13 में नये हाईवेयर तथा साफ्टवेयर के लिए इनिसियेटेड प्राप्ति की कार्रवाई की गई तथा प्रारंभ में ही हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर को बदल दिया गया।

1.5.2 सिमजिओडो एंड सासलिइेटे

(सीईएमपीडीईओडीओसी एंड एसएससएलआईएनटी) :

भू वैज्ञानिकी डाटा के विश्लेषण, विवेचन तथा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेशन के लिए वर्तमान में अपने द्वारा विकसित सीईएमपीडीईओडीओसी साफ्टवेयर का विन्डो आधारित संस्करण का विकास किया गया है। कोयला सीमों के लिथेलोजी, सीम संरचना तथा गुणवत्ता की उपलब्धि के लिए जिओफिजिकल लॉग इन्टरप्रेटेशन हेतु घरेलू एसएएसएल आईएनटी साफ्टवेयर विकसित किया गया है।

1.5.3 सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजना सीएमपीडीआई के प्रयोगशाला सेवा प्रभाग ने फरवरी, 2013 में बीएफ कोक बनाने हेतु लो रैंक लो वोलोसाइट हाईरैंक इंडियन कोल के प्रभावी उपयोग'' नामक एक सीआईएल/आरएंडडी परियोजना पूरी की है। यह सीएमपीडीआई–आरडीसीआईएस सेल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना पर कुल खर्च 265 लाख रूपए हुआ।

1.5.4 5 से 10 अगस्त, 2012 तक ब्रीसबाने, आस्ट्रेलिया में आयोजित 34वीं अंतर्राष्ट्रीय भू–वैज्ञानिक कॉग्रेस में ''दामोदर घाटी बेसीन के लो वोलाटाइली हाई रैंक कोल के कोयला शैलिकी तथा परिष्करण अध्ययन : भारत में कोंकिंग कोयला संसाधन के संवर्धन के लिए संलग्नता (इम्पलीकेशन)'' शीर्षक से एक तकनीकी आलेख प्रस्तुत किया गया।

1.6 कोल बेड मिथेन/कोल माइन मीथेन और भूमिगत कोयला गैसीकरण।

1.6.1 कोल इंडिया एवं ओएनजीसी के कंसोर्टियम द्वारा भरिया एवं रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सीबीएम प्रास्पेकट्स के सहयोगात्मक विकास।

1.6.1.1 झरिया सीबीएम ब्लॉक :

झारखंड सरकार ने ब्लॉक के लिए अगस्त 2013 में कोल इंडिया लिमिटेड–ओएनजीसी के कंसोर्टियम को पेट्रोलियम गवेषण का लाइसेंस प्रदान किया उसके बाद कार्य को जैसा कि न्यूनतम कार्य प्रोग्राम में वर्णन है, के अनुसार शुरू किया गया।

सीएमपीडीआई ने डीप स्लिम होल वेधन (गहराई 1000 से 1400 मी) किया है जहाँ सीबीएम संबंधित पारामीट्रीक डाटा का प्रतिपादन किया गया। सीएमपीडीआई द्वारा इस वेधन तथा अन्य उपलब्ध वेधन एवं गैस संबंधी आँकड़ा पर रिपोर्ट तैयार कर ओएनजीसी को सौंप दी गई, जिससे उसे गवेषणात्मक एवं पायलेट वेल ड्रिल करने में सहूलियत होगी। गवेषणात्मक और पायलट चरणों में ध्यान दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् कोल इंडिया एवं ओएनजीसी के कंसोरटियम ने अगस्त, 2013 में सरकार के अनुमोदन के लिए 1137 करोड़ रूपये के बजटीय लागत वाले ब्लॉक का विकास योजना सौंपा है। विकास योजना को सीएमपीडीआई अधिकारियों की एक समिति द्वारा जाँच की गई और परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने की बात कही तथा आपरेटिंग एग्रीमेंट के प्रावधान के संदर्भ में कोल इंडिया का स्टेक 10 से 26 प्रतिशत तक बढ़ाने के संबंध में विचार करने के लिए इसे मार्च, 2013 में कोल इंडिया को प्रेषित कर दिया गया।

कंसोरटियम सरकार द्वारा विकास योजना के अनुमोदन के बाद आवश्यक विकासात्मक कार्य शुरू करेगा।

1.6.1.2 रानीगंज सीबीएम ब्लॉक :

पश्चिम बंगाल सरकार ने अप्रैल 2004 में रानीगंज सीबीएम ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रदान किया है। इसके बाद जैसा कि मिनिमम वर्क प्रोग्राम में वर्णन है, के अनुसार कार्य शुरू किया गया। सीएमपीडीआई ने डीप स्लिमहोल ड्रिलिंग (800 से 1100 की गहराई के) कार्य किया है जबकि सीबीएम से संबंधित पारामीट्रिक आँकड़ा जेनरेट (निर्माण) किया गया। इस ड्रिलिंग पर आधारित रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध वेधन तथा गैस से संबंधित आँकड़े पर आधारित रिपोर्ट सीएमपीडीआई द्वारा तैयार किया गया जो गवेषणात्मक वेधन और पायलेट वेल के लिए ओएनजीसी के कार्य को आसान बनाएगा, ओएनजीसी को सौंप दिया गया।

तदनन्तर गवेषणात्मक और पायलट चरणों में विचार किए गए कार्य की समाप्ति पर कोल इंडिया एवं ओएनजीसी के कंसोरटियम ने सरकारी अनुमोदन के लिए 957 करोड़ रूपयें के बजटीय लागत वाले ब्लॉकों हेतु विकास योजना सौंपी है। विकास योजना की जांच सीएमपीडीआई के अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई, जिसने परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया तथा इसे आपरेटिंग एग्रीमेंट के प्रावधानों के संदर्भ में 26 प्रतिशत तक कोल इंडिया के प्रतिधारित स्टेक के संबंध में विचार करने के लिए मार्च, 2013 में कोल इंडिया को प्रेषित कर दिया गया। प्रबंधन द्वारा विकास योजना के अनुमोदन के बाद कंसोर्टियम आवश्यक विकास कार्य करेगा।

1.6.2 12वीं योजना के दौरान उन्नयक (प्रोमोशनल) गवेषण के तहत सीबीएम तथा शेल गैस से संबंधित अध्ययन :

1.6.2.1 सीबीएम से सम्बद्ध अध्ययन

सीएमपीडीआई पीआरई के कोष के तहत उन्नयक गवेषण (12वीं योजना अवधि) के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होलों के जरिए ''भारतीय कोयला क्षेत्र/लिग्नलाइट क्षेत्र में कोल बेड मिथेन गैस इन प्लेस संसाधन का मूल्यांकन'' कर रहा है। इस अध्ययन से देश के सीबीएम संसाधन के आधार बढ़ेगी तथा सीबीएम के विकास के लिए और अधिक खनिखंडों (ब्लाकों) की रूप–रेखा तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा।

वर्ष 2012–13 के दौरान कुल सीएमपीडीआई द्वारा अध्ययन के लिए विभिन्न कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में स्थित कुल 8 बोर होलों को लिया गया तथा डिजापर्सन और अन्य टेस्टों के लिए नमूने एकत्र किए गए।

12वीं योजना के दौरान सीबीएम से संबंधित अध्ययन के आधार पर तीन रिपोर्ट तैयार की गई। वर्ष 2012–13 के दौरान ''तालचर कोयला क्षेत्र के सुकली, कपरी ब्लॉक, काटोल कोयला क्षेत्र तथा महानदी ब्लॉक में सीबीएम गैस–इन–प्लेस का

मूल्यांकन पर रिपोर्ट सौंप दी गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2012–13 के लिए सीआईएल तथा सीएमपीडीआई के बीच एमओयू रिपोर्ट है तथा इसे सुपुर्द करने की निर्धारित तिथि मार्च, 2013 है। अप्रैल, 2007 से अब तक सौंपी गई रिपोर्टों की कुल संख्या 7 है।

1.6.2.2 कोल गैस से संबंधित अध्ययन :

सीएमपीडीआई पीआरई कोष के तहत उन्नायक गवेषण (xii योजना अवधि) के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होल के जरिए ''भारतीय कोयला क्षेत्र/लिग्नाइट क्षेत्र के शेल गैस इंन प्लेस का मूल्यांकन'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन शेल गैस की संभावना के मूल्यांकन के लिए आंकड़ा का सृजन करेगा तथा शेल गैस के विकास के लिए अधिक खनिखंडों के डिलीनिएशन को आसान बनाएगा। कुल योजना व्यय 7.75 करोड़ रूपये के साथ (xii योजना अवधि के दौरान) कुल 25 बोर होल का अध्ययन किया गया। शेल गैस से संबंधित अध्ययन के लिए विवेच्य वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 4 बोर होल किए गए।

1.6.3 सीएमएम का व्यावसायिक विकास

सीएमएम का व्यावसायिक विकास सरकार और कोयला उद्योग स्तर दोनों के लिए प्राथमिक वाला क्षेत्र है। बीसीसीएल के मूनीडीह खान में प्रदर्शन परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन ने प्रक्रिया की दक्षता को पहले से ही प्रमाणित किया है तथा कोल इंडिया के खनन वाले लीज होल्ट एरिया के भीतर पांच उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर ली गई। मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है।

व्यावसायिक विकास के लिए तथाकथित बैकग्राउंड एक्शन के तहत कार्य प्रारंभ किया गया तथा कोल इंडिया की ओर से सीएमपीडीआई ने अप्रैल, 2011 में 5 चिन्हित ब्लाकों बीसीसीएल में 3, सीसीएल में 2) में सीएमएम के व्यावसायिक विकास के लिए उपयुक्त डेवलपर के चयन हेतु वैश्विक निविदा जारी की। हॉंलाकि कुछ मुद्दों पर एमओपी एवं एनजी के पर्यवेक्षण के आलोक में निविदा अस्थिगित कर दी गई और तदनन्तर रद्द कर दी गई। मामले को सलाहकार, कोयला मंत्रालय और सचिव, एमओपी एवं एनजी के बीच अगस्त, 2012 के हुए बैठक में सुलझा लिया गया अैर सीएमएम के विकास के आपरेशनलाइजेशन (संचालन) से संबंधित औपचारिक सरकारी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

इस मामले को सीसीएल तथा बीसीसीएल के समक्ष उठाया गया तथा निदेशक स्तर की बैठक (सीसीएल सितम्बर, 2012 तथा बीसीसीएल अक्टूबर, 2012) आयोजित की गई और दोनों कंपनियों की सहमति प्राप्त हो गई।

1.6.4 बड़ी खुली खानों से संबंधित सीएमएम संभावना का मूल्यांकन :

सीएमपीडीआई ने मोहर सब बेसिन एनसीएल, सिंगरौली के डिपसाइड क्षेत्र तथा कोरबा कोलफील्ड्स एसईसीएल के डीप साइड क्षेत्र में सीएमएम संभावना का मूल्यांकन किया तथा कोयला मंत्रालय एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच परिचालन से संबंधित मामले के हल निकलने के बाद इसके व्यावसायिक विकास के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

1.6.5 कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्र में सीएमएम का विकास सीएमपीडीआई ने कैथा ब्लॉक (सीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र) तथा थेसगोरा'सी' ब्लाक (डब्ल्यूसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र) में यूसीजी के व्यावसायिक विकास के लिए निविदा जारी किया है। निविदा को बढ़िया प्रत्युत्तर मिला है और सीएमपीडीआई के विधिवत् गठित टीसी द्वारा इससे प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसमें कोयला उत्पादक कंपनियों के सदस्य थे। इसकी अनुशंसा कोल इंडिया लिमिटेड को भेज दी गई। इस मामले पर जुलाई/अगस्त, 2011 में आयोजित सीआईएल एफडी की बैठक में विचार–विमर्श किया गया, जहां यह सुझाव दिया गया कि तकनीकी मूल्यांकन हेतु मानदंड का पुर्नावलोकन कर पुनर्निविदा के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

तद्नुसार टीएसडी का मसौदा तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए इसे कोल इंडिया लिमिटैड के पास भेज दिया गया। जनवरी, 2013 में आयोजित सीआईएल एफडी की बैठक में इस पर विचार–विमर्श कर इच्छा जतायी गई कि इस मामले में विचार–विमर्श करने के लिए सीआईएल एफडी की बैठक में सीएमपीडीआई के प्रतिनिधि को बुलाया जाए।

1.6.6 बाह्य परामर्श कार्य (डीजीएच कार्य) :

1.6.6.1 सीबीएम राउन्ड Vवीं के लिए डाटा डोजियर्स की तैयारी : डीजीएच ने मई, 2011 में सीबीएम राउन्ड Vवीं के लिए कम्बे बेसिन, सिंगरौली तथा जोहिला कोयला क्षेत्र, में संभावित सीबीएम ब्लाक की रूपरेखा निर्धारन तथा डाटा डोर्जियर तैयार करने के लिए सीएमपीडीआई को भुगतान के आधार पर परामर्शी कार्य (पेड़ कन्सल्टेंसी) दिया है। मार्च 2012 में चिहिन्त 8 ब्लाकों पर डाटा डोजियर का मसौदा तैयार कर सौंप दिया गया।

इस रिपोर्ट पर शुरूआत में सीएमपीडीआई एवं डीजीएच के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श हुआ और फरवरी, 2013 के मध्य में सीएमपीडीआई तथा डीजीएच के उच्चस्तरीय अधिकारियों द्वारा इसे अंतिम रूप दिया गया। इन ब्लाकों की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर मार्च, 2013 में सौंप दी गई।

1.6.6.2 गोंदवाना बेसिन में संभावित छह शेल गैस ब्लाकों की रूप रेखा निर्धारण तथा डाटा डोजियर की तैयारी डीजीएच ने मई 2011 में गोंदवाना बेसिन में संभावित 6 शेल गैस ब्लाकों की रूप–रेखा निर्धारण तथा डाटा डोजियर तैयार करने के लिए सीएमपीडीआई को भुगतान के आधार पर परामर्शी कार्य सौंपा है। मार्च, 2012 में रानीगंज, बोकारो, साउथ कर्णपूरा, नार्थ कर्णपूरा तथा सोहागपुर बेसिन पर डाटा डोजियर का मसौदा सौंप दिया गया।

इस रिपोर्ट पर सीएमपीडीआई तथा डीजीएच के अधिकारियों के बीच विचार–विमर्श किया गया तथा फरवरी, 2013 के मध्य में डीजीएच की एक उच्चस्तरीय समिति के दौरे के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया।

1.6.8 ईयू द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान परियोजना :

यूरोपियन यूनियन रिसर्च कमिशन द्वारा आंशिक रूप से वित्त प्रदत्त योजना के तहत अनुमोदित ''कोयला खान तथा गैर खननयोग्य कोल बेड से ग्रीन हाउस गैस की प्रगति तथा ऊर्जा में परिवर्तन'' नामक बहुद्देशीय/बहु सांगठनिक सहयोगात्मक परियोजना में सीएमपीडीआई आईआईटी, खड़गपुर के साथ भाग लेने वाला संगठन था। इसका शेष कोष (वित्त) सीआईएल अनु एवं विकास योजना के तहत उपलब्ध कराया गया है।

सीएमपीडीआई की परियोजना टीम ने 5 से 6 जुलाई, 2012 को इम्पेरियल कॉलेज, लंदन (यूके) में इस कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक में भाग लिया जहां यूएनईसीई के प्रेक्षक भी उपस्थित थे। इस बैठक में सीएमपीडीआई द्वारा किए गए कार्यों की प्रषंसा की गई

1.6.8 ''गोंदवाना बेसीन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन'' सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजना:

सीआईएल अनुसंधान एवं विकास परियोजना ''गोंदवाना बेसीन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन : सीआईएल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में'' पर कार्य जारी है तथा गुणवत्ता विश्लेषण के लिए शेल के नमूने एकत्र किए गए हैं और कुछ नमूनों को शेल गैस स्पेसिफिक टेस्ट के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इसी बीच इस योजना के तहत सीएमपीडीआई प्रयोगशाला में टोटल आर्गेनिक कार्बन (टीओसी) करने की सुविधा उत्पन्न कर ली गई है।

बीसीसीएल तथा सीसीएल क्षेत्र के भीतर शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रों का सीमांकन कर लिया गया है।

1.6.9 भारत के दामोदर बेसीन में शेल गैस की संभावना पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

पत्रांक 34012/3/2012/सीआरसी–1, दिनांक 30.10.2012 तथा 12.12.2012 के अनुसार कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के तहत 1686.84 लाख रूपए लागत वाली भारत के दामोदर बेसीन में शेल गैस संभाव्यता से संबंधित एक नई परियोजना अनुमोदित की गई है।

इस परियोजना का मूल उद्देश्य समेकित भू–भौतिक, भू–वैज्ञानिक तथा पेट्रोफीजिकल अन्वेषण के जरिए शेल गैस संभाव्यता हेतु दामोदर बेसीन का मूल्यांकन करना है।

एनजीआरआई टीम ने सीएमपीडीआई का दौरा किया तथा टीओसी, रॉक उबल पेट्रोलाइसिस, कार्बन आइसोटोपिक सिग्नेचर तथा बायोमार्कर के अध्ययन के लिए जीसीएसके कपूरिया सिंगरा तथा महुदा ब्लाक से शेल नमूना एकत्र किया। एनजीआरआई

की टीम ने मार्च, 2013 में सीएमपीडीआई का दौरा किया तथा चिह्नित क्षेत्रों में 3 डी सीसमिक सर्वे की सीवना का पता लगाया ।

1.6.10. भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना

17 नवम्बर, 2008 को कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में सीएमपीडीआई, रांची में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई। यह क्लियरिंग हाउस देश से सम्बद्ध जानकारी को संग्रह करने और आदान–प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और सार्वजनिक/निजी भागेदारी, प्रौद्योगिकीय सहयोग और वित्तीय निवेश का अवसर लाकर भारत में सीएमएम के व्यावसायिक विकास में मदद कर रहा है।

कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड के वित्तीय सहयोग से इस क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई है। इंडिया क्लियरिंग का एक वेबसाइट http.\\www.cmm clearinghouse cmpdi.co.in जिस पर सीएमएम, बीएएम आदि के विकास के लिए वर्तमान अवसर से संबंधित सूचना (जानकारी) के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण सूचना (जानकारी) जैसे ईओआई अधिसूचनाएँ, न्यूज लेटर आदि डाला गया है।

क्लियरिंग हाउस के ईपीए अनुदान के लिए प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि नवम्बर, 2011 में समाप्त हो चुकी है। कोयला मंत्रालय ने 31 अगस्त, 2012 को और 3 वर्ष की अवधि के लिए मियाद बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है तथा यूएमईपीए ने भी और 3 वर्ष की अवधि के लिए क्लियरिंग हाउस की मियाद बढ़ाने की सहमति दे दी है।

1.6.10.1 जीएमआई एक्सपो–13 में सीएमपीडीआई के अधिकारियों की भागेदारी

सीएमडी, सीएमपीडीआई, निदेशक (त./आरडीएंडटी) तथा महाप्रबंधक (सीबीएम) के साथ सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय सीएमपीडीआई टीम ने 12 में 15 मार्च, 2013 तक एक्सपो 13 तथा जीएमआई की अन्य बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के रूप में भाग लिया। भारत सरकार के बुथों का प्रबंधन भी सीएमपीडीआई के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में उपलब्ध व्यावसायिक विकास के अवसर को हाइलाइट करने के अतिरिक्त मिथेन प्रशमन (मिटिगेशन) में भारत सरकार की पहल को हाइलाइट करने वाला पोस्टर प्रदर्शित किया गया। सीएमपीडीआई की टीम ने सीएमएम के विकास के क्षेत्र में वर्तमान अवसर एवं चुनौतियों को भी दर्शाया।

कोयला उप समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री ए.के.देबनाथ, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

मिथेन एक्स्पो 2013 में कोयला मंत्रालय एवं सीएमपीडीआई के अधिकारीगण

मिथेन एक्स्पो 2013 में भारत सरकार के बूथ पर यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल

2.0 परियोजना आयोजना (प्लानिंग एवं डिजाइन)

जैसा कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों द्वारा प्राथमिकता निर्धारित की गई थी 75 एमटीवाय अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान नई/विस्तारण/पुनर्गठन खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट (पीआर) तैयार की गई। नई पी आर के साथ–साथ परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन का पुनरीक्षण भी किया गया। 12वीं योजना के चिह्नित परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने पर बल दिया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी किए गए :

- कोलफील्डों का मास्टर प्लान
- कोयला वाशरियों के लिए बोली दस्तावेज का कस्टमइजेशन तथा आरएफक्यू (योग्यता हेतु अनुरोध) तथा आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) की तैयारी तथा मूल्यांकन
- बड़ी खुली खानों के लिए परिचालन योजना
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- खुली एवं भूमिगत खानों की खनन योजना तथा माइन क्लोजर प्लान
- कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत एवं खुली खानों का खान क्षमता मूल्यांकन
- खुली एवं भूमिगत खानों को परिचालन से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन
- कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों में एचईएमएम के परिचालन का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत खानों में कन्टीन्यूअस माइनर प्राप्त करने हेतु मानक बोली दस्तावेज की तैयारी
- वाशरी अपशिष्ट का उपयोग कर एफबीसी आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए माडेल बोली दस्तावेज तथा अवधारणात्मक (कंसेप्चुअल) रिपोर्ट की तैयारी
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग, एनआईटी, निविदा संवीक्षा आदि

वर्ष 2012–13 के दौरान, पर्यावरण प्रबंधन एवं मानिटरिंग, सुदूर संवेदन, ऊर्जा अंकेक्षण (डीजल एवं विद्युत), भूमिगत तथा खुली खानों में डीजल एवं विद्युत खपत मानक का निर्धारण तथा डीजल एवं विद्युत खपत की बेंचमार्किंग, शेल एवं कोयला नमूनों का भौतिक–यांत्रिक परीक्षण, धँसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, अनाशक परीक्षण (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन तथा विस्फोटकों का उपयोग, भूमिगत खानों में संवातन/गैस सर्वेक्षण, खनन इलेक्ट्रानिक्स, कोयला नमूनों का पेट्रोग्राफी तथा क्लीट अध्ययन, कोयला कोर संसाधन तथा विश्लेषण अध्ययन, धोवन क्षमता अध्ययन, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, भूक्षरण अध्ययन, ढाल स्थायित्व अध्ययन/सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, भराई वाली खानों के लिए बालू भराई की मानकीय लागत का मूल्यांकन आदि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के विशेषज्ञ सेवाएँ भी दी गई। वर्ष 2012–13 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटैड एवं इसकी सहायक कंपनियों को लिए कुल 271 रिपोर्टें तैयार की गई है। तेयार की गई इन रिपोर्टों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है।:

रिपोर्ट	संख्या
भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट	15
परियोजना रिपोर्ट	29
अन्य रिपोर्ट	168*
ड्राफ्ट ईएमपी (30 फार्म–1 सहित)	59
कुल	271

इसमें बड़ी खुली खानों की 17 परिचालन योजना शामिल है।

वर्ष 2012–13 के दौरान तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट का व्यौरा परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

परिशिष्ट–1

पूरी की गई रिपोर्टों की सूची (2012–13)

क्षे0 सं0 / मुख्या0		रिपोर्टों के नाम
भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट		
क्षे.सं.–I	1	कुमारडिही
	2	नकराकोंडा
क्षे.सं.–III	1	अरगडा
	2	कुजु
क्षे.सं.–IV	1	शक्तिगढ़
क्षे.सं.–V	1	करकटी नॉर्थ
	2	तुलसी ब्लॉक 'ए'
क्षे.सं.–VI	1	बाघेला
क्षे.सं.–VII	1	लाजकुरा ओसीपी एवं डीप वि.
	2	समलेश्वरी एवं कुडोपली (संयुक्त)
	3	महानदी
मुख्यालय	1	चन्द्रपुरा संविदात्मक (कंट्रेक्चुएल)
	2	सयांग एनडब्ल्यू (गैर–सीआईएल) (कन्ट्रेक्चुएल)
	3	कायदा चौधर–गरियापानी (कन्ट्रेक्चुएल)
	4	सयांग ईस्ट बी (गैर–सीआईएल)
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे.सं.–I	1	चित्रा वि. ओसी
	2	घुसिक भू.ग.
	3	नॉर्थ सियारसोल ओसी
	4	न्यू/वेस्ट केन्दा ओसी
	5	रंगामाटी की ब्लॉक (तुमनी एवं कंचनपुर सेक्टर)
क्षे.सं.–II	1	ब्लॉक–VI ओसीपी
क्षे.सं.–III	1	गोविंदपुर भू.ग.
	2	कथारा वि. ओसी
	3	संघमित्रा ओसीपी
	4	तोपा वि. ओसीपी
	5	महेन्द्र (राजबार) ओसी
क्षे.सं.–IV	1	नन्दगाँव इन्कलाइन माईन का विस्तार
	2	भाटडी वि. ओसी का आरपीआर
	3	पिम्पलगाँव डीप ओसी
	4	हिन्दुस्तान लालपथ विस्तार ओसी
	5	कोलगाँव डीप ओसी
	6	पउनी संयुक्त ओसी
क्षे.सं.–V	1	महान–II ओसी के लिए आरपीआर
	2	कटकोना भू.ग. के लिए आरपीआर
	3	अमाडांड ओसी के लिए आरपीआर
	4	छाल ओसी का आरपीआर
	5	मलाचुआ ओसी
क्षे.सं.–VI	1	ब्लॉक–बी ओसीपी का ईपीआर
	2	ककरी नॉर्थ ओसीपी
क्षे.सं.–VII	1	बेलपहार एवं लखनपुर ओसी (30 मि.ट.प्र. वर्ष) हेतु इन्टिग्रेटेड पीआर
	2	लाजकुरा ओसीपी वि.
	3	गरजानबहल ओसीपी का संशोधित पीआर
	4	सियारमल ओसीपी (रिकास्ट पीआर)
मुख्यालय	1	हुरा 'सी' ओसी (रिकास्ट)
संचालन योजना		
क्षे.सं.–I	1	जामबाद ओसी
	2	राजमहल ओसी
	3	सोनपुर बाजारी ए ओसी
	4	चित्रा ओसी
	5	कोटट्राडीह ओसी
	6	मोहनपुर ओसी
क्षे.सं.–III	1	आम्रपाली ओसी
क्षे.सं.–IV	1	पदमपुर ओसी (डीप पैच)
	2	सास्ती ओसी

क्षे0 सं0 / मुख्या0		रिपोर्टों के नाम
	3	घुघुस ओसी
	4	पिम्पलगाँव ओसी
क्षे.सं.–V	1	दिपका ओसी
	2	कुसमुण्डा ओसी
	3	गेवरा ओसी
क्षे.सं.–VI	1	जयंत ओसीपी
	2	निगाही ओसीपी
	3	दुधिचुआ ओसीपी
अन्य रिपोर्टें		
क्षे.सं.–I	1	माधवपुर ओसी पैच हेतु कंसेप्च्यूएल (वैचारिक) रिपोर्ट
	2	तिलाबोनी भू.ग. एवं शंकरपुर माइन का अपडेटेड लागत प्राकलन
	3	बोन्जेमेहारी ओसी का प्रकम्पन अध्ययन
	4	झांझरा भू.ग. में कम उँचाई वाले सीएम की परियोजना रिपोर्ट का अद्यतन लागत प्राक्कलन
	5	घुसिक ब्लॉक के पीआर हेतु पीआर
	6	रंगामाटी 'बी' ब्लॉक (कंचनपुर सेक्टर) के लिए पीआर हेतु जीआर
	7	केंदा ब्लॉक के लिए पीआर हेतु पीआर
	8	जामबाद ओसी का प्रकम्पन अध्ययन
	9	कुमारडीह भू.ग. के पीआर का अद्यतन आकलित लागत
	10	नार्थ सियारसोल के लिए पीआर हेतु जीआर
	11	वर्षा जल हार्वेस्टिंग हेतु योजना
	12	जामबाद ओसीपी के कोल फेस में नियंत्रित विस्फोटन तथा प्रकम्पन अध्ययन।
	13	पाण्डवेश्वर कोलियरी के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	14	कोटट्राडीह भू.ग. के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
क्षे.सं.–II	1	भूतगोरिया भू.ग. की खनन योजना

क्षे0 सं0 / मुख्या0		रिपोर्टों के नाम
	2	भवरा नॉर्थ एवं सुदामडीह शॉफ्ट माइन का भू–वैज्ञानिक टिप्पणी
	3	भवरा नॉर्थ खान के ग्लोबल बिड दस्तावेज की तैयारी
	4	धनसार भू.ग. खान के पीआर के लिए यूसीई
	5	फुलारीटाँड़ भू.ग. पर भू–वैज्ञानिकी टिप्पणी
	6	कल्याणेश्वरी ओसी के पीआर हेतु जीआर
क्षे.सं.–III	1	सयाल डी भू.ग. का धँसान पूर्वानुमान
	2	संशोधित आकलित लागत (कथारा ओसीपी का आरसीई)
	3	रेलीगढ़ा ओसीपी का पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें
	4	चूरी–बेन्टी भू.ग. (हाईरिंग बेसिस) के लिए ग्लोबल बिड दस्तावेज।
क्षे.सं.–IV	1	स्वीकृत योजना की बाउण्डरी के बाहर घुघुस ओसी के कार्य क्षेत्र के विस्तार हेतु योजना।
	2	टकिया नाला फेज–VIII तथा IX के लिए योजना
	3	गोंदेगाँव ओसी, नागपुर एरिया में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	4	हिन्दुस्तान लालपेठ ओसी के पीआर के लिए जीआर
	5	सॉवनेर भू.ग. खान सं.1 में विस्फोटन प्रभावित भूमि कम्पन अध्ययन का मूल्यांकन।
	6	दमुआ ओसी के लिए योजना ।
	7	पिपला भू.ग. माइन में सीम–2 का गैस सर्वेक्षण
	8	साओनेर–3 भू.ग. के लिए बेंचमार्किंग सहित (विद्युतीय) ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट।
	9	डब्ल्यूसीएल में वर्ष 2017–18 से अगले 25 वर्षों के लिए प्रस्तावित पावर डिमाण्ड पर अध्ययन।
	10	तेलवासा तथा धोरवासा ओसी के लिए योजनाएं
	11	घोराबारी ओसी विस्तार की योजना।
	12	भाटडी वि. ओसी के पीआर हेतु जीआर

क्षे0 सं0 / मुख्या0		रिपोर्टों के नाम
	13	कोलेगाँव ओसी के पीआर हेतु जीआर
	14	गौरी डीप ओसी का माइन क्लोजर प्लान
	15	घुघुस ओसी एवं नाकोदा ओसी की खनन योजना
	16	बेलोरा नईगाँव ओसी की खनन योजना
	17	जुना कुनादा ओसी विस्तार का माइन क्लोजर योजना
	18	वाघोदा भू.ग. का माइन क्लोजर योजना
	19	पेनगंगा ओसी का संभाव्यता रिपोर्ट
क्षे.सं.–V	1	राय ओसी (15 मि.ट.प्र.वर्ष) का अद्यतन आंकलित लागत
	2	बिजारी ओसी (15 मि.ट.प्र.वर्ष) का अद्यतन आंकलित लागत
	3	बतुरा ओसी (4 मि.ट.प्र.वर्ष) का अद्यतन आंकलित लागत
	4	अमलाई ओसीएम, सेक्टर–बी का नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	5	कटकोना भू.ग. माइन का धँसान अध्ययन
	6	अमलाई ओसीएम, सेक्टर–ए में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	7	मदन नगर नार्थ एवं साउथ (पीआर के लिए मॉड्ल)
	8	महामाया भू.ग. से ओसी में बदलने हेतु पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	9	विजय वेस्ट एवं रानी अटारी भू.ग. से ओसी में बदलने हेतु पूर्व संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट
	10	महान (0.36 मि.ट.प्र.वर्ष) का आरसीई ।
	11	पेलमा ओसी (15 मि.ट.प्र.वर्ष) का अद्यतन आकलित लागत।
	12	शारदा हाईवाल माइनिंग परियोजना में विस्फोटन डिजाइन एवं प्रकम्पन अध्ययन।
	13	बदौली भू.ग. से ओसी में बदलने हेतु पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट।

क्षे0 सं0 / मुख्या0		रिपोर्टों के नाम
	14	अमलाई ओसीपी का 50 मीटर से बाहर लेकिन 100 मीटर के अन्दर नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन।
	15	विजय वेस्ट भू.ग. (0.5 मी.ट.प्र.वर्ष) (सीएम अप्लीकेशन) के लिए टेक्नो इकॉनॉमिक्स।
	16	पाठकपुर, खैराहा, दामिनी और राजेन्द्र यूजी को ओसी में बदलने के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट।
	17	अम्बा भू.ग. से ओसी में बदलने हेतु पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	18	गायत्री भू.ग. में माइन फैन के व्यवस्थापन हेतु पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट
	19	एसईसीएल के 8 नं. भू.ग. खदानों का ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट
	20	बिजारी ओसीपी हेतु आरसीई।
क्षे.सं.–VI	1	जयन्त ओसीपी में (2.5 मि.ट.प्र.वर्ष) फीडर ब्रेकर की स्थापना के लिए योजना
	2	बीना तथा ककरी माइन के मध्य बैरिअर के निष्कर्षण के लिए योजना।
	3	निगाही ओसीपी के लिए उपकरणवार डीजल खपत मानदण्ड का निर्धारण तथा डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग।
क्षे.सं.–VII	1	एमसीएल में सीआईएसएफ के डिप्लॉयमेन्ट के लिए पीआर
	2	बलराम ओसीपी का माइन क्लोजर प्लान।
	3	वसुन्धरा वेस्ट तथा चक्रधारा ओसीपी के विस्तार पर भूवैज्ञानिक मॉड्ेल।
	4	बलराम ओसीपी की खनन योजना
	5	लखनपुर ओसीपी की खनन योजना
	6	लखनपुर, बेलपहार तथा लिलारी ओसीपी के समाकलन की खनन योजना।
मुख्यालय	1	गोविन्दपुर कोलियरी, बीसीसीएल का धँसान पुर्वानुमान रिपोर्ट।
	2	जोगीडीह कोलियरी, बीसीसीएल का धँसान पुर्वानुमान रिपोर्ट।

क्षे0 सं0 / मुख्या0	रिपोर्टो के नाम
	3 महेशपुर कोलियरी, बीसीसीएल, का धँसान पुर्वानुमान रिपोर्ट।
	4 न्यू आकाशकिनारी कोलियरी, बीसीसीएल का धँसान पुर्वानुमान रिपोर्ट।
	5 नंदिरा भू.ग. माइन, एमसीएल में मैनराइडिंग सिस्टम हेतु फिजिविलिटि रिपोर्ट ।
	6 कुमारडिही 'ए' कोलियरी (आर–VII बी सीम), झांझरा कोलियरी (आर–VII ए सीम, एसडीएल / एलएच जिला), मंदारबोनी कोलियरी (आर–VI सीम), दालुरबन्द कोलियरी (आर–VII A+B दोबराना सीम), ईसीएल के आरएमआर एवं शेलभार पर रिपोर्ट।
	7 कनिहा 220 / 33 के.वी. सब–स्टेशन एमसीएल के लिए योजना
	8 हरियाजाम कोलियरी (जी.पी. सीम) ईसीएल के सपोर्ट ले–आउट तथा आरएमआर पर रिपोर्ट।
	9 टांडसी अमलगमेटेड भू.ग. माइन के पैनल 'एच' का धँसान पुर्वानुमान रिपोर्ट।
	10 एनसीएल के दो (2) ओसीपी का विद्युत उर्जा अंकेक्षण।
	11 इन्दर भू.ग. से ओसी तथा तावा–II भू.ग., डब्ल्यूसीएल के कोर एवं बफर जोन का भूमि उपयोग / आच्छादन मानचित्रण।
	12 सिमलौंग ओसी, ईसीएल के कोर एवं बफर जोन का भूमिगत उपयोग / आच्छादन मानचित्रण।
	13 झांझरा कोलियरी, 3 एवं 4 इनक्लाइन यूनिट (आर–VII, सीम तथा आर–VII (बोनबहल सीम) एवं मंदारबोनी कोलियरी (आर–IV सीम), ईसीएल के आरएमआर तथा शेलभार पर रिपोर्ट।
	14 हरियाजाम कोलियरी (बीपी टॉप सीम) तथा शंकरपुर कोलियरी (आर–VII, सीम), ईसीएल के आरएमआर एवं सपोर्ट ले–आउट पर रिपोर्ट।
	15 कनकनी कोलियरी, बीसीसीएल की धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट।

क्षे0 सं0 / मुख्या0	रिपोर्टो के नाम
	16 बासुदेवपुर कोलियरी, बीसीसीएल की धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट।
	17 तेतुलमारी कोलियरी, बीसीसीएल का धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट।
	18 सेंदरा बाँसजोरा कोलियरी, बीसीसीएल का धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट।
	19 भरतपुर ओसीपी, एमसीएल की नियंत्रित विस्फोटन एवं प्रकम्पन अध्ययन।
	20 एमसीएल के जुरावाग सब–स्टेशन में अग्निशमन तथा अग्नि संसूचन हेतु रिपोर्ट।
	21 चिनचोली ओसीपी, डब्ल्यूसीएल के कोर एवं बफर जोन का भू.ग. उपयोग / आच्छादन मानचित्रण।
	22 चित्रा ओसीपी, ईसीएल के कोर एवं बफर जोन का भू.ग. उपयोग आच्छादन मानचित्रण।
	23 ओरिएन्ट कोलियरी, खदान नं.1 एवं 2 (एचआरसीम–III एवं IV), एमसीएल के आरएमआर तथा सपोर्ट लेआउट पर रिपोर्ट।
	24 वर्ष 2012–13 के लिए खनन उपकरणों की मानक मूल्य सूची ।
	25 सोनपुर बजारी ओसीपी, ईसीएल का ढ़ाल स्थायित्व अध्ययन।
	26 मगध एवं आम्रपाली ओसीपी, सीसीएल का टॉप स्वायल प्रबंधन पर रिपोर्ट।
	27 तालचर कोलफिल्ड्स, एमसीएल में बिलेन्दा / बिकसार सैण्ड माइन हेतु खनन योजना।
	28 बलरामपुर ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं प्रकम्पन अध्ययन।
	29 ईसीएल, के माधाइपुर कोलियरी, 5–6 पीट एवं 9–10 पीट (सामला / आर–II / आर–III सीम) तथा झांझरा प्रोजेक्ट कोलियरी, एमआईसी यूनिट (आर–VI सीम) का आरएमआर एवं शेलभार (रॉक लोड) पर रिपोर्ट।
	30 सिंगरौली कोलफिल्ड के भू–उपयोग / बनाच्छादन मानचित्रण।

क्षे0 सं0 / मुख्या0	रिपोर्टों के नाम
	31 बेलपहार ओसीपी,एमसीएल के लिए ढ़ाल स्थायित्व अध्ययन।
	32 सिरका ओसीपी,सीसीएल के लिए मृदा संरक्षण अध्ययन।
	33 बलराम ओसीपी, एमसीएल में वहिस्त्रावी–उपचार संचंत्र इफ्लयूएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लांट (ईटीपी) हेतु योजना।
	34 बान्देर कोयला क्षेत्र का भूमि उपयोग / वनाच्छादन मानचित्रण।
	35 गिदद्दी 'सी' ओसीपी, सीसीएल के लिए भू–क्षरण अध्ययन।
	36 वर्ष 2011–12 के दौरान सीआईएल के ओसी खदानों के क्षमता तथा क्षमता उपयोगिता का मूल्यांकन।
	37 मुनीडीह माइन, बीसीसीएल में मैन राईडिंग सिस्टम के व्यवस्थापन हेतु योजना।
	38 सीआईएल के भूमिगत खानों का वर्ष 2011–12 के लिए क्षमता उपयोगिता तथा 1ली अप्रैल 2012 के अनुसार क्षमता मूल्यांकन।
	39 तोपा माइन, सीसीएल में एम एन इन्क्लाइन का गैस सर्वेक्षण।
	40 डब्ल्यूसीएल के तावा–II भू.ग. माइन का धंसान प्रिडिक्शन रिपोर्ट।
	41 तिरॉप ओसीपी फेज–II का रिकास्ट
	42 सिदुली कोलियरी (जामबाद / आर–VII सीम), चोरा ब्लॉक के इन्क्लाइन (बोनबहल / आर–VII सीम), दालुरबंद बोलियरी (आर–VII सीम) तथा चापापुर–II कोलियरी (मेटाडीह सीम), ईसीएल के आरएमआर अध्ययनों पर रिपोर्ट।
	43 चिनाकुरी भू.ग. माइन, ईसीएल का धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट
	44 तावा–III भू.ग., डब्ल्यूसीएल का भू–उपयोग / आच्छादन मानचित्रण

क्षे0 सं0 / मुख्या0	रिपोर्टों के नाम
	45 रानीगंज कोयला क्षेत्र के पाँच (5) क्लस्टर के कोर एवं बफर जोन का भू–उपयोग / वनाच्छादन मानचित्रण।
	46 चिनाकुरी भू.ग. खदान, ईसीएल के आर–IV सीम के केविंग सहित डिपिलियरिंग के दौरान उपरवाले सीम पर इसके प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन का रिपोर्ट।
	47 ताव–III भू.ग. खदान, डब्ल्यूसीएल का धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट ।
	48 निलजई ओसीपी, डब्ल्यूसीएल का हाल स्थायित्व अध्ययन।
	49 पुंडी ओसीपी, सीसीएल के लिए मृदा संरक्षण अध्ययन।
	50 सीसीएल द्वारा चिन्हित् चौदह (14) ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	51 एसईसीएल द्वारा चिन्हित् तीन (3) ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	52 एमसीएल द्वारा चिन्हित् पाँच (5) ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	53 एनसीएल द्वारा चिन्हित् आठ (8) ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	54 बीसीसीएल द्वारा चिन्हित् चौदह (14) ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	55 ईसीएल द्वारा चिन्हित् नौ (9) ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	56 डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित् सतरह (17) ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	57 वर्ष 2011–12 के दौरान सीआईएल की ओसी माइन के एचईएमएम का निष्पादन।
	58 विस्फोटकों, डीजल, विद्युत का विशेष रूप से खपत के विश्लेषण पर रिपोर्ट।
	59 लोहापटट्टी कोलियरी, बीसीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा प्रकम्पन अध्ययन।

क्षे0 सं0 / मुख्या0	रिपोर्टों के नाम
	60 ईसीएल के कोटट्राडीह कोलियरी, हरिपुर कोलियरी श्यामसुन्दरपुर कोलियरी (सारणी यूनिट) तथा पारशा पिट के लिए समुचित मैन राइडिंग सिस्टम के चुनाव हेतु योजना।
	61 करगली भू.ग. माइन (बेरमो सीम) एवं तोपा भू.ग. माइन (VIII सीम) सीसीएल तथा पुरे सियारसोल कोलियरी (आर–VII सीम), निमचा (आर) कोलियरी (आर–VII एवं आर–VIII सीम) तथा जेके नगर कोलियरी (आर–6 सीम) ईसीएल के आरएमआर अध्ययनों पर रिपोर्ट।
	62 बीएसआई (करगली भू.ग.) सीसीएल में गैसीनेस की डिग्री के निर्धारण के लिए गैस सर्वेक्षण।
	63 वेस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र का भू–उपयोग / वनाच्छादन मापन मानचित्रण
	64 खासमहल ओसीपी, सीसीएल के लिए भू–क्षरण अध्ययन
	65 सीसीएल के चार कोकिंग कोयला वाशरी अर्थात् कथारा, स्वांग, केदला एवं रजरप्पा का क्षमता मूल्यांकन।
	66 तालचर कोयला क्षेत्र के महानदी खनिखण्ड और कटोल कोयला क्षेत्र के सुकली, कपरी खनिखण्ड में सीबीएम गैस–इन–प्लेस रिसोर्स के मूल्यांकन।
	67 ईसीएल के सतग्राम इन्क्लाईन (क्षे.–4 सीम), सतग्राम परियोजना (क्षे.4 सीम) चाप्यूखास कोलियरी (क्षे–6 सीम) तथा कुआरदि कोलियरी (क्षे.– 9 ए सीम) के आरएमआर अध्ययनों पर रिपोर्ट।
	68 टांडसी खदान, डब्ल्यूसीएल के पैनल ''एच'' के निष्कर्षण की विधि के हेतु सुझावों पर रिपोर्ट।
	69 ईस्ट बोकारो कोयलाक्षेत्र का वनाच्छादन मानचित्रण
	70 कर्णपुरा कोयलाक्षेत्र का वनाच्छादन मानचित्रण
	71 कोरबा कोयलाक्षेत्र का वनाच्छादन मानचित्रण

क्षे0 सं0 / मुख्या0	रिपोर्टों के नाम
	72 एसईसीएल के बागदेवा, कोरबा क्षेत्र हेतु उर्जा अंकेक्षण (विद्युतीय) रिपोर्ट।
	73 एसईसीएल के दामिनी, सोहागपुर क्षेत्र के लिए उर्जा अंकेक्षण (विद्युतीय) रिपोर्ट।
	74 एनसीएल के ककरी एवं खादिया खदानों के लिए उर्जा अंकेक्षण (विद्युतीय) रिपोर्ट।
	75 एमसीएल के 4 चार ओसी खदानों का उर्जा अंकेक्षण (विद्युतीय) रिपोर्ट।
	76 सीसीएल के तापिन नार्थ ओसीपी के लिए उपकरणवार डीजल खपत मानदण्ड का निर्धारण तथा डीजल बेंचमार्किंग पूर्ण विवरण।
	77 सीआईएल (1.4.2013 के प्रक्षेपण के अनुसार) के ओसी खदानों की क्षमता का मूल्यांकण।
	78 एनईसी के तिरॉप ओसीपी का ढ़ाल स्थायित्व अध्ययन।
	79 डब्ल्यूसीएल के पिम्पलगाँव ओसीपी का ढ़ाल स्थायित्व अध्ययन।
	80 एमसीएल के लिंगराज ओसीपी का ढ़ाल स्थायित्व अध्ययन।
पर्यावरण प्रबंधन योजना	
फार्म–1	
क्षे.सं.–I	1 क्लास्टर– IV माइन्स (संशोधित)
	2 रंगामाटी 'बी' ब्लॉक (कंचनपुर सेक्टर)
	3 घुसिक भू.ग.
	4 दामोदर नदी तल पर बालू खनन
	5 अजय नदी तल पर बालू खनन
क्षे.सं.–II	1 लोहापटट्री बालू घाट
क्षे.सं.–III	1 अरगडा ओसी
	2 कुजु ओसी
	3 चानो–रिकवा ओसी
	4 डीआरडी ओसी
	5 जरांगडीह बालू खान परियोजना

क्षे0 सं0/ मुख्या0		रिपोर्टों के नाम
	6	स्वांग बालू खान परियोजना
	7	गोविंदपुर सैण्ड माइन परियोजना
	8	पिपरवार वि. ओसी
	9	तरमी ओसीपी
क्षे.सं.–IV	1	पदमपुर वि. डीप ओसी
	2	घुघुस वि. ओसी (सेक्टर–सी) ओसी/ नकोदा भू.ग. से ओसी
	3	न्यू सेथिया ओसी
	4	परसोडा ओसी
	5	चिनचला–चिकलगाँव (ए) ओसी
	6	बल्लारपुर ओसी वि.
	7	घुघुस ओसी वि.
	8	घुघुस ओसी वि.
	9	पउनी ओसी वि.
क्षे.सं.–VI	1	ब्लॉक–बी ओसीपी
क्षे.सं.–VII	1	जगन्नाथ ओसी
	2	बेलपहार ओसी वि.
	3	लखनपुर ओसी वि.
	4	समलेश्वरी ओसीप, फेज–4
	5	लखनपुर, बेलपहार तथा लिलारी ओसी समाकलित
मुख्यालय	1	निगाही ओसीपी, एनसीएल
ईएमपी (प्रारूप)		
क्षे.सं.–I	1	मोहनपुर ओसी वि.
	2	नार्थ सियरसोल ओसी पैच
	3	कलस्टर–I माइन्स,
	4	कलस्टर–XII माइन

क्षे0 सं0/ मुख्या0		रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.–II	1	दुग्दा वाशरी
	2	कलस्टर–VI माइन्स, बीसीसीएल
	3	कलस्टर–XV माइन्स, बीसीसीएल
	4	कलस्टर–XI माइन्स, बीसीसीएल
क्षे.सं.–III	1	बरका सयाल खान समूह
	2	पिचरी ओसीपी
	3	पिपरवार वि. ओसी (ईआईए/ईएमपी का सारांश)
	4	तरमी ओसीपी (एडेन्डम ईएमपी)
क्षे.सं.–IV	1	जूना कुनाडा वि.,ओ.सी
	2	शिवानी ओसी
	3	निलजई डीप ओसी
	4	घोंसा ओसी वि.
क्षे.सं.–V	1	दिपका वि.,ओ.सी
	2	गेवरा वि.ओसी
	3	कुसमुण्डा ओसीपी (62.50 मि.ट.प्र.वर्ष) संशोधित
	4	छाल ओसी
	5	अमाडांड़ ओसी
	6	रामपुर–बतुरा ओसी
	7	कटकोना भू.ग.
	8	मलाचुआ ओसी
मुख्यालय	1	कृष्णशीला ओसी, एनसीएल
	2	कलस्टर–VI खदानें, ईसीएल
	3	कलस्टर–II खदानें, ईसीएल
	4	कलस्टर–V खदानें, ईसीएल
	5	कलस्टर–VII खदानें, ईसीएल

2.1 कोयला एवं खनिज परिष्करण :

कोयला एवं खनिज परिष्करण प्रभाग कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकीय सेवाओं तथा वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण/रूपांतरण कार्य का प्रस्ताव करता है। इन सेवाओं में विस्तृत प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, वैचारिक रिपोर्ट, परियोजना आयोजन, निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रिया–कलापों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह प्रभाग लेबोरेटरी स्केल अध्ययन करने के लिए नवीनतम और परिष्कृत उपकरणों के साथ–साथ आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है।

कोयला एवं खनिज परिष्करण प्रभाग पहले से ही खुले बाजार के कठिन मुकाबले कोयला एवं अन्य खनिजों के परिष्करण के क्षेत्र में अनेकों प्रतिष्ठित कार्यों को किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

1. ''सीमेंट उद्योग के लिए कोयला वाशरियों के तकनीकी, आर्थिक अध्ययन पर रिपोर्ट'' नामक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना
2. ''भारत में कोयला परिष्करण के जरिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन'' नामक एडीबी सहायता प्राप्त परियोजना

सीएमपी प्रभाग के रोस्टर में कुछ सम्मानित ग्राहकों में से एमपीईबी, एमईसीएल, नेवेली लिग्नाइट, पीएसईबी, बीएचईएल, एनटीपीसी, टिस्को, आईसीएमपीएल, यूएनडीपी, एनओआईएल, एससीसीएल और कई और हैं।

विवेच्य वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए :

क) रिपोर्ट/अध्ययन

1. निम्नलिखित के खान परियोजना रिपोर्ट के लिए वाशरी पर रिपोर्ट की तैयारी :

क) ब्लॉक–अप ओसीपी, बीसीसीएल

ख) संघमित्रा ओसीपी (15 मीट.प्र.व.), सीसीएल

ग) विस्तारण परियोजना, सामेलेश्वरी ओसीपी, एमसीएल

घ) तोपा विस्तारण ओसीपी, एमसीएल

ड़) राजबार ओसीपी, सीसीएल

निम्नलिखित का अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी :

क) मुनीडीह वाशरी, बीसीसीएल

ख) दुग्दा–।। वाशरी, बीसीसीएल

ग) सुदामडीह वाशरी, बीसीसीएल

घ) भोजुडीह वाशरी, बीसीसीएल

निम्नलिखित का क्षमता मूल्यांकन :

क) केदला वाशरी (कोकिंग कोल), सीसीएल

ख) कथारा वाशरी (कोकिंग कोल), सीसीएल

ग) स्वांग वाशरी (कोकिंग कोल), सीसीएल

घ) राजरप्पा वाशरी (कोकिंग कोल), सीसीएल

4. सियारमल ओसीपी, एमसीएल के खान परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए वाशरी का लागत अद्यतन तथा चाप्टर का मोडिफिकेशन
5. धोरी वाशरी, सीसीएल के लिए तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी
6. भोजुडीह वाशरी, बीसीसीएल के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी

ख.) निविदा दस्तावेज की तैयारी :

1. **निम्न के लिए बिड दस्तावेज के आरएफ की भाग की तैयारी :**

क) हिंगुला वाशरी, एमसीएल

ख) दुग्दा वाशरी, बीसीसीएल (संशोधित)

ग) बसुंधरा वाशरी, एमसीएल (मसौदा)

घ) पाथरडीह–2 वाशरी बीसीसीएल (मसौदा)

स्वांग वाशरी, सीसीएल में अतिरिक्त लोडिंग बंकरों के लिए संशोधित निविदा दस्तावेज की तैयारी

ग.) निविदा संवीक्षा :

1. निम्न के लिए बिड दस्तावेज के आरएफपी हिस्से का मूल्यांकन :

क.) दहीबारी वाशरी, बीसीसीएल

ख) कुसमुंडा वाशरी, एसईसीएल

ग) हिंगुला वाशरी, एमसीएल

2. वसुंधरा और जगन्नाथ वाशरी, एमसीएल के लिए बिड दस्तावेज के आरएफक्यू हिस्से का मूल्यांकन

3. निम्नलिखित प्रस्तावों का मूल्यांकन :

क.) स्वांग वाशरी, सीसीएल में फाइन कोल बेनिफिशिएशन प्लांट

ख.) स्वांग वाशरी, सीसीएल में अतिरिक्त लोडिंग बकर

ग.) केदला वाशरी, सीसीएल में ट्विन–शाफ्ट साइजर सहित प्राइमरी क्रसिंग

घ.) भरतपुर, एमसीएल में ऑल मिनरल अलॉयर जिग सहित ड्राई–डिशेलिंज

ङ.) मधुबंद वाशरी–बीसीसीएल में आरडीसोर्ट टेक्नीक (रेडियोमेट्रिक)सहित ड्राई–डिशेलिंग

घ) **करार :**

निम्नलिखित के लिए करार की तैयारी :

क) मधुबंद वाशरी, बीसीसीएल

ख) पाथरडीह वाशरी, बीससीएल

ग) अशोक वाशरी, सीसीएल (मसौदा)

ङ.) **अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :**

निम्नलिखित के लिए संशोधित निविदा दस्तावेज की तैयारी :

क) भरतपुर, एमसीएल में आलमिनरल अलॉयर जिग सहित ड्राई–डिशेलिंग

ख) मधुबंद वाशरी, बीसीसीएल में आर्डीसोर्ट टेक्नीक (रेडियोमेट्रिक) सहित ड्राई–डिशेलिंग

2. कोल प्रिपरेशन प्लांट सिमूलेटर का विकास

च) **बाह्य परामर्श :**

1. मेसर्स एसएंडटी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के भेलाटाँड कोकिंग कोल वाशरी का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांच

2.2 परियोजना मूल्यांकन :

1. वर्ष 2012–13 के दौरान सीएमपीडीआई के मुख्यालय के विभागों तथा क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार 23 परियोजना रिपोर्टों/संशोधित परियोजना रिपोर्टों/ईपीआर के मसौदा की संवीक्षा तथा मूल्यांकन एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभागों को दिशा–निर्देश देने के लिए सीएमपीडीआई, मुख्यालय में उनकी प्रस्तुति के लिए समन्वयन।

2. क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई 9 वैचारिक टिप्पणियों की संवीक्षा और मूल्यांकन तथा परियोजना रिपोर्ट/आरपीआर/ईपीआर मसौदा की तैयारी के पूर्व प्रमुख तकनीकी पारामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए ओसी/यूएमडी विभाग तथा पीएडी सहित निदेशक (टी) (पीएंडडी)/निदेशक (टी) (आरडीएंडटी) द्वारा उनके मूल्यांकन के लिए समन्वयन

3. सचिव (कोयला) की तिमाही समीक्षा बैठक के लिए 500 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली चालू परियोजनाएँ विशेषकर सीएमपीडीआई की जिम्मेवारी के तहत कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतन

4. सचिव (कोयला) की तिमाही संवीक्षा बैठकों, वीआईपी दौरों और क्षेत्रीय निदेशकों की समन्वयन बैठकों के समय में कोल इंडिया की xiiवीं योजना की कोयला खनन परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों के निर्माण की स्थिति की अद्यतन

3.0. भूमिगत खनन और खुली खदान खनन

वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए तथा जारी हैं

3.1 भूमिगत खनन

ए.1 बाह्य परामर्श कार्य (पूरे किए गए) :

1. मालाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, एचसीएल के लिए डीपीआर की जांच, कार्य की संभावना तथा प्री–बिड मीटिंग में सहभागिता के लिए परामर्श सेवाएँ :

2. हुट्टी गोल्ड माइन्स में नए शाफ्ट के उपकरण निर्माण एवं फर्निशिंग के लिए ईओआई, बिड दस्तावेज की तैयारी एवं डिजाइन की जांच

3. माछेर गुंडा कोल ब्लॉक, लातेहार, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड के लिए खनन योजना एवं परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

ए.2 बाह्य परामर्श कार्य (जारी) :

1. एमओआईएल के बालाघाट खान में लगभग 630 मीटर गहरे 7.5 मीटर व्यास के वर्टिकल हाई स्पीड शफ्ट के सिंकिंग के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी एवं डिजाइन सहित व्यापक परामर्श सेवाएँ

2. उकवा खान, एमओआईएल में उदग्र चानक के लिए टीईएफआर की जांच एवं वर्टिकल शाफ्ट, वाईडिंग इंस्टालेशन की विस्तृत डिजाइन

3. मुनसार खान, एमओआईएल में उदग्र चानक के लिए टीईएफआर की जांच एवं वाईडिंग इंस्टोलेशन, वर्टिकली शाफ्ट की विस्तृत डिजाइन
4. बालाघाट खान से उत्पादन में वृद्धि के लिए खनन योजना की तैयारी एवं परियोजना रिपोर्ट का एक्सपेंशन (विस्तार)

बी.1 कोल इंडिया के कार्य (पूरे किए गए कार्य) :

1. पीबी परियोजना, बीसीसीएल के 1 पिट वाइन्डर के हेडगियर की संरचना का स्थायित्व परीक्षण
2. नांदिरा भू.ग.खन, एनसीएल के लिए मैन राइडिंग सिस्टम का संभाव्यता अध्ययन
3. बंगवार भू.ग. खान, सोहागपुर क्षेत्र, एसईसीएल में उच्च क्षमता वाले एमएमवी के लिए उपयुक्त फैन ड्रिफ्ट एवं फैन हाउस का विस्तृत डिजाइन ड्राईंग
4. विजन वेस्ट भूमिगत खान, सिंदुरगढ़ उप–क्षेत्र, चिरीमिरी क्षेत्र, एसईसीएल के वायु चानक का विस्तृत डिजाइन ड्राईंग
5. वर्ष 2012–13 के लिए खनन उपकरणों की मानक मूल्य सूची
6. तालचर कोयला क्षेत्र, एमसीएल के बिलेंडा/बिकसार सैण्ड माइन के लिए खनन योजना की तैयारी
7. मूनीडीह खान, बीसीसीएल में मैन राइडिंग सिस्टम की प्राप्ति, संस्थापन एवं चालू करने का प्रस्ताव
8. तोपा खान, सीसीएल के लिए एमएन इक्लाइन का गैस सर्वेक्षण
9. कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत खान के वर्ष 11–12 के लिए क्षमता उपयोग एवं 01.04.2012 के अनुसार क्षमता मूल्यांकन
10. ओरिएंट क्षे., एमसीएल के हीराखंड बुदिया खान के लिए इक्लाइन और एयर शाफ्ट के निर्माण के लिए एनआईटी और बीओक्यू, विस्तृत डिजाइन की तैयारी
11. झांझरा परियोजना–तकनीकी भाग के लिए मैन राइडिंग वाहन की प्राप्ति के लिए वैश्विक निविदा हेतु निविदा आमंत्रण सूचना दस्तावेज की तैयारी
12. चिनाकुरी भूमिगत खान, ईसीएल में आर iv सीम में डिपीलरिंग, केविंग करते समय ओवर लाईंग सीम पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन
13. कोट्टाडीह कोलियरी(1), हरीपुर कोलियरी (2) श्यामसुंदरपुर कोलियरी (सरपी ईकाई) (3) एवं परसापिट (4) ईसीएल के लिए उपयुक्त मैन राइडिंग प्रणाली के चयन की योजना
14. तिलाबोनी कोलियरी, बंकोला क्षेत्र इसीएल में इनकलाइन के एक जोड़े के लिए डिजाइन ड्राईंग एवं प्राक्कलन
15. भागबंद कोलियरी, पीबी क्षेत्र, बीसीसीएल का 3 पिट वाइन्डर के हेडगियर की संरचाना का स्थायित्व विश्लेषण
16. बीएंड के क्षेत्र, सीसीएल के बीएसआई (करगली भूमिगत) में गैसीयता की डिग्री का निर्धारण करने के लिए गैस सर्वेक्षण

बी–2 कोल इंडिया के कार्य (चालू कार्य) :

1. ज्वाईंट वेंचर रूट के जरिए चिनाकुरी–1 भूमिगत खान, ईसीएल के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना के मसौदे की तैयारी
2. एसईसीएल की 10 खानों में मैन राइडिंग प्रणाली को लागू करने की योजना
3. पिपरवार भूमिगत, सीसीएल में इंक्लाइन ड्राइवेज के लिए सपोर्ट का विस्तृत डिजाइन, एनआईटी/टीडी, बीओक्यू की तैयारी
4. टांडसी खान, कान्हा क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के पैनल ''एच'' के निष्कषर्ण की विधि के लिए सुझाव
5. डाक बोली के लिए क्रिसिल द्वारा मूल्यांकन के लिए गवेषित 6 वशवर्ती कोयला खनि खंडों (यूएमडी को 2 आवंटित) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी
6. कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के ग्राहक के लिए विभिन्न माइनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान'' पर त्वरित टिप्पणी
7. मेसर्स एएमआर– बीबीबी द्वारा सौंपे गए कपुरिया परियोजनाओं के डीपीआर के मसौदा पर टिप्पणी
8. मेसर्स माइनोप द्वारा सौंपे गए मुराईडीह भूमिगत खान, बीसीसीएल के मसौदा परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी परीक्षण

3.2 खुली खदान खनन :

1. पूरे किए गए कार्य

बाह्य परामर्शी कार्य

1. डोगरी बुजफ्रग मैंगनीज माइन के लिए एक्सपेंशन पीआर–ग्राहक एमओआईएल लिमिटेड
2. देवांगुड़ी लिग्नाइट माइन के लिए मसौदा खनन योजना, ग्राहक, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
3. देवागुड़ी लिग्नाइट खान के लिए संभाव्यता रिपोर्ट; ग्राहक–नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
4. बाह्य ओबी डम्प की आवश्यकता के विशिष्ट संदर्भ सहित उत्कल–बी$_2$ ब्लॉक का रिव्यूविंग माइनिंग प्लान–ग्राहक मोनेट इस्पात लिमिटेड

प्रमुख आंतरिक परामर्शी कार्य :

1. सामलेश्वरी एक्सटेंशन ओसीपी (सभी सीमों पर विचार करते हुए) के लिए संभाव्यता रिपोर्ट– ग्राहक : एमसीएल
2. हुरा 'सी' ओसीपी (3.0 मी.ट.प्र.व.) के लिए परियोजना रिपोर्ट–ग्राहक ईसीएल
3. तिराप ओसीपी चरण–।। का रिकास्ट–ग्राहक–एनईसी

अन्य प्रमुख कार्य :

1. कोल इंडिया की सभी खुली खदान खानों का मूल्यांकन
2. कोल इंडिया की खुली खदान खानों में लगे एचईएमएम का कार्यनिष्पादन विश्लेषण
3. कोल इंडिया की खुली खदान खानों में विस्फोटकों, डीजल एवं इलेक्ट्रीक पावर की विशेष खपत का विश्लेषण
4. नया चालू किया गया एचईएमएम के लिए कोल इंडिया संयंत्र का आवंटन

खनन योजनाओं की संवीक्षा–ग्राहक कोयला मंत्रालय

1. सुर्खा (नार्थ) लिग्नाइट डिपोजिट, जिला–भावनगर, गुजरात के लिए संशोधित खनन योजना (पहला पुनरीक्षण) तथा माइन क्लोजर प्लान (जुलाई 2012)
2. किस्टाराम ओसीपी, जिला–खमाम, एपी की खनन योजना (नवम्बर, 2011)
3. मानुगुरू माइनिंग लीज, पुनरीक्षण–2 (मानुगूरू ओसी IV एक्सटेंशन), जिला खमाम, एपी के भाग के लिए माइन क्जोजर प्लान (नवम्बर, 2011) सहित संशोधित खनन योजना
4. सुलियारी बेलवार कोल ब्लॉक, सिंगरौली कोयला क्षेत्र बेलवार कोल ब्लॉक, सिंगरौली कोयला क्षेत्र के लिए खनन योजना (अगस्त, 2012)
5. पकरी बरवाडीह कोल ब्लॉक (मेसर्स एनटीपीसी) के लिए माइन क्जोजर प्लान (मार्च 2012) सहित संशोधित खनन योजना (पहला पुनरीक्षण) (मेसर्स एनटीपीसी)
6. मनोहरपुर कोल ब्लॉक, जिला–सुंदरगढ़ (मेसर्स ओपीजीसी) के लिए माइन क्जोजर (मई 2012) सहित खनन योजना (पुनरीक्षण–1), (मेसर्स ओपीजीसी)
7. बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड के कपुरडी लिग्नाइट ब्लॉक के लिए संशोधित खनन योजना
8. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के परसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लाक के लिए खनन योजना
9. टाटा स्पंज आयरन लि. के राधिकापुर ईस्ट (उत्कल एफ सहित) के लिए संशोधित खनन योजना

तकनीकी अध्ययन :

1. मछाकाटा खुली खदान, महानदी कोयला ब्लॉक
2. मनोहरपुर कोल ब्लॉक, मेसर्स ओपीजीसी के लिए खान योजना एवं आरएफपी दस्तावेज की संवीक्षा
3. अमलोरी खुली खदान परियोजना, एनसीएल का ओबीआर रेट एस्टीमेशन
4. कोयला ब्लॉकों के उत्पादन संभाव्यता का मूल्यांकन

परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी संवीक्षा :

1. लाजकुरा विस्तार ओसी चरण–।। (5.0मी.ट.प्र.व.), एमसीएल
2. ब्लॉक बी विस्तार ओसीपी (6.0 मी.ट.प्र.व.), बीसीसीएल के लिए मसौदा परियोजना रिपोर्ट का सप्लीमेंट(परिशिष्ट)
3. छाल ओसीपी (3.0 से 6.0 मी.ट.प्र.व. की वृद्धि), एसईसीएलएल
4. कथारा ओसीपी, सीसीएल

5. ब्लॉक–अ, बीसीसीएल
6. संघमित्रा ओसीपी (15.0 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
7. विजय सेंट्रल ओसी, एसईसीएल
8. पउनी डीप ओसी, डब्ल्यूसीएल
9. कोल गांव ओसी, डब्ल्यूसीएल
10. भटाडी विस्तार ओसी, डब्ल्यूसीएल
11. हिन्दुस्तान लालपेठ विस्तार ओसी, डब्ल्यूसीएल
12. जयंत विस्तार ओसीपी (16 मी.ट.प्र.व.), एनसीएल
13. नार्थ सियर सोल ओसीपी–2 मी.ट.प्र.व. , ईसीएल
14. कल्याणेश्वरी ओसीपी, 4 मी.ट.प्र.व., बीसीसीएल की वैचारिक टिप्पणी
15. तोपा विस्तार ओसीपी (7 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
16. न्यू केंदा (1.1 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल
17. पिंडरा ओसीपी (1 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
18. रेलीगढ़ा (0.6 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
19. महान ।। (1.0 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
20. कुजू ओसीपी (1.3 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल

11. चालू कार्य :

बाह्य परामर्शी कार्य :

1. देवांगुडी लिग्नाइट माइन प्रोजेक्ट के लिए खनन योजना–ग्राहक एनएलसी
2. डोंगरीबुजफ्रग मैंगनीज माइन के लिए खनन योजना ग्राहक : एमओआईएल लिमिटेड
3. पलाना लिग्नाइट माइन प्रोजेक्ट (मसौदा सुपुर्द) के लिए खनन योजना–ग्राहक : एनएलसी
4. नवगांव– तेलियासाही ब्लॉक के लिए खनन योजना– ग्राहक : ओएमसी
5. नवगांव– तेलियासाही ब्लॉक के लिए खनन योजना–ग्राहक ओएनसी
6. मनोहरपुर कोयला ब्लॉक के लिए एमडीओ के चयन हेतु आरएफपी दस्तावेजों की संवीक्षा एवं जांच, ग्राहक : ओपीजीसी
7. महान ओसीपी (8.5 मी.ट.प्र.व.), महान कोल लिमिटेड के लिए यूसीई

प्रमुख आंतरिक परामर्शी कार्य :

1. चहारदिवारी सहित जगन्नाथ पुनर्गठन के लिए संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट–ग्राहक :एमसीएल
2. भरतपुर ओसीपी का पुनर्गठन–ग्राहक : एमसीएल
3. खुली खदान खानों में हाई एंगल कंवेईंग (एचएसी) के अनुसंधान एवं विकास परियोजना की तैयारी
4. सामलेश्वरी खुली खदान परियोजना के लिए खनन योजना
5. जगन्नाथ पुनर्गठन के लिए खनन योजना
6. भरतपुर ओसीपी के पुनर्गठन हेतु खनन योजना

अन्य मुख्य कार्य :

1. नये चालू एचईएमएम के लिए कोल इंडिया के प्लांट नम्बरों का आवंटन
2. कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों की आवश्यकतानुसार परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी संवीक्षा

4.0 अभियांत्रिकी सेवाएँ :

4.1 सिविल इंजीनियरिंग (असैनिक सेवाएँ) :

वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख सेवाएँ दी गई

परियोजना आयोजन कार्य

1. निम्नलिखित की परियोजना रिपोर्ट/संभाव्यता रिपोर्ट :
   i. डोंगरी बुजुर्ग मैंगनीज माइन, एमओआईएल का विस्तार
   ii. देवांगुडी खुली खदान, एनएलसी
   iii. तिराप खुली खदान एनईसी का रिकास्ट
   iv. हुरा सी, ईसीएल
   v. सामलेश्वरी विस्तारण, खुली खदान एमसीएल
2. निम्नलिखित के लिए परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी संवीक्षा

1. छाल विस्तारण ओसी (3से 6 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
2. नंदगांव विस्तारण भूमिगत (0.36 मी.ट.प्र.व.), डब्ल्यूसीएल
3. लाजकुरा विस्तारण ओसी (5 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल
4. कथारा विस्तारण ओसी (2 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल

5. हुरा सी खुली खदान (3 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल
6. ककरी नार्थ खुली खदान (3.5मी.ट.प्र.व.), एनसीएल
7. ब्लॉक, VI ओसी (3 मी.ट.प्र.व.), बीसीसीएल
8. संघमित्रा ओसी (15 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
9. सामलेश्वरी विस्तारण ओसी (17 मी.ट.प्र.व.), एमसीएल
10. तोपा विस्तारण ओसी (5.25 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
11. न्यू केदा ओसी (1.1 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल
12. भटाडी विस्तारण खुली खदान (1.5 मी.ट.प्र.व.), डब्ल्यूसीएल
13. हिन्दुस्तान लालपेठ विस्तारण ओसी (1 मी.ट.प्र.व.), डब्ल्यूसीएल
14. पिंपलगांव डीप ओसी (1 मी.ट.प्र.व.), डब्ल्यूसीएल
15. कोलगांव डीप ओसी (0.8 मी.ट.प्र.व.), डब्ल्यूसीएल
16. पऊनी डीप ओसी (2.5 मी.ट.प्र.व.), डब्ल्यूसीएल
17. विजय सेंट्रल ओसी (1.5 मी.ट.प्र.व.), एसईसीएल
18. महेन्द्रा (राजबार) ओसी (4 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल
19. घुसिका यूजी (1.46 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल
20. रंगामाटी–बी (तुमनी और कंचनपुर सेक्टर) भूमिगत (0.72 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल
21. जयंत विस्तारण ओसी (16 मी.ट.प्र.व.), एनसीएल
22. नॉर्थ सियरसोल ओसी (2 मी.ट.प्र.व.), ईसीएल
23. कारो विस्तारण ओसी (11 मी.ट.प्र.व.), सीसीएल

विस्तृत डिजाइन कार्य :

1. डब्ल्यूसीएल के उरधान सीएचपी का डिजाइन/ड्राईंग
2. एमसीएल के लिए जी+3 संरचना वाले ए और बी टाइप क्वार्टरों का डिजाइन/ड्राईंग
3. एनेक्से बिल्डिंग एमसीएल (मु.) का डिजाइन/ड्राईंग
4. ए और बी टाइप क्वार्टरों (जी+8 संरचना वाले), एमसीएल का डिजाइन/ड्राईंग
5. एमसीएल के लिए आनंद विहार कॉलनी में कल्याण मंडप का डिजाइन/ड्राईंग
6. माधवपुर हेड फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चरल एडेक्वेसी स्टडी
7. एमटी हॉस्टल–48 यूनिट मॉडल का डिजाइन/ड्राईंग

निविदा मूल्यांकन :

1. ब्लॉक बी सीएचपी (3.5 मी.ट.प्र.व.), एनसीएल
2. जयंत एक्सटेंसन सीएचपी

योजना की तैयारी :

1. एमसीएल में ईंधन के रूप में वाशरी अपशिष्ट का प्रयोग करते हुए एफबीसी पर प्रौद्योगिकी पर आधारित सीटीपीएस के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी :

वास्तुशिल्पीय कार्य :

1. वेस्ट झरिया क्षेत्र बीसीसीएल के लिए विभिन्न क्वार्टरों और कार्यालय भवन के लिए खाका और डिजाइन
2. बिलासपुर में सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–5, भवन के लिए डिजाइन और प्राक्कलन
3. मार्घेरीटा, एनईसी में कार्यालय परिसर का डिजाइन
4. निम्नलिखित के लिए स्कीम और टर्न की टेंडर दस्तावेज की तैयारी :
   - जागृति विहार एमसीएल में ऑफिसर्स क्लब और कम्युनिटी हॉल कम्प्लेक्स
   - जागृति विहार एमसीएल में स्टाफ क्लब और कम्युनिटी हॉल कम्प्लेक्स
   - सम्बलपुर में एमसीएल के लिए एमटी हॉस्टल भवन
   - एक्जीक्यूटिव हॉस्टल
5. हथिया गोंदा गाँव और पतरागोंदा गाँव के लिए सीएसआर संबंधित आयोजन डिजाइन और प्राक्कलन

डिजाइन/ड्राईंग की संवीक्षा :

क) ठेकेदार द्वारा जमा किए गए डिजाइन दस्तावेज/ड्राईंग की संवीक्षा के आधार पर 4000 टन क्षमता के 2 रैपिड लोडिंग सिलों, ग्राउण्ड बंकर, ट्रक रिसीविंग हूपर्स, सम्बद्ध कन्वेयर संरचना तथा संबंद्ध सिविल/संरचनात्मक और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी

सहित 15 मी.ट.प्र.व. क्षमता के अनंता सीएचपी के लिए डिजाइन और ड्राईंग की संवीक्षा सहित कुल 120 ड्राईंग को अनुमोदित किए गए/टिप्पणी की गई।

ख) ठेकेदार द्वारा जमा किए गए डिजाइन दस्तावेज/ड्राईंग की संवीक्षा के आधार पर 3000 टन क्षमता की रैपिड लोडिंग सिलो, 15000 टन क्षमता के ग्राउण्ड बंकर, जायरेटरी क्रशर सहित रिसिविंग पिट, सम्बद्ध कन्वेयर स्ट्रक्चर एवं सिविल/स्ट्रक्चरल और इंफ्रा–स्ट्रक्चर सुविधा सहित 3.5 मी.ट.प्र.व. क्षमता के कृष्णशीला सीएचपी के लिए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा सहित कुल 100 ड्राईंग अनुमोदित किए गए/पर टिप्पणी की गई।

ग) ठेकेदार द्वारा जमा किए गए डिजाइन दस्तावेज/ड्राईंग की संवीक्षा के आधार पर 3000 टन क्षमता के रैपिड लोडिंग सिलो ग्राउण्ड बंकर गायरेटरी क्रशर सहित रिसीविंग पीट, सम्बद्ध कन्वेयर स्ट्रक्चरल एवं सम्बद्ध सिविल/स्ट्रक्चरल तथा इंफ्रा–स्ट्रक्चर सुविधा सहित महेशपुर सीएचपी, बीसीसीएल के लिए डिजाइन और ड्राईंग की संवीक्षा सहित कुल 100 ड्राईंग अनुमोदित किए गए/टिपपणी की गई।

4.2 विद्युत एवं यांत्रिकी अभियंत्रण सेवाएँ :

4.2.1 खान आयोजन (आधारभूत संरचना) :

i. बाह्य परामर्श :

डोंगरी बुजुर्ग, एमओआईएल के लिए खान आयोजन

ii. कोल इंडिया की परियोजनाएँ :

- समलेश्वरी ओसीपी विस्तारण, एमसीएल
- हुरा 'सी', ईसीएल

4.2.2 कोल हैंडलिंग प्लांट (कोयला निपटान संयंत्र)

- अमलोरी चरण–।। सीएचपी (6.0 मी.ट.प्र.व.) :

  टर्न की कंट्रेक्टर मेसर्स एलएंडटी द्वारा जमा किए गए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन तथा अमलोरी चरण–।। सीएचपी के निर्माण के लिए परियोजना मॉनीटरिंग का कार्य जारी है।
- **कृष्णशीला सीएचपी (4.0 मी.ट.प्र.व.)** :
- टर्न की कंट्रेक्टर मेसर्स एचईसी द्वारा जमा किए गए डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन तथा कृष्णशीला सीएचपी के निर्माण के लिए परियोजना की मॉनीटरिंग का कार्य जारी है।
- **ब्लॉक–बी सीएचपी (35 मी.ट.प्र.व.)** :

  सीएमपीडीआई का कार्यनिष्पादन से संबंधित ठेके में ई–निविदा प्रणाली को लागू करना चाहता है। तद्नुसार मोडालिटीज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- **जयंत इंटरिम सीएचपी (5.0) मी.ट.प्र.व.** :

  सीएमपीडीआई टर्न की कार्यनिष्पादन से संबंधित ठेके में ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली लागू करना चाहता है। तद्नुसार प्रक्रिया (मोडालिटीज) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- **निगाही चरण।।, सीएचपी (5 मी.टन.व.)**

  निविदा दस्तावेज का मसौदा एनसीएल को दे दिया गया है। एनसीएल ने रिसीविंग पिट लोकेशन के स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया है। निगाही परियोजना, एनसीएल से स्थल बदलने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की प्राप्ति के पश्चात् अंतिम निविदा दस्तावेज सौंप दी जाएगी।

4.2.3 एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र

निम्नलिखित परियोजना रिपोर्टों के लिए वाशरी अपशिष्टों का उपयोग कर एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्रों का आयोजन :

I. संघमित्रा ओसीपी (15 मी.टन.व.), सीसीएल

II. तोपा विस्तारण ओसीपी (5.25 मी.टन्.व.), सीसीएल

III. महेन्द्र ओसीपी (4.0 मी.टन.व.), सीसीएल

निम्नलिखित जगहों पर एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र के लिए वैचारिक रिपोर्ट :

i. बसुंधरा वाशरी (रिकास्ट), एमसीएल (10 मी.टन.व. वाशरी के लिए 2x125 मेगावाट टीपीपी)

ii. जगन्नाथ वाशरी, एमसीएल (2x40 मेगावाट टीपीपी, 10 मी.टन..व.वाशरी के लिए)

4.2.4 ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग :

- कोल इंडिया की 70 चिन्हित खुली खदान परियोजनाओं के डीजल की खपत की वार्षिक बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट
- निम्नलिखित का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट :

1. खादिया ओसीपी, एनसीएल
2. ककरी ओसीपी, एनसीएल
3. दामिनी भू.ग. खान, एसईसीएल
4. बागदेवा भू.ग. खान एसईसीएल
5. ओसी–4 भू.ग.खान, एमसीएल

- ईब वैली कोयलघाटी, एमसीएल के पाउडर फैक्टर में सुधार पर रिपोर्ट

4.2.5 विद्युत आपूर्ति और वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली :

1. कनिहा उपकेंद्र, एमसीएल (220/33 केवी) के निर्माण के लिए योजना और एनआईटी
2. बेलपहाड़ उपकेंद्र, एमसीएल के ऑगमेंटेशन के लिए योजना
3. समलेश्वरी उपकेंद्र, एमसीएल के ऑगमेंटेशन के लिए योजना
4. एमसीएल के कारपोरेट ऑफिस और सम्बद्ध शहर के लिए विद्युत आपूर्ति आगमेंटेशन हेतु योजना

4.2.6 निरीक्षण सेवाएँ

सीएमपीडीआई कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों द्वारा खरीदे गए उपकरण और सामग्रियों का प्रेषण–पूर्व निरीक्षण के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण सेवाएं देना जारी रखा है। वर्ष 2012–13 के दौरान इन सेवाओं से अर्जित कुल राजस्व 2.23 करोड़ रूपए था।

4.2.7 अन्य अध्ययन :

तापीन नार्थ परियोजना, सीसीएल के लिए विस्तृत डीजल बेंच मार्किंग

- एमसीएल खानों के स्पेशिफिक डीजल खपत में सुधार पर अध्ययन
- 5 बाइन्डर कंपोनेंट, 4 ड्रैग लाइन्स, 9 शावेल, 13 स्ट्रक्चरल कॉलम, सीएचपी एवं फीडर ब्रेकर, 15 डम्पर और 4 सीएसजी का एनडीटी
- यूटीएलएस, लखनपुर, एमसीएल में आग का पता लगाने एवं अग्नि से शमन के लिए योजना एनआईटी
- जुराबगा 132 केबी उपकेंद्र, एनसीएल में आग का पता लगाने और अग्निशमन हेतु योजना तथा एनआईटी

▪ कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से अनुकूल परिवहन प्रणाली का अध्ययन

4.3 नगर अभियंत्रण सेवाएं

सीएमपीडीआई मुख्यालय के नगर अभियंत्रण विभाग में वर्ष 2012–13 के दौरान विशेष मरम्मत, पूंजीगत कार्य और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य के तहत पूरी की गई और चालू कार्यों की सूची निम्नलिखित है :

पूरे किए कार्य :

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (लाख रूपये में)
1.	सीएमपीडीआई कॉलोनी की चहारदिवारी के मरम्मत और रख–रखाव तथा अन्य विकास कार्य	65.42
2.	एनटीएस बरकाकाना में सीडब्ल्यूएस सीडीएस और इसके परिसरों में रख–रखाव कार्य तथा विविध मरम्मती	76.52
3.	सीएमपीडीआई में शेष बचे क्वार्टरों और शेष सेवा भवन का रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	44.76
4.	सीएमपीडीआई के एसटीसी भवन में लेक्चर हाल का निर्माण और इसके आसपास के क्षेत्रों का विकास	170.76
5.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय में पुराने कार्यालय, (आफिस) अनुसंधान एवं विकास तथा सीपीईआई भवनों में पर्दा उपलब्ध कराना और लगाना	3.13
6.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय में इलेक्ट्रोमैगनेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति एवं संस्थापन	2.32

7.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय में डीजी विद्युत आपूर्ति और जेएसईबी विद्युत आपूर्ति के लिए फीडर पैनल को बदलना	32.66
8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय के आवासीय क्षेत्र का विशेष वैद्युतीकीय मरम्मत एवं रख–रखाव	47.12

चालू कार्य

1.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची में गैर आवासीय क्षेत्र के लिए विशेष वैद्यु तीकीय मरम्मत और रख–रखाव	49.16
2.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर में विशेष वैद्युतकीय मरम्मत और रख–रखाव (लेड लाइट)	48.49
3.	एनटीएस बरकाकाना में चहार दिवारी का निर्माण, क्षतिग्रस्त नाले की मरमम्त, डस्टबीन का निर्माण और नाले की मरम्मत	65.48
4.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची में वर्तमान शेड के रिनोवेशन और स्टोर शेड का विस्तार	36.41
5.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, रांची में हिल पार्क के पुनरूद्धार और विस्तार तथा पुराने आफिस एवं एसटीपी के निकट पार्क का रिनोवेशन	74.56
6.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में पुस्तकालय तथा प्रकाशन विभाग का रिफर्विशिंग	63.45
7.	खुली खदान प्रभाग का नवीकरण तथा सीएमपी प्रभाग में लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं विकास	58.30
8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर में आवासीय और सेवा भवनों के छत की मरम्मती	91.75
9.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत बिरसा हाई स्कूल में तीन कमरों का निर्माण तथा हथियागोंदा और पतरागोंदा गांव में अन्य कार्य	47.22
10.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत निकटवर्ती गांवों में हैंड पम्प सहित दो बोरहोल का संस्थापन	1.04

5.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

5.1 कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

1. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रिया–कलापों का नियंत्रण स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) नामक एक शीर्षस्थ निकाय द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्षस्थ निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया के अध्यक्ष, सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एनएलसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सम्बद्ध सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना आयोग और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति के प्रमुख कार्य योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य के निष्कर्षों को लागू करने का कार्य करता है।

2. एसएसआरसी की सहायता सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक तकनीकी उप–समिति द्वारा की जाती है। यह समिति कोयला गवेषण, खनन, खान–सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव तथा खान पर्यावरण एवं पुररूद्धार पर परियोजना प्रस्ताव के उपयोग पर भी कार्य करता है।

3. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान की गतिविधियों के समन्वयन के लिए सीएमपीडीआई नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है। यह पहचान किए गये क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण आदि कार्य करता है।

शुरू की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2013 तक)–	378

पूरी की गई वि. एवं प्रौ. परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2013 तक)–	305

वर्ष 2012–13 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

(अ) भौतिक कार्य निष्पादन :

वर्ष 2012–13 के दौरान कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

1.4.2012 के अनुसार चालू परियोजनाएँ–	14
वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ– (परिशिष्ट–ए)	04
वर्ष 2012–13 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएँ– (परिशिष्ट–ए)	03
1.4.2013 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	15

(आ) वित्तीय स्थिति : बजट प्रावधान और वास्तविक खर्च नीचे दर्शाया जा रहा है

(करोड़ रूपये में)

2011–12		2012–13	
आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक
10.62	9.64	11.40	11.53(अंकेक्षित नहीं) (अन–आडिटेड)

5.2 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ:

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, निधि का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आदि के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए 5.0 प्रत्येक करोड़ सहित 25.0 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है। अब तक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कोष के अन्तर्गत 69 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 41 परियोजनाएँ मार्च, 2012 तक पूरी की जा चुकी है।

वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं स्थिति इस प्रकार रही :

1.4.2012 के अनुसार जारी परियोजनाएँ	24
2012–13 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ (परिशिष्ट–बी)	05
2012–13 के दौरान पूरी हुई परियोजनाएँ (परिशिष्ट–बी)	06
1.4.2013 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	23

वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राशि 11.19 करोड़ रूपये (अन–आडिटेड) तथा सीएमपीडीआई द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए 3.70 करोड़ रू. वितरित किए गए।

परिशिष्ट–ए

वर्ष 2012–13 के दौरान स्वीकृत कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

(लाख रू. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	भूमिगत कोयला खानों के लिए टेली रोबोटिक्स और रिमोट आपरेशन टेक्नोलॉजी का विकास परियोजना कोड–एमटी (ईओआई)/162 कार्यान्वयन एजेंसी–सीएमईआरआई, दुर्गापुर, सीआईएमएफआर, धनबाद एवं सीएमपीडीआई, रांची	440.12
2.	नैनो–क्रिस्टलाइन सर्फेस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट सहित इरोजन–कोरोजन के बचाव द्वारा कोयला/लिग्नाइट खानों में निर्जलीकरण पाइपों की जीवन अवधि को बढ़ाना परियोजना कोड–एमटी/163 कार्यान्वयन एजेंसी–एनएलसी, नेवेली एवं एनआईटीटी, त्रिचुरापल्ली	293.99
3.	उत्पादकता के लिए फ्रेगमेंटेशन कंट्रोल की और विस्फोटन डिजाइन परियोजना कोड–एमटी/164 कार्यान्वयन एजेंसी–सीआईएमएफआर, धनबाद	303.86
4.	खुली खदान खानों में वायु वहित धूलकणों की मॉडलिंग परियोजना कोड–ईई/43 कार्यान्वयन एजेंसी–एनआईटी, सुरतकल	77.04

वर्ष 2012–13 के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

(लाख रू0में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	सीओ2 (कार्बनडायक्साइड) सिक्यूएट्रेशन के लिए कोल बेड मीथेन का विकास और अनुकूलन परियोजना कोड–सीई/29 कार्यान्वयन एजेंसी–आईएसएम, धनबाद	26.98
2.	कम लागत वाली सामग्री का उपयोग कर भारतीय कोयला खानों में उत्पन्न अम्लीय खान जल का उपचार परियोजना कोड–ईई/41 कार्यान्वयन एजेंसी–सीआईएमएफआर, धनबाद	44.17
3.	कोयला आधारित उद्योगों से उत्सर्जन पूर्वानुमान करने वाला मॉडल का विकास परियोजना कोड–ईई/42 कार्यान्वयन एजेंसी–एनईआईएसटी, जोरहाट	82.46

परिशिष्ट–बी

(लाख रूपये में)

वर्ष 2012–13 के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	खानों में सुरक्षा एवं बचाव में वृद्धि करने के लिए मानव और मशीन की मॉनीटरिंग तथा उस पर नियंत्रण हेतु एक समेकित प्रणाली की डिजाइन और विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/52/2012 कार्यान्वयन एजेंसी–सीआईएल/आरएंडडी, आर्यन आईटी सॉक्यूषन (एआईटीएस), धनबाद तथा सीसीएल, रांची	437.29
2.	गहराई में स्थित कोयला एवं शेले स्रोतों से सीबीएम की प्राप्ति का पता लगाने के लिए कुछ भारतीय कोयले के सिकुड़ने और फैलने वाले गुणों का अध्ययन परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/153/13 कार्यान्वयन एजेंसी : सीबीएम सेल, सीएमपीडीआई, रांची तथा आईआईटी, खड़गपुर	182.60
3.	भूमिगत खनन मशीनों के ट्रेलिंग केबल हेतु रबर कम्पाउण्ड और मरम्मत तकनीकों का विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरण्डडी/1/54/2013 कार्यान्वयन एजेंसी : आईआईटी, खड़गपुर और ईसीएल	187.84
4.	इफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट पायलट स्टडी और कार्य योजना पर अनुसंधान और विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/55/2013 कार्यान्वयन एजेंसी : इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट (आईआईएसडब्ल्यूबीएम) कोलकाता तथा डीएफआईसी मैनेजमेंट कंसलटेट्स प्रा0 लि0 कोलकाता	66.19
5.	भूमि पुनरूद्धार के डायनेमिक जीआईएस अनेबल्ड फॉरवर्ड कास्ट माडलिंग एफसीएम का विकास, असम में कोयला खनन की निरंतरता और विस्तार के संदर्भ में अम्लीय खान ड्रेनेज की समस्या पर नियंत्रण और मानीटरिंग– एक आईसीटी आधारित पर्यावरणिक प्रबंधन वाला दृष्टिकोण परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/4/07/2013 कार्यान्वयन एसेंसी : बिरला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, कोलकाता कैम्पस, साउदर्न कंक्लेव, कोलकाता	95.68

वर्ष 2012–13 के दौरान पूरी की गई कोल इंडिया द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
1.	खुली खदान परियोजना में जीपीएस आधारित उत्पादन रिपोर्टिंग सिस्टम परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/33/09 कार्यान्वयन एजेंसी : सिस्टम डिर्पाटमेंट, सीएमपीडीआई	54.00
2.	अप्रयुक्त कोयला सीमों मे आंशिक रूप से डी–स्ट्रेस्ड कोयला वाले भावी तथा वर्तमान खनन क्षेत्रों में व्यवहार्य कोल माइन मिथेन, परित्यक्त खान मीथेन खनिखंडों के डिलिएशन हेतु सीएमपीडीआई की क्षमता का विकास परियोजना कोडः सीआईएल/आरएंडडी/1/28/08 कार्यान्वयन एसेंसीः सीएमपीडीआई	522.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल अनुमोदित लागत
3.	संस्तर नियंत्रण की समस्या के समुचित समाधान के लिए प्रतिनिधिक अंकीय मॉडल तथा रॉक/कोल के भौतिक–यांत्रिक गुणों का कोयलाफील्ड के अनुसार डाटा बेस सृजन/विश्लेषण परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/36/10 कार्यान्वयन एजेंसी : यूएमडी विभाग, सीएमपीडीआई	241.80
4.	कोल इंडिया की खुली खदान कोयला खानों में परिवर्तनशील भू–अभियांत्रिकी परिस्थिति के तहत सेफ ड्रैगलाइन डम्प प्रोफाइल हेतु दिशा–निदेशों का विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/38/10 कार्यान्वयन एजेंसी : बीआईटी, मेसरा और सीएमपीडीआई, रांची	98.07
5.	फाल्ट डायवर्सन में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के अप्लीकेशन के द्वारा इलेक्ट्रीकल त्रुटि के कारण भूमिगत कोयला खानों में विस्फोट की घटनाएँ तथा गैस प्रज्ज्वलन की संभावना को दूर करना परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/44/10 कार्यान्वयन एजेंसी : इंटरनल सेफ्टी आर्गेनाइजेशन, कोल इंडिया, कोलकाता एवं सोसाइटी फॉर माइनिंग रिसर्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनवायरमेंट, कोलकाता	11.022
6.	कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में विस्फोटकों और सहायक विस्फोटकों का रैण्डम सेम्पलिंग एवं परीक्षण करने के लिए स्वदेशी उपकरणों का विकास परियोजना कोड : सीआईएल/आरएंडडी/1/50/2012 कार्यान्वयन एजेंसी : ब्लास्टिंग सेल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची तथा आईआईटी, खड़गपुर	428.06

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ :

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

वर्ष 2012–13 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा गवेषित 32 ब्लॉकों (खनिखंडों) के लिए कोल कोर नमूनों का गुण–निर्धारण किया गया। गुणवत्ता मूल्यांकन एवं इसके डाउनस्ट्रीम यूटिलाइजेशन (अनुप्रवाह उपयोग) के लिए कुल 15356 मी. कोल कोर को संसाधित किया गया तथा 44061 नमूनों को विश्लेषित किया गया। ''सीएमपीडीआई (मु0) में कोल कोर विशलेषण की क्षमता में वृद्धि परियोजना के तहत सभी आयातित और स्वदेशी उपकरण प्राप्त कर चालू कर दिए गए हैं।

6.2 कोयला शौलिकी (पेट्रोग्राफी) प्रयोगशाला :

वर्ष 2012–13 के दौरान प्रयोगशाला शुरू की जा चुकी है। 32 गवेषण खनिखंडों से प्राप्त 765 कोयले के नमूनों का शैलिकी अध्ययन किया गया। विवेच्य वर्ष के दौरान बीसीसीएल, सीसीएल, एनसीएल से प्राप्त कच्चे एवं स्वच्छ कोयले के नमूने (बोरहोल कोल कोर तथा आरओएम नमूने) का भी योजनाबद्ध तरीके से गुण–निर्धारण किया जा चुका है।

6.3 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना :

''बीएफ कोक मेकिंग के लिए लो रैंक तथा लो वोलाटाइल हाई रैंक इंडियन कोंकिग कोल का प्रभावी उपयोग'' नामक कोल इंडिया की अनुसंधान एवं विकास परियोजना फरवरी, 2013 में प्रयोगशाला सेवा प्रभाग सफलता पूर्वक पूरी की जा चुकी है। यह सीएमपीडीआई आरडीसीआईएल सेल का संयुक्त परियोजना है। परियोजना का व्यय 265 लाख रूपए है।

6.4 तकनीकी आलेख :

5 से 10 अगस्त, 2012 को ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया में आयोजित 34वीं अन्तर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस में '' भारत में कोकिंग कोल रिसोर्स में वृद्धि के लिए इम्पलिकेशन (संलिप्तता) : दामोदर वैली बेसीन के लो वोलाटाइल हाई रैंक कोयले का कोल पेट्रोग्राफी तथा परिष्करण अध्ययन'' नामक एक तकनीकी आलेख प्रस्तुत किया गया।

6.5 धँसान पूर्वानुमान और गणना अध्ययन बल्क/एलडी/परमिटेड (पीएफ) :

प्रथम 200 टन के लिए एक नमूना और इसके बाद प्रत्येक 300 टन के लिए एक अतिरिक्त नमूने को लिया गया।

डेटोनेटर :

प्रत्येक 5 लाख नमूनों के लिए एक नमूना

डीएफ :

1 लाख मीटर के लिए एक नमूना

कॉर्ड रिले/एमएस कनेक्टर

गत वर्ष की खपत का प्रत्येक 2.5 लाख के लिए एक नमूना

ननेल :

गत वर्ष के खपत का प्रत्येक 1 लाख मीटर के लिए एक नमूना

बुस्टर :

प्रत्येक तिमाही में दो नमूने

6.6 कोयला परिष्करण प्रयोगशाला :

1. बोर होल के कोयला नमूनों का धोवन क्षमता परीक्षण

क) सीटीएमएन, महानदी ब्लॉक एमसीएल– 185,188, 191 तथा 192 (05)

ख) सीएमबीबी, बनापातरा ब्लॉक, एमसीएल– 301, 302, 303 एवं 304 (07 नमूने)

ग) सीएमआई, रामगढ़ ब्लॉक, सीसीएल– 66, 66ए, 66बी, 68, 68ए, 68बी (09 नमूने)

घ) सीएमडब्ल्यूजी, गौरी सेंट्रल ब्लॉक, डब्ल्यूसीएल – 374, 384, 391, 392, एवं 398 (3 नमूने)

ड.) एमजीपी डब्ल्यू–गारे पेल्मा ब्लॉक (06 नमूने)

च) सीएमबीएमडब्ल्यू, मॉडवा ब्लॉक, डब्ल्यूसीएल– 57, 59, 60, 69 एवं 81 (01 नमूना)

छ) सीएमआईपी, प्रजापाड़ा ब्लॉक, एमसीएल– 107, 111, 115, 118 एवं 121 (10 नमूने)

2. निम्नलिखित से आरओएम कोयला नमूनों का परीक्षण :

क) भोजुडीह वाशरी के लिए एनएस तिसरा खान, बीसीसीएल

ख) प्रस्तावित मूनीडीह वाशरी

3. स्वांग वाशरी, सीसीएल में थिकनर अंडरफ्लो के लिए फ्लोटेशन परीक्षण और सिव विश्लेषण

6.7 कोल बेड मीथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला :

वर्ष 2012–13 के दौरान सीबीएम प्रयोगशाला ने 8 बोरहोलों के बोरहोल स्थलों में क्षेत्र डिजार्पशन अध्ययन किया है और प्री– फंडिंग के तहत कुल गैस की मात्रा और गैस संघटक आंकड़े का प्रतिपादन किया है। इसके अतिरिक्त शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन के लिए 4 बोर होलों का अध्ययन किया गया।

16 नमूनों का टीओसी परीक्षण करने के अतिरिक्त सीएमपीडीआई की घरेलू
सुविधाओं के जरिए 46 नमूनों का सीबीएम प्रयोगशाला द्वारा एडार्पसन आइसोथर्म (एआई) परीक्षण किया गया।

इस प्रयोगशाला ने सीसीएल के विभिन्न कोलियरियों से प्राप्त 928 खान वायु नमूनों का विश्लेषण किया है।

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ :

7.1 ईआईए/ईएमपी

वर्ष 2012–13 के दौरान पर्यावरण विभाग द्वारा कुल 30 फार्म–1 तैयार किया गया और 29 ईएमपी का मसौदा बनाया गया।

7.2 वायु, जल और ध्वनि का पर्यावरणिक मानीटरिंग :

एमओईएफ द्वारा खनन परियोजनाओं के लिए जब एक बार पर्यावरणिक स्वीकृति दे दी जाती है तब परिचालन के दौरान परियोजना स्तर पर शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मानीटरिंग करने की आवश्यकता होती है।

चित्र 1 : पर्यावरणिक प्रयोगशाला में जल नमूनों का विश्लेषण

वर्ष 2012–13 के दौरान, आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुंडा, हसदेव, जयंत, तालचर, ईब वैली तथा राँची स्थित नौ पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया के 289 परियोजनाओं/संस्थापनों (ईसीएल–30, सीसीएल–60, डब्ल्यूसीएल–81, एसईसीएल–80, एनसीएल–13 तथा एमसीएल–25) की पर्यावरणिक मानीटरिंग की गई।

7.3 ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को मान्यता :

सीएमपीडीआई को खुली खनन/भूमिगत खनन क्षेत्र तथा कोयला वाशरी क्षेत्र सहित खनिजों के खनन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मानद एजेंसी) द्वारा ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में मान्यता दी गई है।

7.4 पर्यावरणिक प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन:

आधुनिकतम (स्टेट ऑफ द आर्ट) पर्यावरणिक मॉनीटरिंग अपनाने के कार्य के साथ क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद के लिए पर्यावरणिक प्रयोगशाला की एक योजना तैयार की जा चुकी है।

चित्र 2 : सीएमपीडीआई, मुख्यालय में पर्यावरणिक प्रयोगशाला का एक दृष्य

क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल तथा क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर के लिए सीएमपीडीआई बोर्ड द्वारा पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं की योजना शुरू की जा चुकी है तथा कार्य जारी है। जयंत के क्षेत्रीय संस्थान–6 प्रयोगशाला के उन्नयन का कार्य भी शुरू किया जा चुका है तथा कार्य प्रगति पर है।

7.5 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीवी एवं डब्ल्यूटीपी :

बलराम ओसीपी, एमसीएल तथा समेकित ब्लॉक–बी (संशोधित), एनसीएल के लिए बहिस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) हेतु दो योजनाएं तैयार की जा चुकी है। कथारा ओसीपी, सीसीएल के लिए 0.8 एमजीडी क्षमता के जल उपचार संयंत्र हेतु एक योजना भी तैयार की जा चुकी है।

7.6 कोयला एवं खनन क्षेत्र में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए बेस लाइन दस्तावेज

एफएयू, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा निधित "कोल एवं माइनिंग सेक्टर में फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन" के लिए बेस लाइन दस्तावेज का मसौदा तैयार किया जा चुका है।

चित्र 3 : कोयला एवं खनन क्षेत्र में फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन का दृश्य (झांकी)

7.7 कोयला मंत्रालय द्वारा सीएमपीडीआई को भेजे गए कोयला ब्लॉकों हेतु माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी

वर्ष के दौरान 44 माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी तैयार कर कोयला मंत्रालय को भेज दी गयी।

7.8 स्लोप स्थायित्व/मृदाक्षरण नियंत्रण अध्ययन

खुली खदान खान के लिए ढाल स्थायित्व अध्ययन और मृदा क्षरण नियंत्रण अध्ययन की आवश्यकता, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी पर्यावरणिक तथा वन स्वीकृति की शर्तों में से एक है। तद्नुसार 7 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हाई वाल के अलटीमेट स्लोप ऐंगल का निर्धारण कार्य पूरा कर लिया गया।

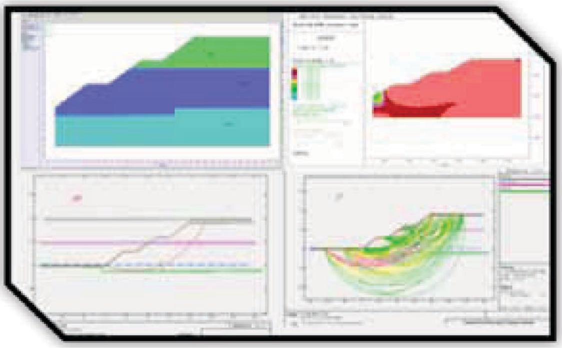

चित्र :4 फ्लेक एवं गेलेना का उपयोग कर पिंपलगांव ओसीपी में ओबी डम्प का स्लोप स्टेलिलिटी विश्लेषण

इसके अतिरिक्त, सीसीएल परियोजनाओं के 4 मृदाक्षरण नियंत्रण अध्ययन तथा 2 टॉप मृदा प्रबंधन पूरा किया गया।

7.9 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

चित्र–5 बच्चों के लिए 5 जून, 2012 को सम्पन्न ड्राईंग प्रतियोगिता

विश्व पर्यावरण दिवस दिनांक : 5 जून, 2012 को मनाया गया।

सीएमपीडीआई के कर्मचारियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अतिथि भाषण, वृक्षारोपण, पश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा बच्चों के लिए ड्राईंग प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।

7.10 सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) :

डीपीई के दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई ने सतत विकास के लिए शिड्यूल ए से तीन, शिड्यूल बी से दो, कुल पांच परियोजनाओं को शुरू किया है। इन परियोजनाओं का मतलब जल संरक्षण (सीएमपीडीआई, मुख्यालय में वर्ष जल संग्रहण के तरीके से), ऊर्जा संरक्षण (वर्तमान टी–5 फिटिंग्स सहित परंपरागत ट्यूब लाइट को बदलने से), भू–रिस्टोरेशन एवं पुनरूद्धार के लिए कोल इंडिया की प्रमुख खुली खदान परियोजनाओं/खानों के सेटेलाइट सर्वेलिंएस से है। ये सभी परियोजनाएँ सीएमपीडीआई मुख्यालय में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है।

चित्र–6 सीएमपीडीआई द्वारा किए जा रहे सतत विकास परियोजनाओं का दृष्य

डीपीई दिशानिर्देश के शिड्यूल बी के तहत परियोजना को पूरा करने के लिए सतत विकास पर 23 मार्च, 2013 को सीएमपीडीआई में एक एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

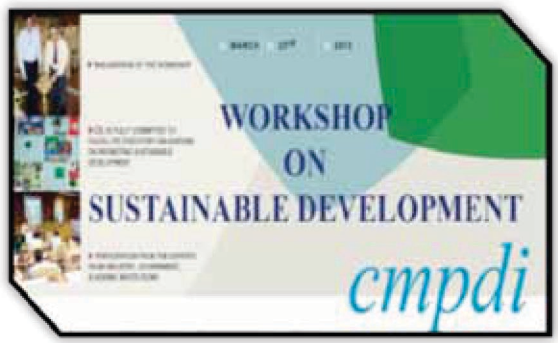

यह कार्यशाला खासकर खनन उद्योग से संबंधित सतत विकास की विभिन्न पहलूओं तथा सीएमपीडीआई के सस्टेनेबिलिटि शीर्ष के तहत किए जा रहे कार्यों पर कर्मचारियों तथा स्टेक होल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करने पर केंद्रीत था।

7.11 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

287.684 लाख रूपये प्राक्कलन लागत वाली तथा कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ''खान रिक्ति पुनरूद्धार के लिए फ्लाई ऐश का गुण–निर्धारण'' नामक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना सौंप दी गई है।

चित्र 8 एमसीएल के साउट ब्लांडा खान में फ्लाई ऐश का दृश्य

7.12 तकनीकी आलेख :

निम्नलिखित दो तकनीकी आलेख दिए/प्रस्तुत किए गए :

- ए.के.देबनाथ, डा0 बी0अरोड़ा ''कोल इंडियाज सस्टेनेबल एमजीएमआई'', 17 नवम्बर, 2012
- ए.के.देबनाथ, वी.के.पाण्डेय, सुश्री मोनिका अग्रवाल अगस्त, 2013 में होने वाले वर्ल्ड माइनिंग कंग्रेस, 2013 मांट्रियल, कनाडा में ''माइन व्यायड एज के फ्रेश वाटर रिजरवायर–एन इको फ्रेंडली कन्सेप्ट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड''

8. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

घरेलू सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, सीएमपीडीआई का आईसीटी डिवीजन कोल इंडिया अैर अन्य सहायक अनुषंगी कंपनियों को परामर्शी सेवा दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को नीचे दिया जा रहा है

1. मानव संसाधन सूचना से संबंधित मैनेजिंग एक्जीक्यूटिव के लिए एक सिस्टम की स्थापना करने हेतु वेब समर्थित एक्जीक्यूटिव सूचना प्रणाली का विकास और रख–रखाव आईसीटी विभाग द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान मैन पावर रिपोर्ट (कंपनीवार डिसिप्लिवार, ग्रेडवार–स्वीकृत स्ट्रेन्थ वर्किंग स्ट्रेंथ, रिक्ति, कार्य शक्ति, की स्थिति) जिसे ईआईएस का प्रयोग कर बनाया गया उसे अब कोल इंडिया में सर्वमान्य रिपोटिंग मैकेनेजिम के रूप में मान लिया गया है। इसके साथ ही कोल इंडिया में सेवानिवृत प्रोफाइल का उपयोग मैनपावर प्लानिंग (एक्सरसाइज) के लिए किया जा रहा है।
2. वेब समर्थित ऑन–लाइन रिक्रूटमेंट अप्लीकेशन पोर्टल, महानदी कोलफील्ड्स लि0, सम्बलपुर एवं ईसीएल, संकतोरिया के लिए परामर्शी सहयोग के तहत विकसित एक सफल परियोजना है। यह एचसीडब्ल्यूए द्वारा शासित गैर–अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए भर्ती अनुभाग हेतु एक टूल (उपकरण) है।
3. ऑनलाइन भर्ती, ई–रिक्रुटमेंट या बेव आधारित भर्ती उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए आन लाइन प्रौद्योगिकी अथवा इंटरनेट का प्रयोग, प्रतिभावान उम्मीदवारों की खोज करने तथा भर्ती प्रक्रिया में सहायता इसका उपयोग कर की जा सकती है। जांब बोर्ड या वेबसाइट पर जाब रिक्ति विज्ञापन चौबीसो घंटे और सातो दिन रहते हैं
4. एमसीएल के लिए वेंडर बिल ट्रेकिंग एवं सतर्कता संबंधी शिकायत
5. एमसीएल के लिए कोल कंज्यूमर शिकायतें
6. वार्षिक प्रापर्टी रिटर्न, एनसीएल

8.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली

उपर्युक्त के संदर्भ में प्रकाशन विभाग से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप/कार्य निम्नलिखित है :

1. देशकाल सम्पदा का प्रकाशन–विवेच्य वर्ष के दौरान हमारे घरेलू मैगजीन के चार अंक (इश्यू) प्रकाशित किए गए। इसमें सम्पादन, डीटीपी कार्य, खाका और मैगजीन का प्रकाशन शामिल है।
2. माइनटेक प्रकाशन– वर्ष के दौरान 4 तकनीकी मैगजीन ''माइनटेक'' का प्रकाशन किया गया। इसमें सम्पादन, डीटीपी कार्य, खाका और मैगजीन का प्रकाशन शामिल है।
3. मैगजीनों का प्रेषण– कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालयों और इकाइयों आदि जैसे विभिन्न स्थानों के लिए दोनों मैगजीनों के लगभग 14000 प्रतियाँ प्रेषित की गयी।
4. पुस्तक का प्रकाशन– ''कोयला और इसके गुण (विशेषता) तथा गुणनिर्धारण'' नामक पुस्तक का प्रकाशन के लिए सीसीएल प्रेस को कार्यादेश दिया गया है।

8.2 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 2012–13

वर्ष 2012–13 के दौरान सीएमपीडीआई के सतर्कता विभाग द्वारा किए गए कार्यों का सारांशः

वर्ष 2012–13 के लिए सतर्कता विभाग, सी एम पी डी आई ने स्टेक होल्डरों की सवंर्धित तथा सक्रिय भागीदारी के जरिए प्रणाली/पद्धति में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए दण्डात्मक सतर्कता के विरूद्ध अधिक पूर्व सक्रीय दृष्टिकोण अपनाने सम्बन्धित (लिवरेजिंग) प्रौद्योगिकी अपनाने, प्रमुख क्रिया–कलापों का कम्प्यूटरीकरण करने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए स्वयं लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस दिशा में वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पूरे किए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैः–

1. मुख्य सतर्कता अधिकारी, कोयला मंत्रालय, कोल इण्डिया लिमिटेड आदि के समक्ष पेश की जाने वाली एम आई एस रिपोर्ट को तत्काल एवं सहज रूप से तैयार करने तथा सतर्कता स्वीकृति (विजिलेन्स क्लियरेन्स) रिपोर्ट तुरन्त जारी करने के लिए ऑन लाइन समेकित सतर्कता सूचना प्रणाली का सूत्रपात।
2. सतर्कता विभाग की पहल पर ऑन लाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम का कार्यान्वयन, आपूर्त्तिकर्त्ताओं/संवेदकों के बिल के भुगतान के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने हेतु चालन परीक्षण किया जा रहा है।
3. सतर्कता विभाग की पहल पर उच्च मूल्यवाली निविदाओं के लिए ई–टेण्डरिंग का कार्यान्वयन शुरू किया गया है तथा चालन परीक्षण किया जा रहा है।
4. अन्तिम लक्ष्य को सुनिश्चित करने के साथ सी एम पी डी आई कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गये सभी प्रकार के फण्ड को अद्यतन करने के प्रभावपूर्ण प्रयास शुरू कर दिये गये हैं ताकि अवकाश प्राप्त कर रहे कार्मिकों को सभी प्रकार के देयों को भुगतान किया जा सके तथा इसके बाद पेंशन का भुगतान तत्काल शुरू किया जा सके।
5. सतर्कता विभाग की पहल पर दिन–प्रतिदिन के ड्रिलिंग मीटरेज का ऑन लाइन रिपोर्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर लिया गया है तथा लॉगिंग डॉटा को ऑन लाइन करने हेतु प्रयास जारी है ताकि ड्रिलिंग डॉटा की गुणवत्ता को स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
6. ड्रिलिंग सहायक की उपलब्धि से सम्बन्धित फाइलों की जॉच करने के सिलसिले में यह देखा गया कि सामान सूची प्रबन्धन को विकसित किये जाने की आवश्यकता है। गवेषण विभाग, सी एम पी डी आई ने यह आश्वासन दिया है कि इस पहलू पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा तथा ऊँचे मूल्य के सामानों को कम करने के लिए कदम उठाये जाएंगे जिससे कि स्पेयर्स की कमी के कारण ड्रिलिंग की गतिविधियॉ कम न हो सके।
7. सतर्कता विभाग की पहल पर सुनिश्चित करने के लिए मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया का मैन्युअल ड्रान अप कर लिया गया है ताकि आउटसोर्स ड्रिलिंग से सम्बन्धित सभी प्रकार की गतिविधियॉ एम आई टी प्रावधानों के अनुसार संपुष्ट किया जा सके।
8. अमलोरी, कृष्णाशीला के लिए सी एच पी संविदा का प्रणाली अध्ययन किया गया तथा सी आई एल संविदा प्रबन्धन मैन्यूअल (सी एम एम) के वर्तमान प्रावधानों की तुलना में टर्म की संविदा के कार्यान्वयन में सामना की गई समस्याओं को दर्शाते हुए एम सी एल के ब्लॉक बी का अध्ययन किया गया। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सी एम एम में सुधार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सुझाव दिए गए।

9.0 विशेष सेवाएं

9.1 जियोमेटिक्स

जियोमेटिक्स प्रभाग भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग, भूमि उपयोग मान चित्रण, पावर स्टेशन की स्थापना, स्थलाकृति सर्वेक्षण, भूमिगत खान–सह–सम्बन्ध सर्वेक्षण इत्यादि के लिए उत्खनित ओ बी माप, सेटेलाइट निगरानी के क्षेत्र में रिमोट सेन्सिंग तथा सर्वेक्षण में मापी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

9.1.1 सुदूर संवेदन

(i) वर्ष 2012 के सेटेलाइट डॉटा पर आधारित 50

ओ सी परियोजना प्रोडययूसिंग 75 मिलियन घन मी. (कोयला. ओ बी) तथा 40 ओ सी परियोजना प्रोडययूसिंग 75 मिलियन घन मी. (कोयला. ओ बी) का सेटेलाइट निगरानी कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ii) कोयला क्षेत्रों में क्षेत्रीयता के आधार पर भूमि उपयोग पैटर्न पर कोयला खनन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भूमि, वनस्पति अच्छादन, आधारभूत संरचना, सतही जल निकाय हेतु भू पर्यावरणिक डाटा बेस का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों का वनस्पति अच्छादन कार्य पूरा कर लिया गया है, जो इस प्रकार हैः–

- कर्णपुरा कोयला क्षेत्र
- ईस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र
- वेस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र
- सिंगरौली कोयला क्षेत्र
- कोरबा कोयला क्षेत्र
- बंदेर कोयला क्षेत्र

(iii) स्टोरेज क्षमता तथा सिल्टेशन के स्रोत का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2006 तथा 2011 के सेटेलाइट डाटा पर आधारित सिंगरौली कोयला क्षेत्र के निकट गोविन्दबल्लभ पंत सागर में सिल्टेशन अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया गया।

(iv) सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के लिए सेटेलाइट डाटा तथा जी आई एल का इस्तेमाल करते हुए पंजाब राज्य में सम्भावित थर्मल पावर स्टेशन के स्थान का चयन कर लिया गया है।

(v) ए एस टी ई आर थर्मल इन्फ्रारेड सेटेलाइट डाटा पर आधारित रानीगंज झरिया, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो तथा कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में विवेच्य वर्ष के दौरान कोल माइन फायर मैपिंग कर लिया गया है। आग की नवीनतम स्थिति का मॉनिटरिंग करने के लिए तथा आग के प्रबन्धन हेतु प्रभावपूर्ण निर्णय लेने के लिए तथा डिजीटल माइन फायर डाटा बेस निर्माण करने हेतु जी आई एल प्लेटफार्म पर माइन फायर इन्फोरमेशन सिस्टम (एम एफ आई एस) विकसित किया जा रहा है।

(vi) पर्यावर्णिक प्रबन्धन प्लानिंग के लिए सेटेलाइट डाटा के आधार पर 12 ओ सी परियोजनाओं के कोर एवं बफर जोन का भूमि उपयोग एवं कवर मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(vii) सर्वे ऑफ इण्डिया के सहयोग से सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित 2 मीटर कंटूर अन्तराल के साथ 1.5000 पैमाने पर 27 बड़े कोयला क्षेत्रों का स्थलाकृतिक मानचित्रण का कार्य जारी है। 10 कोयला क्षेत्रों का वायवीय फोटोग्राफी पूरा किया जा चुका है तथा ऑकड़ा संसाधित किया जा रहा है। 17 कोयला क्षेत्रों के लिए चरण– 2 वायवीय फोटोग्राफी अप्रैल 2013 तक निर्धारित किया गया है।

9.1.2 सर्वेक्षण कार्य

सर्वेक्षण कार्य से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए/ प्रगति पर हैं:–

(i) कोल इण्डिया की अनुषंगी कम्पनियों के ओ सी खान तथा आउटसोर्सिंग पेचेज (कुल 103) का नियमित ओ बी आर चेक मेजरमेंट वर्ष 2012–13 के दौरान पूरा कर लिया गया है।

(ii) मोजाम्बिक में कोल इण्डिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सी आई ए एल) के कोयला ब्लॉक बाउण्ड्री सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया गया।

(iii) नयागॉव तेलशाही तथा राय चॉदनी कोयला ब्लॉक, तालचर कोयला क्षेत्र में कोयला ब्लॉक बाउण्ड्री सीमांकन के लिए डी जी पी एस सर्वेक्षण।

(iv) खान पुनरूद्धार के लिए सी सी एल के कमाण्ड एरिया में परिव्यक्त खान का सर्वेक्षण।

(v) वन क्लीयरेंस के लिए वन क्षेत्रों के डिजीटल मैप की तैयारी के लिए डी जी पी एस सर्वेक्षण।

(vi) डब्लू सी एल में भू–भौतिकी सर्वेक्षण के लिए 32 कि.मी. प्रोफाइल लाइन सर्वेक्षण।

9.2 विस्फोटन

सी एम पी डी आई में नियंत्रण विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन, विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का परीक्षण, एच ई एम एम के लाभकारी उपयोग के लिए विखंडन मूल्यांकन एवं उन्नयन अध्ययन के क्षेत्र में मूल्य सम्बन्धित सेवा देने में तकनीकी विशेषज्ञता एवं क्षमता के विकास को बढ़ाया है। इसके पास जटिल विस्फोटन समस्याओं जैसे नई प्रौद्योगिकी/अवधारणा के समावेशन, कास्ट

ब्लास्टिंग, विस्फोटन द्वारा इन्डयूस्ड केबिंग, होट स्ट्राय में विस्फोट, संरचनात्मक विघटन की समस्या को सुलझाने में इसके पास सुरक्षित आधार है। इसके अतिरिक्त विस्फोटन के क्षेत्र में कोल इण्डिया द्वारा निधिकृत गर्म संस्तर, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। कोयला खानों में उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा के सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास बोर्ड भी कार्यान्वयन के अन्तर्गत है।

सीएमपीडीआई का बिस्फोटन अनुभाग हाई स्पीड कैमरा, इन–दि–होल वी ओ डी मेजरमेन्ट, फ्रैगमेन्टेशन असेसमेन्ट एण्ड मेजरमेन्ट वाई वीप फ्रैग साफ्टवेयर, ब्लास्ट सिमुलेशन बाई जे.के. सीम ब्लास्ट तथा विस्फोटक एवं सहायक सामग्रियों के परीक्षण के लिए हाई फ्रिक्वेन्सी ओस्कीलोस्कोप बिद हाई सेम्पलिंग रेट जैसे आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित है।

वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड इसकी विभिन्न सहायक कम्पनियों तथा बाहरी एजेन्सियों को निम्नलिखित तकनीकी सेवाएं दी गईं।

(1) एन सी एल की सभी खानों के लिए फ्रेगमेंटेशन मूल्यांकन हेतु डिजीटल इमेज विश्लेषण।

(2) सी सी एल की खानों में विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का रेण्डम सैम्पलिंग एवं जॉच।

(3) बी सी सी एल की खानों में विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का रेण्डम सैम्पलिंग एवं जॉच।

(4) भरतपुर ओ सी पी, एम सी एल में नियंत्रित विस्फोटन।

(5) बलराम ओ सी पी, हिंगुला क्षेत्र, एम सी एल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।

(6) आर ओ सी पी एल– 6 हायर्ड पैच, बी सी सी एल में पाउडर फैक्टर निर्धारण।

(7) आर ओ सी पी डिपार्टमेंटल, बी सी सी एल में पाउडर फैक्टर निर्धारण।

(8) कुया ओ सी पी, बी सी सी एल में पाउडर फैक्टर निर्धारण।

(9) एम सी एल की चार खानों के लिए विशिष्ट विस्फोटक खपत के सुधार पर अध्ययन।

(10) तापिन ओ सी पी, सी सी एल के आउटसोर्सिंग पैच पर पाउडर फैक्टर निर्धारण।

(11) बेरा ओ सी पी, बी सी सी एल में पाउडर फैक्टर निर्धारण।

(12) निचितपुर, ओ सी पी, बी सी सी एल में पाउडर फैक्टर निर्धारण।

(13) डायागोरिया, ओ सी पी, बी सी सी एल में पाउडर फैक्टर निर्धारण।

(14) नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में रैण्डम सैम्पलिंग।

वर्ष 2012–13 के दौरान कार्यान्वित की जा रही अनुसन्धान एवं विकास परियोजनाएं

(1) दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुणे के सहयोग से कोयला खानों के ओवर वर्डेन में विस्फोटन के लिए लो डेनसिटी पोरसप्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट सहित ए एम एफ ओ की तकनीकी व्यवसायिक दक्षता का अध्ययन।

(2) एम आई टी मुख्यालय के सहयोग से विस्फोटन उर्जा पर आधारित विस्फोटक/विस्फोटन परिणामों का कार्य निष्पादन।

(3) आई आई टी, खड़गपुर तथा सेल (आर डी सी आई एस) के सहयोग से ब्लास्ट इन्डयूस्ड डायनेमिक लोडिंग के तहत् डेवलपमेंट तथा डिपिलरिंग पैनलों में बोल्ट विहेवियर की जॉच।

(4) आई आई टी खड़गपुर के सहयोग से कोल इण्डिया लिमिटेड की खानों में प्रयुक्त विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का परीक्षण रैण्डम सैम्पलिंग एवं परीक्षण करने के लिए स्वदेशी उपकरण का विकास।

9.3 खनन इलेक्ट्रॉनिक्स

सी एम पी डी आई का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावर्णिक पारामीटरर्स के टेली मॉनिटरिंग नेटवर्क संचार की स्थापना करने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में सहायता देता है। यह सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खानों में प्रयुक्त मिथेन गैस संसूचक (डिटेक्टर) की मरम्मती एवं अंशशोधन (सेलिब्रेशन के साथ–साथ आयातित/स्वदेशी एच ई एम एम कार्डों की मरम्मत करने में अनुषंगी कम्पनियों को मूल्यवान सहायता भी

प्रदान करता है। इस विभाग ने खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए आर डी एवं एस एण्ड टी परियोजनाओं को भी अपने हाथ में लिया है। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए:–

9.3.1 रिपोर्ट/योजना/एम आई टी की तैयारी

(1) हीरा खण्ड बुन्दिया के पर्यावर्णिक टेली मॉनिटरिंग प्रणाली के लिए एम टी एम सी एल को सुपुर्द किया जा चुका है।

(2) भुरकुण्डा कोलियरी सी सी एल में दबे हुए (ट्रैप्ड) भूमिगत माइनर्स से सम्पर्क करने तथा पता लगाने के लिए समेकित संचार प्रणाली पर कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना संस्थापित है। चरण–1 एवं चरण–2 का क्षेत्रीय परीक्षण पूरा किया जा चुका है तथा तीसरे चरण का क्षेत्रीय परीक्षण भुरकुण्डा कोलियरी, सी सी एल में किया जा रहा है।

(3) खुली खानों के लिए समेकित डम्पर कोलिजम एडवान्स सिस्टम के स्वदेशी विकास पर कोल इण्डिया आर एण्ड डी परियोजना प्रयोगशाला परीक्षण स्वदेशी विकसित, बी इ एल में प्रोटाइप पूरा हो चुका है तथा सी सी एस के के डी एच में परीक्षण के लिए तैयार है।

(4) कोल इण्डिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों तथा बाहरी एजेन्सियों की परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए 28 भूमिगत खानों तथा खुली खान परियोजना हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार पर उपाय तैयार की जा चुकी है।

9.3.2 मरम्मती/अंशशोधन/इलेक्ट्रानिक कार्डों का परीक्षण/गैस मानीटर्स

(1) एच ई एम एम कार्डों की मरम्मती – 102.

(2) मिथोमोमीटर की मरम्मती एवं अंशशोधन – 90.

9.3.3 वर्ष 2012–13 के लिए इलेक्ट्रानिक्स की विशेष उपलब्धि

(1) आपदा परिदृश्य में दोनों ओर से संचार के लिए फॉफटा भूमिगत खान में मेडियम फ्रीक्वेन्सी कम्यूनिकेशन सिस्टम की स्थापना।

(2) अर्थ डिजास्टर कम्यूनिकेशन सिस्टम तथा आर एफ आई डी ट्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से अन्तिम रूप से अवगत माइनर्स की स्थिति दोनों प्रणाली क्षेत्रीय परीक्षण के अन्तर्गत है तथा यह सी सी एल के भुरकुण्डा कोलियरी में चालू है। अब यह भूमिगत माइनर्स तथा किसी भी जी एच मोबाइल से सीधे सम्पर्क करना सम्भव हो गया है।

9.4 कोयला प्रौद्योगिकी

(क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए।

(1) कोयला मंत्रालय/कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाओं के लिए एस एण्ड टी विभाग को तकनीकी सहायता।

(2) कोयला प्रौद्योगिकी उपयोग से सम्बन्धित मुद्दों पर कोयला मंत्रालय/कोल इण्डिया लिमिटेड को तकनीकी सहायता।

(ख) निम्नलिखित अनुसन्धान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन : कोयला से तरल (सी टी एल) में बदलने की प्रौद्योगिकी का पैमाना अध्ययन के जरिये स्वदेशी उत्प्रेरक का विकास प्रमुख कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप मे सी आई एम आई एफ आर के साथ कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य।

(ग) तकनीकी लेख प्रकाशित

(1) 5 से 10 अगस्त 2012 तक ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया में 34वें इन्टरनेशनल जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में कोल पेट्रोग्राफी एण्ड बेनिफिसियेशन स्टडीज ऑफ लो वेल्टोइल हाई रैंक कोल ऑफ दामोदर वैली बेसिन, इम्पलीकेशन फॉर अगुमेन्टेशन ऑफ कोकिंग कोल रिसोर्सेज इन इण्डिया नामक तकनीकी लेख प्रस्तुत किया गया।

(2) डेवलपिंग अनकॉनवेन्सियल ऑयल एण्ड गैस रिसोर्सेज डी यू ओ जी– 2013 पर 1–3 मार्च, 2013 आई आई टी मद्रास के पहले इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेट्रोग्राफी ऑफ कोल एण्ड लिग्नाइट ऑफ इण्डिया इम्प्लीकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ सी बी एम पोटेनशियली नामक तकनीकी लेख प्रस्तुत किया गया।

9.5 प्रबन्धन प्रणाली परामर्शी सेवाएं (मैनेजमेंट सिस्टम कंसल्टेंसी)

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, राँची ने वर्ष 1998 से विभिन्न प्रबन्धन

प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाओं में विविधता लाई है। इस क्षेत्र में इसने अपनी सामर्थ्यता का विस्तार किया है। अब यह सभी तरह की प्रबन्धन परामर्श सेवाएं देता है, जिसमें आई एस ओ 9001, गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली (क्यू एम एस), आई एस ओ 9001, पर्यावर्णिक प्रबन्धन प्रणाली (ई एम एस), ओ एच एस ए एस– 1801, अक्युपेशनल हेल्थ एवं सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली (ओ एच एस एम एस), आई एस ओ 2001, सूचना सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली (आई एस एम एस) / आई एस ओ 50001, उर्जा प्रबन्धन प्रणाली (ईएम एम एस), एस ए 8000, सोशल एकाउन्टेबिलिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम (एस ए एम एस) अन्य प्रबन्धन तकनीक जैसे सिक्स सिगमा तथा उद्योग का अप्लीकेशन, आई एस ओ 9001 उदाहरणार्थ आई एस ओ 17025, आई एस ओ 16949 इत्यादि का विशिष्ट ट्रान्सलेशन इसमें शामिल है।

सी एम पी डी आई इस तरह का सभी परामर्श या तो विशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली मानक या समेकित प्रबन्धन प्रणाली (आई एम एस) के जरिए देता है, जो साथ ही साथ विभिन्न संयोजनों (कम्बीनेशन) के तहत अपेक्षा के अनुरूप हो।

सी एम पी डी आई निर्माण एवं प्रबन्धन प्रणाली के प्रलेखन की सुविधा देता है तथा उपर्युक्त वर्णित सभी प्रबन्धन प्रणाली के लिए प्रशिक्षण तथा ऑडिटिंग सपोर्ट, प्रारंभिक कार्यान्वयन तथा प्रमाणन् सपोर्ट तथा प्रमाणन्तरोत्तर सपोर्ट/सहायता इत्यादि उपलब्ध कराता है।

9.5.1 कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों के लिए प्रबन्धन प्रणाली परामर्श

कोल इण्डिया लिमिटेड में इस तरह के सभी कार्यों के लिए नोडल संगठन होने के नाते सी एम पी डी आई कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों की विभिन्न खानों, अस्पतालों, कर्मशालाओं, वाशरी, प्रशिक्षण संस्थानों आदि में आई एस ओ 9001, आई एस ओ 1401, ओ एच एस ए एस 1801 तथा एस ए– 800 के लिए कुल 349 प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त एम सी एल को इस तरह की प्रबन्धन प्रणाली जैसे आई एस ओ 9001, आई एस ओ 1401, ओ एच एस ए एस 1801 तथा एस ए– 800 का 4 कम्पनी स्तर पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की गई है। इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करने वाली विश्व की यह पहली खनन कम्पनी बन गई है।

9.5.2 वर्ष 2011–12 के दौरान पूरे किए गए कार्य

विवेच्य वर्ष के दौरान लगभग 1.29 करोड़ रूपये का प्रबन्धन प्रणाली परामर्श कार्य पूरा किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप कुल 43 प्रबन्धन प्रणाली प्रमाणन्, आई एस ओ 9001 के 21 पुनर्प्रमाणन, आई एस ओ 14001 के 16 पुनर्प्रमाणन तथा ओ एच एस ए एस 18001 के 6 के प्रमाणन प्राप्त किए गए।

विवेच्य वर्ष के दौरान बी सी सी एल एवं सी सी एल के 21 यूनिट (ओ सी एस 1 सी पी पी, 1 मू.ग.) के लिए आई एस ओ 9001, आई एस ओ 14001, ओ एच एस ए एस 14001 हेतु समेकित प्रमाणन् अंकेक्षण किया गया।

9.5.3 चालू कार्य

वर्तमान में सी एम पी डी आई लगभग 10.5 करोड़ रूपये मूल्य का प्रबन्धन प्रणाली सेवाएं दे रहा है। यह कोल इण्डिया के विभिन्न संगठनों में आई एस ओ 9001, आई एस ओ 14001, ओ एच एस एच 18001, आई एस ओ 27001, आई एस ओ 50001, एस ए 8000 के मुकाबले 150 नये प्रमाणन् के लिए हैं। इसमें मुख्य ओपन कास्ट कोल माइनिंग परियोजनाएं, मुख्य भूमिगत परियोजनाएं, विभिन्न अस्पताल एवं एच ई एम एम वर्कशॉप तथा कुछ कम्पनी स्तर के प्रमाणन् शामिल हैं।

सी एम पी डी आई ने रॉची में सी सी एल गॉधी नगर अस्पताल के लिए (नेशनल एक्रीडियेशन बोर्ड फॉर हॉस्पीटल एण्ड हेल्थ केयर सर्विसेज) एम ए बी एच प्रमाणन् परामर्शी सेवा भी शुरू की है। हमारी परामर्शी सेवा के अन्तर्गत एम ए बी एच से मान्यता प्राप्त होने वाला यह कोल इण्डिया का पहला अस्पताल होगा।

10. सामग्री प्रबन्धन

10.1 स्क्रैप तथा परित्यक्त (अबसोलिट) मदों का निपटान

विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय संस्थान द्वारा सुपुर्द अनुमोदित सर्वे ऑफ रिपोर्ट के आधार पर नियमित रूप से स्क्रैप तथा परित्यक्त मदों का निपटान किया

जाता है। कम्पनी ने मेसर्स एम एल टी सी के साथ विक्रय एजेन्सी करार किया है जिससे ई ऑक्सन के माध्यम से इस तरह के मदों को ऑफ लाइन निपटान करना आसान हो गया है। पुनरीक्षण के अन्तर्गत विवेच्य वर्ष के दौरान वार्षिक लक्ष्य 100.00 लाख रूपये के मुकाबले 107.00 लाख रूपये मूल्य के स्क्रैप तथा परित्यक्त मदों का निपटान किया गया है।

10.2 वस्तु–सूची नियंत्रण

विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा विभिन्न स्थलों पर 53 ड्रिल लगाये गए हैं जो लगातार संचालन में है। इन ड्रिलों के परिचालन के दौरान उपभोग्य सामग्री जैसे ड्रिल रॉड, कोर बैरल, ड्रिल बीट, टी सी बीट आदि की नियमित आवश्यकता पड़ती है इसलिए सत्त परिचालन के लिए इन मदों का पर्याप्त भण्डार रखना पड़ता है। वस्तु सूची नियंत्रण के भाग के रूप में वस्तु सूची के नियंत्रण को रोकने के लिए उपयोग्य सामग्री के चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति हेतु आपूर्त्ति आदेश जारी किए जाते हैं। दिनांक 31. 03.2912 के अनुसार वस्तु सूची का मूल्य 648.00 लाख रूपये के मुकाबले 31.03.2013 के अनुसार 583.17 लाख रूपये मूल्यांकित किया गया। इसलिए वस्तु सूची में गिरावट आई है। वस्तु सूची में मुख्य रूप से ड्रिल रॉड, केसिंग, ड्रिल बिट, कोर बैरल, टंगस्टेन कार्बाइड (टी सी) आदि है। वर्ष 2012–13 के दौरान फ्लीट में शामिल किए गए 4 हाइड्रोलिक ड्रिल की सहायक सामग्री तथा उपयोग्य शामिल हैं। सामग्रियों के फ्रेश लॉट को आपूर्त्ति के पहले इस वस्तु सूची का यथासमय उपयोग कर लिया जाएगा।

10.3 विभिन्न प्रयोगशाला मद से सम्बन्धित प्राप्ति

सी एम पी डी आई की योजना के अनुसार सी एम पी डी आई (मुख्यालय) तथा क्षेत्रीय संस्थानों में अतिरिक्त परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला का विस्तार किया गया है। विवेच्य वर्ष 2012–13 के दौरान प्रयोगशाला में 17 नये उपकरण शामिल किए गए जिसमें नये जॉब को कार्यान्वित करने के लिए प्रयोगशाला की क्षमता में वृद्धि की है।

10.4 ड्रिलिंग से सम्बन्धित सामग्रियों की खरीद

सी एम पी डी आई के ड्रिलिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय पर ड्रिलों इसकी सहायक सामग्रियों तथा उपयोग्य सामग्रियों की खरीद जरूरी है। इन आइटमों के लिए प्राप्त सभी इंडेन्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अन्तिम रूप दे दिया गया है ताकि क्षेत्रीय संस्थानों के पास न तो ड्रिल की कमी हो और न ही उपयोग्य की, जिसके कारण ड्रिलिंग कार्य बाधित न हो। क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित मदों को समय पर उपलब्ध कराया गया है। इसलिए किसी भी ड्रिलिंग कैम्प से उनकी आवश्यकताओं को पूरा न करने सम्बन्धी किसी तरह की शिकायत का उदाहरण भी नहीं हैं। सतत् परिचालन को ध्यान में रखकर इन मदों का पर्याप्त भण्डार रहा।

10.5 ड्रिल मशीनों की खरीद

वर्ष 2012–13 के दौरान 5 मैकेनिकल ड्रिल प्राप्त किए गए तथा 4 मैकेनिकल ड्रिलों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये ड्रिलें वर्ष 2013–14 में प्राप्त हो जाएंगी।

10.6 सामानों का ई प्रोक्यूरमेंट

उपर्युक्त10.00 लाख रूपये सामानों की खरीद के लिए सभी निविदा को ई–टेंडरिंग के माध्यम से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के निदेशानुसार सभी निविदाएं मूल्य का परवाह किए बिना सूचना के लिए सी एम पी डी आई तथा सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के वेबसाइट पर डाली जा रही है।

10.7 कार्यों एवं सेवाओं का ई–प्रोक्यूरमेंट

सी एम पी डी आई ने एम सी एल पोर्टल के माध्यम से कार्यों एवं सेवाओं का ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रारम्भ किया है। अभी इसमें क्षेत्रीय संस्थान– 7 के कार्यालय भवन के लिए ड्रिलिंग आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से सम्बन्धित निविदा तथा आपूर्त्ति, प्रतिष्ठापन तथा सेन्ट्रल एयरकन्डीशनिंग प्लान्ट चालू करने का कार्य किया है। इस सिलसिले में सी एच पी तथा कोल वाशरी एवं सिविल कार्यों के लिए टर्न की संविदा से सम्बन्धित सभी निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोक्यूरमेंट प्रणाली के माध्यम से की जाएंगी। इन सुविधाओं का जुलाई 2013 तक क्षेत्रीय संस्थान तक विस्तार किया जाएगा।

11.0 मानव संसाधन विकास

वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सी एम पी डी आई के कर्मचारियों को जानकारी दी गईः–

महत्वपूर्ण क्षेत्र	एस टी सी	आई आई सी एम	बाहरी	विदेश में	कुल
प्रबन्धकीय	133	23	29	0	185
तकनीकी/ कार्यकारी	229	74	147	7	457
क्राश फंक्शनल	217	29	15	0	201
कुल	**579**	**126**	**191**	**07**	**903**

निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने अधिकारियों को विशेष एक्सपोजर दिया गया।

विदेश में प्रशिक्षणः–

वर्ष 2012–13 के दौरान सी एम पी डी आई के कुल 7 अधिकारियों ने सेमिनार/ सम्मेलन/प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए विदेश का दौरा किया।

बाहरी प्रशिक्षणः–

प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए काफी संख्या में अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों/जगहों में भेजा जा रहा है। इस वर्ष 191 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भारत के कई जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसका नामांकन प्रायः मुख्यालय के विभागाध्यक्षों तथा क्षेत्रीय संस्थान के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा किया जाता है तथा अनुमोदन कम्पनी की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जाता है। कुछ वैसे विषय, जिस पर अधिकारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन आदि में भाग लिया, की सूची नीचे दी गई हैः–

- गृह मूल्यकर्त्ता तथा प्रशिक्षु कार्यशाला
- नवॉं उन्नत अधिकारी सी डी एम प्रशिक्षण कार्यक्रम (ए ई सी आई पी)
- व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
- जल संसाधन प्रबन्धन एवं संरक्षण
- सर्फेस माइनर्स के साथ माइन प्लानर्स सेमिनार
- एम जी एम आई पेपर सत्र
- कोल इण्डिया, कोलकाता द्वारा विपस का वार्षिक सेमिनार तथा संयोजक मीट
- इमर्जिंग यूजेजे ऑफ द जी आई एस टेक्नोलॉजी इन मानिंग पर सेमिनार
- योजना से प्रभावित लोगों के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन पर अल्पकालिक कोर्स
- परियोजना प्रबन्धन पेशे का मूल
- खनिज क्षेत्र–द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए सर्फेस माइनर्स एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी
- चार्टर्ड एकाउन्टेंट का अखिल भारतीय सम्मेलन
- आई आई टी मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यशाला
- सुरंग तथा भूमिगत संरचना के लिए वाटरप्रूफिंग पर कार्यशाला
- थर्ड सेल गैस इण्डिया 2012
- खनन की समस्या के लिए एफ एल ए सी के इस्तेमाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- खनन, गवेषण, कन्वेसन, ट्रेड शो (माजमा 2012) पर 3 दिवसीय कार्यक्रम
- बंगाल चैम्बर की ऊर्जा एवं पर्यावर्णिक समिति, वार्षिक पर्यावरण तथा ऊर्जा इनक्लेव
- जेमकॉम माइनिंग प्रौद्योगिकी सेमिनार
- सतही जल डाटा विश्लेषण में सांख्यिकी का इस्तेमाल
- कोयला, विद्युत, स्टील तथा सम्बन्धित सेक्टरों में बढ़ते हुए उत्पादन उत्पादकता पर कार्यशाला
- कार्बन तथा जल फूटप्रिंट के लिए कार्यशाला
- पम्पिंग जॉच डाटा का विश्लेषण
- ए एस एन टी पासोनिक टेस्टिंग लेवल– 2 कोर्स तथा परीक्षा
- क्लीन कोल इण्डिया 2012
- कम्पनी सचिवों का 40वॉं नेशनल कान्वेन्सन
- माइन सर्वे पर भारतीय सम्मेलन
- कार्यालय सचिव के लिए प्रोफेशनल विकास
- भारत के पर्यावर्णिक तथा बायोडाइवरसिटी के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में सार की सुपुर्दगी

- ऊर्जा तथा खनिज उत्पादन में पर्यावर्णिक मुद्दे तथा अपशिष्ट प्रबन्धन पर 13वीं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
- जल पर 6ठा वर्ल्ड एक्वा कांग्रेस इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेन्स
- कराधान के प्रबन्धन में ज्वलन्त मुद्दा
- ऊर्जा सेक्टर चैलेंज एहेड का सतत् विकास
- 4 कोयला सुमित 2012
- सतही जल तथा भूमिगत जल कंज्युकेटिव इस्तेमाल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- एक्यूफायर मैपिंग के लिए सतही भूभौतिकी तकनीक का अनुप्रयोग
- विस्फोटन द्वारा रॉक विखण्डन पर 10वॉ अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी (वर्कशॉप फ्लैग ब्लास्ट–10)
- जल पर 6ठा वर्ल्ड एक्वा कांग्रेस इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेन्स
- जल संसाधन तथा प्रबन्धन के मूल्यांकन पर पॉच दिवसीय पाठ्यक्रम
- एल आई बी ए डी प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग पर संगोष्ठी ट्यूटोरियल
- भारत के पर्यावरण तथा बायोडायवरसिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन में सार की सुपुर्दगी
- वायु प्रदूषण मॉडलिंग पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- गैर विघ्वंसक मूल्यांकन (एन डी ई–2012) पर राष्ट्रीय सेमिनार एवं प्रदर्शनी
- विपस ईस्टर्न रीजन के फॉरम का क्षेत्रीय सम्मेलन
- लीडरशीप स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम
- शेल गैस के गवेषण एवं दोहन पर अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशॉप
- 13वॉ ई एस आर आई यूजर्स कॉन्फ्रेंस – 2012
- निगमित सामाजिक दायित्व
- विस्फोटकों में सुरक्षा, सिक्यूरिटी तथा वर्त्तमान ट्रेण्ड पर राष्ट्रीय सेमिनार
- कोयला खनन के लिए जिओस्पाशियल तथा भारत जिओस्पाशियल फॉरम 2013 के सरकारी पार्टनर होने पर संगोष्ठी
- एक्स ई आर एल तथा अप्रत्यक्ष कराधान पर सेमिनार
- वायु प्रदूषण मॉनीटरिंग तथा विश्लेषण में एरर तथा एप्रोक्सीमेशन
- अनुसंधान प्रणाली विज्ञान तथा डॉटा विश्लेषण
- वर्ल्ड पेट्रो कोल कॉग्रेस– 2013
- सी एस आर पर ही पावर वर्कशॉप
- राष्ट्रीय सेमिनार, सी पी टी 2013, कोयला विनिर्माण में वर्त्तमान ट्रेंड तथा भविष्य की आवश्यकताएं
- सी पी एस ई एस बोर्ड के एकीलेरेटिंग प्रोफेशनलाइजेशन के लिए 10वॉ डाइरेक्टर्स कार्यक्रम
- कार्य निष्पादन उत्कृष्टता की प्राप्ति पर वर्कशॉप
- भारतीय खनिज कॉग्रेस तथा प्रदर्शनी, सी एस आर तथा इलॉजिकल रिस्टोरेशन विजन 2050 को शामिल करते हुए सत्त खनिज विकास
- पब्लिक सेक्टर (विप्स) में महिलाओं के फॉरम का 23वॉ राष्ट्रीय अधिवेशन
- अनुसन्धन एवं विकास परियोजनाओं का प्रबन्धन
- पर्यावर्णिक डॉटा की व्याख्या, सम्पूर्णता, विश्लेषण प्रस्तुति तथा रिपोर्टिंग इन्डक्शन लेवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- भविष्य के लिए कार्यपालक सचिव, निजी सहायक तथा कार्यालय के कर्मचारियों का विकास
- युवा तथा मानव अधिकारों पर प्रषिक्षकों का प्रशिक्षण
- गैर पारम्परिक तेल एवं गैस संसाधन 2016 के विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- सोलर पावर प्रोफेशनल वर्कशॉप

आई आई सी एम में प्रशिक्षण

आई आई सी एम के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन विकास प्रभाग आई आई सी एम में बड़ी संख्या में वरीय अधिकारियों तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करता है। कम्पनी तथा ग्राहकों की आवश्यकता पर आधारित विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है।

वर्ष 2012–13 के दौरान आई आई सी एम में 126 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

कुछ विषय नीचे सूचीबद्ध हैः–

- सतर्कता जागरूकता
- आन्तरिक अंकेक्षण के लिए प्रशिक्षण
- प्रणाली (ओटोकेड) के लिए कार्यक्रम
- वरीय अधिकारियों के लिए कम्प्यूटर बेसिक
- निगमित सामाजिक दायित्व
- अर्थ मूविंग उपकरण
- ई आई एस रिव्यू मिटिंग
- इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
- कोयला सेक्टर में पर्यावरण सतत् एवं सम्मिलित विकास
- सूचना अधिकार अधिनियम– 2005
- सामान्य प्रबन्धन कार्यक्रम
- कार्यकारी–सह–प्रबन्धकीय जागरूकता कार्यक्रम
- वस्तु, सेवा, टैक्स तथा प्रत्यक्ष टैक्स कोड
- कार्यकारी–सह–प्रबन्धकीय जागरूकता कार्यक्रम
- कोयला कम्पनियों के लिए परियोजना प्रबन्धन
- सामान्य प्रबन्धन कार्यक्रम
- कार्यकारी–सह–प्रबन्धकीय जागरूकता कार्यक्रम
- कोल प्रिपरेशन हेड
- प्रणाली (एल आई एम यू एक्स तथा एम डब्लू) के लिए
- फंक्शनल स्किल प्रोग्राम
- सामान्य प्रबन्धन कार्यक्रम
- आउटसोर्सिंग उभरता हुआ मुद्दा
- खान सुरक्षा के लिए फंक्शनल स्किल प्रोग्राम
- उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम
- अर्थ मूविंग उपकरण
- अत्यधिक तनाव का स्व प्रबन्धन
- कोयला कम्पनियों के लिए परियोजना प्रबन्धन
- एस पी भूमि अधिग्रहण तथा आर एण्ड आर
- माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए फंक्शनल स्किल कार्यक्रम
- एच सी एल के लिए आई एस ओ 9001, क्यू एम एस लीड
- ऑडिटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- कार्यकारी–सह–प्रबन्धकीय जागरूकता कार्यक्रम (ई एण्ड एम)
- ई एण्ड एम इंजीनियरिंग के लिए फंक्शनल स्किल कार्यक्रम
- कोयला सेक्टर में पर्यावरण सतत् एवं सम्मिलित विकास
- सार्वजनिक उपलब्धि में पारदर्शिता पर सेमिनार
- कॉन्ट्रेक्ट प्रबन्धन पर कार्यक्रम
- लीडरशिप डवलपमेंट कार्यक्रम
- सेवानिवृति कर रहे अधिकारियों के लिए प्रिपेरटरी प्रोग्राम
- इन्टरप्राईज रिसोर्स प्लानिंग
- सेवानिवृत कर रहे अधिकारियों के लिए प्रिपरेटरी प्रोग्राम
- आन्तरिक अंकेक्षण के लिए प्रशिक्षण
- ई आई एस रिव्यू मिटिंग
- सामान्य प्रबन्धन कार्यक्रम
- कुल लागत प्रबन्धन पर वर्कशॉप
- अधिकारी तनाव का स्व प्रबन्धन

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण

गैर अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा सी एम पी डी आई से सम्बन्धित अधिकारियों का प्रशिक्षण स्टॉफ ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में कुल 579 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला इत्यादि में भाग लिया है।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम अतिरिक्त कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार एस टी सी, सी एम पी डी आई में अधिकारियों के लिए जैसे कि (भू–विज्ञान, भू–भौतिकी) एम टी के लिए टेक्नीकल स्किल नॉलेज का फंक्शनल एवं अपग्रेडेशन माइनेक्स साफ्टवेयर पर विशेष तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण/कार्यशाला के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित थे:

- लिसकॉर्ड का अपडेटेड वर्जन
- एम टी (भू–विज्ञान) तथा एम टी (भू–भौतिकी) के लिए तकनीकी निपुणता का उन्नयन
- समेकित आन्तरिक अंकेक्षण (आई एस ओ 9001 क्यू एम एस. आई एस ओ 27001 आई एस एम एस)
- हिन्दी कार्यशाला
- फंक्शनल तथा अपग्रेडेशन के लिए (भूविज्ञान एवं भू–भौतिकी) एम टी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- स्ट्रेस प्रबन्धन
- डायमण्ड कोर ड्रिलिंग में ड्रिलिंग उपकरणों/सहायक सामग्रियों का योजनाबद्ध प्रयोग।
- ए क्यू आई पी को कार्यान्वित करने के लिए ऑटोकेड एण्ड सफर
- तकनीकी ज्ञान का उन्नयन करने के लिए (भूविज्ञान) के प्रबन्धन प्रशिक्षु हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
- डी जी पी एस का फंकशनिंग तथा अप्लीकेशन
- एस टी सी में आई सी आर आई एस टीम के लिए प्रशिक्षण
- योगा तथा स्ट्रेस प्रबन्धन (पुरूष)
- योगा तथा स्ट्रेस प्रबन्धन (स्त्री)
- माइनेक्स सॉफ्टवेयर
- ड्रिलिंग प्रैक्टिस पर दो दिवसीय कार्यशाला
- हिन्दी कार्यशाला
- विप्स सेमिनार
- संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहल
- निजी क्षमता रिकार्ड तथा डाटा विश्लेषण पर जागरूकता
- सी एम पी डी आई की गवेषण क्षमता की वृद्धि पर जागरूकता कार्यक्रम
- बैलेंस स्कोर कार्ड

विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए सी एम पी डी आई में प्रशिक्षण

निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में विभिन्न संस्थानों के छात्रों को सी एम पी डी आई के विभिन्न विभागों में एच आर डी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 107 छात्रों ने सी एम पी डी आई में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन प्रशिक्षण परियोजना कार्यों के तहत कार्य करने वाले छात्रों को 7 दिनों से लेकर 2 माह की अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण/परियोजना की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण/परियोजना के सफलतापूर्वक समापन का प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

वैसे संस्थान जो प्रशिक्षण के लिए अप्रोच किए हैं, वे निम्नलिखित हैं:

- इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर
- इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद
- बी आई टी, मेसरा
- एन आई पी एम, कोलकता
- एस आर एम विश्वविद्यालय, चेन्नई
- पी डी जी ई, नागपुर
- एम आई टी, मणिपाल
- बी एच यू वाराणसी
- आई आई पी एम, नई दिल्ली
- आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, आसनसोल
- के आई आई टी, बी बी एस आर
- रॉची महिला कॉलेज, रॉची
- सेंट जेवियर्स कॉलेज, रॉची
- आई आई टी वाराणसी
- वी आई टी, वेल्लोर
- एन आई टी सुरथकल

12.0 कोल इण्डिया लिमिटेड से बाहर परामर्शी कार्य

विवेच्य वर्ष 2012–13 के दौरान कोल इण्डिया से बाहर 20 संगठनों के लिए कुल 28 परामर्शी कार्य पूरे किए गए। कुछ मुख्य ग्राहक/संगठन, जिसके लिए कार्य पूरे किए गए वे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि., नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि., सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि., महागुज कोरियरीज लि, मोन्भेट इस्पात एण्ड इनर्जी लि., जिन्दल स्टील एण्ड पावर इण्डिया लिमिटेड इत्यादि हैं।

वर्त्तमान में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि., नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लि.,

नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि., उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, महागुज कोलियरीज लि., बैतरणी वेस्ट कोल कम्पनी लिमिटेड, जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ओड़िसा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन, महानदी कोल कम्पनी लि. जैसे 18 संगठनों के 30 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में है।

वर्ष 2012–13 के दौरान सी एम पी डी आई द्वारा 20 संगठनों से 35.8 करोड़ रूपये मूल्य के 32 बाह्य परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए। इनमें तालचर तथा ईव वैली कोयला क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान की तैयारी हेतु मेसर्स ओड़िसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉरपोरेशन (डी सी ओ) से 7.62 करोड़ रूपये मूल्य के परामर्शी कार्य शामिल हैं।

13.0 श्रमशक्ति और कल्याण सम्बन्धी क्रिया–कलाप

श्रमशक्ति की स्थितिः

विवरण	31 मार्च 2012 के अनुसार	31 मार्च 2013 के अनुसार
अधिकारी	855	957
कर्मचारी		
मासिक वेतनभोगी	1312	1228
दैनिक वेतनभोगी	962	957
सकल योग	3129	3142

कल्याण सम्बन्धी क्रिया–कलाप

1. सी एम पी डी आई के पास इसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में शत–प्रतिशत संतुष्टि सहित 2518 क्वार्टर है।
2. सी एम पी डी आई के कर्मचारियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया गया है।
3. सी एम पी डी आई के सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को अपने डिस्पेंसरी तथा कोल इण्डिया की सहायक कम्पनियों के अस्पताल द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। आवश्यकतानुसार रोगी को ख्यातिप्राप्त संस्थानों में रेफर भी किया जाता है।
4. सी एम पी डी आई डी ए वी पब्लिक स्कूल, गॉधीनगर, रॉची को 1.00 लाख रूपया वित्तीय सहायता/अनुदान देता है।
5. कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भाड़े के छोटे वाहन सहित 31 स्कूल बसें हैं।
6. कर्मचारियों के आश्रितों, जिन्होंने स्पोर्टस के क्षेत्र में जिला/राज्य/राष्ट्र के स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, उन्हें नकद पुरस्कार दिया गया।
7. सी एम पी डी आई के कर्मचारियों के वैसे बच्चों को जिन्होंने 2012 में आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 और उससे ऊपर अंक प्राप्त किया है, को रू. 78630/– (अठहत्तर हजार छह सौ तीस रूपये) की नकद राशि पुरस्कार में दी गई।
8. कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के अवसर पर उन्हें ग्रेच्यूटी चेक दिया जा रहा है।
9. सी एम पी डी आई के सभी कर्मचारी बैंक के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
10. 200 प्लास्टिक चेयर गोन्दवाना क्लब को दिया गया।
11. स्टैंड सहित 2 कैरम बोर्ड रिक्रिएशन क्लब को दिया गया।
12. एक दिवसीय सेमिनार आयोजित करने के लिए कुल रू. 74,000/– (चौहत्तर हजार रूपये) मात्र विप्स को दिया गया।
13. विश्व एड्स दिवस 1 दिसम्बर 2012 को मनाया गया।
14. कर्मचारियों के बच्चों के लिए 21.05.2012 से 04.06.2012 तक सी एम पी डी आई में समर कोचिंग कैम्प संचालित किया।
15. अम्बेडकर जयन्ती मनाने के लिए रू. 8,000/– (आठ हजार रूपये) मात्र अनुदान दिया गया।
16. रू. 20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र का अनुदान गोन्दवाना क्लब को दिया गया।
17. रू. 30,000/– (तीस हजार रूपये) मात्र का अनुदान रिक्रिएशन क्लब को दिया गया।

सी एस आर क्रिया–कलाप

1. लोअर मिसिर गोन्दा, कॉके रोड, रॉची में लायन्स क्लब, रॉची ईस्ट के सहयोग से एक सामान्य चिकित्सा जॉच शिविर का आयोजन किया गया

जिसमें 144 ग्रामीणों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

2. बिरसा स्कूल हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची में लायन्स क्लब, रॉची ईस्ट के सहयोग से एक सामान्य चिकित्सा जॉच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 254 छात्रों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

3. बिरसा स्कूल हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची में झारखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के सहयोग से एच आई वी एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 169 छात्रों ने इसमें भाग लिया तथा एच आई वी/एड्स के कारण, रोग लक्षण तथा रोकने के बारे में जागरूक किया गया।

4. गोन्दवाना प्राइमरी स्कूल, कॉके रोड, रॉची में सामान्य चिकित्सा–सह–खून जॉच शिविर लगाया गया, जिसमें 119 छात्रों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

5. पतरागोन्दा, कॉके रोड, रॉची में सामान्य चिकित्सा–सह–ऑख जॉच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 180 ग्रामीणों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

6. स्कूल के छात्रों के बीच मिठाई का वितरण करने के लिए गोन्दवाना प्राईमरी स्कूल, कॉके रोड, रॉची को 15 अगस्त 2012 का समारोह मनाने के लिए रू. 6,000/– (छह हजार रूपये) मात्र दिया गया है।

7. स्कूल के छात्रों के बीच मिठाई का वितरण करने के लिए बिरसा हाई स्कूल, हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची को 15 अगस्त 2012 का समारोह मनाने के लिए रू. 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र दिया गया।

8. बिरसा स्कूल हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची में सामान्य चिकित्सा–सह–ऑख जॉच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 286 छात्रों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

9. हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची में सामान्य चिकित्सा जॉच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 160 ग्रामीणों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

10. गोन्दवाना प्राईमरी स्कूल, कॉके रोड, रॉची में सामान्य चिकित्सा–सह दन्त जॉच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 150 छात्रों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

11. वार्षिक दिवस समारोह के लिए गोन्दवाना प्राईमरी स्कूल, कॉके रोड, रॉची के प्राचार्या को रू. 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र का चेक दिया गया।

12. वर्ष 2012–13 के लिए प्रतिभावान तथा गरीब बच्चों के शुल्क (फीस) हेतु गोन्दवाना स्कूल के प्राचार्या को रू. 21,780/– (इक्कीस हजार सात सौ अस्सी रूपये) मात्र का चेक दिया गया।

13. वर्ष 2012–13 के लिए प्रतिभावान तथा गरीब बच्चों के शुल्क (फीस) हेतु बिरसा हाई स्कूल, हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची के प्राचार्या को रू. 48,960/– (अड़तालिस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र का चेक सौंपा गया।

14. बिरसा स्कूल हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची में सामान्य चिकित्सा जॉच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 205 छात्रों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

15. लायन्स क्लब, रॉची ईस्ट के सहयोग से बुकरू गॉव, कॉके रोड, रॉची में सामान्य चिकित्सा जॉच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 176 ग्रामीणों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

16. बुकरू गॉव, कॉके रोड, रॉची में झारखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी के सहयोग से एच आई वी/एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 190 ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम मे भाग लिया तथा उन्हें एच आई वी/एड्स के कारण, रोग लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में जागरूक किया गया।

17. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची के प्राचार्या को 25 प्लास्टिक की कुर्सियॉ सौंपी गईं।

18. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची के प्राचार्या को 60 ट्यूबलाईट सौंपा गया।

19. बिरसा हाई स्कूल, हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची के 950 छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री (कॉपी, पेन्सिल, पेन्सिल बॉक्स) की आपूर्त्ति की गई।

20. जे एम जी स्कूल डोरण्डा, रॉची के 13 गरीब छात्रों की एक साल की स्कूल फीस दी गई।

21. नेत्रहीन छात्राओं की स्कॉलरशिप के लिए ब्रज किशोर नेत्रहीन विद्यालय के प्राचार्या को रू. 60,000/– (साठ हजार रूपये) मात्र का चेक सौंपा गया।

22. वार्षिक स्पोर्टस डे के लिए गोन्दवाना प्राईमरी स्कूल, कॉके रोड, रॉची के प्राचार्या को रू. 6,000/– (छह हजार रूपये) मात्र का चेक दिया गया।

23. गोन्दवाना प्राईमरी स्कूल, कॉके रोड, रॉची के प्राचार्या को खेल–कूद की सामग्रियॉ सौंपी गईं।

24. बिरसा स्कूल हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची के प्राचार्या को 1 अलमीरा, 1 कार्यालय टेबुल, 5 ऑफिस चेयर, 3 डेस्क बेंच, 125 यूनिफार्म, स्पोर्टस सामग्री, प्रयोगशाला की सामग्री सौंपी गई।

25. 26 जनवरी 2013 का समारोह मनाने के लिए गोन्दवाना प्राईमरी स्कूल कॉके रोड, रॉची को रू. 6,000/– (छह हजार रूपये) मात्र दिए गए हैं।

26. अन्धे के लिए मधुर मुस्कान वर्किंग को एक इन्वर्टर, 3 बैटरी दी गई।

27. समीप के गॉवों में 5 सिलाई मशीनें दी गईं।

28. गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के लिए प्रधानाचार्य, बिरसा उच्च विद्यालय, हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची को रू. 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र का चेक दिया गया।

29. वार्षिक खेल–कूद दिवस समारोह के लिए प्रधानाचार्य, बिरसा उच्च विद्याालय, हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची को रू. 35,000/– (पैंतीस हजार रूपये) मात्र का चेक दिया गया।

30. गोन्दवाना प्राईमरी स्कूल, कॉके रोड, रॉची को 66 स्कूल यूनिफॉर्म वितरित किए गए।

31. बिरसा स्कूल हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची में एक सामान्य चिकित्सा जॉच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 111 छात्रों की चिकित्सीय जॉच की गई तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयॉ दी गईं।

32. गोन्दवाना प्राईमरी स्कूल, कॉके रोड, रॉची को 4 यू पी एस सुपुर्द किए गए।

33. बिरसा स्कूल हथियागोन्दा, कॉके रोड, रॉची में तीन कमरे बनाए गए।

34. श्यामा देवी फ्री प्राइमरी स्कूल/स्वामी विवेकानन्द स्कूल आसनसोल (प.बं)/इथोरा फ्री स्कूल, जिला वर्दमान प.बं/डॉ श्यामा प्रसाद विद्यालय, आसनसोल पं. बं को क्षेत्रीय संस्थान–1 द्वारा 3 सीटर डेस्क एवं बेंच मुहैया कराए गए।

35. उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपीनाथडीह/ उत्क्रमित मध्य विद्यालय मालिडीह को क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद द्वारा डेस्क–बेंच, स्कूल बैग, यूनिफार्म तथा पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराए गए।

36. उत्क्रमित मध्य विद्यालय बोंगाहारा, पुरनपनियान विद्यालय/उत्क्रमित मध्य विद्यालय चालकरी/पुंडी विद्यालय को डेस्क बेंच दिए गए। गवेषण कैम्पों के निकटस्थ गॉवों में चिकित्सा शिविर लगाए गए। क्षेत्रीय संस्थान–3, रॉची द्वारा गवेषण कैम्प के निकटस्थ गॉवों में शेड फ्लोरिंग तथा प्लेटफार्म बनाए गए।

37. क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर द्वारा चन्दनवाही स्कूल, राजुरा में आर सी सी स्टेज तथा शेड का निर्माण कराया गया।

38. क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर द्वारा विद्यालय के तालाब के स्नान घाट का निर्माण/ मरम्मत किया गया।

39. क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली द्वारा आस–पास के गॉवों में यात्री शेड का निर्माण कराया गया तथा बेन्च एवं डेस्क दिए गए।

40. गवर्नमेन्ट यू जी हाई स्कूल, बरपदा के चहारदिवारी का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर द्वारा शौचालय का भी निर्माण कराया गया।

खेल–कूद क्रिया–कलाप

1. झारखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अकोला (महाराष्ट्र) में आयोजित सीनियर नेशनल कैरम चैम्पियनशीप में खिलाड़ी तथा वेटरन खिलाड़ी

के रूप में भाग लेने हेतु श्री पी के बिसोई, उप प्रबन्धक (प्रणाली) तथा श्री रमेश प्रहसन का चयन किया गया।

2. सी एम पी डी आई ने बैडमिंटन, टी टी, कैरम, चेस तथा अथलेटिक, वॉली बॉल तथा ब्रिज के लिए अन्तर क्षेत्रीय संस्थान टूर्नामेन्ट का आयोजन किया गया।

3. सी एम पी डी आई ने अन्तर क्षेत्रीय संस्थान कैनवॉस बॉल क्रिकेट टूर्नामेन्ट आयोजित किया।

4. सी एम पी डी आई ने 25 से 27 फरवरी 2013 तक इन्टर कोल कम्पनी चेस टूर्नामेन्ट की मेजबानी की

14.0 राजभाषा :

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) तथा कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका "देशकाल संपदा" का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

कोयला मंत्रालय के निदेशों के अनुसार सितम्बर माह 2012 में "राजभाषा पखवाड़ा" मनाया गया। कंपनी के कर्मचारियों के बीच हिन्दी को प्रचारित और लोकप्रिय करने के लिए हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान इस अवसर पर आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग लिये। विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा इतनी ही रकम की पुस्तकें भी दी गईं। इसके अतिरिक्त हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कंपनी के दो विभागों तथा दो क्षेत्रीय संस्थानों को क्रमशः अध्यक्षीय शील्ड, विजेता एवं अध्यक्षीय शील्ड, उपविजेता से नवाजा गया।

दिन–प्रतिदिन के कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (मानव संसाधन विकास विभाग) के तत्वावधान में चार हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गई। सभी हिन्दी कार्यशालाएँ दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में कर्मचारियों के झिझक को दूर करने में बहुत प्रभावी रही।

आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी निदेशों और वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा की तिमाही प्रगति की समीक्षा के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें भी आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय संस्थानों के दैनिक कार्य–कलाप में हिन्दी की प्रगति को क्षेत्रीय निदेशकों की समन्वय समिति की बैठक में एक स्थाई कार्य–सूची (एजेंडा) के रूप में शामिल किया गया है तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है।

आपकी कंपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेती रही।

लोअर मिसिर गोंदा, कांके रोड, रांची में सामान्य चिकित्सा जाँच शिविर का आयोजन किया गया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रिया–कलाप के तहत बिरसा हई स्कूल हथिया गोंदा, काँके रोड, रांची के 950 छात्रों के लिए आपूर्ति की जा रही अध्ययन सामग्रियाँ (कॉपी, पेंसिल तथा पेन्सिल बॉक्स आदि)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रिया–कलाप के तहत बुकरू ग्राम, काँके रोड, रांची में झारखंड एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से एचआईवी एड्स पर सामान्य जांच शिविर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, कांके रोड, रांची में चिकित्सा–सह–दन्त जांच शिविर का आयोजन किया गया।

15. सीएमपीडीआई का प्रभावपूर्ण कार्य निष्पादन वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक लगातार सर्वोत्तम उत्कृष्टता प्राप्त करने में प्रतिबिम्बित हुआ है तथा एमओयू रेटिंग के अनुसार वर्ष 2008–09 के लिए कोल इंडिया की सर्वोत्तम कार्य निष्पादन कंपनी के रूप में इसे माना गया है। सीएमपीडीआई ने वर्ष 2011–12 वर्ष के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त किया है तथा इसे वर्ष 2012–13 के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त करने की संभावना है। वर्ष 2012–13 के लिए सीएमपीडीआईएल के एमओयू पारा मीटर्स का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया है।

16. वर्ष 2012–13 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सीएमपीडीआई में महिला संघ (फोरम ऑफ विमेन) के क्रिया–कलाप

विप्स, सीएमपीडीआई लगभग एक दशक से ज्यादा अवधि तक सुसुप्तावस्था (निष्क्रिय) में था तथा वर्ष 2009 में विप्स, सीएमपीडीआई को 2010 में इस फोरम के कारपोरेट सदस्य के रूप में पंजीकृत करते हुए डा0 झुमझुमी मोईत्रा, मुख्य प्रबंधक (भू–विज्ञान) के नेतृत्व में पुनर्जीवित किया गया। इसकी शुरूआत 84 महिला कर्मचारियों की सदस्यता से की गई (21 अधिकारी एवं 63 गैर–अधिकारी) अर्थात् कुल श्रमशक्ति का केवल 5.5 प्रतिशत।

इसकी आम सभा की बैठक के बाद श्रीमती सुचन्द्रा सिन्हा, वरीय प्रबंधक (ईएंडएम), तथा समन्वयक, विप्स, सीएमपीडीआई के नए नेतृत्व में सीएमपीडीआई के संगठनात्मक उद्देयों को पूरा करने में सहयोग की नई ऊँचाइयाँ प्राप्त की।

विगत 12 महीनों में हमारी निम्नलिखित गतिविधियाँ रहीं :

- नई सदस्यता अभियान, 89 नए सदस्य जोड़े गए, 173 महिला कर्मचारी (63 अधिकारी एवं 110 गैर–अधिकारी) अर्थात् कुल कार्यबल का 6.3 प्रतिशत।
- कार्यकारी प्रबंधन समिति के एक्जीक्यूटिव सदस्यों एवं ऑफिस बियररों की बैठक, 20 महिला कर्मचारियों की उपस्थिति, दिनांक : 16.7.12, 14.9.12 एवं 9.10.12 को बैठक आयोजित।
- जेनरल बॉडी की बैठक 7.1.2013 को आयोजित हुआ– जिसमें 54 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया ।
- सीएमपीडीआई चैप्टर के विप्स सदस्यों द्वारा सीएमपीडीआई के बाहर सेमिनार और बैठक में भाग लिया गया वह इस प्रकार है :
  - कोल इंडिया द्वारा आयोजित दिनांक : 04 एवं 5 जुलाई, 2012 को कोलकाता में विप्स के ''समन्वय को की बैठक'' तथा वार्षिक सेमिनार
  - दिनांक : 23 अगस्त, 2012 को कोलकाता में ईस्टर्न इंडिया के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विप्स (ईस्टर्न चैप्टर) के ''रीजनल एक्जीक्यूटिव बॉडी'' की बैठक।
- क्षेत्रीय मीट, इस्टर्न चैप्टर, धनबाद में आयोजित इसमें विप्स के दस सदस्यों ने भाग लिया।
- विप्स, सीएमपीडीआई ने ''हेल्थ अवेयरनेस एंड वेलनेस कम्पेन'' दिनांक : 25 सितम्बर, 2012 को वेस्ट बोकारो, जिला–रामगढ़, झारखंड के पुंडी गांव में चलाया।
  - विप्स के सदस्यों ने निम्नलिखित पर 150 से अधिक गांवों को शिक्षित करने में सहयोग किया।
  - हेल्थ एवं हाइजिन पर
  - ब्रेस्ट फीडिंग
  - दूध पिलाने वाली माताओं और गर्भवती महिला द्वारा ली जाने वाली सावधानी
  - ग्रामीण परिवेश में महिलाओं द्वारा लिए जाने वाला पोषण

- घर में प्रसव के बदले स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के लिए प्रोत्सासहित करना
- महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं तथा आसानी से अपनाये जाने वाले जन्म नियंत्रण उपाय के प्रति जागरूकता

- स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती मनाना, रामकृष्ण मिशन, मोहराबादी, राँची द्वारा एक सराहनीय प्रयास शुरू किया गया जिसमें गांवों के लगभग 100 गरीब शोषित बच्चों (6 से 12 वर्ष उम्र के) को ''स्वाबलंबी'' अथवा स्वयं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित/शिक्षित किया गया। यह बच्चों के स्वास्थ्य एवं हाइजिन, मूल्य आधारित शिक्षा, सांस्कृतिक/सामाजिक जागरूकता एवं उनके आगे के जीवन में जीवन जीने लायक करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित एक चाइल्ड डेवलपमेंट मिशन है।
- इस मिशन में विप्स के सदस्यों ने बच्चों के कार्यक्रम में भाग लिया और पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामान्य ज्ञान एवं तत्कालीन मुद्दे से संबंधित सामान्य जागरूकता मामलों में सहयोग किया।

- विप्स के सदस्यों ने अक्टूबर–नवम्बर, 2012 माह के दौरान ''अनुराग सिंह चेरिटेबल ट्रस्ट'' में स्वैच्छिक शिक्षण कार्य में सहयोग किया।
- विप्स के सदस्यों ने डोरंडा, रांची में झोपड़ियों और आउट–हाउस के वर्ग ii से viii तक के लगभग 15 बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव दिया तथा उनके स्कूली अध्ययन में सहायता और सहयोग इस ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

- विप्स सदस्य अपने बैनर तले पहले से ही शनिवार के अपराह्न में 2 से 3 घंटे के विभिन्न वर्गों का क्लास ले रहे हैं।

- विप्स के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.12.2012 को सीएमपीडीआई(मु.), कांके रोड, रांची के समीपस्थ हातमा बस्ती में एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया। एड्स जागरूकता कार्यक्रम में डा0 देबाशीष चक्रवर्ती, परामर्शदाता, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसायटी तथा विप्स के प्रतिनिधि डा0 शिल्पी स्वरूप द्वारा भाग लिया गया। इस अभियान में भाग लेने वाले बस्ती के 100 निवासियों के बीच बैज, पोस्टर और जागरूकता संबंधी सामग्री बांटे गए। नए वर्ष 2013 की शुरूआत के पूर्व केक एवं चॉकलेट का भी वितरण किया गया।

- विप्स फोरम, सीएमपीडीआई के एक ही छत के नीचे सीएमपीडीआई मुख्यालय और इसके सभी सातों क्षेत्रीय संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारियों सहित इसके सभी महिला कर्मचारियों को लाने और सीएमपीडीआई के कार्यालय में इसको अपना जगह बनाने के लिए सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक–दिवसीय सेमिनार का आयोजन दिनांक : 22.01.13 को किया गया।

- तकनीकी लेख, आर्टिकल ऑफ लिटररी इंटरेस्ट, करेंट अफेयर, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संबंधी मुद्दे के जरिए हमारे महिला कर्मचारियों के लिए विचार व्यक्त करने हेतु एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारा प्रथम समाचार पत्र ''आरोहण'' का प्रकाशन किया गया।

17. निदेशकों का उत्तर दायित्व उक्ति

17.1 वार्षिक लेखा को तैयार करने के लिए सामग्रियों के विचलन से संबंधित उपयुक्त व्याख्या सहित उपयोग्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

17.2 निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत में और इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति को सत्य एवं स्पष्ट विचार दे सके।

17.3 निदेशकों ने लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनियों की परिसम्पतियों की सुरक्षा, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

17.4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंगकर्न्सन) पर वार्षिक लेखा तैयार किया।

अंकेक्षण :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स तोदी तुलस्यान एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंड, पटना को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा (44 एबी) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति :

आपके निदेशकगण, भारत सरकार कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों, जिसके सम्पर्क में आपकी कंपनी ने काम किया है तथा कम्पनी के कार्यों को पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उसके प्रति हम आभारी हैं। हम अपने संबंधित ग्राहकों नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि., सेल–आईएसटी, इफ्को छत्तीसगढ़ पावर लि., सेंट्रल इलेक्ट्रिसीटी ऑथरिटी, टाटा स्टील, हिण्डालकों, महागुज कोलियरीज लि., हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, डीएससीएल, रिलायंस कोल रिसोर्सेस (मेसर्स पावर लि.) ओएमसी आदि के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट

कंपनी अधिनियम 1956 (मूल रिपोर्ट) की धारा 271(2ए) के तहत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न है। सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट तथा प्रबंधन के जबाव, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, कार्पोरेट गवनेंस के अनुपालन पर अंकेक्षक की रिपोर्ट सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणन तथा 2012–13 के एमओयू पर रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते
ह./–
ए.के.देबनाथ
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

राँची :

तिथि : 22.05.2013

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं खर्च के बारे में कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट के विवरण का स्पष्टीकरण) नियम 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना।

(क) ऊर्जा संरक्षण :

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय

सीएमपीडीआई (मुख्यालय) द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) पारंपरिक एचपीएसपी/मेटल हैलाइड स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज को बदल कर एलईडी स्ट्रीट लाइट ल्यूमिनरीज लगाए गए हैं।

(ii) कार्यालय में परंपरागत एफटीएल फीटिंग्स को बदलकर इनर्जी सेवर टी 5 ल्यूमनिरीज लगाए गए हैं।

(iii) अधिकांश परंपरागत रेसिस्टेंस टाइप फैन रेगुलेटर को बदलकर इलेक्ट्रानिक रेगुलेटर लगाए गए हैं।

(iv) कार्यालय एवं आवासीय परिसर की आम जगहों पर एफटीएल फीटिंग्स के बदले में सीएफएल फीटिंग्स लगाए गए हैं।

(ख) ऊर्जा खपत की कमी के लिए कार्यान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश एवं प्रस्ताव, यदि कोई हो लगाए गए कुल अतिरिक्त निवेश–49.31 लाख रूपए ऊर्जा संरक्षण की योजना के लिए विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से कार्यालय के लिए टी 5 ल्यूमेनरीज, कॉलोनी तथा गलियों के लिए एलईडी ल्यूमेनरीज का इस्तेमाल करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अतिरिक्त निवेश के लिए इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है तथा अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।

(ग) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए किए गये उपयों का प्रभाव

सीएमपीडीआई (मुख्यालय) परिसर में बिजली की खपत (औद्योगिक एवं घरेलू) में काफी कमी आई है।

संपूर्ण प्रभाव की मॉनिटरिंग की जा रही है।

(घ) इस परिशिष्ट के फार्म 'ए' के अनुसार कुल ऊर्जा की खपत तथा प्रति इकाई उत्पादन पर ऊर्जा की खपत नीचे दी जा रही है :

फार्म 'ए'

(क) बिजली एवं ईंधन की खपत

i. बिजली

(रकम रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	2011.12	2012.13
1.	औद्योगिक खपत	22393944.75	20981148.99
2.	नगरीय खपत	20454329.85	24895794.00

ii. डीजल

(रकम रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	2011.12	2012.13
1.	डीजल	46681884.08	55713625.37

(ख) प्रति इकाई (यूनिट) खपत

i. बिजली

क्र.सं.	विवरण	2011.12	2012.13
1.	ड्रिल किए गए मिटरेज	273018.2	276198.6
2.	उपभोग किया गया कुल यूनिट–के.डब्ल्यूएच औद्योगिक	38821149	3556127
3.	उपभोग किया गया कुल यूनिट–के.डब्ल्यूएच नगरीय	3552860	4219626
4.	औसत दर प्रति यूनिट (रू.) औद्योगिक	5.72	5.9
5.	औसत दर प्रति यूनिट (रू.) नगरीय	5.76	5.9

ii. डीजल

क्र. सं.	विवरण	2011.12	2012.13
1.	मिटरेज ड्रिल	273018.2	276198.6
2.	उपभोग किया गया कुल युनिट– केडब्ल्यूएच	1076115.35	1106966.53
3.	प्रति यूनिट औसत दर	43.38	50.33

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन :

कोयला गवेषण, माइन प्लानिंग एंड डिजाइन, कोयला परिष्करण एवं उपयोग, सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाएँ तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों को परामर्शी सेवा देने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआई) की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई।

भारत सरकार ने अपने कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) योजना तथा कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने आरएंडडी बोर्ड के जरिए अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप की शुरूआत की है। कोयले से संबंधित अनुसंधान क्रिया–कलाप की देख–रेख करने के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) शीर्ष निकाय है और कोल इंडिया के अनुसंधान अनुदान की देख–रेख अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में सीआईएल आरएंडडी बोर्ड के जरिए किया जाता है। आधुनिकतम (स्टेट आफ–आर्ट) सुविधा सम्पन्न तथा पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशाला होने के कारण विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) मंत्रालय, नई दिल्ली से सीएमपीडीआई आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)इकाई के रूप में मान्यता (पहचान) प्राप्त है।

कंपनी के निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का स्पष्टीकरण (डिस्क्लोजर) नियम 1988 के नियम 2 के साथ पठित धारा 217(1) (ई) के तहत अपेक्षित व्यौरा नीचे दिया गया है :

फार्म 'बी' – (समावेशन से संबंधित विवरणों का स्पष्टीकरण)

अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) :

1. विशिष्ट क्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए :

i. कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र के लिए कोयला खानों में उत्पादन उत्पादकता तथा सुरक्षा में उन्नयन, कोयला परिष्करण एवं उपयोग और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अपने कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) योजना के जरिए तथा कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने आरएंडडी बोर्ड के जरिए आरएंडडी क्रिया–कलाप की शुरूआत की है जिसमें प्रत्येक वर्ष पर्याप्त कोष मुहैया कराया जा रहा है।

ii. कोल एसएंडटी तथा सीआईएल आरएंडडी परियोजनाओं के समन्वयन तथा मानिटरिंग के लिए सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। ये परियोजनाएँ कोयला एवं लिग्नाईट खनन कंपनियों के सक्रिय सहयोग से कोयले से संबंधित उद्योग से संबंधित कई अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

iii. नोडल एजेंसी होने के अलावा सीएमपीडीआई द्वारा कई परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी है कार्यान्वित की जा रही है।

iv. गैर परंपरागत ऊर्जा के उपयोग तथा परंपरागत ऊर्जा संरक्षण के लिए माइक्रोग्रीड प्रणाली पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना शुरू की गई है।

2. उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप प्राप्त लाभ :

i. इन कई परियोजनाओं से पर्याप्त लाभ हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप परिचालन में सुधार, सुरक्षित काम करने की स्थिति, बेहतर संसाधन

प्राप्ति तथा पर्यावरण सुरक्षित हुआ है। यद्धपि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं से उद्योगों पर काफी प्रभाव पड़ा है, तथापि कुछ ऐसे भी हैं जिनसे चालू खान तथा भावी खनन योजनाओं दोनों के लिए जरूरी माइन प्लानिंग डिजाइन तथा तकनीकी सेवाएँ सबल हुई हैं।

ii. भूमिगत पिलर डिजाइन, चाल दक्षता विश्लेषण तथा मल्टीपुल सीम वर्किंग के बीच की पार्टिंग्स, सतह धँसान पूर्वानुमान, विभिन्न शैल स्थिति के लिए अनुकूलतम विस्फोटन डिजाइन, खुली खनन ढाल स्थायित्व जैसी अनेक समस्याओं के लिए अब खासकर भारतीय भू–खनन स्थितियों के लिए विकसित डिजाइन टूल उपलब्ध हैं।

iii. कुछ परियोजनाओं से प्राप्त निष्कर्ष, जैसे रूफ रॉक के इंजीनियरिंग वर्गीकरण में अध्ययन, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा जारी अनुबंध के कारण हुआ है, अर्थात् कार्य हेतु सांविधिक अनुमति लेते समय सभी भूमिगत खानों के लिए विकसित डिजाइन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए।

iv. भूमिगत कार्यस्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुराने अगम्य जल प्लावित कार्यस्थल का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनेट्राटिंग रडार जैसे आधुनिक तकनीक शामिल करने हेतु आरएंडडी कार्य के जरिए काफी प्रगति हुई है। भूमिगत रिक्ति के ब्लाइन्ड बैंक भराई (फीलिंग) का परीक्षण भी किया गया है।

v. भूमिगत खान के मानचित्रण के लिए व्यावहारिक तकनीक के रूप में सुदूर संवेदन जैसी उन्नत प्रणाली स्थापित की गई है।

vi. खासकर, अधिक राखयुक्त भारतीय कोयले के लिए कोयला परिष्करण तकनीक में सुधार लाने के उद्देश्य से सार्थक अध्ययन किए गए हैं। अधिक राख वाले कोयले के कारगर उपयोग हेतु दहन (कम्बस्टन) तकनीक से संबंधित अनुसंधान से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए गए हैं। अन्य संगठनों के सहयोग से सीएमपीडीआई द्वारा कोयले के शुष्क परिष्करण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण (बड़ी) परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है।

vii. खनित क्षेत्रों के पुनः वनस्पति आच्छादन, तथा उर्वरक के रूप में प्रयोग के लिए ह्यूमिक एसिड का उत्पादन तथा फ्लाई ऐश का उपयोग के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए हैं।

3. भावी कार्य योजना :

i. कोयला उद्योग के परिचालन की जटिलता तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना तथा विशेषज्ञता वाले निजी संगठन सहित अनुसंधान संगठन की व्यापक संलिप्ता को पता लगाने के लिए आवश्यक अनुसंधान कार्य की मात्रा बढ़ाने हेतु कोयला मंत्रालय की ओर से सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय के एसटी अनुदान के तहत कोष हेतु खनन पद्धति, संस्तर नियंत्रण खान सुरक्षा, कोल बेड मिथेन (सीबीएम) आदि से संबंधित क्षेत्र के लिए रूचि का प्रदर्शन (एक्सपशन आफ इंटरेस्ट) (ईओआई) आमंत्रित किया है।

ii. भूमिगत खानों में बने पिलरों का समापन (द्रवीकरण), खुली खानों में पीट एवं डम्प स्लोप स्थायित्व, हाइड्रॉलिक खनन, हाईवाल माइनिंग रूफ पूर्वानुमान तथा डम्प एवं हाई वाल फेल्यूअर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, भारतीय कोयला क्षेत्र में शेल गैस संभावना का मूल्यांकन, सीबीएम भंडार का आकलन, ओपेनकास्ट खानों से फ्यूगिटिव उत्सर्जन से सीबीएम, स्वस्थाने कोयला गैसीकरण, कोयला द्रवीकरण तथा वायु की गुणवत्ता एवं प्रदूषण के लिए प्रीडिक्टिव माडल का विकास आदि जैसे क्षेत्रों को पता आगामी अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगाया जाएगा।

iii. सीसीएल की एक भूमिगत खान में खान संचार से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें थ्रू–दि–अर्थ (टीटीई) एक तरफा (एकल) (वन वे) संदेश प्रणाली (मेसेजिंग सिस्टम) तथा टू वे (दो तरफा) वॉयस कम्यूनिकेशन एंड ट्रेकिंग सिस्टम है। समेकित

प्रणाली का उपयोग अब सीसीएल की भुरकुंडा खान में डिजिटल वायर टेलिफोन के साथ किया जा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति भूमिगत खान से टेलिफोन कर सकता है तथा रीसिव कर सकता है।

iv. एक अनुसंधान परियोजना में सेल्फ एडवांसिंग गोफ एज (मोबाइल) चॉक टाइप का विकास किया गया है तथा बीसीसीएल की बस्ताकोला खान में इसका क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है।

v. हाल ही में दूसरी महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजना ''भारत के दामोदर बेसिन का शेल गैस की संभावना के लिए मूल्यांकन'' शुरू किया गया है।

vi. ''कोयला से तेल '' में परिवर्त्तन प्रौद्योगिकी पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में क्रुड एवं पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमत ने कोयला तरलीकरण (द्रवीकरण) के प्रति पुनः ध्यान आकर्षित किया है। बढ़ती कीमत तथा विदेशों से तेल की पर्याप्त एवं सुनिश्चित आपूर्ति से राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा दोनों पर बोझ पड़ा है। भारत में भावी सीटीएल संयंत्र की संभावित स्थापना के लिए उत्प्रेरक की आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं पर निर्भरता दूर करने के उद्देश्य से कोयला से तरल (सीटीएल) हेतु स्वदेशी उत्प्रेरक के विकास के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

4. वर्ष 2012–13 के दौरान आरएंडडी पर व्यय :

(क) पूँजी	रू. 22.75 करोड़
(ख) राजस्व	
(ग) कुल	रू. 22.75 करोड़
सीएमपीडीआई के कुल टर्न ओवर के % के रूप में कुल आरएंडडी का व्यय 3.78 %	

(II) तकनीकी समावेशन, अनुकूलन, तथा अभिनव परिवर्त्तन

1. संक्षेप में तकनीकी समोवेशन, अनुकूलन एवं अभिनव परिवर्त्तन के लिए प्रयास किया गया।

खान पर्यावरण के नियंत्रण पर भी तथा कोयला परिष्करण/उपयोग जैसे संबंधित गतिविधियों तथा खान सुरक्षा से संबंधित खनन ऑपरेशन में दक्ष पारामीटर्स के विकास के लिए कोयला सेक्टर में मुख्य आरएंडडी है।

2. उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभ जैसे : उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद में विकास, आयात विकल्प इत्यादि

क. अब अधिकतर पैनलों में दोहरा (रिप्लीरकेट) किए जा रहे 1000 टी प्रतिदिन से अधिक आउटपुट के साथ एसईसीएल में थिक सीम तथा शार्ट वाल माइनिंग में कोयले की प्राप्ति के लिए ''ब्लाटिंग गैलरी तथा केबुल बोल्टिंग'' जैसे माइनिंग पद्धतियों के इन्ट्रोडक्शन, कोयला गवेषण तकनीक में आरएंडडी के प्रयासों के माध्यम से नोटेबल एडवांस तैयार किया गया है। सतही संरचना से 50 मीटर सटे ओपेन कास्ट माइन में राख एवं कोयला का ओवर बर्डेन हटाने के लिए आरएंडडी के माध्यम से ''नियंत्रित विस्फोटन'' इन्ड्रोड्यूस किया गया है तथा सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के इन्ट्रोडक्शन द्वारा 116 से अधिक खानों में 150 एमटी से अधिक कोयला निकाला गया है, जो अभी तक अनुर्वर रहता।

ख. रूफ स्ट्राटा का परिमाणात्मक मूल्यांकन, जिसे आरएंडडी के तहत विकसित रॉक मास रेटिंग कहा जाता है, का इस्तेमाल भूमिगत खानों में डिजाइनिंग सपोर्ट के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि 835 डिस्ट्रिक्ट से अधिक लगभग 273 भूमिगत कोयला खानों में इसे कवर कर लिया गया है।

ग. खनन एवं फ्लाई ऐश को उपयोग के बाद भूमि पुनरूद्धार के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजना ने महत्वपूर्ण लाभ दिया है। शिमला मीर्च, टमाटर फसल तथा अन्य फसलों में वास्तविक वृद्धि के मामले में, कृषि में उर्वरक के रूप में लिग्नाइट से ह्यूमिक एसिड ने 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। यह उत्पाद व्यवसायिक हो गया है तथा आन्ध्र

प्रदेश, कर्नाटक, केरल के किसानों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

घ. ''कोल बेड मिथेन रिकवरी एंड कमर्शियल यूनिलाइजेशन'' पर बहु सांस्थनिक निधित (यूएनडीपी/जीईएफ, कोल इंडिया तथा एमओसी) डिमान्स्ट्रेशन रिसर्च परियोजना ने परिणामों के प्रोत्साहन के लिए मूनीडीह भूमिगत परियोजना, बीसीसीएल में इसे सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस परियोजना से प्राप्त गैस प्रायः 98 प्रतिशत शुद्ध मिथेन है, जो मूनीडीह माइन आवासीय कॉलोनी के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु जेनरेटर आधारित रन गैस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

ड. ''कोकिंग तथा गैर–कोकिंग कोयला वाशिंग'' तथा फाइन कोयला की रिकवरी'' दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया गया है। उच्च राख वाले कोयले के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए ''ज्वलनशील तकनीक'' से संबंधित अनुसंधान से आशाप्रद परिणाम प्राप्त हुआ है। कोल इंडिया आरएंडडी फंडिंग के माध्यम से फाइन कोयला परिष्करण पर मुख्य आरएंडडी परियोजना कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

च. खनन के कारण जोखिम तथा पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ कोयला खनन की गतिविधियों को समेकित करने के लिए पर्यावरण तथा परिस्थितिकी क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। उपर्युक्त पर्यावरण नियंत्रण करने के परिणामस्वरूप उद्योग में इस अनुसधान परियोजनाओं की उपलब्धियों ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। रेलवे लाइन के स्थिरीकरण के लिए न्यूमेरिकल मॉडलिंग तथा संभव बचाव उपायों द्वारा स्थिरता विश्लेषण हाबड़ा–धनबाद रेलवे लाइन (ईर्स्टन रेलवे मेन लाइन) अस्थिर वर्किंग के नीचे रूप–रेखा के प्रयासों ने कोल इंडिया आरएंडडी फंड के साथ सफलतापूर्वक काम किया है। कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड द्वारा निधित अन्य अनुसंधान परियोजना के माध्यम से डीजीएमएस द्वारा विधिवत् अनुमोदित कोल इंडिया की भूमिगत खदान में मॉनिटरिंग तथा कंट्रोल सिस्टम पर आधारित कार्यक्रम योग्य लॉजिक नियंत्रण (पीएलसी) सफलतापूर्वक डिजाइन, विकसित तथा इन्ट्रोडयूस किया गया है।

छ. अंडर ग्राउंड माइन, कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), परिव्यक्त माइन मिथेन (एएमएम), रिकवरी एवं उपयोग, लो रैंक लो वेलेटाइल हाई रैंक भारतीय कोकिंग कोयला का उपयोग, उपयुक्त समाधान के लिए स्ट्राटा कंट्रोल, समस्या का पता लगाने हेतु न्यूमेरिकल मॉडल, बदलते जियोमाइनिंग कंडीशन के लिए स्ट्राटा ड्रैग लाइन डम्प प्रोफाइल, आग लगी हुई खदान क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन, भारतीय कोयला खदान में उत्पन्न एसिड खान जल का ट्रीटमेंट, भूमिगत कोयला खानों में रूफ फॉल की भविष्यवाणी, शुष्क कोयला परिष्करण, ओपेन कास्ट माइन्स के लिए समेकित डम्पर कोलिजन एव्याडेंस सिस्टम, कोल इंडिया एरिया के विशेष संदर्भ के साथ शेल गैस गोंदवाना बेसिन का मूल्यांकन में फँसे बचाव माइनर्स के लिए नये एरिया जैसे रोबोटिक का अप्लीकेशन तथा नवीनतम दो कम्यूनिकेशन सिस्टम, कोल इंडिया आरएंडडी फंड के साथ जारी अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है।

ज. आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड के खानों के लिए विस्फोटकों और सहायकों का रैंडम सैम्पलिंग और परीक्षण का कार्य करने के लिए एक स्वदेशी टूल (उपकरण) का विकास किया गया है।

झ. इसके लिए अलग से पर्याप्त मात्रा में वार्षिक रूप से कोष (निधि) का ईयर मार्क किया जा रहा है। कोयला मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान के तहत भूमिगत खानों में जलाप्लावित खनन के लिए बैरियर थीकनेस के डिलीनिएशन से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना पूरी की गई। इस परियोजना में एक ग्राउंड पैनेट्रेटिंग राडार का विकास किया गया। क्षेत्र परीक्षण के

उपरांत यह पाया गया कि विकसित किया गया जीपीआर 60 मी. की दूरी तक बैरियर थीकनेस का विसंगति को पता लगाने में समर्थ है।

3. आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के आरंभ से गत पांच वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में निम्नलिखित सूचनाओं को फर्निस (दिया) गया :

आयातित प्रौद्योगिकी	संबंधित नहीं
आयात का वर्ष	
क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह अपनाया गया?	
यदि पूर्णतः अपनाया गया तो, वह क्षेत्र जहाँ इसे शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण और कार्य की भावी योजना	

(ग) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय :

क्र०	विवरण	2012–13
1.	निर्यात को बढ़ावा देने की पहल, उत्पाद और सेवाओं के नए निर्यात बाजार का विकास तथा निर्यात योजनाएँ, आयात से संबंधित क्रिया –कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी मुद्रा (क) अर्जित किए गए कुल विदेशी मुद्रा (लाख रू. में) (ख) उपयोग किए गए कुल विदेशी मुद्रा (लाख रू. में)	 शून्य 0.26

अनुबन्ध जो कि 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों के रिपोर्ट का एक भाग है।

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली,, 1975 के साथ पठित
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के अनुसार सूचना

क्रमांक	नाम	पदनाम / कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रूपये)	नियुक्ति की प्रकृति स्थायी / अस्थायी	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2013 को (वर्ष)	अन्तिम नियोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(क) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त और वित्त वर्ष में प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 60,00,000 / – रूपये से कम नहीं था।

.... शून्य ....

(ख) समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए सम्पूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 5,00,000 / – रूपये से कम नहीं था।

.... शून्य ....

तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

602 लव कुश टावर
इस्कजीविशन रोड,
पटना– 800 001
फोन– 2320211 / 2320056(का)

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,

1. हमने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्टीच्यूट लिमिटेड, रांची द्वारा कॉरपोरेट गवर्ननेंस की शर्तों के 41 अपुनालन की जांच की है यद्धपि लिस्टिंग एग्रीमेंट का 49 ए खंड कंपनी के लिए लागू नहीं है
2. कॉरपोरेट गवर्ननेंस की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारी जांच प्रक्रियाओं के लिए तथा उससे संबंधित कार्यान्वयन तक सीमित रही, जो कॉरपोरेट गवर्ननेंस की शर्तोंके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा ग्रहण की गई। कंपनी के वित्तीय विवरण पर यह न तो अंकेक्षण है और न विचारों की अभिव्यक्ति है।
3. हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए अभ्यावेदन के अनुसाार हम प्रमाणित करते हैं कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्ननेंस की शर्तों के साथ इसे संकलित किया है।
4. इसके आगे हम स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के अनुसार आश्वासन के रूप में है और न कुशल अथवा प्रभावपूर्ण है, जिसके माध्यम से प्रबंधन ने कंपनी के व्यवस्था को संचालित किया है।

वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन– 022180 सी

ह / 0
(सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टन
सदस्यता सं0. 075899

तिथि : 10.05.2013
स्थान : राँची

सेवा में,

निदेशक मंडल,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

हम ए.के.देबनाथ, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं ए.के.सोनी, महाप्रबंधक (वित्त) जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी महत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में न तो कोई भी महत्वपूर्ण झूठा विवरण शामिल है और न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।

ii. एकत्रित रूप से ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं बही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। हमारी महत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कपटपूर्ण गैर–कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ख. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कमियाँ हैं तो उनके बारे में आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हें जानकारी है वे वे कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।

ग. हमने आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

i. संदर्भ के अंतर्गत तिमाही में विभिन्न रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

ii. वर्ष के दौरान लेखा पॉलिसिओं में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

iii. किसी बड़े कपट के किसी भी दृष्टांत के बारे में जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।

ह./–
(ए.के.सोनी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(ए.के.देबनाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन का जवाब

	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
	सेवा में, सदस्यगण, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,	
1.	हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 के संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की लाभ और हानि लेखा तथा कैशफ्लो नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं के सारांश और वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है।	
2.	इन वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कंपनी अधिनियम, 1956 ("द एक्ट") के सेक्शन 22 के उप–सेक्शन (3सी) में संदर्भित लेखा मानक के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह के आलोक में ये वित्तीय विवरण सत्य और न्यायसंगत दिया गया है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों जो सत्य और न्याय संगत तथा गलतबयानी से मुक्त हो वह चाहे फ्रॉड या त्रुटि के कारण हो के प्रस्तुतीकरण और तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के रख–रखाव तथा कार्यान्वयन, डिजाइन शामिल है।	
3.	हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। हमने इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह पता लगाने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाएं एवं इसे पूरा करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है।	
4.	इस अंकेक्षण में परीक्षण के तौर पर रकम के पक्ष में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरण में इसका उल्लेख शामिल हैं। अपनायी गई प्रक्रिया वित्तीय विवरणों जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के भौतिक गलतबयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा–परीक्षणों के जजमेंट (निर्णय) पर आधारित है। उन जोखिम वाले मूल्यांकन कार्य करने में लेखा परीक्षकों ने कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को डिजाइन करने के क्रम में (जो परिस्थिति के अनुसार समुचित है) वित्तीय विवरण की स्वच्छ तैयारी पर विचार किया है। इस परीक्षण में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।	
5.	हमें विश्वास है कि हमारे विचार के लिए हमारे अंकेक्षण पर्याप्त आधार उपलब्ध करायेगा।	
6.	हमारे विचार में तथा सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई विवरण के अनुसार भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों सहित तथा अपेक्षित एवं दी गई सत्य और न्यायसंगत के आलोक में अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना वित्तीय विवरण में दिया गया है। क. 31 माच, 2013 को कंपनी मामले की स्थिति, तुलन–पत्र के मामले में। ख. समाप्त हुए वर्ष के लिए उसी तारीख का लाभ का, लाभ–हानि लेखा के मामले में, ग. समाप्त हुए वर्ष के लिए उसी तारीख को कैश फ्लो का कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में,	

7 8.	कंपनी (अंकेक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश, 2003 ('द आर्डर') जो अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4ए) के संदर्भ में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी है, और आवश्यक है, हम आदेश के अनुच्छेद 4 और 5 में उल्लेख्ति मामले पर एक विवरण संलग्न करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद 8 में उद्धृत परिशिष्ट में हमारी टिप्पणियों के लिए आगे रिपोर्ट करते हैं कि : क. कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनियों की जमीन पर बने भवनों की लागत 8.00 करोड़ रूपये को कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया गया है। (टिप्पणी 34 का अनुच्छेद सं.1.1.2) ख. फुटकर देनदारों का शेष संपुष्ट किया जाना है तथा ऋण एवं अग्रिम का शेष और फुटकर लेनदार भी संपुष्ट नहीं किए गए हैं।	
9.	अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षा के अनुसार उपर्युक्त अनुच्छेद (8) में दी गई हमारी टिप्पणी के लिए हम रिपोर्ट करते हैं कि : क. हमने वैसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हमारी लेखा–परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे। ख. हमारे विचार में कंपनी के पास कानून के अनुसार लेखा की समुचित पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच से पता चला है। ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा–पुस्तिका के अनुसार है। घ. हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित लाभ–हानि लेखा, तुलन–पत्र तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण कंपनी कानून 1956 की धारा 211 के उप–अनुच्छेद (3सी) में वर्णित लेखा मानकों की अपेक्षा के अनुरूप है। ड. केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन सं. जीएसआर 829(ई), दिनांक : 21.10. 2003 के आलोक में कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 274(1) (जी) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं है। च. चूँकि केंद्र सरकार ने सेक्शन 441ए के तहत दिए जाने वाले सेस की दर के लिए न ही कोई अधिसूचना जारी की है और न ही इस सेक्शन के तहत कोई रूल (नियम) जारी किया है, जिसके तहत इस प्रकार के सेस को दिया जाना है। इसलिए कंपनी द्वारा कोई सेस बकाया और देय नहीं है	कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के साथ फुटकर लेनदार की रिकनसाइलेशन का कार्य जारी है। फुटकर देनदारों के पास शेष की संपुष्टि के लिए पत्र जारी किए जा चुके हैं (सीआईएल की कंपनियों के अलावे)

वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन– 022180 सी

ह/0
(सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता सं0. 075899

तिथि : 10.05.2013
स्थान : राँची

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन का जवाब

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट   प्रबंधन का जवाब

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अनुसूची

(31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर आज की तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 7 में उल्लेखित)

1. अचल परिसंपत्ति के मामले में :		
(क)	कंपनी ने सामान्य तौर पर अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति तथा परिणामात्मक विवरण समेत पूर्ण विवरण, दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड अपने पास रखा है। तथापि एसएडटी कोष के मामले में अचल परिसम्पत्तियों का रजिस्टर परिसम्मपत्तिवार के बदले वर्षवार रखा जाता है।	एसएंडटी कोष से संबंधित परिसम्पत्तिवार अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार करने का कार्य जारी है।
(ख)	कंपनी द्वारा अपनाई गई जाँच के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा अधिक मूल्यवाली परिसम्पत्तियों के एक बड़े भाग की प्रत्यक्ष जाँच की गई है। जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, ऐसी जाँच की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भौतिक असंगति नहीं पाई गई। (ग) हमारी राय में विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया है और कंपनी की चालू संस्था की स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iii) इसकी वस्तु सूची के मामले में :		
(क)	विवेच्य वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा ऊँचे मूल्य के भंडारों एवं अतिरिक्त पाट–पुर्जो के स्टॉक की प्रत्यक्ष रूप से जाँच की गई है। परीक्षण के आधार पर कुछ कम मूल्य के आइटमों की भी जाँच की गई है। हमारे विचार में जाँच की आवृत्ति यथोचित है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ख)	हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्टाक की भौतिक जांच के लिए अपनायी गई प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं इसकी कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त एवं यथोचित है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ग)	कंपनी ने अपनी वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है। जैसा कि हमें बताया गया है कि पुस्तक अभिलेखों की तुलना में स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच पर पाई गई असंगति महत्वपूर्ण नहीं थी तथा इस पर लेखे की पुस्तक में उचित रूप से विचार किया गया है।	
(iii)	जैसा कि बताया गया, दि कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में उल्लेखित किसी कंपनी फर्म या अन्य पार्टियों को/से कंपनी द्वारा प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिए/लिए गए हैं तदनुरूप कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (संषोधनानुसार) के अनुच्छेद (पपप) (ख), (ग), (घ), (ड.), (च) तथा (छ:) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iv)	हमारी राय में वस्तुओं तथा अचल परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सामग्रियों एवं सेवाओं की बिक्री के मामले में इसके आंतरिक नियंत्रण की पद्धति कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है। अपनी लेखा–परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हमने कोई बड़ी कमी नहीं पाई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(v)	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत आने वाले लेन–देन के संबंध में :	कोई टिप्पणी नहीं
क)	हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संविदा या करार के अनुसरण में ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया था, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं

ख)	हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज संविदाओं या व्यवस्थाओं के अनुसार 5 लाख रूपये मूल्य से अधिक का लेन–देन नहीं किया गया है जो संगत समय में प्रचलित बाजार मूल्य होने से युक्ति–संगत नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(vi)	धारा 58ए तथा 58एए तथा इस कानून के या किसी अन्य बाह्य प्रावधान के अर्थ में कंपनी ने जनता से किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(vii)	कंपनी ने क्षेत्रीय संस्थानों तथा मुख्यालय के आंतरिक अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स/ कॉस्ट एकाउन्टेंडस के बाहरी फर्मों को नियुक्त किया है। हमारी राय में अपने आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी के पास आंतरिक अंकेक्षण पद्धति मौजूद है।	कोई टिप्पणी नहीं
(viii)	हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने इस कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा–209(1) (डी) के तहत लागत रिकार्ड के रख–रखाव का निर्धारण नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(ix)	संविधिक बकाया के मामले में :	कोई टिप्पणी नहीं
(क)	कंपनी के अभिलेख के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक बकाया जैसे : भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष , आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य बकाया सक्षम प्राधिकारी के पास प्रायः नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस कंपनी में कर्मचारी राज्य जीवन बीमा योजना लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित बकाए के मामले में कोई अविवादित बकाया 31 मार्च, 2013 को उसके भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
ख)	निम्नलिखित सांविधिक बकाया और उनमें से कुछ जिसे कंपनी द्वारा प्रतिवाद में परंतु देयता के रूप में न मानकार भुगतान किया गया है, को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित रहने के कारण नहीं जमा किया है, वे इस प्रकार हैं :	कोई टिप्पणी नहीं
	(नीचे दी गई तालिका)	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.सं.	सांविधिक का नाम	बकाया की प्रकृति	रकम (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष जिससे रकम संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1.	सेवा कर	सेवा कर	40.24	1996–97	सेवा कर न्यायाधिकरण कोलकाता
2.	सेवा कर	सेवा कर	505.52	1998–99 1999–2000 2000–01 2001–02 2002–03	सीईएसटीएटी, कोलकाता
3.	बिक्री कर	अधिनियम प्रवेश कर	20.97	2001–02	बिक्री करप्राधिकरण
4.	आयकर	अधिनियम आयकर	244.43	1992–93 1994–95 1995–96 1996–97 2005–06 2006–07	आईटीएटी, राँची
5.	आयकर	अधिनियम आयकर	1968.83	2007–08 2008–09	सीआईटी(ए), राँची
6.	आयकर	अधिनियम आयकर	16.30	2009–10	सीआईटी(ए), राँची

	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन का जवाब	कोई टिप्पणी नहीं
(x)	कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा गत वर्ष (ठीक पहले वाला वर्ष) के दौरान परिचालन क्रिया–कलाप से संचित हानि और कोई नकद हानि नहीं उठायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xi)	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि वित्तीय संस्थानों, बैंकों या डिबेचर होल्डर के पास कंपनी का बकाया नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xii)	हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेचर तथा अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के रूप में प्रतिभूतियों के आधार पर किसी प्रकार का कर्ज या अग्रिम मंजूर नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xiii)	कंपनी कोई चिट फंड, निधि या म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए, सीएआरओ के खंड (xii) इस कंपनी पर लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xiv)	हमारी राय में कंपनी शेयर, प्रतिभूति, डिवेन्यर तथा अन्य निवेश का कारोबार या व्यापार नहीं करती है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xv)	हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कंपनी ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से दूसरों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvi)	विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सावधिक ऋण की उगाही नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xvii)	हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कोई अल्प अवधि की ऋण की उगाही (रेज) नहीं की है और न ही दीर्घकालीन उद्देश्य या विपरीत के लिए इसका उपयोग किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xviii)	विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (301) के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टी या कंपनी को शेयर का अधिमान्य (प्रिफेरेंसियल) आवंटन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xix)	कंपनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान कोई डिवेन्चर जारी नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xx)	विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने आम इश्यू द्वारा कोई धन नहीं उगाहा है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xxi)	प्रबंधन से प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी पर या कंपनी पर/द्वारा किसी तरह की धोखाघड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई है/पाई गई है।	कोई टिप्पणी नहीं

वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन– 022180 सी

ह/0
(सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता सं0. 075899

तिथि : 10.05.2013

स्थान : राँची

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा विहित आडिटिंग एंड एस्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 10 मई, 2013 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 की वित्तीय विवरण का कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (बी) के तहत पूरक अंकेक्षण किया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते

ह0/–
(यशोधरा राय चौधरी)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान
निदेशक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–।।
के पदेन सदस्य
कोलकाता–20

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17.05.2013

तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

602, लवकुश टावर
इक्जीविशन रोड
पटना – 800 001
फोन : 2320211 è 2320056 (0)
फैक्स : 0612-2320056
इ–मेल : टीटीसीओ@एसआईएफवाई.कॉम

अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड,

<u>राँची</u>

1. वित्तीय एवं डायनेमिक पारामीटर से संबंधित संलग्न कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रपत्र (शीट) में कथित उपलब्धि भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (एमओयू डिविजन), भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2012–13 के लिए एमओयू के अनुसार परिकलित की गई है।

2. वित्तीय एवं डानेमिक पारामीटर के विरूद्ध घोषित उपलब्धि संबंधित पारामीटर में वर्णित जाँच के साधन से अभिपुष्ट किए गए हैं, जो मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

वास्ते– तोदी तुलस्यान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआरएन : 002180सी

ह0 / –
(सुशील कुमार तुलस्यान)
सदस्य

स्थान : राँची
दिनांक : 05.06.2013

मेमोरेंडम आफ अंडर स्टैंडिंग (2012–13) (समझौते का स्मार पत्र)

परिशिष्ट IV

अनुषंगी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

			मूल्यांकन मानक	ईकाई	भार (% में)	एमओयू लक्ष्य					सत्यापन के साधन	कार्य निष्पादन	स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		वास्तविक	
						1	2	3	4	5			
1	स्थिर वित्तीय पारामीटर										वार्षिक रिपोर्ट		
	(अ)	वित्तीय सूचकांक– लाभ से संबंधित अनुपात											
		(1)	सकल परिणाम/सकल विक्रय	%	10	5.55	5.44	5.17	4.91	4.66		7.09	0.10
		(2)	हस्तांरित लागत/कर्मचारी	करोड़ रू. में	12	0.1766	0.1731	0.1644	0.1562	0.1484		0.1913	0.12
	(ख)	वित्तीय सूचकांक–साइज से संबंधित											
		(1)	सकल मात्रा	करोड़ रू. में	8	30.41	29.80	28.31	26.90	25.55		42.61	0.08
		(2)	सकल विक्रय(सेवा कर को छोड़कर)	करोड़ रू. में	4	547.76	536.80	509.96	484.47	460.24		601.05	0.04
	(ग)	वित्तीय रिर्टन (प्रत्यावर्तन)/उत्पादकता संबंधित											
		(1)	पीबीडीआईटी/कर्मचारी	करोड़ रू. में	7	0.0098	0.0096	0.0091	0.0087	0.0082		0.0136	0.07
		(2)	संवर्धित मूल्य/सकल विक्रय	%	9	1.2900	1.2642	1.2010	1.1409	1.0839		3.76	0.09
			उप–योग		50								0.50
2			डायनमिक पारा मीटर										
	(क)	मानव संसाधन विकास			5						स्वतन्त्र एचआर अंकेक्षक की रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट		0.08
		(i)	डीपीई गाइड लाइन के अनुसार एचआरएम निष्पादन		3	परिशिष्ट–14 के रूप में संलग्न						100रु में से 87.5	0.06
		(ii)	परियोजना प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधि.की संख्या	1	3	2	1	-	-		4	0.01
		(iii)	संविदा प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधि.की संख्या	1	3	2	1	-	-		3	0.01
	(ख)		आरएंडडी/नई पहल		5	परिशिष्ट–12 के रूप में संलग्न					स्वतन्त्र आरएंडडी सलाहकार समिति की रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट		0.05
	(ग)		निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		5	परिशिष्ट–11 के रूप में संलग्न					स्वतन्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट		0.05
		(i)	सीएसआर पर व्यय	11–12 के पीएटी का प्रतिशत	1	3.50	3.15	2.80	2.45	2.10		5.41	0.01
		(ii)	सीएसआर के अंतर्गत चुनी गई 5 परियोजनाएँ										

		(2क)	बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड को सहायता प्रदान करना– सभी सुविधाओं के साथ 3 क्लास रूम का निर्माण, 925 विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री। स्कूल में प्रयोगशाला सामग्रियाँ। गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए स्कूल फीस, खेल सामग्री तथा गरीब बच्चों को स्कूल ड्रेस, विशेष अवसर पर वित्तीय सहायता यथा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस	दिनांक	0.8	21 फरवरी,13	1 मार्च, 13	11 मार्च, 13	21 मार्च, 13	31 मार्च, 13		18 फरवरी 2013	0.008
		(2ख)	बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड में विद्यार्थियों के लिए 4 बार चिकित्सा कैम्पों का आयोजन	दिनांक	0.8	21 फरवरी,13	1 मार्च, 13	11 मार्च, 13	21 मार्च, 13	31 मार्च, 13		21 जनवरी 2013	0.008
		(2ग)	गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, कांके रोड, रांची को सहायता : मेधावी एवं गरीब बच्चों को स्कूल फीस, गरीब बच्चों को स्कूल ड्रेस, खेल सामग्री, विशेष समारोहों में वित्तीय सहायता यथा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि	दिनांक	0.8	21 फरवरी,13	1 मार्च, 13	11 मार्च, 13	21 मार्च, 13	31 मार्च, 13		20 फरवरी 2013	0.008
		(2घ)	गोंदवाना प्राइमरी स्कूल,कांके रोड में विद्यार्थियों के लिए 2 बार चिकित्सा कैम्पों का आयोजन	दिनांक	0.8	21 फरवरी,13	1 मार्च, 13	11 मार्च, 13	21 मार्च, 13	31 मार्च, 13		11 अक्टूबर 2012	0.008
		(2ङ.)	आस–पास के 4 गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए 4 चिकित्सा कैम्पों का आयोजन	दिनांक	0.8	21 फरवरी,13	1 मार्च, 13	11 मार्च, 13	21 मार्च, 13	31 मार्च, 13		29 नवम्बर 2012	0.008
	(घ)		कायम रखने योग्य विकास (सस्टनेबुल डबलपमेंट)		5	परिशिष्ट XIII	में संलग्न				स्वतन्त्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट		0.05
	(ङ.)		निगमित शासन		5								0.05
		(i)	डीपीई द्वारा जारी कारपोरेट नियंत्रण दिशा–निर्देशों में जो सीएमपीडीआई में भी लागू होते हैं, उन कारपोरेट मानदंड का अनुपालन(फारमेंट परिशिष्ट–XV के रूप मे संलग्न)	(%)	4	85 एवं इससे अधिक	84 . 75	74 . 60	59 . 50	50 से कम	मंत्रालय द्वारा अधिनिर्णय(अवार्डेड) स्कोर	99	0.04
		(ii)	डीपीई द्वारा प्रकाशित पब्लिक इंटर प्राइजेज सर्वे हेतु डाटा का अनुवर्तन (डीपी ई के अनुसार)	दिनांक	1	15 सितम्बर, 12	1 अक्टूबर 12	15 अक्टूबर 12	31 अक्टूबर 12	31 अक्टूबर 12 के बाद	डीपीई	7 सितम्बर 2012	0.01
			उप–योग		25								0.28

3			सेक्टर विशेष पारामीटर										
	(i)	ड्रिलिंग											
		(1क)	ड्रिलिंग–विभागीय ड्रिलों के माध्यम से	000 मीटर	3	257.00	251.86	239.27	227.30	215.94		276.20	0.03
		(1ख)	ड्रिलिंग–बाहरी स्रोत	000 मीटर	2	325.00	318.50	302.58	287.45	273.07		286.71	0.08
	(ii)		भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	नंबर	3	14	13	12	11	10		15	0.03
	(iii)		परियोजना रिपोर्ट	नंबर	4	26	25	24	23	22		29	0.04
	(iv)		अन्य रिपोर्ट	नंबर	3	124	122	115	110	104		168	0.03
	(v)		ईआईए / ईएमपी(फार्म–1 सहित)	नंबर	3	32	31	29	27	25		59	0.03
	(vi)		सीआईएल अनुशंगियों के ओपेन कास्ट खानों का समय–समय पर ओबीआर जांच का मानदंड / (बाहय स्रोत पैचेज (योग) सहित खानों की संख्या	नंबर	2	62	61	58	55	52	वार्षिक रिपोर्ट	103	0.02
	(vii)		बाहरी परामर्श के लिए परामर्श आदेश प्राप्त करना	रू. करोड़	1	33.60	32.00	30.00	28.00	26.00		35.08	0.01
			उप–योग		21.0								0.27
4			डीपीई के दिशा–निर्देशों का अनुपालन		4								0.04
		(i)	बोनस शेयर का निर्गम	गाइड लाइन के अनुसार सीआईएल की एक अनुशंगी कंपनी होने के नाते सीएमपीडीआई के लिए लागू नहीं									
		(ii)	नियुक्ति में एसटी,एससी,ओबीसी के लिए आरक्षण	हाँ / नहीं	1	हाँ				नहीं		हाँ	
		(iii)	प्रतिनियुक्तों का पदस्थापन	हाँ / नहीं	0.5	हाँ				नहीं	सीएमपीडीआई बोर्ड द्वारा प्रमाणित	हाँ	
		(iv)	2007 के वेतन संशोधन का कार्यान्वयन (प्रफोर्मा–1 के अनुसार)	प्रावधान कार्यान्वित	1	10	9	8	7	6		10	
		(v)	सीसीडीए से आइडीए वेतनमान में परिवर्त्तन (प्रफोर्मा–2 के अनुसार)		1	4	3	2	1	.		4	
		(vi)	डीपीई को अनुपालन रिपोर्ट की सुपुर्दगी	दिनांक	0.5	30 जून 12	31 जुलाई 12	31 अगस्त 12	30 सितम्बर 12	31 अक्टूबर 12		23 जून 12	
			सकल–योग		100								1.09
		टिप्पणी	कार्यनिष्पादन को बहुत अच्छा मानते हुए स्कोर को 0.06 लिया गया है।										

विभागाध्यक्ष (टीएस)

महाप्रबंधक (वित्त)

सांविधिक अंकेक्षक

परिशिष्ट–XI

सीएसआर पुनरीक्षण
टेबल 1
5 चुने गए परियोजनाओं का विस्तृत विवरण (2012.13)

क्र. सं	परियोजना का नाम	प्रारंभ करने की तिथि	समापन तिथि (बहुत अच्छा)	आवंटित राशि सहित वर्षवार विघटन (लाख रू. में)	मूल्यांकन आवश्यकता की समापन तिथि/ बेस लाइन सर्वेक्षण एवं एजेंसी का नाम	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का नाम तथा नियुक्ति की तिथि	प्रलेखन एवं वितरण पर होनेवाले खर्च तथा नियुक्त एजेंसी का नाम	प्रबोधन एजेंसी का नाम	मूल्यांकन रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण (अलग शीट संलग्न करें)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
क)	**बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड, रांची को सहायता**								
1	सभी सुविधाओं सहित 3 क्लास रूम का निर्माण, 925 विद्यार्थियें को अध्ययन सामग्री, विद्यालय को प्रयोगशाला सामग्री, मेधावी एवं गरीब विद्यार्थियों को स्कूल फीस, गरीब विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस तथा खेल सामग्री, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे विशेष अवसर पर वित्तीय सहायता	1 मई, 2012	1 मार्च, 2013	20.00 (अंतरिम)	31.12.11 श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि, ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं प्रबंधन प्रतिनिधि तथा स्कूल के प्राचार्य को मिलाकर गठित आंतरिक समिति द्वारा	अवसंरचनात्मक कार्य के लिए संविदात्मक एजेंसी मेसर्स प्रदीप इलेट्रानिक्स, बोरया, रांची तथा अन्य गतिविधियों के लिए बिरसा हाई स्कूल, हथियागोंदा, कांके रोड रांची के प्रिंसिपल कार्यान्वयन कराने वाले व्यक्ति हैं	निर्माण कार्य का कुल लागत रू. 32.80 लाख मात्र संवेदक/ एजेंसी का नाम मेसर्स प्रदीप इलेट्रानिक्स, बोरया, रांची	यूनियन के प्रतिनिधि, अधिकारी असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा प्रबधन के प्रतिनिधि को मिलाकर गठित कंपनी की आंतरिक समिति	सभी कार्य को पूरा कर दिया गया है तथा सीएसआर प्रबोधन समिति द्वारा संतोषजनक पाया गया।
2	4 मेडिकल कैम्प का आयोजन	1 अप्रैल 2012	1 मार्च 2013	1.00 (अंतरिम)	31.12.11 में कंपनी के अंतर्गत बनी समिति में यूनियन के प्रतिनिधि आफिसर्स असोशियेशन के प्रतिनिधि तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि एवं स्कूल के प्रिंसिपल शामिल हैं	सीएमपीडीआई के निरीक्षण के अंतर्गत लायन्स क्लब, रांची इस्ट का निरामया अस्पताल है	कुल खर्च 0.87 लाख रू. मात्र। लायन्स क्लब, रांची ईस्ट के निरामया अस्पताल के सहयोग से कार्य पूरा हो गया तथा 5वां मेडिकल कैम्प का भी आयोजन किया गया और 0.29 लाख रू. मात्र खर्च किया गया।	कंपनी के अंतर्गत समिति में यूनियन के प्रतिनिधि, अधिकारी असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल हैं	सभी 4 कैम्पों का कार्य समय के भीतर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ तथा सीएसआर प्रबोधन समिति के द्वारा संतोषजनक पाया गया।
ख.)	गोंदवाना प्राइमरी स्कूल को सहायता								

क्र. सं	परियोजना का नाम	प्रारंभ करने की तिथि	समापन तिथि (बहुत अच्छा)	आवंटित राशि सहित वर्षवार विघटन (लाख रू. में)	मूल्यांकन आवश्यकता की समापन तिथि/ बेस लाइन सर्वेक्षण एवं एजेंसी का नाम	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का नाम तथा नियुक्ति की तिथि	प्रलेखन एवं वितरण पर होनेवाले खर्च तथा नियुक्त एजेंसी का नाम	प्रबोधन एजेंसी का नाम	मूल्यांकन रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण (अलग शीट संलग्न करें)
3	मेधावी एवं गरीब बच्चों को स्कूल फीस, गरीब छात्रों को स्कूल ड्रेस, खेल सामग्री आदि, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे विशेष अवसर पर वित्तीय सहायता	1 मई 2012	1 मार्च 2013	1.00 (अनुमानित)	श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि, ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं प्रबंधन प्रतिनिधि तथा स्कूल के प्राचार्य को मिलाकर गठित आंतरिक समिति द्वारा 31.12.11 तक	प्राचार्य, गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, कांके रोड, रांची	कुल व्यय 1.45 लाख रू. मात्र	यूनियन के प्रतिनिधि, अधिकारी असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि की आंतरिक समिति	समय–समय पर गोंदवाना प्राइमरी स्कूल को पूरी सहायता दी गई तथा पूरा कार्य सम्पन्न कर लिया गया और सीएसआर समिति द्वारा संतोषप्रद पाया गया।
4	2 चिकित्सा कैम्प का आयोजन	1 अप्रैल 2012	1 मार्च 2013	0.50 (अनुमानित)	श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि, ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं प्रबंधन प्रतिनिधि तथा स्कूल के प्राचार्य को मिलाकर गठित आंतरिक समिति द्वारा 31.12.11 तक	सीएमपीडीआई के पर्यवेक्षण में लायन्स क्लब, रांची ईस्ट का निरामया अस्पताल	कुल खर्च 0.58 लाख रू. मात्र सीएमपीडीआई के पर्यवेक्षण में लायन्स क्लब, रांची ईस्ट का निरामया अस्पताल द्वारा किया गया	यूनियन के प्रतिनिधि, अधिकारी असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि की आंतरिक समिति	दोनों चिकित्सा कैम्प समय पर आयोजित किए गए तथा सीएसआर मानिटरिंग समिति द्वारा संतोषप्रद पाये गए।
ग. आस–पास के गांवों में चिकित्सा कैम्प									
5.	आस–पास के 4 गांवों में रहने वाले लोगों के लिए 4 चिकित्सा कैम्प लगाए गए	1 अप्रैल 2012	1 मार्च 2013	1.00 (अनुमानित)	14.7.2010 को पतरागोंदा गांव तथा 5.8.2010 को हथियागोंदा गांव में तथा 15.12.2011 को लोअर मिसिरगोंदा गांव में आयोजित किया गया। एजेंसी–यूनियन के प्रतिनिधि, अधिकारी असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि की आंतरिक समिति	सीएमपीडीआई के पर्यवेक्षण में लायन्स क्लब, रांची ईस्ट का निरामया अस्पताल द्वारा किया गया।	कुल खर्च 1.14 लाख रू. मात्र सीएमपीडीआई के पर्यवेक्षण में लायन्स क्लब, रांची ईस्ट का निरामया अस्पताल द्वारा आयोजित किया गया।	यूनियन के प्रतिनिधि, अधिकारी असोसिएशन के प्रतिनिधि तथा प्रबंधन के प्रतिनिधि की आंतरिक समिति	सभी चारो चिकित्सा कैम्प समय पर आयोजित किए गए तथा सीएसआर मानिटरिंग समिति द्वारा संतोषप्रद पाये गए।
कुल खर्च (अनुमानित)				**23.50**					

तालिका– 2

टीआईएसएसएच यूबी को प्रतिवेदित सभी परियोजनाओं/क्रिया–कलापों की सूची के लिए प्रपत्र

क्र.सं.	सीएसआर का नाम	टीआईएसएज डाटा बेस को ब्यौरों के भेजे जाने की तिथि	टीआईएसएस द्वारा स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4
1	बिरसा उच्च विद्यालय हथियागोंदा, कांके रोड रांची को सहायता (925 छात्र)	8 अप्रैल, 2013 को टीआईएसएस को सुपुर्द	स्वीकृति अब तक प्राप्त नहीं
2	बिरसा उच्च विद्यालय हथियागोंदा, कांके रोड, रांची में 4 चिकित्सा शिविर		
3	गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, कांके रोड, रांची को सहायता		
4	गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, कांके रोड, रांची में 2 चिकित्सा शिविर		
5	आस–पास के गांवों में 4 चिकित्सा कैम्प		

टेबल–3

सीएसआर व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	मद	रकम करोड़ या प्रतिशत में
1	2	3
1.	विवेच्य वर्ष के दौरान पीएटी	रू.19.61 करोड़ (2011-12).
2.	सीएसआर व्यय	रू..1.06 करोड़
3.	पीएटी की प्रतिशतता के रूप में सीएसआर व्यय	5.41%
4.	न्यूनतम निर्धारण की प्रतिशतता के रूप में सीएसआर व्यय	180% (न्यूनतम निर्धारण पीएटी का 3 प्रतिशत)
5.	सीएसआर पर प्रशिक्षण व्यय (सीएसआर व्यय माना जाए)	शून्य
6.	आगामी वर्ष (फॉलोईंग ईयर) को रॉल ओवर किए गए सीएसआर बजट की शेष रकम जो खर्च नहीं की जा सकी	रू.0.57 करोड़
7.	सीएसआर बजट की प्रतिशतता के रूप में सीएसआर हब को अंशदान	कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए सीएसआर हब हेतु कोल इंडिया लिमिटेड अंशदान दे रहा है।

परिशिष्ट-XII

वर्ष 2012–13 के लिए आरएंडडी कार्य निष्पादन लक्ष्य निर्धारण–सह–मूल्यांकन

(संदर्भ : डीपीई के आरएंडडी दिशा–निर्देश का परिशिष्ट ।।।)

क. अनुसंधान एवं विकास व्यय :

टेबुल नं.–1 : अनिवार्य पारामीटर–पीएटी की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास खर्च

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वेटेज	कार्य निष्पादन लक्ष्य (वर्ष 2011–12 के पीएटी की प्रतिशतता के रूप में)					उपलब्धि
				उत्कृष्ट (लक्ष्य का 105%)	बहुत अच्छा का (लक्ष्य 100%)	अच्छा (लक्ष्य का 90%)	साधारण (लक्ष्य का 80%)	खराब (लक्ष्य का 70%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	वर्ष 2011–12 के पीएटी की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	%	2.5	0.525	0.500	0.450	0.400	0.350 से कम	**रू.594.42 लाख**

 # पीएटी(2011–12) : 19.61 करोड़ रूपए

ख. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का चयन (डीपीई के आरएंडडी दिशा–निर्देश के अनुच्छेद 3.10 के अनुसार)

कोयला खेत्र में अनुसंधान एवं विकास का अभिप्राय खनन कार्य/संबंधित क्रिया–कलाप में दक्षता पारामीटर में सुधार तथा खनन पर्यावरण तथा सुरक्षा पहलूओं पर नियंत्रण है

इसलिए चयनित आरएंडडी की प्रत्येक परियोजना के लिए मुख्य कार्यनिष्पादक संसूचकांक (इंडिकेटर) निम्नलिखित में से चुना जा सकता है। (संदर्भ–डीपीई के आरएंडडी दिशा–निर्देश की परिशिष्ट–।।)

(i) उत्पादन, उत्पादकता में सुधार

(ii) भूमिगत/खुली खान सुरक्षा

(iii) स्थानांतरित/प्राप्त प्रौद्योगिकी

(iv) खनन के कारण पड़ने वाला पर्यावरणिक प्रभाव को कम करना

(v) प्रक्रिया/विकास/उन्नयन

(vi) ज्ञान सृजन/प्रसार

(vii) नई सुविधा/उपकरण में वृद्धि

(viii) उपकरण/सामग्री विकास

डीपीई के अनुसंधान एवं विकास दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई द्वारा एमओयू 2012–13 में समावेश करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं का चयन किया गया है

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यनिष्पादन संसूचक (परफार्मेंस इंडिकेटर)
1	शैल/कोयला का भौतिक यांत्रिक गुण का कोलफील्ड के अनुसार डाटा बेस निर्माण/विश्लेषण तथा संस्तर नियंत्रण समस्या के उचित समाधान के लिए प्रतिनिधिक न्यूमेरिकल माडेल	भूमिगत खान सुरक्षा
2	कोल इंडिया की खुली कोयला खदान में बदलती भू–अभियंत्रण स्थिति के तहत सुरक्षित ड्रेगलाइन डम्प प्रोफाइल हेतु दिशा–निर्देश का विकास	खुली खनन सुरक्षा
3	ब्लास्ट इंडयूस्ड डायनेमिक लीोडिंग के तहत डेवलॉपमेंट तथा डिपिलरिंग पैनेल में बोल्ट विहैवियर का अन्वेषण	ज्ञान सृजन तथा प्रसार

तालिका–2 : सीएमपीडीआई द्वारा चुनी गई परियोजना

				लक्षित मूल्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
क्र.स	चुनी हुई परियोजना	कार्यनिष्पादन सूचक	महत्व	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक
2.1	शैल/कोयला के भौतिक यांत्रिक गुण का कोलफील्ड्स के अनुसार डाटाबेस निर्माण तथा संस्तर नियंत्रण समस्या के उपयुक्त समाधान के लिए प्रतिनिधिक नमूने की तैयारी तथा विश्लेषण	भूमिगत खान सुरक्षा	0.90	यदि न्यूमेरिकल माडेल के प्रतिनिधिक की तैयारी निम्नलिखित तक पूरी हो					
				30 नव. 2012	15 दिस. 12	31 दिस.12	15 जन. 13	31 जन. 2013	नव. 2012
2.2	कोल इंडिया लिमिटेड की खुली कोयला खानों में बदलती भू–इंजीनियरिंग स्थिति के तहत सुरक्षित ड्रैग लाइन डम्प प्रोफाइल के लिए दिशा–निर्देश का विकास	खुली खान सुरक्षा	0.80	यदि रिपोर्ट तैयार करने का कार्य निम्नलिखित तक पूरा कर लिया गया हो,					
				31 जन. 2013	15 फर. 2013	28 फर. 2013	15 मार्च, 2013	31 मार्च, 2013	जन. 13
2.3	ब्लास्ट इन्डयूस्ड डायनेमिक लोडिंग के तहत डेवलापमेंट एवं डिपिलरिंग पैनेल में बोल्ट विहैवियर की जाँच	ज्ञान सृजन /प्रसार	0.80	यदि विभिन्न रॉक बोल्ट एसेम्बली के लिए 25 न्यूमेरिकल माडेल निम्नलिखित तक कर लिया गया हो,					
				1 मार्च, 2013	9 मार्च, 2013	17मार्च, 2013	24 मार्च,13	31 मार्च, 2013	जन. 13

एमओयू 20.12.13 के लिए चयनित तीन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए जाँच बिन्दु

(संदर्भ : डीपीई के आरएंड डी दिशा–निर्देश का क्र.सं.8)

<table>
<tr><td>1</td><td>परियोजना कोड</td><td colspan="3">सीआईएल / आरएंडडी / 1 / 36 / 10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शीर्षक</td><td colspan="3">शेल / कोयले के भौतिक–यांत्रिक गुण के कोलफील्ड्सवार डेटाबेस का निर्माण / विश्लेषण तथा संस्तर नियंत्रण समस्या के समुचित समाधान के लिए प्रतिनिधिक न्यूमेरिकल मॉडेल</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आरंभ होने की तिथि</td><td colspan="3">फरवरी, 2012</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पूरा करने की निर्धारित तिथि</td><td colspan="3">30 नवम्बर, 2012</td></tr>
<tr><td>5</td><td>उद्देश्य</td><td colspan="3">शैल / कोयले के / भौतिक / यांत्रिक गुण का कोलफील्ड्स के अनुसार डाटा बेस का निमार्ण तथा विश्लेषण एवं संस्तर नियंत्रण समस्या के समुचित समाधान के लिए प्रतिनिधिक न्यूमेरिकल मॉडल</td></tr>
<tr><td>6</td><td>विवरण की पृष्ठभूमि</td><td colspan="3">माइन प्लानिंग के उद्देश्य से भिन्न–भिन्न गहराइयों में स्थित शेल / कोयले के लिए भौतिक यांत्रिक गुण तथा प्रतिनिधिक माडेल नमूने का विस्तृत डाटाबेस वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>डाटा बेसलाइन सर्वेक्षण</td><td colspan="3">खानें बड़ी होती जा रही है तथा लागत अधिक लग रहा है। सुरक्षा, पर्यावरण बचाव तथा कोयले के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सटीक एवं कम समय लगने वाली माइन प्लानिंग आज की मुख्य आवश्यकता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भौतिक यांत्रिक गुण का डाटाबेस तथा प्रतिनिधिक न्यूमेरिकल माडेल योजनाकारों के लिए सहायक होंगे।</td></tr>
<tr><td>.8</td><td>माइलस्टोन (वर्कप्लान)</td><td colspan="3">i. वर्तमान आँकड़ों का सह–सम्बद्ध, संकलन तथा विश्लेषण
ii. वर्तमान आँकड़ों से डाटा–बेस का निर्माण तथा डाटा–बेस डिजाइन का निर्माण
iii. नए पारामीटर सेट से कोरों का परीक्षण
iv. अतिरिक्त पारामीटर के साथ नए आँकड़ों में वृद्धि
v. 2डी एवं 3डी प्रतिनिधिक मॉडेल की तैयारी</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">कार्य योजना</td><td rowspan="2">क्रिया–कलाप</td><td colspan="2">2012-13</td></tr>
<tr><td>प्रारंभ की तिथि</td><td>पूरा होने की संभावित तिथि</td></tr>
<tr><td>विभिन्न एरिया तथा कोलफील्डों के कोर नमूनों का प्रयोगशाला परीक्षण</td><td>फरवरी 12</td><td>30 नवम्बर 2012</td></tr>
<tr><td>प्रतिनिधिक–न्यूमेरिकल माडेल की तैयारी</td><td>जनवरी 12</td><td>30 नवम्बर 2012</td></tr>
<tr><td>10</td><td>सहयोग यदि कोई हो,</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>11</td><td>विस्तृत प्रलेखन</td><td colspan="3">संबंधित ब्यौरे तथा स्थिति रिपोर्ट सहित परियोजना फाइल</td></tr>
<tr><td>12</td><td>लगाए गए संसाधन</td><td colspan="3">सीएमपीडीआई(मुख्यालय) रांची के भूमिगत खनन विभाग के अधिकारी</td></tr>
<tr><td>13</td><td>परियोजना की लागत</td><td colspan="3">241.81 लाख रूपए</td></tr>
<tr><td>14</td><td>लाभुक / लाभार्थी</td><td colspan="3">इस परियोजना के पूरा हो जाने पर रॉक / कोयले के गुण तथा प्रतिनिधिक न्यूमेरिकल माडल की उपलब्धता के कारण भूमिगत नियंत्रण अध्ययन तथा सटीक खान डिजाइन का कार्य आसान हो जाएगा। इससे डिपिलरिंग के लिए डीजीएमएस की अनुमति लेने में लगने वाले समय में कमी आएगी तथा सपोर्ट डिजाइन एवं डॅवलपमेंट तथा डिपिलरिंग के लिए योजनाबद्ध सपोर्ट नियम हेतु वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जाएगा।</td></tr>
</table>

15	प्रभाव	रॉक/कोयले के गुण तथा प्रतिनिधिक न्यूमेरिकल माडल की उपलब्धता के कारण भूमिगत नियंत्रण अध्ययन तथा सटीक खान डिजाइन का कार्य आसान हो जाएगा। इससे डिपिलरिंग के लिए डीजीएमएस की अनुमति लेने में लगने वाले समय में कमी आएगी तथा सपोर्ट डिजाइन एवं विकास एवं डिपिलरिंग के लिए योजनाबद्ध सपोर्ट नियम हेतु वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जाएगा।
16	स्थिति	200 टी सर्वो नियंत्रित यूटीएम के संस्थापन का कार्य जारी है। संस्थापन के बाद शैल/कोयले के भौतिक यांत्रिक गुण के परीक्षण से भूमिगत खान में संस्तर नियंत्रण की समस्या के समुचित निदान के लिए न्यूमेरिकल मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी।

<table>
<tr><th>1</th><th>परियोजना कोड</th><th colspan="3">कोल इंडिया/अनुसंधान एवं विकास/1/38/10</th></tr>
<tr><td>2</td><td>शीर्षक (टाइटल)</td><td colspan="3">कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदान कोयला खानों में बदलती हुई भू–अभियांत्रिकी परिस्थितियों के तहत सुरक्षित ड्रैगलाइन डम्प प्रोफाइल के लिए दिशा–निर्देशों का विकास</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आरंभ करने की तिथि</td><td colspan="3">फरवरी, 2010</td></tr>
<tr><td>4</td><td>समापन की निर्धारित तिथि</td><td colspan="3">जनवरी, 2013</td></tr>
<tr><td>5</td><td>उद्देष्य</td><td colspan="3">कोल इंडिया के खुली खदान खानों में बदलती हुई भू–अभियांत्रिकी परिस्थितियों के तहत ड्रैगलाइन डम्पों के लिए दिशा–निर्देश (गाइड लाइन) का विकास</td></tr>
<tr><td>6</td><td>विकास की पृष्ठभूमि</td><td colspan="3">बाहय डम्पिंग के लिए भूमि की कमी के कारण क्वारी/खान के भीतर बड़ी मात्रा में अपशिष्ट रॉड का समायोजन करना। माइन आपरेटर माइन फ्लोर इन्कलाइनेशन, डम्प के अंदर वाटर टेबल, डम्प मासेज पर सिसिमिक और विस्फोटन कंपन का प्रभाव तथा जैसे बदलती हुई भू–खनन पारामीटरों में आप्टिमम ड्रैगलाइन डम्प प्रोफाइल का निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>बेसलाइन सर्वेक्षण</td><td colspan="3">भू खनन कन्डीशन की विविधता के अंतर्गत सुरक्षित ड्रैगलाइन डम्प प्रोफाईल के लिए नये दिशा निर्देशों को विकसित करना। भू–यांत्रिकी कन्डीशन की विविधता के अंतर्गत ड्रैगलाइन डम्प के अनुकूलतम रिहैंडलिंग मात्रा को निर्धारित करने के लिए कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में यह अध्ययन प्लानर तथा ऑपरेटर को सहायता करेगा।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>माइन स्टोन (वर्कप्लान)</td><td colspan="3">(i) एकत्रित डम्प/इन्टरफेस सामग्रियों का प्रयोगशाला परीक्षण
(ii) सुरक्षित ड्रैगलाइन डम्प प्रोफाइल के लिए दिशा–निर्देश का विकास</td></tr>
<tr><td rowspan="6">9</td><td rowspan="6">कार्ययोजना (एक्शन प्लान)</td><td rowspan="2">गतिविधियाँ</td><td colspan="2">2012-13</td></tr>
<tr><td>प्रारंभ की तिथि</td><td>पूरा होने की संभावित तिथि</td></tr>
<tr><td>एकत्रित डम्प/इन्टरफेस सामग्रियों का प्रयोगशाला परीक्षण</td><td>अप्रैल, 2012</td><td>अक्टूबर, 2012</td></tr>
<tr><td>अंतरिम रिपोर्ट की सुपुर्दगी</td><td>जुलाई, 2012</td><td>सितम्बर., 2012</td></tr>
<tr><td>डम्प प्रोफाइल के लिए दिशा–निर्देशों का विकास</td><td>जून, 2012</td><td>नवम्बर, 2012</td></tr>
<tr><td>रिपोर्ट की तैयारी</td><td>दिसम्बर, 2012</td><td>जनवरी, 2013</td></tr>
<tr><td>10</td><td>सहयोग यदि कोई हो</td><td colspan="3">बीआईटी मेसरा, रांची</td></tr>
<tr><td>11</td><td>विस्तृत प्रलेखन</td><td colspan="3">संबंधित विस्तृत विवरण तथा स्थिति रिपोर्ट के साथ प्रोजेक्ट फाइल</td></tr>
</table>

12	नियोजित रिसोर्स	ओपेन कास्ट विभाग सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची के अधिकारी तथा बीआईटी मेसरा के शैक्षणिक कार्मिक
13	परियोजना की लागत	75.60 लाख रूपये
14	लाभ	कोल इंडिया लिमिटेड तथा अन्य
15	प्रभाव	कोयला विहीन एरिया के अंतर्गत अपशिष्ट सामग्रियों की बड़ी मात्रा को बैंक फिलिंग करने के लिए लेसर भूमि की आवश्यकता होगी। डम्प के स्लोप फेल्योर के कारण दुर्घटना की आशंका का निराकरण बड़ी मात्रा में किया जायेगा।
16	स्थिति	बीआईटी मेसरा ने खादिया, जयंत तथा वीणा ओपेनकास्ट परियोजना, एनसीएल के ड्रैगलाइन डम्प के स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी पर अंतरिम रिपोर्ट सुपुर्द कर दी है, जिसकी संवीक्षा की गई तथा अंतिम रिपोर्ट में इसे शामिल करने के लिए आवश्यक आवजर्वेशन बीआईटी मेसरा को भेज दिया गया। निगाही ओसीपी (एनसीएल), अमलोरी ओसीपी (एनसीएल तथा सोनपुर बजारी ओसीपी, ईसीएल के ड्रैगलाइन डम्प प्रोफाइल पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

1	**परियोजना कोड**	**कोल इंडिया/अनु.एवं वि./1/42/10**
2	शीर्षक	ब्लास्ट इंडयूस्ड डायनेमिक लोडिंग के तहत डेवलपमेंट और डीपिलरिंग पैनलों में बोल्ट विहेवियर की जांच (अन्वेषण)
3	आरंभ करने की तिथि	दिसम्बर, 2010
4	समापन की निर्धारित तिथि	नवम्बर, 2013
5	उद्‌देश्य	(i) डेवलपमेंट पैनल में बोल्ट की कार्यनिष्पादन की जांच (ii) डीपिलरींग पैनल में बोल्ट की कार्यनिष्पादन की जांच और डेवलपमेंट पैनल के परिणाम से तुलना (iii) ब्लास्ट इंडयूस्ड डायनेमिक लोडिंग के तहत बोल्ट के कार्य–निष्पादन का अध्ययन (iv) प्रदत भू–खनन परिस्थिति के लिए उपयुक्त सर्वोतम बोल्ट का निर्धारण करने के लिए एक साधारण मोनोग्राम या चार्ट या कम्प्यूटर प्रोग्राम का विकास
6	विवरण की पृष्टभूमि	भारतीय कोयला खानों में भू नियंत्रण सामग्रियाँ विशेष कर रूफ या रॉक फौल के कारण अधिकांश दुर्घटनाएँ होती हैं। ऐसे रूफ एवं रॉक फाल से बचने के लिए प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम के रूप में बोल्टिंग का प्रयोग किया जाता है। खान के खनिकों और अधिकारियों का स्वास्थ एवं उनकी सुरक्षा खान प्रबंधन की प्राथमिक चिंता (विषय) है। प्रबंधन भूमिगत खान में कार्य के वातावरण को सुरक्षित एवं निरापद करने के लिए अच्छी (गुड) बोल्टिंग का प्रयोग करने पर बल देता है। बोल्ट–ग्राउट–रॉक इंटरएक्शन के यंत्रों को समझने की भी आवश्यकता है ताकि प्रदत्त भू–खनन परिस्थितियों में कार्य करने के लिए समुचित डिजाइन किया जा सके।
7	बेस लाइन सर्वेक्षण	कार्य करने के लिए किसी भी प्रभावी डिजाइन को प्रयोग करने से पूर्व बोल्ट का कार्यनिष्पादन को समझना आवश्यक हो जाता है। आज की तारीख तक जानकारी के अभाव के कारण बोल्ट की डिजाइन में कई कमियाँ (त्रुटि) पाई जाती है।
8	मील के पत्थर(कार्य योजना)	(i) झांझरा एवं कोटटा खान में 20, 22 एवं 25 मी.मी. के व्यास वाले रॉक बोल्ट के संबंध में बोल्ट का कार्य व्यवहार एवं कार्यनिष्पादन की जांच करना (ii) बोल्ट के कार्य निष्पादन की जांच करना (iii) संस्थापित बोल्टों के लिए प्रौक्सिनिटी में विस्फोटन कंपन मानीटरिंग

<table>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">कार्ययोजना</td><td rowspan="2">क्रिया–कलाप</td><td colspan="2">2012-13</td></tr>
<tr><td>आरंभ की तिथि</td><td>समापन की संभावित तिथि</td></tr>
<tr><td>रूफ वाइब्रेशन की मानीटरिंग और विश्लेषण</td><td>मार्च 2012</td><td>जनवरी 2013</td></tr>
<tr><td>विभिन्न रॉक बोलट असेम्बली के लिए 25 अंकीय मॉडल</td><td>दिसम्बर 2011</td><td>मार्च 2013</td></tr>
<tr><td>10</td><td>सहयोग, यदि कोई हो</td><td colspan="3">आईआईटी, खड़गपुर और आरडीसीआईएस, सेल, रांची</td></tr>
<tr><td>11</td><td>विस्तृत प्रलेखन</td><td colspan="3">सम्बद्ध विवरणों एवं स्थिति रिपोर्टों सहित परियोजना फाइल</td></tr>
<tr><td>12</td><td>नियोजित संसाधन</td><td colspan="3">आईआईटी, खड़गपुर के शिक्षाविद और आरडीसीआईएस, (सेल), रांची के अधिकारियों के सहयोग से विस्फोटन सेल, सीएमपीडीआई(मुख्यालय), रांची के अधिकारी</td></tr>
<tr><td>13</td><td>परियोजना लागत</td><td colspan="3">491-08 लाख रूपए</td></tr>
<tr><td>14</td><td>लाभार्थी</td><td colspan="3">इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से नियामक निकाय को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी और विशेष प्रकार के मामलों में खान प्रबंधन को बोल्टिंग (सपोर्ट डिजाइन) से संबंधित सुझाव प्राप्त हो सकता है।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>प्रभाव</td><td colspan="3">निष्कर्षों के आधार पर दिए गए बोल्ट की लंबाई और व्यास से बोल्ट की स्पेसिंग का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से बोल्टों का अधिकतम उपयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी खान में नियोजित किए जा रहे बोल्टिंग प्रैक्टिस से यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो गया कि प्रदत परिस्थिति में कार्य किया जा सकेगा और न कि थम्ब रूल के आधार पर डिजाइन किया जा सकेगा।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>स्थिति</td><td colspan="3">अधिकतर उपकरण आईआईटी, खड़गपुर से प्राप्त कर लिए गए हैं। सेल द्वारा आपूर्ति 20 मि.मी., 22 मि.मी. और 25 मि.मी. एफई–640 बोल्ट के संबंध में प्रयोगशाला जाँच आईआईटी, खड़गपुर में की जा रही है। प्रयोगशाला में प्रयोग के दौरान वेरिएबुल सेटिंग टाइम सहित रेजिन का उपयोग किया जा रहा है। प्रयोगशाला के लिए फेब्रिकेशन पुल–आउट टेस्ट किया जा चुका है तथा कुछ पुल–आउट परीक्षण कास्टिंग सैम्पलस के साथ किए गए हैं। आईआईटी और सीएमपीडीआई के दल ने स्थल चयन हेतु ईसीएल के कोट्टाडीह खान और झांझरा खान का दौरा किया। क्षेत्र और प्रयोगशाला का पूरी तरह कार्य की शुरूआत जल्द ही की जाएगी।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट-XIII

क्रमांक	क्रिया–कलाप	
1	क्या स्पेसिफिक एसडी योजना और बजट बोर्ड या इसके द्वारा नामित समिति ने पास की है।	हाँ / नहीं बोर्ड के संकल्प की संख्या एवं तारीख
	1 हाँ	2
		सं. शून्य, तिथि 01.02.2012

तालिका–1, एसडी समिति का विवरण

बोर्ड स्तर के नामित समिति का नाम	बोर्ड स्तर के नामित समिति के अध्यक्ष	आयोजित हुई नियमित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान लिए गए निर्णय
1	2	3	4
सस्टेनेबल डेबलपमेंट पर समिति	डा0 मुकेश खरे, प्रोफेसर, आईआईटी दिल्ली स्वतंत्र निदेशक	2	वर्ष 2012–13 के दौरान एसडी क्रिया–कलापों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाया गया। वर्ष 2013–14 के लिए सस्टेनेबल डेबलपमेंट क्रिया–कलापों की पहचान तथा आकलन (क्षेत्रीय संस्थानों में सामान्य रूप से वर्तमान परंपरागत टयूब लाइटों को बदलना एवं रूफटोप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बाहय प्रकाश के लिए सोलर ऊर्जा और वायु ऊर्जा के उपयोग पर विचार) वर्ष 2013–14 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्रिया–कलाप के रूप में ''पेपर का रिसाइक्लीन'' शुरू करना।

इस तालिका के लिए कुल स्कोर	0.5

टास्कफोर्स द्वारा आवंटित स्कोर	

तालिका–2 : पीएटी की प्रतिशतता के रूप में कुल एसडी व्यय							
* पीएटी के % के रूप में लक्षित मूल्य (पांच बिंदु स्केल पर, गाइडलाइन के पारा 6.5.2) (लाख रू.)	(कुल व्यय (वर्तमान वित्त वर्ष) (लाख (रू.)	कर पश्चात् लाभ (गत वित्त वर्ष) (लाख रूपये)	पीएटी के % के रूप में वास्तविक व्यय				
1	2	3	4				
			उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
2011-12 के पीएटी का 0.5% (0.5% - 9.8 (लाख))	75.39*	1961	0.55%	0.50%	0.45%	0.40%	0.35%
इस तालिका के लिए कुल स्कोर		1.0					

टास्कफोर्स द्वारा आवंटित स्कोर	

* **टिप्पणी** : इस व्यय में सेटेलाइट सर्वेलांस परियोजना पर हुआ खर्च शामिल नहीं है क्योंकि परियोजना को कोल इंडिया द्वारा वित्त प्रदान किया गया है। वर्ष 2012–13 में एसडी क्रिया–कलापों पर सीएमपीडीआई द्वारा किया गया कुल व्यय वर्ष 2011–12 (1961 लाख रूपये) के लिए पीएटी का 3.84% है।

तालिका– 3 : सीपीएसई द्वारा चयनित परियोजनाएँ

क्र. सं.	शिड्यूल ए/बी	परियोजना/ क्रियाकलाप (कृपया परिशिष्ट। देखें)	कार्यनिष्पादन सूचक (कृपया दिशा निर्देश का अनुच्छेद 6.5.3 तथा परिशिष्ट–।। देखें	परियोजना/ क्रियाकलाप पर कुल व्यय (लाख रूपये में)	अवधि अल्प/मध्य / दीर्घ	भार	दिशा निदेश के अनुच्छेद 6.5.3 पांच पाईट स्केल पर					प्राप्त किया गया लक्ष्य
							उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब	
1	2	3	4	5	6		7					8
1	ए.	सीएमपीडीआई (मुख्या.), रांची में शेष बचे क्वाटरों एवं शेष सेवा भवनों का रूफटॉप (7000 वर्ग मीटर)'रेन वाटर हार्वेस्टिंग	जल संरक्षण एवं भू–जल का रिर्चाजिंग	44.77 (प्रदत्त मूल्य)	31 मार्च 13 तक	0.5	1 मार्च,13 तक परियोजना के समापन पर	9 मार्च 13	17 मार्च 13	24 मार्च 13	31 मार्च 13	हाँ, 25.07.12 को परियोजना शुरू की गई और 25.7.12 को पूरी की गई।
2	ए.	वर्तमान परंपरागत ट्यूब लाइटों को बदल कर ऊर्जा संरक्षण	बदले गये परंपरागत ट्यूब लाइट की संख्या	11.00 (प्राक्कलित)	31 मार्च 13 तक	0.5	570 लाइट्स	559	531	504	479	हां, 13.12.12 को शुरू तथा 12.5.13 तक जारी की संभावना है लेकिन 570 लाइटों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
3	ए.	भू–जीर्णोद्धार एवं पुनरूद्धार क लिए कोल इंडिया के प्रमुख खुली खदान परियोजनओं खानों का सेटेलाइट सर्वेलांस	पूरी की गई परियोजनाओं/खानों की संख्या	44 परियोजनाओं के लिए 352 रूपये (परियोजनाओं/खान के लिए 8.0 लाख रूपए की दर से) (कोल इंडिया द्वारा निर्धारित)	31 मार्च 13 तक	0.5	44 परियोजनाएं	43	41	39	37	हाँ सभी 44 परियोजनाएं 31 मार्च 13 तक पूरी की जा चुकी है।
4	बी	सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर वर्कशॉप	आयोजित कार्यशालाओं की सीमा	2.0(प्राक्कलित)	31 मार्च 13 तक	0.5	1 कार्यशाला	-	-	-	-	हाँ 23.3.13 को आयोजित
5	बी	सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्टिंग	रिपोर्ट किया गया या नहीं किया गया	.	वर्ष 11–12 के लिए 31 सितम्बर 12 तक	0.5	उत्कृष्ट यदि रिपोर्ट की गई तो	-	-	-	-	वर्ष 11–12 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा में रिपोर्ट किया गया

इस तालिका के लिए कुल स्कोर	2.5
टास्क फोर्स द्वारा आवंटित स्कोर	

तालिका–4 : परियोजना का मूल्यांकन				
स्वतंत्र बाह्य एजेंसी/विषेशज्ञ/परामर्श आदि द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या				
उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब
5	4	3	2	1

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2012–13 में शुरू की और पूरी की गई सभी 5 परियोजनाओं का मूल्यांकन श्री शशि शेखर, स्वतंत्र बाह्य विशेषज्ञ द्वारा किया गया।

इस तालिका के लिए कुल स्कोर	0.5

टास्क फोर्स द्वारा आवंटित स्कोर	

तालिका–5 : एसडी कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन का प्रकाशन		
क्रिया–कलाप	**हाँ/नहीं**	एसडी प्रतिवेदन की मोड (विधि) (यदि रिपोर्ट की गई तो क्या यह स्टैंड–एलोन एसडी रिपोर्ट है या वार्षिक रिपोर्ट, आदि का एक भाग है)
1	2	3
एसडी कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन	हाँ	स्टैंड एलोन रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 के एक भाग के रूप में रूप का सारांश शामिल किया जाएगा

इस तालिका के लिए कुल स्कोर	0.5
टास्क फोर्स द्वारा आवंटित स्कोर	5
सभी तालिका के लिए कुल स्कोर	5

सभी तालिकाओं के लिए कुल आवंटित स्कोर	

परिशिष्ट-XIV

समझौते के स्मार पत्र के तहत एचआरएम कर्यनिष्पादन मूल्यांकन

क्र.सं.	एचआरएम–कार्यनिष्पादन सूचक	प्रबंधन इकाई	वेटेज	पांच प्वाईट स्केल बेसिक (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के सीपीएफ द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट (सीपीएसई द्वारा कार्यनिष्पादन की सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)
ए.	दक्षता एवं नेतृत्व विकास									
	ए1 अनिवार्य									
1	प्रशिक्षण योजना की एक्युलाइजेशन %	फूलफीलमेंट (प्रशिक्षण योजना में से 29)	2.5	90% (26 प्रशिक्षण)	100:	70:	60:	50:	100:	2.5
	प्रशिक्षण दिवस प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष	दिन प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष	2.5	1.2 प्रशिक्षण दिन प्रति कर्मचारी	1.25	1.15	1.10	1.05	1.025	-
2	कैरियर आयोजन एवं विकास प्रणाली के जरिए लीडरों के क्रिटिकल मास का विकास	नियोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम की पूर्णता %	5	75% (आईआईसीएम में नेतृत्व विकास पर 2 नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित होने वाले अधिकतम 4 में से 3 व्यक्ति)	100% (4 व्यक्ति)	50% (2 व्यक्ति)	25% (1 व्यक्ति)	-	100% (4 व्यक्ति)	5
3	कर्मचारी लागत के प्रतिशत के रूप में प्रशिक्षण बजट	कर्मचारियों की लागत का प्रतिशत	5	0-12% (वर्ष 2011-12) (बजट) के 321.94 करोड़ रू. के कर्मचारी लागत में से 38 लाख रू.)	0.13	0.11	0.10	0.09	0.49	5
4	गैर अधिकारियों के बहु–दक्षता/ अद्यतन के लिए प्रशिक्षण योजना की पूर्ति का %	%	5	75 % (आयोजित होने वाले 4 प्लानों में से 3 कार्यक्रम)	100% (4कार्यक्रम)	50% (2 कार्यक्रम)	25% (1कार्यक्रम)	-	100% (4 कार्यक्रम)	5
	ए.2 वैकल्पिक									
7	नए/एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण इंटरवेंषन नए प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण योजना की पूर्ति का प्रतिशत	%	5	75% (आयोजित होने वाले 4 प्लानों में से 3 कार्यक्रम)	100% (4 कार्यक्रम)	50% (2 कार्यक्रम)	25% (1कार्यक्रम)	-	100% (4 कार्यक्रम)	5

क्र.सं.	एचआरएम–कार्यनिष्पादन सूचक	प्रबंधन इकाई	वेटेज	पांच प्वाईंट स्केल बेसिक (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के सीपीएफ द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट (सीपीएसई द्वारा कार्यनिष्पादन की सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)
	कुल		**25**							22.5
बी	कार्य निष्पादन प्रबंधन									
11	कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली सहित अधिकारियों के विकासात्मक योजना का संयोजन (लिंकेज)	हाँ/नहीं	5	हाँ	हाँ	-	-	नहीं	हाँ	5
12	पीआरपी से सम्बद्ध पीएमएस का कार्यान्वयन	हाँ विवरण है	5	हाँ	हाँ	-	-	नहीं	कोल इंडिया के साथ इन लाइन	5
	कुल		**10**							10
सी	भर्ती, रिर्टेशन एवं प्रतिभा प्रबंधन									
13	निम्नलिखित के जरिए श्रमशक्ति का वैज्ञानिक पुनर्गठन	%	5	0.8%(स्थानांतरित/पदस्थापन के जरिए) 310–(प्रोजेक्ट कर्मचारी) की कुल श्रमशक्ति में से लगभग 25	0.85%	0.75%	0.7%	0.65%	7.89%	5
	- पुनर्नियोजन									
	- कोई अन्य									
14	कुल कर्मचारियों की % के रूप में अट्रिशन	%	5	4% (सेवानिवृत्ति के द्वारा)कुल3102(प्रोजेक्ट कर्मचारी)श्रमशक्ति में से लगभग 125	4.1%	3.8%	3.6%	3.4%	4.99%	5
15	मेंटरशिप विकास कार्यक्रम की प्रस्तुति–मेंटर एवं मेंटीज की संख्या	हाँ/नहीं; संख्या	5	हाँ	हाँ			नहीं	नहीं	-
				मेंटर–1 मेंटीज–5	मेंटर–2 मेंटीज–10			शून्य	शून्य	
16	उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम,उन्नति का अवसर आदि के लिए वरीय अधिकारियों को प्रयोजन, रिवार्ड प्रणाली, जॉब रोटेशन प्रणाली जैसे प्रतिभा प्रबंधन के लिए निर्माण/कार्यान्वयन	योजना/पहल एवं उसके विवरण	5	आईआईसीएम द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 1 अधिकारी को नामित किया जाना	2	-	-	-	3	5

क्र.सं.	एचआरएम–कार्यनिष्पादन सूचक	प्रबंधन इकाई	वेटेज	पांच प्वाईंट स्केल बेसिक (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के सीपीएफ द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट (सीपीएसई द्वारा कार्यनिष्पादन की सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)
	कुल		**20**							15
डी	सृजनात्मक और नवीनता लाने के योग्य बनाना									
17	राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा, राष्ट्रीय पुरस्कार) के लिए सौंपे गए नामांकन/प्रविष्टि की संख्या	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सौंपे गए नामांकन/ प्रविष्टि की संख्या	5	1	2	-	-	-	2	5
18	प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष आने वाले सुझावों की संख्या		5	0.01	0.011	0.009	0.008	0.007	0.0121	5
19	एक वर्ष में शुरू किए गए कुल गुणवत्ता सर्कल परियोजनाओं की तुलना में पूरे किए गए गुणवत्ता सर्कल परियोजनाओं का %	पूर्णता का %	5	50% (2 गुणवत्ता सर्किल परियोजनाओं में से 1)	100%	.	-	-	शून्य	-
	कुल		15							10
ई	कर्मचारी के साथ संबंध एवं कल्याण									
20	ग्रिवांस रिड्रेशन सिस्टम की प्रभावकारिता–वर्ष में प्राप्त ग्रिवांस सहित किए गए निपटारा का प्रतिशत (%)	% निपटारा	4	10% (कुल प्राप्त ग्रिवांस आवेदन में से)	10.2%	9.5%	9%	8.6%	100% (ग्रिवांस नहीं)	4
21	जहाँ तनाव वाले कार्य हो, वहां तनाव कम करने के लिए योगा क्लास, पेंशन, मेडिकेयर, जिम आदि जैसे वेलनेस सेक्टर की स्थापना	कार्यक्रम की संख्या/योजना में कार्यान्वयन की तिथि	4	2 (योगा क्लास)(पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा पहले से ही है)	3	1	.	.	4	4

क्र.सं.	एचआरएम–कार्यनिष्पादन सूचक	प्रबंधन इकाई	वेटेज	पांच प्वाईट स्केल बेसिक (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के सीपीएफ द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)	स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट (सीपीएसई द्वारा कार्यनिष्पादन की सुपुर्दगी के समय भरे जाने के लिए)
22	कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण बाह्य एजेंसी को इस काम में लगाकर	नहीं	4	दिनांक	दिस.12	जन.13	फर.13	मार्च 13	नव 12	4
23	सामाजिक सुरक्षा योजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन	हाँ/नहीं	4	हाँ	हाँ			नहीं	हाँ	4
24	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ स्ट्रक्चर्ड बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	4	4	5	3	2	1	5	4
	कुल		20							**20**
एफ	एचआर ब्रांडिंग एवं विशिष्टता– निम्नलिखित पहल के लिए इस क्षेत्र में उपलब्धि दर्शाएं जैसे :									
25	आर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्डिंग इनीशिएटिव्स	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	10	आरगेनाइजेशन कल्चर पर 3 काउंसेलिंग कार्यक्रम जिसके तहत 50 अधिकारियों को शामिल किया गया	4	2	1	-	4	10
	कुल		**10**							**10**
	कुल योग		100							**87.5**

नोट : सीपीएसई की एचआरएम पर दिए गए 100 में से कुल स्कोर को अनुपातानुसार एमओयू के 3 से स्कोर को बदला जाएगा

वार्षिक लेखा
2012-13

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

करोड़ रू.में

		टिप्पणी		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
I	इक्विटी एवं देयताएँ					
(1)	अंशधारकों की निधि					
	क) शेयर पूँजी	1	19.04		19.04	
	ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	115.85		91.88	
				134.89		110.92
(2)	गैर चालू देयताएँ					
	क) दीर्घकालीन उधारी	3	-		-	
	ख) आस्थगित कर देयताएँ(निबल)		-		-	
	ग) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	4	-		-	
	घ) दीर्घकालीन प्रावधान	5	173.02		170.40	
				173.02		170.40
(3)	अल्पसंख्यक अंश			-		-
(4)	चालू देयताएँ					-
	क) अल्पकालीन ऋण	6	-		-	
	ख) पेशागत देय	7	32.43		33.45	
	ग) अन्य चालू देयताएँ	8	226.90		161.43	
	घ) अल्पकालीन प्रावधान	9	195.82		94.84	
				455.15		289.72
	कुल			763.06		571.04
II	परिसम्पत्तियाँ					
(1)	गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
	क) अचल परिसम्पत्तियाँ	10अ				
	1) वास्तविक परिसम्पत्तियाँ– सकल ब्लॉक		181.85		177.77	
	घटाकर : मूल्यह्रास क्षति एवं प्रावधान		106.67		99.71	
	निबल वहनीय मूल्य			75.18		78.06
	2) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10अ	5.61		5.20	
	घटाकर : मूल्यह्रास क्षति एवं प्रावधान		5.61		5.20	
	निबल वहनीय मूल्य			-		-
	3) पूंजीगत कार्य–प्रगति में	10 ब		11.37		11.52
	4) परिवृद्धि के अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10 स		-		-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

जारी ....

		टिप्पणी		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	ख) गैर चालू निवेश	11		.		.
	ग) आस्थगित कर मूल्यह्रास (निबल)			95.54		71.67
	घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12		0.74		0.84
	ङ.) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	13		0.02		0.02
(2)	चालू परिसम्पत्तियाँ					
	क) चालू निवेश	14	.		.	
	ख) वस्तु सूची	15	6.04		6.77	
	ग) व्यवसायिक प्राप्य	16	323.80		246.92	
	घ) नकद एवं तुल्यमान नकद	17	117.89		61.21	
	ङ.) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	132.43		93.98	
	च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	19	0.05		0.05	
				580.21		408.93
	कुल			**763.06**		**571.04**
	सार्थक लेखा नीति	33				
	लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी	34				

उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित टिप्पणियाँ तुलन–पत्र का अभिन्न अंग है।
निदेशक मंडल सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड की ओर से एवं वास्ते

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(पी. लाजर)	(ए.के.सोनी)	(बी.एन.बासु)	(ए.के.देबनाथ)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह –प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002180 सी

ह./–
(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक : 10 मई, 2013
स्थान : रांची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण

करोड़ रू.में

आय	टिप्पणी	31.3.13 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	31.3.12समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
कोयले की बिक्री			
घटाकर : उत्पाद शुल्क			
अन्य उगाहियाँ		.	.
प्रचालनों द्वारा राजस्व	20	**601.05**	524.03
अन्य आय	21	**4.16**	4.69
सकल राजस्व		**605.21**	528.72
व्यय			
सामग्री खपत की लागत	22	**15.28**	16.67
विकसित पूर्ण लाभ कार्यों के अन्वेषण में परिवर्तन तथा व्यावसायिक भंडार	23	**-**	-
कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय	24	**367.72**	340.08
विद्युत एवं ईंधन		**2.10**	2.24
कल्याण व्यय	25	**19.37**	3.48
मरम्मती	26	**13.58**	9.61
संविदात्मक व्यय	27	**114.13**	93.00
वित्तीय लागतें	28	**0.09**	-
मूल्य ह्रास/ऋण/क्षति		**7.56**	6.74
प्रावधान	29	**0.39**	(0.52)
बट्टे खाते में डालना	30	**-**	0.08
अधिभार निराकरण समायोजन		**-**	-
अन्य–व्यय	31	**30.03**	27.40
कुल व्यय		**570.25**	498.78
विशेष मदों एवं कर तथा अपवादात्मक से पूर्व लाभ/हानि		**34.96**	29.94
समय पूर्व समायोजन (शुल्क/(आय)	32	**5.19**	(0.85)
आपवादिक मद		**-**	-
विशेष मदों तथा आयकर से पूर्व लाभ/हानि		**29.77**	30.79

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

जारी ....

आय	टिप्पणी	31.3.13 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	31.3.12समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)
असाधारण मद (शुल्क / (आय)		-	-
आयकर से पूर्व लाभ / (हानि)		**29.77**	30.79
घटाकर : कर व्यय			
–चालू वर्ष		**28.58**	22.97
–आस्थगित कर		**(23.86)**	(11.76)
–पूर्व वर्ष		-	(0.03)
अवधि के लिए लाभ / हानि		**25.05**	19.61
प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन			
(प्रति शेयर 1000 रू. के अंकित मूल्य पर)			
1. बेसिक (रूपये में)		**1316.00**	1030.00
2. मंदी (रूपये में)		**1316.00**	1030.00
महत्वपूर्ण लेखा नीति	33		
लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी	34		

उपर्युक्त फार्म उल्लेखित टिप्पणी लाभा एवं हानि लेखे का अभिन्न भाग है

ह. / –	ह. / –	ह. / –	ह. / –
(पी. लाजर)	(ए.के.सोनी)	(बी.एन.बासु)	(ए.के.देबनाथ)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह –प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002180 सी

ह. / –
(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक : 10 मई, 2013
स्थान : रांची

तुलन पत्र (जारी ....)

टिप्पणी–1

करोड़ रू. में

	शेयरपूँजी	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित
	अधिकृत			
(i)	1000/–रू. प्रति इक्विटी शेयर वाले 500000 इक्विटी शेयर	**50.00**		50.00
		-		-
		50.00		50.00
	निर्गमित अभिमत एवं चूकता पूँजी			
	(कोल इंडिया नियंत्रक कंपनी तथा इनके मनोनीति के हैं)	**-**		-
	पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर(गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर)	**-**		-
	नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 85392 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 85392 इक्विटी शेयर)	**8.54**		8.54
	ऋण को इक्विटी शेयर में बदल कर होल्डिंग कंपनी को पूर्णतः चूकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 105000 इक्विटी शेयर	**10.50**		10.50
		19.04		19.04
	शेयर होल्डरों के नाम	**शेयर धारक की संख्या (प्रति 1000/–रू. के अंकित मूल्य)**		**सकल शेयरों का प्रतिशत**
	कोल इंडिया लिमिटेड	**190400**		100%

तुलन पत्र (जारी ....)

टिप्पणी–2

करोड़ रू. में

	आरक्षित एवं अधिशेष	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	आरक्षित			
	पूंजीगत रिजर्व			
	गत तुलन पत्र के अनुसार	**12.25**		8.86
	जोड़कर : वर्ष कें दौरान वृद्धि	**0.71**		5.16
	घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	**1.79**		1.77
	(अतिरिक्त टिप्पण– 34 पैरा 50 पूंजीगत रिजर्व)	**11.17**		12.25
	पूंजीगत क्षतिपूर्ति रिजर्व			
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार			
	जोड़ कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-
	घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-		-
	विदेशी विनिमय ट्रान्जक्शन के रिजर्व			
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	-		-
	जोड़ कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-
	घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-		-
		-		-
	सीएसआर रिजर्व			
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	**0.65**		0.38
	जोड़ कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	**0.98**		0.76
	घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	**1.06**		0.49
		0.57		0.65
	सतत् विकास रिजर्व			
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	-		-
	जोड़ कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	**0.10**		-
	घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	-		-
		0.10		-
	सामान्य रिजर्व			
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	**2.67**		2.18
	जोड़ कर : सीएसआर रिजर्व से स्थानान्तरण	**1.06**		0.49
	जोड़ कर/घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-		-
		3.73		2.67
	लाभ एवं हानि लेखे में सरप्लस	-		-
	विगत तुलन–पत्र के अनुसार	**76.31**		57.46
	वर्ष के दौरान कर के उपरांत लाभ/(हानि)	**25.05**		19.61
	विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)	**101.36**		77.07
	घटाकर : विनियोग			
	विदेशी विनिमय ट्रान्जक्शन के लिए रिजर्व	-		-
	सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	-		-
	सीएसआर रिजर्व में स्थानान्तरण	**0.98**		0.76
	सतत् विकास रिजर्व में स्थानान्तरण	**0.10**		-
	अंतरिम लाभांश	-		-
	इक्विटि शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-		-
	कारपोरेट लाभांश कर	-		-
		100.28		76.31
	विविध खर्च			
	(बट्टे खाते में नहीं डाला गया)			
	प्रारंभिक व्यय	-		-
	पूर्व परिचालन व्यय	-		-
		115.85		91.88
	कुल	**115.85**		91.88

तुलन पत्र (जारी ....)

टिप्पणी–3

करोड़ रू. में

	दीर्घकालीन कर्ज	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	टर्म लोन			
	आईबीआरडी	-		-
	जेबीआईसी	-		-
	निर्यात विकास कॉरपोरेशन, कनाडा			
	लाईभेर फ्रांस, एस.ए.फ्रांस			
	कोल इंडिया से ऋण			
	कुल (अ+ब)	-		-
	वर्गीकरण 1			
	सुरक्षित	-		-
	असुरक्षित	-		-
	वर्गीकरण 2			
	निदेशकों तथा अन्य द्वारा ऋण गारंटी			
	ऋण के विवरण	करोड़ रू. में धनराशि		गारंटी की प्रक्रिति
		शून्य		शून्य

तुलन पत्र (जारी ....)

टिप्पणी–4

करोड़ रू. में

	अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि			
	अथ शेष	-		-
	जोड़कर : निधि के निवेश से लाभ	-		-
	जोड़कर : प्राप्त अंशदान	-		-
	घटाकर : उपयोग की गई राशि	-		-
		-		-
	ट्रेड देय			
	प्रतिभूति निक्षेप	-		-
	अन्य (व्यौरेवार प्रकृति)	-		-
	कुल			

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी ....)

टिप्पणी–5

करोड़ रू. में

	दीर्घकालीन प्रावधान	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कर्मचारियों के लिए लाभ			
	ग्रेच्यूटी	**107.27**		98.97
	छुट्टी नकदीकरण	**65.75**		58.10
	अन्य कर्मचारी लाभ	-		13.33
	विदेशी विनिमय ट्रान्जक्शन के लिए(मार्क्ड टू मार्केट)	-		-
	ओबीआर समायोजन लेखा	-		-
	खान बन्दी	-		-
	अन्य के लिए	-		-
	कुल	**173.02**		170.40

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी ....)

टिप्पणी–6

करोड़ रू. में

	अल्पकालीन ऋण	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	बैंक से ऋण	-		-
	मांग के अनुसार प्रतिदेय ऋण			
	कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य अनुषंगियों के साथ शेष			-
	नियत तिथि पर जमा की गई गिरवी के विरूद्ध ओवर ड्राफ्ट			
	अन्य ऋण एवं अग्रिम	-		-
	आस्थगित क्रेडिट	-		-
	कुल	-		-
	वर्गीकरण 1			
	सुरक्षित	-		-
	असुरक्षित	-		-
	वर्गीकरण 2			
	निदेशक तथा अन्य के द्वारा प्रत्याभूत ऋण			
	ऋण के विवरण	करोड़ रू. में धनराशि		गारंटी की प्रकृति
		शून्य		शून्य

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी ....)

टिप्पणी–7

करोड़ रू. में

	व्यापारिक देय	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	राजस्व भंडारों के लिए विविध लेनदार	32.43		33.45
	कुल	32.43		33.45

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी ....)

टिप्पणी–8

करोड़ रू. में

अन्य चालू देयताएँ	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
दीर्घकालीन उधारियों की चालू भुगतान–तिथि			
आईबीआरडी से टर्म लोन	-		-
जेबीआईसी से टर्म लोन	-		-
निर्यात विकास कॉरपोरेशन कनाडा से टर्म लोन	-		-
लाईभेर फ्रांस एस.ए.फ्रांस से टर्म लोन	-		-
कोल इंडिया लिमिटेड से टर्म लोन	-		-
कोल इंडिया से अधिशेष निधि	-		-
	-		-
पूंजी के लिए (स्टोरों सहित)	6.80		5.96
व्यय के लिए			
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	39.16		48.40
विद्युत एवं ईंधन	0.41		0.61
अन्य	61.19		36.50
	107.56		91.47
सांविधिक देय			
विक्रय कर/वैट	-		-
भविष्य निधि तथा पेंशन निधि	14.07		11.17
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-		-
कोयला पर उपकर तथा राजस्व	-		-
धारित उत्पाद शुल्क	-		-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-		-
अन्य सांविधिक उगाहियाँ	4.04		9.93
	18.11		21.10
स्रोत के अनुसार आयकर कटौती	1.53		0.69
प्रतिभूति निक्षेप (जमा)	1.90		1.73
पेशगी राशि	1.72		1.68
ग्राहकों, अन्य से अग्रिम तथा निक्षेप (जमा)	4.65		3.36
व्याज प्राप्ति तथा ऋणों पर देय	-		-
व्याज प्राप्ति लेकिन ऋणों पर देय नहीं	-		-
उपकर समकरण लेखा	-		-
आईआईसीएम के पास चालू लेखा	-		-
अनपेड लाभांश	-		-
राष्ट्रीयकरण से पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-		-
अन्य देयताएँ	91.43		41.40
कुल	226.90		161.43

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी...........)

टिप्पणी–9

करोड़ रू. में

अल्पकालीन प्रावधान	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
कर्मचारियों के लिए लाभ			
–ग्रेच्यूटी	**23.81**		15.27
–छुट्टी नकदीकरण	**10.17**		8.65
–पीपीएलबी	**5.88**		4.75
–पीआरपी (अतिरिक्त टिप्पणी पैरा 34, 7.4)	**137.15**		65.83
–अन्य कर्मचारी लाभ	**18.80**		0.33
प्रस्तावित लाभांश के लिए	**-**		-
कॉरपोरेट लाभांश कर के लिए	**-**		-
कोयले की समाप्त भंडार पर उत्पाद शुल्क के लिए	**-**		-
अन्य के लिए	**0.01**		0.01
कुल	**195.82**		94.84

टिप्पणी–10 अ
अचल परिसम्पत्तियाँ

अतिरिक्त टिप्पणी–34 पारा 4.0

करोड़ रू. में

	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				इम्पेयरमेंट लॉस				कुल मूल्य ह्रास/ क्षतिपूर्ति घाटा	निबल ब्लॉक	
विवरण	1.4.2012 के अनुसार	वर्ष 2012.13 के दौरा वृद्धि	2012–13 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.13 के अनुसार	1.4.2012 के अनुसार	वर्ष 2012–13 के दौरान वृद्धि	2012–13 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.13 के अनुसार	1.4.2012 के अनुसार	वर्ष 2012–13 के दौरान वृद्धि	2012–13 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.2013 के अनुसार		31.3.2013 के अनुसार	31.03.12 के अनुसार
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ															
जमीन															
(क) पूर्ण स्वामित्व	1.15	-	-	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	1.15
(ख) पट्टेदार	2.19	-	-	2.19	0.75	0.04	-	0.79	-	-	-	-	0.79	1.40	1.44
														-	-
भवन/जल आपूर्ति/ रोड एवं पुलिया	42.27	1.16	(1.80)	41.63	14.34	0.73	(0.47)	14.60	-	-	-	-	14.60	27.03	27.93
संयंत्र एवं मशीनरी	104.93	4.69	(-1.24)	108.38	67.26	6.70	(1.19)	72.77	-	-	-	-	72.77	35.61	37.67
दूर संचार															
रेलवे साइडिंग															
फर्निचर तथा फिटिंग/कार्यालय साधन एवं उपकरण/विद्युतीय फिटिंग/अग्निशामक यंत्र	14.47	1.66	(0.19)	15.94	11.13	0.54	(0.12)	11.55	-	-	-	-	11.55	4.39	3.34
वाहन	12.76	-	(0.20)	12.56	6.23	0.92	(0.19)	6.96		-	-	-	6.96	5.60	6.53
एयरक्राफ्ट															
विकास															
राष्ट्रीयकरण के बाद ली गई परिसम्पत्तियाँ															
कुल	177.77	7.51	(3.43)	181.85	99.71	8.93	(1.97)	106.67	-	-	-	-	106.67	75.18	78.06
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ (31.3.12 के अनुसार)	165.93	14.90	(3.06)	177.77	93.98	8.30	(2.57)	99.71	-	-	-	-	99.71	78.06	71.95
इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ															
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	5.20	0.41	-	5.61	5.20	0.41	-	5.61	-	-	-	-	5.61	-	-
विकास														-	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग														-	-
कुल	5.20	0.41	-	5.61	5.20	0.41	-	5.61	-	-	-	-	5.61	-	-
इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ (31.3.12 के अनुसार)	4.05	1.19	(0.04)	5.20	4.05	1.19	(0.04)	5.20	-	-	-	-	5.20	-	-

टिप्पणी–10 (ब)
चालू पूँजीगत कार्य

करोड़ रू. में

	लागत				प्रावधान				इम्पेयरमेंट हानि				कुल मूल्य ह्रास/ इम्पेयरमेंट हानि	निबल ब्लॉक	
विवरण	1.4.12 के अनुसार	वर्ष 2012–13 के दौरान वृद्धि	2012–13 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.13 के अनुसार	1.4.12 के अनुसार	वर्ष 2012–13 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2012–13 में समायोजन /विक्रय / स्थानान्तरण	31.3. 13 के अनुसार	1.4.12 के अनुसार	वर्ष 2012–13 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2012–13 में समायोजन/ बिक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.13 के अनुसार		31.3.13 के अनुसार	31.3.12 के अनुसार
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ															
भवन/जलापूर्ति/ रोड एवं पुलिया	4.08	1.27	(1.65)	3.70				-	-	-	-	-	-	3.70	4.08
संयंत्र एवं मशीनरी	6.97	2.96	(2.80)	7.13	0.03		(0.03)	-	-	-	-	-	-	7.13	6.94
								-							
रेलवे साईडिंग															
विकास															
अन्य															
कुल	11.05	4.23	(4.45)	10.83	0.03	-	(0.03)	-	-	-	-	-	-	10.83	11.02
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ (31.3.12 के अनुसार)	5.16	18.73	(12.84)	11.05	0.03			0.03	-	-	-	-	0.03	11.02	5.13
सर्वे आफ परिसम्पत्तियाँ	10.08	0.06	(9.60)	0.54	9.58		(9.58)	-					-	0.54	0.50
सर्वे आफ परिसम्पत्तियाँ (31.3.12 के अनुसार)	10.12	2.60	(2.64)	10.08	9.61	2.48	(2.51)	9.58					9.58	0.50	0.51
सकल योग	21.13	4.29	(14.05)	11.37	9.61	-	(9.61)	-	-	-	-	-	-	11.37	11.52
कुल योग (31.3.12 के अनुसार)	15.28	21.33	(15.48)	21.13	9.64	2.48	(2.51)	9.61	-	-	-	-	9.61	11.52	5.64

टिप्पणी– 10 (सी)
विकासाधीन इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ

करोड़ रू. में

	लागत				प्रावधान				क्षतिपूर्ति घाटा				कुल	निबल ब्लॉक	
विवरण	1.4.12 के अनुसार	वर्ष 12–13 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2012–13 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.03.13 के अनुसार	1.4.12 के अनुसार	वर्ष 2012–13 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2012–13 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.13 के अनुसार	1.4.12 के अनुसार	वर्ष 12–13 के दौरान वृद्धि	वर्ष 12–13 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.13 के अनुसार	मूल्य ह्रास/ क्षतिपूर्ति घाटा	31.3.13 के अनुसार	31.3.12 के अनुसार
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ															
विकास															
पूर्ववेक्षण एवं वेधन															
31.3.12 को समाप्त वर्ष के अनुसार															
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ															

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी...............)

टिप्पणी–11

करोड़ रू0 में

गैर चालू निवेश–लागत पर अनुद्धृत	शेयरों / अनुबंध पत्र / प्रतिभूति / चालू वर्ष / (विगत वर्ष) की संख्या		प्रति शेयर अंकित मूल्य / अनुबंध पत्र / प्रतिभूति चालू वर्ष (विगत वर्ष)		**31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)**		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
व्यवसाय							
8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबन्ध पत्र							
(पूर्ण रूप से भुगतान किया हुआ)							
(विविध देनदारों के प्रत्याभूति पर)							
अधिकांशः राज्य–वार विघटित	-		-		-		-
उत्तर प्रदेश	-		-		-		-
हरियाणा	-		-		-		-
महाराष्ट्र	-		-		-		-
मध्य प्रदेश	-		-		-		-
गुजरात	-		-		-		-
प.बंगाल	-		-		-		-
अन्य							
संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों में इक्विटी शेयर	-		-		-		-
(संयुक्त कंपनियों के नाम सहित)							
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर	-		-		-		-
(अनुषंगीयों के नाम सहित)							
अन्य (को–ऑपरेटिव) में शेयर	-		-		-		-
अव्यवसायिक							
7.55 प्रतिशत अविनिमय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध पत्र 2.21 अनुक्रम	-		-		-		-
कुल					-		-
उद्धृत निवेश का संकलन					-	-	-
अनुद्धृत निवेश का संकलन					-	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य					-	-	-
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए निर्मित व्यवस्था					-	-	-

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी ....)

टिप्पणी–12

करोड़ रू0 में

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण		
अग्रिम		
पूंजी के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.03	0.03
–संदिग्ध	-	-
	0.03	0.03
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	0.03	0.03
राजस्व के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
–संदिग्ध	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-
–प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.12	0.12
–संदिग्ध	-	-
	0.12	0.12
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	0.12	0.12
पीएंडटी बिजली इत्यादि के लिए जमा		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.44	0.44
–संदिग्ध	-	-
	0.44	0.44
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध ऋण प्राप्ति योग्य व्यवसाय हेतु प्रावधान	-	-
	0.44	0.44
कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण		
भवन के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.15	0.25
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	0.15	0.25
मोटर कार तथा अन्य वाहन के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
अन्य के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
सहायक कंपनियों को ऋण		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
कुल	0.74	0.84

टिप्पणी

	इति शेष		किसी समय पर देय अधिकम राशि	
	31.3.13 के अनुसार	31.3.12 के अनुसार	2012–13 के दौरान	2011–12 के दौरान
समरूप प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी ....)

टिप्पणी–13

करोड़ रू. में

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
प्राप्ति योग्य दीर्घकालीन व्यवसाय		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
गवेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य प्राप्ति योग्य		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.02	0.02
–संदिग्ध	-	-
	0.02	0.02
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान	-	-
	0.02	0.02
कुल	0.02	0.02

टिप्पणी

	इतिशेष		**किसी समय पर देय अधिकतम राशि**	
	31.3.13 के अनुसार	31.3.12 के अनुसार	2012–13 के दौरान	2011–12 के दौरान
समरूप प्रबंधन के अधीन कंपनियाँ द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक(कों) सम्बद्ध है/हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी..........)

टिप्पणी –14

करोड़ रू. में

चालू निवेश में उद्धृत / अनुद्धृत लागत पर	शेयरों / अनुबंध पत्र / प्रतिभूति / चालू वर्ष / (विगत वर्ष) की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य / अनुबंध पत्र / प्रतिभूति चालू वर्ष / (विगत वर्ष)	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
अव्यावसायिक				
म्यूचूअल फंड निवेश	-	-	-	-
(म्यूचूअल फंड के नाम सहित)				
7.55 प्रतिशत अविनिमय आईआरएफसी करमुक्त अनुबंध पत्र 2021 अनुक्रम				
व्यवसाय				
8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध पत्र (पूर्णतः भुगतान किया हुआ)				
(संडरी टेब्टर्स का प्रतिभूतिकरण				
अधिकांशतः राज्यवार विघटित				
कुल :			-	-
उद्धृत निवेश का पूर्ण योग			-	-
अनुद्धृत निवेश का पूर्ण योग			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
अनुद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए निर्मित प्रावधान				

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी ....)

टिप्पणी –15

करोड़ रू. में

	वस्तु सूची (लेखा नीति संख्या 5.1 टिप्पणी–33 के अनुसार मूल्य निर्धारण)	**31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)**		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कोयले का भंडार	-		-
	विकास के अधीन कोयला	-		-
	घटाकर : प्रावधान	-		-
क.	**कोयले का भंडार (निबल)**	-		-
	स्टोरों का भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों (लागत पर)	6.24		7.03
	स्टोर : मार्गस्थ	0.13		0.07
	घटाकर : प्रावधान (अतिरिक्त टिप्पणी 34 पैरा 2.1.2	0.33		0.33
ख.	**भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जों का शुद्ध भंडार(लागत पर)**	6.04		6.77
ग.	**वर्कशॉप जॉब**			
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	-		-
	घटाकर : प्रावधान	-		-
	वर्कशॉप जॉब का शुद्ध भंडार	-		-
घ.	**प्रेस**			
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	-		-
ड.	**सेंट्रल अस्पताल में दवाइयों का भंडार**	-		-
च.	**पूर्ववेक्षण तथा वेधन/विकासात्मक व्यय/कोल ब्लॉकों के सामान**	-		-
	विक्रय हेतु			
	कुल (क से च)	6.04		6.77

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी..........)

टिप्पणी –16

करोड़ रू. में

व्यावसायिक प्राप्य		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
भुगतान तिथि से छह माह से अधिक समय का बकाया ऋण				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		**69.78**		78.73
–संदिग्ध		**3.11**		2.72
		72.89		81.45
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान		**3.11**		2.72
		69.78		78.73
अन्य बकाया ऋण				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान				-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		**254.02**		168.19
–संदिग्ध		-		-
		254.02		168.19
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान		-		-
		254.02		168.19
कुल		**323.80**		246.92

टिप्पणी

	इतिशेष		किसी भी समय देय अधिकम राशि	
	31.3.13 के अनुसार	31.3.12 के अनुसार	2012–13 के दौरान	2011–12 के दौरान
एक ही प्रबंधन के अंतर्गत कंपनियों से बकाया				
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	**20.76**	17.77	21.43	17.77
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	**39.18**	16.52	43.93	24.10
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	**38.83**	66.77	66.77	66.77
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	**15.67**	3.80	15.88	21.97
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	**61.09**	24.70	69.47	71.68
नादर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	**15.50**	17.72	18.56	29.62
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	**22.48**	16.49	27.97	27.48
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स	**0.52**	0.94	1.36	4.13
ककरी सीएचपी (एनसीएल)	**0.14**	0.14	0.14	0.14
दानकुनी कोल कम्पलेक्स (सीआईएल)	**0.02**	0.02	0.02	0.02
भरतपुर सीएचपी,(एमसीएल)	**0.01**	0.01	0.01	0.01
सीआईएल कोलकाता	**41.33**	30.09	41.33	30.09
एमजेएसजे कोल कंपनी लि0	**0.24**	0.24	0.24	0.24
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	**0.29**	0.12	0.29	0.12
कुल	**256.06**	**195.33**	**307.40**	**294.14**
पार्टियों से बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक (को) से सम्बद्ध है (हैं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी ....)

टिप्पणी –17

करोड़ रू. में

	नकद एवं तुल्यमान नकद	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	नकद एवं तुल्यमान नकद			
	अनुसूचित बैंक के पास शेष			
	–एसबीआई लाभांश लेखा(अमुक्त/अस्वाभाविक लाभांश लेखा)			
	–तीन महीने से भुगतान तिथि तक के साथ जमा खाते में	-		-
	–चालू खाते में	**117.71**		60.13
	–नकद जमा खाते में	-		-
	अनुसूचित बैंक के पास शेष			
	भारत से बाहर के बैंको के पास खाते में	-		-
	मार्गस्थ भेजी गई रकम	-		-
	चेक डाफ्ट एवं हाथे टिकट	**0.01**		0.01
	नकद हाथे में	**0.07**		0.05
	पुनःस्थापन तथा स्थानान्तरण के अंतर्गत अनुसूचित बैक के पास जमा तीन महीने से भुगतान तिथि तक निधि योजना	-		-
	अन्य बैंक शेष			
	अनुसूचित बैंक के पास शेष			
	– तीन महीने से अधिक के भुगतान तिथि के साथ जमा खाते में	**0.10**		1.02
	पुनः स्थपन तथा स्थानान्तरण के अंतर्गत अनुसूचित बैंक के पास जमा तीन महीने से अधिक के भुगतान तिथि तक के साथ निधि योजना	-		-
	माइन क्जोजर प्लान स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित बैंक के पास जमा	-		-
	कुल	**117.89**		61.21
	वर्ष के दौरान किसी भी समय अनुसूचित बैंकों के अलावे अन्य बैंकों के साथ बकाया अधितकम लेखा	-		-
	टिप्पणी			
1	सीमान्त राशि अथवा उधारी के एवज में सुरक्षा, गारंटियाँ अन्य जिम्मेदारियों के रूप में रखे गए बैंक में जमा, अन्य चिन्हित जमा अलग से दिखाये जाएंगें	**0.19**		0.11
2	नकद तथा बैंक बैलेंस के संदर्भ में प्रत्यावर्तन प्रतिबंध, यदि कोई हो, तो अलग से नियत किए जाएंगें	शून्य		शून्य
3	बारह (12) महीने से अधिक के भुगतान तिथि (मिच्यूरिटी) सहित बैंक जमा	शून्य		शून्य
4	निबल लेखा(इस्क्रो) में रहना	शून्य		शून्य

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी..........)

टिप्पणी –18

करोड़ रू. में

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण		
अग्रिम		
(नकद वसूली योग्य या उसी रूप में या प्राप्ति योग्य मूल्य)		
आपूर्तिकर्त्ता को पेशगी		
राजस्व के लिए		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.24	0.45
–संदिग्ध	-	-
	0.24	0.45
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	-	-
	0.24	0.45
	0.24	0.45
सांविधिक बकाया या अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.10	0.09
–संदिग्ध	-	-
	0.10	0.09
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	-	-
	0.10	0.09
अग्रिम आयकर/स्रोत पर काटा गया कर (संदर्भ अतिरिक्त टिप्पणी 34 पारा 6.0)	134.23	96.59
घटाकर : आयकर के लिए प्रावधान	86.58	58.00
	47.65	38.59
अन्य		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.86	0.92
–संदिग्ध	-	-
	0.86	0.92
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान	-	-
	0.86	0.92
	48.61	39.60
कर्मचारियों के लिए अग्रिम		
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	43.94	0.92
–संदिग्ध	-	-
	43.94	0.92

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम		31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		-		-
		43.94		0.92
कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा		-		17.93
अनुषंगियों के साथ ऋण लेखा				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–संदिग्ध		-		-
		-		-
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		-		-
		-		-
प्राप्ति योग्य दावे				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		39.25		34.86
–संदिग्ध		0.16		0.16
		39.41		35.02
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		0.16		0.16
		39.25		34.86
पूर्वदत्त व्यय		0.39		0.22
		83.58		53.93
कुल		132.43		93.98

टिप्पणी

	इतिशेष		किसी भी समय के दौरान अधिकम देय राशि	
	31.3.13 के अनुसार	31.3.12 के अनुसार	2012–13 के दौरान	2011–12 के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	शून्य	17.93	शून्य	22.19
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी..........)

टिप्पणी –19

करोड़ रू. में

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
ब्याज उपार्जित			
–निवेश	-		-
–बैंकों में जमा	-		-
–अन्य	-		-
पूर्व स्वामी का खाता	-		-
अन्य अग्रिम	-		-
घटाकर : प्रावधान			
जमा			
सीमा शुल्क के लिए जमा, पत्तन देय इत्यादि	-		-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास जमा	-		-
रॉयल्टी के लिए जमा, उपकर तथा विक्रयकर	-		-
घटाकर : प्रावधान	-		-
अन्य	**0.05**		0.05
घटाकर : प्रावधान	-		-
भूतपूर्व कोल बोर्ड की ओर से लेन–देन हेतु भारत सरकार से प्राप्त रकम	-		-
घटाकर : प्रावधान	-		-
अन्य प्राप्ति	-		-
घटाकर : प्रावधान	-		-
कुल	**0.05**		0.05

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी..........)

टिप्पणी –20

करोड़ रू. में

प्रचालन से राजस्व	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
कुल विक्रय	**675.11**		577.83
घटाकर : उगाहियाँ			
उत्पाद शुल्क	-		-
रायल्टी	-		-
कोयला पर उपकर	-		-
उत्पाद शुल्क धारिता	-		-
केंद्रीय विक्रय कर	-		-
शुद्ध ऊर्जा उपकर	-		-
राज्य विक्रय कर/वैट	-		-
अन्य उगाहियाँ(सेवाकर)	**74.06**		53.80
कुल उगाहियाँ	**74.06**		53.80
प्रचालनों से राजस्व(वास्तविक विक्रय)	**601.05**		524.03

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी.........)

टिप्पणी –21

करोड़ रू. में

अन्य आय	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
दीर्घकालीन निवेश से आय			
संयुक्त जोखिम से लाभांश	**-**		-
अनुषंगियों से लाभांश	**-**		-
सरकारी प्रतिभूति से ब्याज			
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध–पत्र)(व्यवसाय)	**-**		-
चालू निवेश से आय			
म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश	**-**		-
सरकारी प्रतिभूति से ब्याज			
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध–पत्र)(व्यवसाय)	**-**		-
7.55 प्रतिशत अविनिमेय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध–पत्र 2021 अनुक्रम(अव्यवसायिक)	**-**		-
अन्य से आय			
ब्याज (सकल)			
बैंक के पास जमा से	**0.21**		0.59
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	**0.02**		0.03
आयकर प्रत्यपर्ण से	**1.17**		-
कोल इंडिया से	**-**		-
अन्य	**-**		0.03
शीर्ष शुल्क			
चालू भराई तथा बचाव कार्य के लिए आर्थिक सहायता	**-**		-
परिसम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ	**0.19**		0.29
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	**-**		-
विदेशी विनियम मामलों से प्राप्ति	**-**		-
विनिमय दर विविधता	**-**		-
पट्टा (लीज) (किराया)	**-**		-
देयताओं से सही समय पर वापसी	**-**		-
अनुषंगियों से गारंटी शुल्क	**-**		-
अन्य अप्रचालनीय आय	**-**		-
	2.57		3.75
कुल	**4.16**		4.69

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी..........)

टिप्पणी –22

करोड़ रू. में

उपभोग की गई सामग्री की लागत	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
विस्फोटक	**-**		-
इमारती लकड़ी	**-**		-
पीओएल	**6.06**		5.19
अतिरिक्त एचईएमएम	**-**		-
अन्य उपभोग्य भंडार एवं अतिरिक्त	**9.22**		11.48
कुल	**15.28**		16.67

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी.........)

टिप्पणी –23

करोड़ रू. में

	तैयार मालों की सूची में परिवर्त्तन, चालू कार्य तथा व्यवसायिक स्टाक	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कोयला का ओपनिंग स्टॉक	-		-
	जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-		-
	घटाकर : कोयले का अपकर्ष	-		-
	घटाकर :			
	कोक/ कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-		-
	घटाकर : कोयले का अपकर्ष	-		-
क.	वस्तु की सूची में परिवर्त्तन			
	वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईटी का ओपनिंग स्टॉक	-		-
	घटाकर : प्रावधान	-		-
	घटाकर :			
	वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईटी का क्लोजिंग स्टॉक	-		-
	घटाकर : प्रावधान	-		-
ख.	वर्कशॉप के वस्तुसूची में परिवर्त्तन			
	ओपनिंग जॉब पर बल देना			
	i) तैयार माल	-		-
	ii) चालू कार्य	-		-
	घटाकर :			
	क्लोजिंग जॉब पर बल देना			
	i) तैयार माल	-		-
	ii) चालू कार्य	-		-
ग.	प्रेस के कार्यो द्वारा तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईटी के क्लोजिंग स्टॉक की सूची में परिवर्त्तन			
	स्टॉक आफ ट्रेड की सूची में परिवर्त्तन	-		.
	(क+ख+ग)			
	[अवमूल्यन/(अभिवृद्धि)]			

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी..........)

टिप्पणी –24

करोड़ रू. में

कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
वेतन, मजदूरी, यात्रा, बोनस एवं सुविधाएँ	**197.43**		181.37
कृपानुदान	**6.87**		5.88
पीआरपी	**27.70**		24.53
भविष्य निधि में अंशदान एवं अन्य निधि	**26.92**		22.69
ग्रेच्यूटी	**19.40**		34.53
छुट्टी नकदीकरण	**20.50**		20.76
स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति			-
कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति			-
चिकित्सा व्यय	**6.03**		5.40
विद्यालय एवं संस्थानों को अनुदान	**0.09**		0.07
खेलकूद एवं मनोरंजन	**0.33**		0.33
कैंटीन एवं क्रेच	**0.15**		0.13
विद्युत टाऊनशिप	**2.49**		2.05
बस अम्बुलेंस आदि का भाड़ा शुल्क	**0.23**		0.19
अन्य कर्मचारी सुविधाएँ	**59.58**		42.15
कुल	**367.72**		340.08

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी.........)

टिप्पणी –25

करोड़ रू. में

कल्याणकारी खर्चे	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च	**16.55**		1.35
सीएसआर खर्चे	**1.06**		0.49
पर्यावरणीय खर्चे	**0.10**		0.10
वृक्षारोपण			-
अन्य खर्चे	**1.66**		1.54
कुल	**19.37**		3.48

तुलन पत्र से संबंधित टिप्पणी (जारी.........)

टिप्पणी –26

करोड़ रू. में

मरम्मती	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
भवन	**5.40**		3.57
संयंत्र एवं मशीनरी	**1.58**		1.07
अन्य	**6.60**		4.97
कुल	**13.58**		9.61

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी ....)

टिप्पणी –27

करोड़ रू. में

संविदात्मक व्यय	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
परिवहन परिव्यय			
–बालू	-		-
–कोयला तथा कोक	-		-
–स्टोर एवं अन्य इत्यादि	-		-
–वैगन लदाई	-		-
–पी एवं एम को किराये पर लेना	-		-
–अन्य संविदात्मक कार्य	**114.13**		93.00
कुल	**114.13**		93.00

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी.............)

टिप्पणी –28

करोड़ रू. में

वित्तीय लागत	**31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)**		**31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)**
ब्याज			
आस्थगित भुगतान	-		-
बैंक ओवर ड्राफ्ट/नकद जमा	-		-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-		-
सीआईएल निधि ब्याज ऋण	-		-
अनुषंगियों से ब्याज	-		-
अन्य	0.09		-
कुल (अ)	0.09		-
अन्य उधारी लागत			
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी फीस	-		-
अन्य व्यय/बैंक शुल्क	-		-
कुल (ब)	-		-
कुल (अ+ब)	0.09		-

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी.............)

टिप्पणी –29

करोड़ रू. में

प्रावधान	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
(क) निम्नलिखित के लिए किए गए प्रावधान			
संदिग्ध ऋण	-		-
संदिग्ध एवं अग्रिम एवं दावे	-		-
विदेशी विनिमय मामले	-		-
भंडार एवं अतिरिक्त	-		-
भूमि/खदान संवृति खर्चों का उद्धार	-		-
स्थिर परिसम्पत्तियों/डब्ल्यूआईपी पूँजी का सर्वे आफ	-		-
अन्य	**0.39**		-
कुल (क)	**0.39**		-
(ख) प्रावधान की समाप्ति			
संदिग्ध ऋण	-		0.27
संदिग्ध एवं अग्रिम एवं दावे	-		-
भंडार एवं अतिरिक्त	-		0.23
भूमि का उद्धार	-		-
स्थिर परिसम्पत्तियों/डब्ल्यूआईपी पूँजी का सर्वे आफ	-		-
अन्य	-		0.02
कुल (ख)	-		0.52
कुल (क+ख)	**0.39**		(0.52)

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी ....)

टिप्पणी –30

करोड़ रू. में

बट्टे खाते डालना	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
संदिग्ध ऋण	-		0.08
संदिग्ध अग्रिम	-		-
अन्य	-		-
कुल	-		0.08

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी..............)

टिप्पणी –31

करोड़ रू. में

अन्य व्यय	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
यात्रा व्यय			
–घरेलू (देश के अंदर)	**12.25**		11.91
–विदेशी	**0.68**		0.85
प्रशिक्षण व्यय	**0.40**		0.38
दूरभाष एवं डाक–खर्च	**0.61**		0.62
विज्ञापन एवं प्रचार	**0.66**		1.19
ढुलाई भाड़ा	-		0.02
विलम्ब शुल्क	-		-
चन्दा/अंशदान	-		-
सुरक्षा व्यय	**4.77**		4.47
सीआईएल का सर्विस शुल्क	-		-
किराया शुल्क	**2.29**		1.93
सीएमपीडीआई व्यय	-		-
वैधानिक खर्च	**0.23**		0.38
बैंक शुल्क	**0.04**		0.05
अतिथि गृह व्यय	**0.05**		0.05
परामर्श शुल्क	**1.29**		0.41
लदाई के अंतर्गत शुल्क	-		-
विक्रय में घाटा/अलग कर देना/परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण	-		-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय			
अंकेक्षण पारिश्रमिक के लिए	**0.03**		0.03
कराधान मामलों के लिए	**0.01**		0.01
कंपनी के विधि विषयों के लिए	-		-
प्रबंधन सेवाओं के लिए	-		-
अन्य सेवाओं के लिए	**0.12**		0.07
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-		-
आंतरिक अंकेक्षण व्यय	**0.36**		0.34
पुनः स्थापना शुल्क	-		-
रॉयलटी तथा उपकर	-		-
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-		-
किराया	**0.63**		0.55
दर एवं कर	**0.58**		0.34
बीमा	**0.01**		0.01
विनिमय दर विसंगति पर घाटा	-		-
लीज किराया	-		-
बचाव/सुरक्षा खर्चे	-		-
निष्क्रिय किराया/सतही किराया	-		-
साइडिंग रख–रखाव शुल्क	-		-
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	**0.01**		-
विविध व्यय	**5.01**		3.79
कुल	**30.03**		27.40

लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ (जारी).............

टिप्पणी –32

करोड़ रू. में

अपवादात्मक मद	31.3.13 के अनुसार (अंकेक्षित)		31.3.12 के अनुसार (अंकेक्षित)
पूर्व अवधि समायोजन			
(क) व्यय			
यात्रा व्यय	-		-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	-		(0.08)
संविदात्मक व्यय	-		(0.08)
अन्य खर्चें	-		(0.21)
कुल (क)	-		(0.37)
(ख) आय			
सेवाओं की बिक्री	**(5.19)**		0.48
कुल (ख)	**(5.19)**		0.48
कुल (क+ख)	**5.19**		(0.85)

टिप्पणी–33

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति

महत्वपूर्ण लेखा नीति

(31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखे का भाग है)

1.0 लेखागत परिपाटी :

यदि कोई अन्यथा उल्लेख न हो, तो वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रासांगिक (सम्बद्ध) प्रावधान के साथ–साथ उनके तहत अधिसूचित लेखा मानक के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखा के वास्तविक (एक्यूरल) आधार तथा चालू संस्थागत अवधारणा (गोईंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान

2.1 पूँजीगत लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को उस सम्बद्ध परिसंपति की लागत से काट लिया जाता है जिससे वे संबंधित है। वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रकम, यदि कोई हो, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

2.2 राजस्व लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट किया गया है तथा व्यय को संबंधित शीर्ष के तहत डेबिट किया जाता हैं

2.3 कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सरकार से प्राप्त सहायता/अनुदान

2.3.1 कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायकता/अनुदान एवं परिसम्मपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यह्रास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है।

2.3.2 नोडल/कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में प्राप्त अनुदान/फंड प्राप्ति एवं अदायगी के आधार पर लेखे में लिया जाता है।

3.0 अचल परिसम्पत्तियाँ

3.1 भूमि :

भूमि के मूल्य में अधिग्रहण की लागत और संबंधित विस्थापितों के लिए हुए पुर्नस्थापन लागत तथा आर्थिक पुर्नवास उस पर किए गए खर्च शामिल है। भू–अधिग्रहण पर किए गए अन्य खर्च जैसे नियोजन के बदले क्षतिपूर्ति को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

3.2 संयंत्र एवं मशीनरी

3.2.1 संयंत्र एवं मशीनरी में इसके निर्माण/संस्थापन तथा उनके अभिष्ट इस्तेमाल के लिए ठीक ढंग से काम करने हेतु किये गये अन्य खर्च शामिल है।

4.0 निवेश

चालू निवेश को तुलन पत्र की तिथि के अनुसार न्यूनतम लागत पर एवं वास्तविक मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है। म्यूच्युअल फंड में निवेश को चालू निवेश के रूप में माना गया है। गैर चालू निवेश को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

5.0 वस्तु सूची

5.1 भंडार एवं पार्टपुर्जे

5.1.1 सेंट्रल स्टोर के मूल्यांकित स्टोर लेजर में दर्ज शेष के अनुसार तथा कोलियरी/इकाई में पड़े भंडारों के प्रत्यक्ष जाँच के आधार पर लेखे में स्टोर तथा पार्ट–पूर्जों के इतिशेष भंडार पर विचार किया गया है।

5.1.2 सेंट्रल तथा एरिया स्टोर के स्टोरों तथा पुर्जों के भंडार को भारित औसत प्रणाली के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया गया है। कोलियरी/सब स्टोर/ड्रिलिंग कैम्प/उपभोग करने वाले केंद्र पर पड़े स्टोरों तथा पार्ट–पुर्जों जिन्हें शुरूआत में प्रभार रहित (चाटर्ड ऑफ) कर दिया गया था, को एरिया स्टोर के निर्गम मूल्य, लागत/प्राकलित लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

5.1.3 समानों एवं अतिरिक्त पुर्जों में खुले औजार भी शामिल हैं।

5.1.4 जो स्टोर मरम्मत योग्य नहीं है, क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हों, के लिए 100 प्रतिशत की दर से तथा जिन स्टोरों तथा अतिरिक्त पुर्जों को 5 और इससे अधिक वर्षों से संचालित नहीं किया गया है, के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

5.1.5 लेखन सामग्री (प्रिन्टिंग प्रेस में पड़े हुए को छोड़कर) ईट, बालू दवा (सेंट्रल अस्पताल में स्थित), को छोड़कर वायुयान के पुर्जे तथा स्क्रेप को वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया गया है।

6.0 मूल्य ह्रास

6.1 दूर संचार उपकरण तथा फोटोकापी मशीन जिन्हें उनके तकनीकी आकलित जीवन के आधार पर उच्चतर दर पर प्रभारित किया गया है, को छोड़कर अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 (यथा संसोधित) की अनुसूची xiv में उल्लिखित दर पर एवं ढंग से सरल रेखा प्रणाली पर किया जाता है जो इस प्रकार है :

दूर संचार उपकरण	:	15.83 प्रतिशत प्रतिवर्ष 10.53 प्रति वर्ष
फोटो कापी मशीन	:	10.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष

अर्थ साइन्स म्यूजियम तथा हाई वैल्यूम सेम्पलर तथा रेस्पेरेटरी डस्ट को उनके तकनीकी रूप से आकलित जीवन के आधार पर क्रमशः 5.15 प्रतिशत तथा 33.33 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया गया है।

कुछ उपकरणों/एचईएमएम पर मूल्यह्रास को तकनीकी रूप से आकलित उनके जीवन काल से अधिक दर जैसे यथा प्रयोज्य 11.88 प्रतिशत, 13.57 प्रतिशत तथा 15.83 प्रतिशत पर प्रभारित किया गया है। तकनीकी आकलन के आधार पर एसडीएम तथा मूलएचडी (उपकरण) पर मूल्यहा्स क्रमशः 19 प्रतिशत तथा 15.83 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर प्रभारित किया गया है।

प्रतिवर्ष 100 प्रतिशत मूल्यह्रास वाली (एसएलएम के आधार पर) परिसम्मपतियाँ जिसे उनके शामिल किए वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास कर दिया जाता है, को छोड़कर विवेच्य वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को जोड़े गए/निपटाए गए माह के संदर्भ में यथा अनुपातिक (प्रो राटा) आधार पर किया जाता है। 100 प्रतिशत मूल्यह्रास वाली परिसम्पत्तियाँ को जिस वर्ष में उनका पूर्णत् मूल्यह्रास कर दिया जाता है, उसकी समाप्ति के दो वर्ष के बाद उन्हें परिसम्पत्तियों से वापस कर लिया जाता है। उसकी समाप्ति के दो वर्ष के बाद उन्हें परिसम्पत्तियों से वापस कर लिया जाता है।

7.0 परिसम्पत्तियों की क्षति

इमपेयरमेंट हानि की वहाँ पहचान की जाती है, जहाँ परिसम्पत्तियों की कैरिंग रकम वसूली योग्य रकम से अधिक हो तथा इसकी पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में की जाती है तथा परिसम्पत्तियों के कैरिंग रकम को वसूली योग्य रकम में से घटा दिया जाता है।

पूर्व के वर्षों में पहचान की गई इम्पेयरमेंट हानि की उत्क्रमण/निराकरण को तब दर्ज किया जाता है, जब वहाँ एक संकेत हो कि परिसम्पत्तियेां के लिए पहचान की गई इमपेयरमेंट क्षति लम्बे समय तक विद्यमान नहीं रहे या समाप्त हो चुका हो।

8.0 विदेशी मुद्रा में विनिमय

8.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन के षेश को तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित दर पर परिवर्तित किया जाता है तथा संगत प्रभाव को संबंधित लेखे में दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूरे किए गए लेन–देन (ट्रांजेक्शन) को वास्तविक आधार पर समायोजित किया जाता है।

8.2 आगामी तिथि में निपटाए जाने (सेटल) वाले क्रास कन्ट्रीस्वैप आप्शन कान्ट्रेक्ट्स के तहत आने वाले अन्डर लेईंग फारेन करेंसी के लेन–देन की पहचान तुलन पत्र की तिथि के प्रचलित दर पर की गई है। इस प्रकार के संविदा के कारण पड़ने वाले प्रभाव की गणना निपटाए जाने की तिथि पर की गई है।

9.0 सेवा–निवृत्ति लाभ/कर्मचारियों के अन्य लाभ

क) निर्धारित (परिभाषित) अंशदान योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भविष्य–निधि तथा पेंशन फंड लाभ के लिए अंशदान योजना निर्धारित की है। इस तरह के भविष्य–निधि कोष तथा पेंशन कोष का रख–रखाव तथा संचालन कोयला खान भविष्य–निधि (सीएमपीएफ) प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

इस योजना के नियम के अनुसार इस लाभ के फंड के लिए कंपनी को सीएमपीडीआई प्राधिकारियों को पे–रोल कास्ट का एक विहित (निर्धारित) प्रतिशत योगदान करना अपेक्षित है।

ख) कर्मचारियों के अन्य लाभ

कर्मचारियों के अन्य लाभ जैसे एलटीसी/एलएलटीसी के कारण होने वाले लाभ, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट एलाउएन्स, सेवा–निवृत अधिकारियों का चिकित्सा लाभ तथा खान दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति आदि को तुलन पत्र की तिथि पर देयताओं को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड प्रयोग कर वास्तविक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

10.0 आय एवं व्यय की पहचान

आय एवं व्यय को प्रायः वास्तविक (एक्यूअरियल) आधार पर पहचाना जाता है तथा सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.1 बिक्री

(क) बिक्री से संबंधित राजस्व की पहचान वहाँ की जाती है, जहाँ माल (गुड्स) के रूप में सम्पत्ति के साथ–साथ मालिक की जोखिम तथा प्रतिफल क्रेताओं को हस्तांतरित किया जाता है।

(ख) राजस्व की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ वसूली (कॉलेकशन) की पर्याप्त सुनिश्चितता हो। दूसरी ओर, राजस्व की पहचान स्थगित कर दी जाती है यदि प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता का अनुमान लगाया गया हो।

11.0 कराधान

चालू आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बनाया गया है। एक अवधि में उत्पन्न कर योग्य आय तथा लेखा आय में अंतर होने से समय अवधि के आधार पर प्रुडेंस पर किए गए विचार के अनुसार आस्थगित कर देयता तथा परिसम्पत्तियों की पहचान यथोचित ढंग से इन्टेक्टेड टैक्स रेट पर की गई है।

12.0 प्रावधान

वित्तीय प्रावधान के पहचान (रिकोगनाइज) तब की जाती है जब कोई उद्यम के पास विगत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व (ओब्लिगेशन) हो। यह हो सकता है कि आर्थिक लाभ सम्मिलित करने वाले संसाधन का आउटफ्लो को सेटल किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। प्रावधान को वर्तमान मूल्य से काटा नहीं जाता है तथा इसे तुलन पत्र तिथि पर दायित्व (ओवेलेगेशन) को सेटल करने केलिए अपेक्षित सर्वोत्तम आकलन के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

13.0 आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व (ओबिलगेशन) है जो विगत की घटना (इवेंट) से उत्पन्न होता है तथा उसका निष्पादन (एक्ससाइज) जिसकी संपुष्टि एक या अधिक अनिश्चित आगामी घटनाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा

13.1 आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो किसी उद्यम के पूर्णतः नियंत्रण में न रह सकने वाले एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटना के होने या न होने से संपुष्ट किया जाएगा या वर्तमान दायित्व जो विगत की घटना से उत्पन्न होता है लेकिन उसकी पहचान नहीं की गई है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ स्वीकार करने वाले संसाधन के आउटफ्लो की आवश्यकता दायित्व के निराकरण करने की होगी या दायित्व के रकम को विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता।

14.0 पूर्व अवधि समायोजन तथा पूर्वदत्त खर्च

पूर्व अवधि या पूर्वदत खर्च से संबंधित आय व्यय जो प्रत्येक मामले में 0.10 करोड़ से अधिक नहीं है, को वर्तमान वर्ष का आय/व्यय माना जाएगा।

टिप्पणी– 34

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी

(31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखे का भाग)

1.0 अचल परिसम्पत्तियाँ एवं मूल्यह्रास

1.1 अचल परिसम्पत्तियाँ

01.01.1975 को नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के पुनर्गठन होने पर इससे प्राप्त परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का कानूनी हस्तांतरण होना अभी बाकी है।

1.1.2 कंपनी ने बीसीसीएल टाउनशिप, धनबाद में 3.8 करोड़ रूपए (गत वर्ष 3.80 करोड़) तथा एनसीएल टाउनशीप, सिंगरौली में 4.20 करोड़ रूपये (गत वर्ष 4.20 करोड़ रूपए) के वैसी जमीन पर मकान एवं कार्यालय बनवाए हैं, जो नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के हैं।

1.2 मूल्यह्रास

1.2.1 कम्प्यूटर साफ्टवेयर का मूल्यह्रास क्रय किए गए वर्ष में 100 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

1.2.2 पट्टे वाली जमीन के मूल्य को पट्टे की अवधि में एमोर्टाइज किया जाता है।

1.2.3 वैसी परिसम्पत्तियाँ, जिनका वास्तविक मूल्य 5000/–रू. से अधिक नहीं हो, को इस तरह की प्रत्येक परिसम्पत्तियों के लिए 1 रू. टोकन मनी छोड़कर 100 प्रतिशत पर मूल्यह्रास किया जाता है।

2.0 स्टोर एवं अतिरिक्त पुर्जों का भंडार

2.1.1 मशीन–विशिष्ट पुर्जों को मशीन के साथ पूंजीकृत किया जाता है। कोई भी पुर्जा मशीन विशिष्ट तथा लगातार इस्तेमाल होने वाला नहीं है, जिसे ए.एस 10 के साथ पठित लेखा मानक (एएस) 2 के संदर्भ में पूंजीकृत किया जाए।

2.1.2 अचल (नन मूविंग) तथा अप्रयुक्त/पुराने स्टोरों का प्रावधान 0.33 करोड़ रूपए रहा, क्योंकि अप्रयुक्त/ पुराने स्टोर (संदर्भ टिप्पणी से 15) में कोई वृद्धि/निपटान नहीं हुआ है।

3.0 ऋण एवं अग्रिम/देनदार

3.1 कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के पास चालू लेखा एवं देनदार

3.1.1 31.3.2013 तक कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा (एकाउंट) में अंतर–कंपनी लेन–देन का सामांजस्य कर लिया गया है। 31.3.2013 के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के पास सम्मत चालू लेखा को कोल इंडिया लिमिटेड चालू खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद अंकेक्षण के दौरान या अन्य प्रकार से 31.3.2013 तक की अवधि से संबंधित अन्य सहायक कंपनियों से/को प्राप्त/भेजी गई किसी भी प्रकार का डेबिट/क्रेडिट सलाह पर अनुषंगी कंपनी उचन्त लेखा के तहत विचार किया गया है।

3.1.2 326.91 करोड़ रूपए के फुटकर देनदार गत वर्ष (249.64 करोड़ रूपए) में एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों से 256.06 करोड़ रूपए (गत वर्ष 195.33 करोड़ रूपए) का बकाया शामिल है (संदर्भ टिप्पणी संख्या–16) 1.4. 93 से सीआईएल के लेखे से समायोजन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा बिल की

स्वीकृति की पद्धति लागू की गई है। बिल की स्वीकृति की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

<u>सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड</u>

4.0 टिप्पणी सं. 10 ए के अनुसार परिसम्पत्तियों का व्यौरा

(अ) अचल परिसम्पत्ति एवं साफ्टवेयर (परिसम्पत्ति–एसएंडटी, ईएमएससी, यूएनडीपी, पीआई सीआईएल आरएंडडी आदि सहित)

	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				नेट ब्लाक	
विवरण	1.4.2012 के अनुसार	2012–13 के दौरान वृद्धि	समायोजन/बिक्री हस्तांतरण 2012–13	31.3.13 के अनुसार	1.4.12 के अनुसार	वर्ष 2012–13 के दौरान वृद्धि	2012–13 में समायोजन/बिक्री/हस्तांतरण	31.3.13 के अनुसार	31.3.13 के अनुसार	31.3.12 के अनुसार
<u>भूमि</u>										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली	1.15	–	–	1.15	–	–	–		1.15	1.15
(ख) पट्टे वाली	2.19	–	–	2.19	0.75	0.04	–	0.79	1.40	1.44
भवन	41.96	1.16	(1.80)	41.32	14.30	0.73	(0.48)	14.55	26.77	27.66
संयंत्र एवं मशीनरी	70.42	4.14	(1.30)	72.26	40.47	5.02	(1.17)	44.33	28.93	29.95
फर्निचर एवं फिटिंग्स/कार्यालय उपकरण आदि	14.00	1.56	(0.13)	15.53	10.90	0.52	(0.12)	11.30	4.23	3.10
वाहन	12.72	–	(0.20)	12.52	6.19	0.92	(0.19)	6.92	5.60	6.53
कुल(अ)–अचल संपत्ति	142.44	6.96	(3.43)	145.97	72.61	7.24	(1.96)	77.89	68.08	69.83
साफ्टवेयर	2.48	0.32		2.80	2.48	0.32		2.80		
ब) अचल परिसम्पत्ति एवं साफ्टवेयर एसएंडटी, सीसीडीए, ईएमएससी, यूएंडडीपी, पीआई, सीआईएल, आरएंडडी आदि										
<u>भूमि</u>										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली	–	–	–	–	–	–	–		–	–
(ख) पट्टे वाली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भवन	0.31	–	–	0.31	0.04	–	0.01	0.05	0.26	0.27
संयंत्र एवं मशीनरी	34.51	0.55	0.06	35.12	26.79	1.67	(0.02)	28.44	6.68	7.72
फर्निचर एवं फिटिंग्स/कार्यालय उपकरण आदि	0.47	–	(0.06)	0.41	0.23	0.02	–	0.25	0.16	0.24
वाहन	0.04	–	–	0.04	0.04	–	–	0.04	–	–
कुल(ब)–अचल संपत्ति	35.33	0.55	–	35.88	27.10	1.69	(0.01)	28.78	7.10	8.23
साफ्टवेयर	2.72	0.09	–	2.81	2.72	0.09	–	2.81		
कुल(अ+ब) अचल परिसम्पत्ति	177.77	7.51	(3.43)	181.85	99.71	8.93	(1.97)	106.67	75.18	78.06
कुल (अ+ब) साफ्टवेयर	5.20	0.41	–	5.61	5.20	0.41	–	5.61	–	–

5.0 पूँजीगत भंडार : (टिप्पणी संख्या–2)

कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एसएंडटी, पीआई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त अनुदान एवं कोश तथा परिसम्पत्ति के सृजन के लिए गए उपयोग को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा उस पर मूल्यह्रास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व उस प्राधिकारण का होता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया गया है। पूंजीगत भंडार का व्यौरा नीचे दिया गया है।

विवरण	वि.एवं प्रौ. अनुदान	यूएंनडीपी अनुदान	सीसीडीए अनुदान	ईएमएससी अनुदान	कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास अनुदान	पीआरई अनुदान	सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस अनुदान	कुल
गत लेखे के अनुसार वृद्धि	5.10 0.00	0.05 0.00	0.11 0.00	0.00 0.00	6.42 0.00	0.47 0.00	0.10 0.00	12.25 0.72
घटाकर मूल्यह्रास एवं समायोजन	5.10 0.97	0.05 0.00	0.11 0.02	0.00 0.00	7.14 0.66	0.47 0.13	0.10 0.01	12.97 1.79
कुल	4.13	0.05	0.09	0.00	6.48	0.34	0.09	11.18
31.3.2012 के आँकड़े	5.10	0.05	0.10	0.00	6.43	0.47	0.10	12.25

6.0 आयकर

134.23 करोड़ रूपए आयकर अग्रिम (गत वर्ष 96.59 करोड़ रू.) (संदर्भ टिप्पणी सं.18) में मूल्यांकन वर्ष 2010–11 तक के लिए मूल्यांकन के विरूद्ध प्रतिवाद के तहत 21.71 करोड़ रू. शामिल है। 86.58 करोड़ रूपए के आयकर प्रावधान (संदर्भ टिप्पणी सं.18) में 31.3.2013 को समाप्त हुए वर्ष तक के मूल्यांकन वर्ष 2013–14 तक के लिए समायोजन से संबंधित प्रावधान शामिल है।

7.0 चालू देयता एवं प्रावधान

7.1 **कोयला खान पेंशन योजन के तहत देयताएँ**

7.1.1 चालू देयता में 0.39 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.35 करोड़ रूपए) की कटौती शामिल है क्योंकि कुछ गैर सीएमपीएफ सदस्य के कर्मचारी तथा कुछ वैसे मृत कर्मचारी जिन्होंने पेंषन का विकल्प नहीं चयन किया था, के कारण जमा नहीं किया जा सका।

7.1.2 कंपनी द्वारा 1.7.1995 से स्वीकृत अतिरिक्त वेतन वृद्धि के कारण सदस्यों को देय 0.04 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.02 करोड़ रूपए) की भी देयता है।

7.1.3 उपर्युक्त दायित्व की रकम में सीएमपीएफ के अनुसार प्रयोज्य दर पर ब्याज शामिल है।

7.1.4 इन देयताओं के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट में 0.10 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.55 करोड़ रूपए) जमा है।

7.2 अन्य

7.2.1 संविदात्मक ड्रिलिंग की देयता का प्रावधान उस अवधि के लिए ड्रिल किए गए मिटरेज का 100 मूल्य मे से इस तरह की ड्रिलिंग के लिए किए गए भुगतान को घटाकर किया गया है।

7.2.2 वास्तविक (अक्चुअरियल) मूल्यांकन के अनुसार 1.1.2007 से पेंषन तथा सेवा–निवृति लाभ (केवल अधिकारियों के लिए) क्रमशः 12.71 करोड़ रूपए (गत वर्ष 10.24 करोड़ रूपए) तथा 28.72 करोड़ रूपए (गत वर्ष 10.24 करोड़ रूपए) तथा 28.72 करोड़ रूपए (गत वर्ष 23.10 करोड़ रू.) का प्रावधान किया गया है।

7.2.3 सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 जो 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ है, के तहत सुक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण किए जाने हैं। कंपनी इस अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में अपने आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित जानकारी संकलन करने की प्रक्रिया कर रही है। चूँकि संबंधित जानकारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए लेखे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

7.3 कार्य निष्पादन, (उपलब्धि) से संबंधित वेतन कंपनी ने अधिकारियों के लिए कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) के विरूद्ध 137.15 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 20010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के लिए संबंधित वर्ष में क्रमशः 16.05 करोड़ रूपए, 10.90 करोड़ रूपए, 28.20 करोड़ रूपए, 29.77 करोड़ रू., 24.53 करोड़ रूपए तथा 27.70 करोड़ रूपए) एकमुस्त वसूली योग्य अग्रिम का प्रावधान किया है(संदर्भ टिप्पणी सं. 9) टिप्पणी से 18 के ''कर्मचारियों को अग्रिम'' में शामिल 43.20 करोड़ रूपए पीआरपी की रकम पीआरपी अग्रिम का निबल (नेट) है जो सेवा–निवृत होने वाले कर्मचारियों से वसूली गई है।

8.0 चोरी एवं छिनतई के मामले

विवेच्य अवधि के दौरान चोरी के मामलों में 0.04 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.02 करोड़ रू.) की रिपोर्टिंग की गई थी। चोरी की रिपोर्टों में अधिकांश आइटम चार्ज्ड ऑफ आइटम में शामिल है तथा ऐसी क्षति के लिए लेखे में प्रावधान नहीं किया गया है।

9.0 निदेशकों के पारिश्रमिक

			रकम (करोड़ रूपये में)
		चालू वर्ष 2012–2013	गत वर्ष 2011–2012
1.	एल.टी.सी / छुट्टी नकदीकरण —— सहित वेतन एवं भत्ते	**0.72**	0.56
	2. भविष्य निधि	**0.08**	0.07
	3. चिकित्सा व्यय	**0.01**	0.01
	4. पूर्वापेक्षा (प्रीक्यूजिट) का मूल्य	**0.18**	0.15
	5. प्रदत्त उपदान	**0.10**	0.20

10 विदेशी मुद्रा में उपार्जन, खर्च आदि :

10.1 विदेशी मुद्रा में खर्च

रकम (करोड़ रूपये में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
	2012–2013	2011–2012
1) विदेशी प्रशिक्षण / दौरा, पुस्तके एवं अन्य	**0.26**	0.40
2) परामर्श शुल्क	**0.00**	0.44
कुल	**0.26**	**0.84**

10.2 सी.आई.एफ. के आधार पर परिकलित आयात मूल्य

	रकम (करोड़ रूपये में)	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
	2012–2013	2011–2012
1) पूँजीगत सामान	**0.95**	0.78
2) अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटक	**0.00**	0.00
कुल	**0.95**	**0.78**

10.3 विदेशी मुद्रा में आय :

	रकम (करोड़ रूपये में)	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
	2012–2013	2011–2012
	शून्य	शून्य

10.4 उपयोग में लाये गये आयातित एवं देशी सामानों तथा अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य और कुल खपत में उनका प्रतिशत

	रकम (करोड़ रूपये में)			
	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	2012–2013		2011–2012	
	मूल्य	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
1) आयातित	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2) देशी	**15.28**	100.00	16.67	100.00
कुल	**15.28**	**100.00**	**16.67**	**100.00**

11.0 आकस्मिक देयता

11.1 कम्पनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

11.1.1 **आयकर** : अपील में लंबित पूरे गए मूल्यांकन के संबंध में 21.71 करोड़ रूपये (गत वर्ष 22.17 करोड़ रूपये)

11.1.2 **प्रवेश कर के मामले** : व्यावसायिक कर आयुक्त के समक्ष लंबित वित्तीय वर्ष 2002–03 के संबंध में जो व्यावसायिक कर आयुक्त के पास लंबित है 0.17 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.17 करोड़ रूपए)

11.1.3 **सेवा कर के मामले** :

(1) पूरे किए गए मूल्यांकन के संबंध में 5.46 करोड़ (गत वर्ष 5.46 करोड़ रूपए) न्यायाधिकरण स्वीकार नहीं किया गया। कंपनी न्यायाधिकरण के समक्ष पुनः अपील दायर करने की प्रक्रिया कर रही है। प्रतिवाद के तहत 0.75 करोड़ रूपऐ का भुगतान कर दिया गया है।

(2) केंद्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर विभाग भुवनेश्वर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रेक्षण के संबंध में 0.58 करोड़ रूपए

(3) ओएसएच बी भुवनेश्वर द्वारा उठाई गई माँग के संबंध में 0.16 करोड़ रूपए

11.1.4 न्यायालय में लंबित अन्य विवादास्पद मामले, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है– 8.20 करोड़ रूपए (गत वर्ष 6.43 करोड़ रूपए)

11.2 विवेच्य वर्ष के दौरान परिपक्वता तक लंबित खोले गए एलसी शून्य रूपए (गत वर्ष 31.3.12 तक शून्य रू.)

11.3 पूँजीगत लेखे पर कार्यान्वित किए जाने वाले शेष संविदा का प्राक्कलित मूल्य तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया है 5.90 करोड़ रूपए (गत वर्ष 6.65 करोड़ रूपए)

11.4 अन्य मामले

11.4.1 औद्योगिक एवं अन्य विवाद के कारण न्यायालय में कुछ मामले लंबित हैं। इस मामले में आकस्मिक (फुटकर) देयता की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

11.4.2 कंपनी की ओर से बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में कंपनी द्वारा 0.11 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.20 करोड़ रूपए) की प्रति गारंटी (काउन्टर गांरटी) जारी की गई है।

12.0 राजस्व की पहचान

पीएंडए तथा गवेषण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को दी गई सेवा के लिए निरीक्षण शुल्क को छोड़कर एक्यूरल के आधार पर लागत योग पर बिल तैयार किया जाता है जिसे प्राप्ति के आधार पर गणना की जाती है।

13.0 वापस लाया गया (राइट बैक)

13.1 वैसे पुराने चेक जो विवेच्य अवधि तक तीन साल से अधिक पुराने हैं, को वापस लाया गया है।

13.2 न्यायालय/न्यायाधिकरण के पास लंबित विवादित मामले को छोड़कर विवेच्य अवधि तक वैसे अग्रधन तथा प्रतिभूमि जमा को वापस लाया गया है, जो पाँच वर्ष से अधिक पुराने हैं।

13.3 न्यायालय/न्यायाधिकरण में लंबित विवादित मामले को छोड़कर पाँच वर्ष से अधिक से पड़े कर्मचारियों से इतर की दावारहित देयता को वापस लाया गया है।

14.0 31.3.2013 के अनुसार उपदान (ग्रेच्यूटी) देयता का वास्तविक मूल्यांकन

तालिका–1 : प्रकटीकरण मद 120 (सी) दायित्व के वर्तमान मुल्य में परिवर्तन दर्षाने वाली तालिका

करोड़ रूपए में
31.3.2013 के अनुसार

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दिखलाने वाली तालिका

वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	124.30
अधिग्रहण समायोजन	0.00
अग्रधन लागत	9.17
गत सेवा मूल्य	0.00
वतर्मान सेवा मूल्य	6.97
काट–छाँट (कर्टेलमेंट) लागत	0.00
परिषोधन (सेटलमेंट) लागत	0.00
भुगतान किया गया लाभ	19.40
दायित्व पर वास्तविक प्राप्ति/हानि	9.29
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	130.33

तालिका–2 : प्रकटीकरण मद 120 (ई) योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित (फेयर) मूल्य में परिवर्तन दर्षाने वाली तालिका : लागू नहीं, क्योंकि योजना वितरहित है।

तालिका–3 : प्रकटीकरण मद 120 (एफ) कोश प्रदान करने की स्थिति दर्षाने वाली तालिका लागू नहीं, क्योंकि योजना वितरहित है।

तालिका 4 : प्रकटीकरण मद 120 (जी) लाभ/हानि के विवरण में पहचान की गई व्यय दर्षाने वाली तालिका

करोड़ रूपए में
31.3.2013 के अनुसार

दायित्व का वर्तमान मूल्य दर्षाने वाली तालिका

चालू सेवा लागत	6.97
गत सेवा लागत	0.00
व्याज लागत	9.17
योजनागत लागत का संभावित रिटर्न	0.00
कॉट–छाँट (कर्टेलमेंट) लागत	0.00
परिषोधन (सेटलमेंट) लागत	0.00
वर्ष में पहचान की गई वास्तविक प्राप्ति/हानि	9.29
लाभ एवं हानि के परिषोधन में चिन्हित व्यय	25.43

तालिका– 7 : प्रकटीकरण मद 120 (आई)

वास्तविक कंजम्पशन दर्शाने वाली तालिका

	31.3.2013 के अनुसार
मोर्टालिटी तालिका	एलआईसीआई 1994–96
सेवा–निवृति उम्र	60
समय पूर्व सेवा–निवृति एवं अक्षमता	10 प्रतिशत प्रति हजार प्रति वर्ष
	45 से उपर के 6
	29 से 45 के बीच 3
	29 से नीचे के 1
छूट दर	8.00
मुद्रा स्फीति दर	6.25
परिसम्पत्तियों पर रिटर्न	0.00
षेश कार्यकारी जीवन	11
प्रर्युक्त फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

तालिका–10 : प्रकटीकरण तालिका 120(पी)

तुलन–पत्र में चिन्हित देयता में गतिशीलता

करोड़ रूपये में

	31.3.2013 के अनुसार
प्रारंभिक निबल देयता	104.90
उपर्युक्त के अनुसार खर्च	25.43
अंशदान	0.00
अंतिम निबल देयता	25.43
वर्ष के अंत में अंतिम कोश/प्रावधान	130.33

एएस–15 के परिशिष्ट 'बी' पर टिप्पणी (संशोधित 2005) चूंकि यह योजना वित्त रहित है, इसलिए लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभार निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है :

(1) गत के दायित्व को अंतिम लेखा तिथि में उपलब्ध कराया गया है।

(2) एक्मीस्ट के लाभ का भुगतान उपर्युक्त प्रावधान के डेबिट को किया गया है।

(3) चालू (वर्तमान) दायित्व को चालू लेखा तिथि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

15.0 आस्थगित कर :

चार्टर्ड एकाउटेंड आफ इंडिया के इन्स्टीच्यूट द्वारा जारी आय पर कर के लिए लेखे पर लेखा मानक (एएस 22) के अनुसार 31.3.2013 को आस्थगित आयोजित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को क्रमशः 102.76 करोड़ रूपए तथा 7.22 करोड़ रूपए परिकलित किया गया है। 31.3.2013 के अनुसार निबल आस्थगित कर में निम्नलिखित शामिल है :

			रकम (करोड़ रूपये में)
		31.3.2013 के अनुसार	31.3.2012 के अनुसार
(ए)	**आस्थगित कर**		
	वीआरएस	0.00	0.00
	साफ्टवेयर	0.09	0.06
	अप्रयुक्त/गैर–गतिषील के लिए प्रावधान	0.11	0.10
	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	1.06	0.88
	छुट्टी नकदीकरण गेच्यूटी तथा टर्मिनल लाभ	101.50	78.38
	कुल– (ए)	102.76	79.42
	आस्थगित कर देयता परिसम्पत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	7.22	7.75
	कुल–बी)	7.22	7.75
(सी)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निबल ए–बी)	95.54	71.67

16.0 क्षेत्रवार (सेगमेंट वाइज) लाभ एवं हानि विवरण :

रकम (करोड़ रूपए में)

विवरण	पीएंडडी	गवेषण	पर्यावरण	कुल
राजस्व				
सेवाओं की बिक्री	214.80	361.92	24.33	601905
विविध–आय	3.73	0.35	0.08	4.16
कुल राजस्व	218.53	362.27	24.41	605.21
परिणाम	54.13	67.40	6.94	128.47
अनअलॉटेड निगमित व्यय				98.70
कर के पूर्व लाभ/हानि				29.77
आयकर के लिए प्रावधान				28.58
आस्थगित कर के लिए प्रावधान				–23.86
कर के पश्चात् लाभ				25.05

17.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए 0.98 करोड़ रूपए (गत वर्ष के प्रतिधारित रिटेंड लाभ का 5 प्रतिशत होने के कारण) का प्रावधान किया गया है। विवेच्य अवधि के दौरान इस पर 1.06 करोड़ खर्च किए गए हैं।

18.0 सतत् (सस्टेंड) विकास भंडार

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सतत्विकास भंडार हेतु 0.10 करोड़ रूपए (गत वर्ष के प्रतिधारित लाभ का 57 होने के कारण) का प्रावधान किया गया है। इस मद में विवेच्य अवधि में किसी भी तरह का खर्च नहीं किया गया है।

19.0 गत वर्ष के आँकड़े

जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है चालू वर्षों के साथ उसकी तुलना करने के लिए गत वर्ष के आँकड़े को पुनर्व्यस्थित/पुनर्गठित/पुनः समुहित किए गए हैं।

तुलन–पत्र के लिए 1 से 19, लाभ तथा हानि लेखा के लिए 20 से 32 तथा लेखा नीति एवं लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी के लिए 33 से 34 और लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी के लिए हस्ताक्षरित।

ह./–
(पी. लाजर)
कंपनी सचिव

ह./–
(ए.के.सोनी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह./–
(बी.एन.बासु)
निदेशक

ह./–
(ए.के.देबनाथ)
अध्यक्ष–सह –प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002180 सी

ह./–
(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक : 10 मई, 2013
स्थान : रांची

कैश फ्लो स्टेटमेंट
31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

करोड़ रू. में

	विवरण		चालू वर्ष 2012–13 के लिए आंकड़ें	गत वर्ष 2011–12 के लिए आंकड़े
	1		2	3
I	कैश फ्लो (अर्न्तवाह)			
(1)	परिचालित क्रिया–कलापों से			
	(क) परिचालित क्रिया–कलापों से लाभ		**29.77**	30.79
	समायोजन			
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन (ऋण चुकाना)		**7.37**	6.88
	स्टॉक का परिशोधन			
	सीएसआर रिजर्व में स्थानान्तरित राशि			
	क्षतिपूर्ति			
	अचल परिसम्पत्तियों के विक्रय पर हानि/(लाभ)			
	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियाँ			
	संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान/(निराकरण)			
	(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्त्तन			
	वस्तुसूची में कमी		**0.73**	
	प्राप्य व्यवसाय में कमी			
	अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम में कमी			
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी			
	भुगतान योग्य व्यवसाय में वृद्धि			10.50
	चालू देयताओं में वृद्धि		**65.47**	36.04
	प्रावधान में वृद्धि–अल्पकालीन		**100.97**	
	प्रावधान में वृद्धि–दीर्घकालीन		**2.62**	28.69
	(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ			
	(1) का कुल		**206.93**	**112.90**
(2)	निवेशित क्रिया–कलापों से			
	(क) अचल परिसम्पत्तियों से विक्रय से प्राप्ति			
	(ख) निवेश किए गए विक्रय से प्राप्ति			
	(ग) अनुषंगियों/सहयोगियों/जोखिमों(व्यावसायिक) से दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम की वसूली			
	(घ) अन्य दीर्घकालीन तथा अग्रिम में कमी			
	(ड.) तीन महीने से अधिक के परिपक्वता सहित जमा लेखे में कमी		**0.10**	1.26
	(च) प्राप्त लाभांश		**0.92**	0.20
	(छ) प्राप्त ब्याज			
	(ज) अन्य आय			
	(2) का कुल		**1.02**	**1.46**
(3)	वित्तीय क्रिया–कलापों से			
	क. शेयर पूँजी से निर्गमन से प्राप्ति			
	ख. लंबित आवंटन शेयर विनियोग राशि			
	ग. दीर्घकालीन उधारी/प्रावधानों से प्राप्ति			
	घ. अल्पकालीन उधारी/सरकारी अनुदान से प्राप्ति			3.39
	(3) का कुल			3.39
	कैश इन फ्लो (1+2+3)		**207.95**	117.75

	विवरण		चालू वर्ष 2012–13 के लिए आंकड़ें	गत वर्ष 2011–12 के लिए आंकड़े
	1		2	3
II	कैश आउट फ्लो (बर्हिगमन)			
(1)	परिचालित क्रिया–कलापों से			
	(क) परिचालित क्रिया–कलापों से हानि			
	समायोजन			
	मूल्य ह्रास तथा परिशोधन			
	स्टॉक का परिशोधन			
	क्षतिपूर्ति			
	अचल परिसम्पत्तियों के विक्रय पर हानि / (लाभ)			
	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियाँ			
	संदिग्ध ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान / (निराकरण)			
	(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्त्तन			
	वस्तु–सूची में वृद्धि			
	प्राप्य व्यवसाय में वृद्धि		**76.88**	56.46
	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि		**38.45**	0.63
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि			
	भुगतान योग्य व्यवसाय में कमी		**1.02**	
	चालू देयताओं में कमी			
	प्रावधान में कमी–दीर्घकालीन			
	प्रावधान में कमी–अल्पकालीन			18.48
	(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ / देयताएँ		**23.86**	11.76
	(एफ) प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निबल वापसी)		**4.72**	11.18
	(1) का कुल		**144.93**	**98.51**
(2)	निवेशित क्रिया–कलापों से			
	क. वास्तविक परिसम्पत्तियों की खरीद / चालू पूंजीगत कार्य		**3.93**	17.72
	ख. अवास्तविक परिसम्पत्तियों की खरीद / विकासाधीन परिसम्पत्तियाँ		**0.41**	1.15
	ग. निवेशों की खरीद			
	घ. अनुषंगियों / सहयोगियों / जोखिमो (व्यावसायिक) में निवेश			
	ड. अनुषंगियों / सहयोगियों / जोखिमो (व्यावसायिक) से दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम का भुगतान			
	च. अन्य दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम में वृद्धि			
	छ. अन्य अचालित परिसम्पत्तियों में वृद्धि			

	विवरण		चालू वर्ष 2012–13 के लिए आंकड़ें	गत वर्ष 2011–12 के लिए आंकड़े
	1		2	3
	(2) का कुल		**4.34**	18.87
(3)	वित्तीय क्रिया–कलापों से क. दीर्घकालीन उधारी का पुनर्भुगतान ख. अल्पकालीन उधारी का पुनर्भुगतान ग. चुकाया हुआ लाभांश (वितरण कर सहित) घ. अल्पकालीन उधारी / सरकारी अनुदान से प्राप्त ड. ब्याज एवं अन्य वित्तीय लागत च. शेयर निर्गमन व्यय		**1.08**	
	(3) का कुल		**1.08**	
	कुल कैश आउट फ्लो (1+2+3)		**150.35**	117.38
III	अवधि के प्रारंभ में कैश तथा तुल्यमान कैश (1–2), अतिरिक्त कैश तथा तुल्यमान कैश में नेट (कमी) / वृद्धि		**57.60** **60.19**	0.37 59.82
IV	अवधि के अंत में नकद तथा नकद समतुल्य 3 महीने से अधिक के परिपक्वता के साथ जमा लेखा		**117.79**	60.19
	टिप्पणी 17 के अनुसार शेष		**0.10**	1.02
	(68.92 करोड़ रू. एमओसी फंड सहित)		**117.89**	61.21

ह. / –
(पी. लाजर)
कंपनी सचिव

ह. / –
(ए.के.सोनी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह. / –
(बी.एन.बासु)
निदेशक

ह. / –
(ए.के.देबनाथ)
अध्यक्ष–सह –प्रबंध निदेशक

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते तोदी तुलस्यान एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 002180 सी

ह. / –
(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075899

दिनांक : 10 मई, 2013
स्थान : रांची

कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग IV द्वारा यथा वांछित सूचनाएं
तुलन–पत्र का सार और कम्पनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल
03 झारखण्ड (राज्य कोड)

I. पंजीयन विवरण

पंजीयन संख्या	0	0	1	2	2	3	

राज्य कोड	0	3

तुलन – पत्र तिथि

3	1		0	3		2	0	1	3
दिनांक			महीना			वर्ष			

II.

विवेच्य वर्ष में उगाही गई पूँजी (राशि हजार रूपये में)

पब्लिक इश्यू: शून्य

राइट इश्यू: शून्य

बोनस इश्यू: शून्य

निजी स्थापन: शून्य

III.

निधियों का संग्रहण एवं विस्तार की स्थिति (राशि हजार रूपये में)

कुल देयताएं: 73606

कुल परिसंपत्तियां: 73606

निधि के स्रोत

प्रदत्त पूँजी: 190400

आरक्षित एवं अधिशेष: 11585

प्रतिभूत ऋण: शून्य

अप्रतिभूत ऋण: शून्य

निधि के उपयोग

निबल अचल परिसंपत्तियॉं: 8655

निवेश: शून्य

निबल चालू परिसंपत्तियॉं / गैर चालू परिसंपत्तियाँ: (-) 4720

विविध व्यय: शून्य

संचित हानि: शून्य

आस्थगित कर: 9554

इंटेन्जिबुल एसेट्स: शून्य

IV. कम्पनी का कार्य निष्पादन (00000 रूपये में)

टर्न ओवर

		6	0	1	0	5

कुल व्यय

		5	7	1	2	8

+ / -

+	

कर के पूर्व लाभ / हानि

		2	9	7	7

+ / -

+	

कर के बाद लाभ/हानि

	2	5	0	5

(लाभ के लिए +, हानि के लिए –)

प्रति शेयर उपार्जन (रूपये में)

		1	3	1	6

लाभांश

शू	न्‍	य

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक टर्म के अनुसार)

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उ	प	ल	ब्ध		न	हीं							

उत्पाद विवरण	माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन
	उत्पाद विवरण मद कोड/आईटीसी कोड
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	भू–विज्ञान एवं वेधन
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)	उपलब्ध नहीं
उत्पाद विवरण	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा क्षेत्र सेवाएं

अनुसूची 'क से ण' तक और 1 से 15 तक के लिए हस्ताक्षरित
निदेशक–मंडल, सीएमपीडीआई की ओर से एवं वास्ते

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
पी. लाजर	**ए.के.सोनी**	**बी.एन.बासु**	**ए.के.देबनाथ**
कम्पनी सचिव	**महाप्रबंधक (वित्त)**	**निदेशक**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए आम सूचना (जनरल नोट)

सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा जांच के लिए रखा जाएगा तथा यह कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयरधारक द्वारा मांगे जाने पर जानकारी देने के लिए मुख्यालय में उपलब्ध रहेगा।